खण्ड-337, अंक-6
गुरूवार, 1 चैत्र, शक संवत् 1901
(22 मार्च, 1979 ई0)

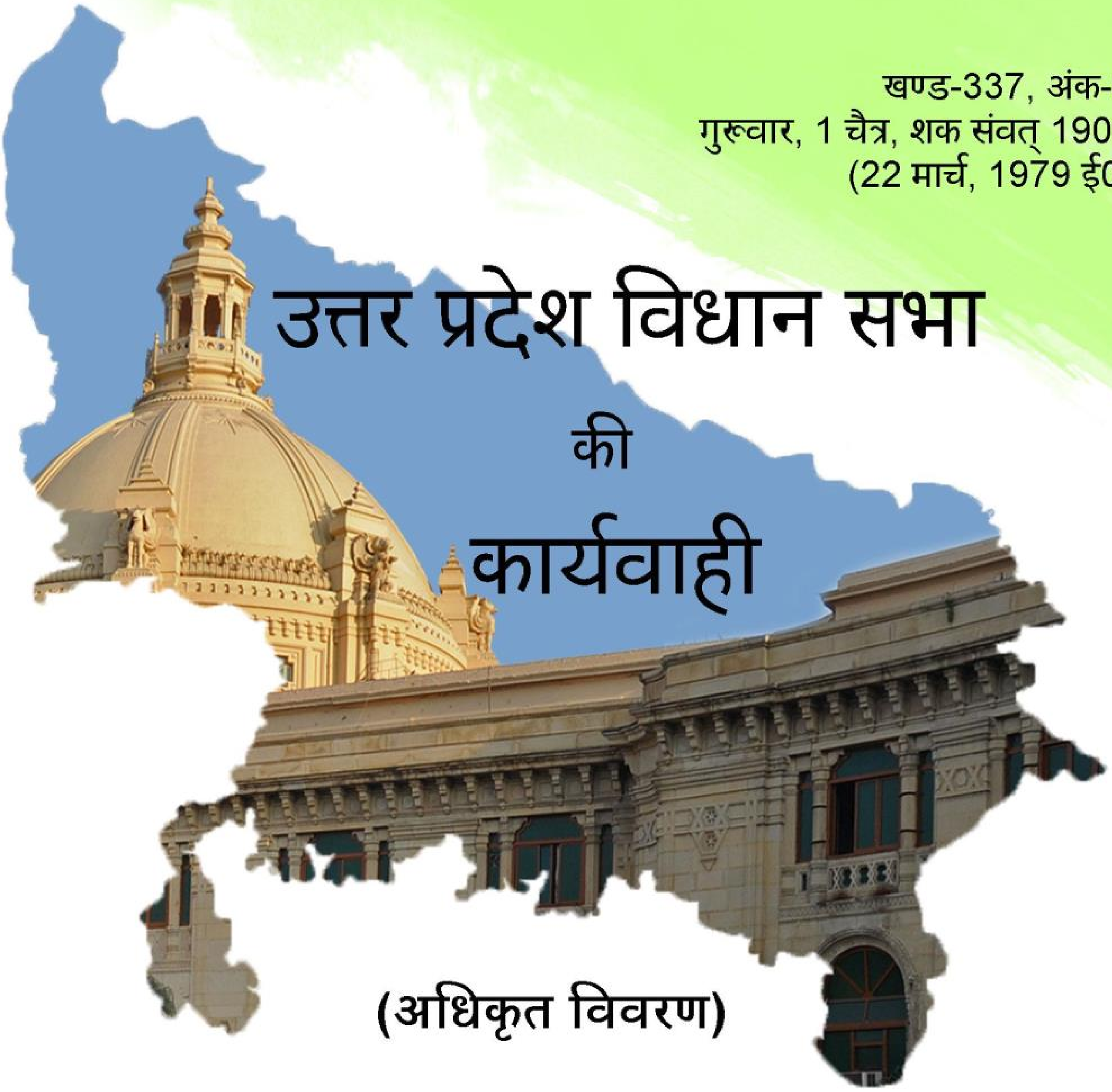

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 337 में 9 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1979

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय	पृष्ठ संख्या
लोकनायक जय प्रकाश नारायण के स्वास्थ्य के सम्बन्ध में जानकारी ..	662–663
पुलिस अधीक्षक, बाराबंकी के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न (विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट किया गया) ..	663–664
गन्ना विकास मन्त्री, गन्ना आयुक्त, गन्ना सचिव तथा श्री महादेव शुक्ल व श्री राम आसरे सिंह आदि के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना	664–665
क्षय रोगाश्रम, भुवाली की परामर्शदात्री समिति में कार्य करने के लिए सदस्यों के निर्वाचन का कार्यक्रम	665
भूतपूर्व प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के लोक सभा से निष्कासन तथा कारावास के विरोध में कांग्रेस (आई) द्वारा चलाए गए आन्दोलन के दौरान राज्य की विभिन्न जेलों में हुई घटनाओं के सम्बन्ध में अग्रेतर वक्तव्य	665–666
चान्दपुर, जिला बिजनौर में कुछ लड़कों द्वारा होली का चन्दा जबरन वसूल करने तथा श्री हीरा लाल वरुण नामक दरोगा द्वारा बीच बचाव करने पर मारपीट के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना ..	666–668
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की अन्य सूचनायें	668–669
1978–79 के अनुपूरक अनुदानों पर सामान्य चर्चा (जारी) ..	669–673
लोक नायक जय प्रकाश नारायण के निधन की कथित सूचना पर शोकोद्गार	673–678
लोक नायक श्री जय प्रकाश नारायण के निधन की गलत सूचना दिए जाने पर मुख्य मन्त्री द्वारा खेद प्रकाशन	678–681
1978-79 के अनुपूरक अनुदानों पर सामान्य चर्चा	681–699
1978-79 के अनुपूरक अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या—3 मन्त्रि परिषद् (स्वीकृत)	699
अनुदान संख्या 4—न्याय प्रशासन (स्वीकृत)	700
अनुदान संख्या 10—राज्य आबकारी (स्वीकृत)	700
अनुदान संख्या 18—सचिवालय (स्वीकृत)	700
अनुदान संख्या 19—जिला प्रशासन (स्वीकृत)	700
अनुदान संख्या 21—पुलिस (स्वीकृत)	701
अनुदान संख्या 22—कारागार (स्वीकृत)	701
अनुदान संख्या 23—लेखन-सामग्री तथा मुद्रण (स्वीकृत)	701
अनुदान संख्या 24—सार्वजनिक निर्माण कार्य (स्वीकृत)	701
अनुदान संख्या 25—अन्य प्रशासनिक सेवाएं (स्वीकृत)	702
अनुदान संख्या 26—अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशने (स्वीकृत)	702
अनुदान संख्या 28—शिक्षा (स्वीकृत)	702
अनुदान संख्या 29—कला एवं संस्कृति (स्वीकृत)	702

विषय	पृष्ठ संख्या
अनुदान संख्या 30—वैज्ञानिक सेवाएं एवं शोध (स्वीकृत)	702–703
अनुदान संख्या 31—चिकित्सा (स्वीकृत)	703
अनुदान संख्या 32—परिवार कल्याण (स्वीकृत)	703
अनुदान संख्या 33—सार्वजनिक स्वास्थ्य (स्वीकृत)	703
अनुदान संख्या 34—मल निकासी व्यवस्था तथा जल सम्पूर्ति (स्वीकृत) ..	703
अनुदान संख्या 35—आवास भवन (स्वीकृत)	704
अनुदान संख्या 37—सूचना तथा प्रचार (स्वीकृत)	704
अनुदान संख्या 40—अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण सम्बन्धी योजनाएं (स्वीकृत)	704
अनुदान संख्या 41—दैवी आपदाओं के कारण सहायता (स्वीकृत) ..	704
अनुदान संख्या 42—अन्य सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं (स्वीकृत) ..	705
अनुदान संख्या 43—सहकारिता (स्वीकृत)	705
अनुदान संख्या 44—विशेष एवं पिछड़े हुए क्षेत्र (स्वीकृत)	705
अनुदान संख्या 46—कृषि (स्वीकृत)	705
अनुदान संख्या 47—औद्यानिक विकास (स्वीकृत)	705–706
अनुदान संख्या 49—सामुदायिक विकास (स्वीकृत)	706
अनुदान संख्या 53—पशुपालन (स्वीकृत)	706
अनुदान संख्या 55—मत्स्य उद्योग (स्वीकृत) .. .	706
अनुदान संख्या 56—वन (स्वीकृत)	706
अनुदान संख्या 57—उद्योग (स्वीकृत)	707
अनुदान संख्या 58—ग्राम एवं लघु उद्योग (स्वीकृत)	707
अनुदान संख्या 64—संचार साधन (स्वीकृत)	707
अनुदान संख्या 65—कार्यात्मक भवन (स्वीकृत)	707
अनुदान संख्या 69—पर्यटन (स्वीकृत)	707–708
अनुदान संख्या 70—स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा अभ्यर्पण (स्वीकृत)	708
अनुदान संख्या 71—सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय (स्वीकृत)	708
अनुदान संख्या 72—कार्यात्मक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय (स्वीकृत) ..	708
अनुदान संख्या 73—चिकित्सा, परिवार कल्याण तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय (स्वीकृत)	708–709
अनुदान संख्या 74—आवास भवनों पर पूंजीगत परिव्यय (स्वीकृत) ..	709
अनुदान संख्या 76—सहकारिता तथा डेरी विकास सम्बन्धी योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय (स्वीकृत)	709
अनुदान संख्या 77—विशेष एवं पिछड़े हुए क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय (स्वीकृत)	709
अनुदान संख्या 79—जमीन्दारी उन्मूलन के सम्बन्ध में प्रतिकर (स्वीकृत) ..	709–710

उत्तर प्रदेश विधान सभा

विषय	पृष्ठ संख्या
अनुदान संख्या 80—कृषि योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय (स्वीकृत) ..	710
अनुदान संख्या 82—खाद्य पर पूंजीगत परिव्यय (स्वीकृत) ..	710
अनुदान संख्या 83—पशुपालन तथा मत्स्य उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय (स्वीकृत)	710
अनुदान संख्या 85—सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय (स्वीकृत) ..	710–711
अनुदान संख्या 87—संचार साधनों पर पूंजीगत परिव्यय (स्वीकृत) ..	711
अनुदान संख्या 92—ऋण और अग्रिम–स्वायत्त शासन (स्वीकृत) ..	711
अनुदान संख्या 94—ऋण और अग्रिम-उद्योग (स्वीकृत)	711
अनुदान संख्या 95—ऋण और अग्रिम–सहकारिता (स्वीकृत) ..	711
अनुदान संख्या 96—ऋण और अग्रिम–कृषि (स्वीकृत)	712
अनुदान संख्या 98—ऋण और अग्रिम–वित्त (स्वीकृत)	712
उत्तर प्रदेश विनियोग (1978–79 का तृतीय अनुपूरक) विधेयक, 1979 (पारित)	712–719
अनुपूरक अनुदानों पर मतदान में हुए विभाजन की संख्या के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	719–721
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	721–722
निजी नलकूपों/पम्पिंग सेटों की विद्युत् दरें 15 रुपया प्रति अश्व शक्ति प्रतिमाह से घटा 12 रु0 प्रति अश्व शक्ति प्रतिमाह करने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य	722–723
नत्थियां	724–734

अविकल प्रदेश विधान सभा

अध्यक्ष सभा
मुद्रण विभाग

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, 22 मार्च, 1979

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में उपाध्यक्ष, श्री जगन्नाथ प्रसाद की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य —389

अकबर हुसैन, श्री
अजब सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
अजब सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
अजीत सिंह सेठी, श्री
अठई राम, श्री
अनवार अहमद , चौधरी
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल वहीद, श्री
अब्दुल हफीज, श्री
अब्दुल हलीम खां, श्री
अरुण कुमार, श्री
अवधेशकुमार श्रीवास्तव, श्री
अवधेश नरायन, श्री
अवधेश प्रसाद, श्री
अवनीश कुमार सिंह, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अशफाक अहमद खान, श्री
अशर्फीलाल यादव, श्री
अशोक बाजपेयी, श्री
अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश', डाक्टर
आबिद अली, श्री
इन्द्रमणी बड़ौनी, श्री
इसमाईल, श्री
ईशदत्त यादव, श्री
ईश्वर प्रसाद, श्री
उदय नरायण सिंह, श्री
उदय प्रताप सिंह, श्री
उदित नरायन, श्री
उमा कान्त बाजपेयी, श्री (उर्फ भइया जी)
ऊदल, श्री
एदल सिंह, श्री
ओंकार नाथ, श्री
औकार सिंह, श्री
ओम प्रकाश, श्री (उर्फ राम मिलन सिंह)
ओम प्रकाश सिंह, श्री
औसान सिंह, श्री
कन्हई सिंह, श्री
कन्हैयालाल गुप्त, श्री
कन्हैयालाल सोनकर, श्री
कबूल सिंह, श्री
कमल किशन पाण्डेय, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
कमला प्रसाद सिंह, श्री
करन सिंह, श्री
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याण सिंह, श्री
काली चरण, श्री
कासिम हसन, श्री
किशन लाल, श्री
किशन लाल दिलेर, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम ऐजाज रसूल)
कृपा शंकर आर्य, श्री
कृष्ण कान्त मिश्र, श्री
कृष्ण कुमार पालीवाल, श्री
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर
कृष्ण स्वरूप, श्री
कृष्णा राय, श्री
केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री
कैलाश नाथ सिंह, श्री
कौशल किशोर, श्री
खान गुफरान जाहिदी, श्री
खान मोहम्मद आतिफ खां, श्री
गंगा प्रसाद, श्री
गंगा सहाय यादव, श्री
गंजी प्रसाद, श्री
गजाधर प्रसाद, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गणेश दत्त बाजपेयी, श्री

गनेशी लाल चौधरी, श्री (वकील)
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री
(उर्फ मन्ने बाबू)
गिरधारी लाल, श्री
गिरीश चन्द्र तिवारी, श्री
गुरुदत्त सोलंकी, श्री
गुरु प्रसाद, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गेंदा लाल गुप्त, श्री
गोकरन प्रसाद, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री
गौरीशंकर एडवोकेट, श्री
गौरी शंकर भैया, श्री
चन्द्र पाल, श्री
चन्द्रपाल सिंह, श्री
चन्द्रभूषण सिंह, श्री
चन्द्र शेखर सिंह, श्री
चन्द्रसेन सिंह, श्री
छज्जू सिंह ,श्री
छेदा सिंह चौहान,श्री
छेदी, श्री (उर्फ छेदी लाल)
छोटे लाल, श्री
छोटे लाल 'निर्भय', श्री
जंग बहादुर सिंह पटेल, श्री
जगदम्बा प्रसाद सिंह, श्री
जगदीश, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश सिंह, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री
जमुना प्रसाद, श्री
जयराम, श्री
जय शंकर पाण्डेय, श्री
जवाहर लाल, डाक्टर
जसवीर सिंह, श्री
जागन सिंह, श्री
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, डाक्टर
जौहरी लाल त्रिवेदी , श्री
झामलाल अहेरवार, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
तेजभान सिंह, श्री
तेजभान सिंह कुंवर, श्री
तेज सिंह, श्री
त्रिलोक चन्द, श्री
त्रिवेनी सिंह, श्री
दयाराम भास्कर, श्री
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री
दीनानाथ सेवक, श्री
दीप नरायन, श्री
दुक्खी प्रसाद, श्री
दुर्ग विजय सिंह, श्री
देवकी नन्दन, श्री
देव कुमार, श्री
देवबहादुर सिंह, श्री
देव राम, श्री
देवेन्द्र दत्त शास्त्री, श्री
धरम राम, श्री
धर्म गज सिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, आचार्य
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धीरेन्द्र सहाय, श्री
नंगाराम, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नन्दराम, श्री
नन्हेंलाल कुरील, श्री
नरेन्द्र सिंह, श्री
नरेश चन्द्र, श्री
नरेश पाल सिंह यादव, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण सिंह, श्री
नारायण सिंह भैंसोरा, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नेम सिंह चौहान, श्री
पद्माकर लाल श्रीवास्तव, श्री
पुरुषोत्तम दास, श्री
पुष्पा तलवार, श्रीमती
पूरन चन्द्र, श्री
पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल, श्री
प्यारे लाल शाक्य, श्री
प्रताप सिंह, श्री
प्रताप सिंह पुष्पवान, श्री
प्रदीप कुमार यादव, श्री
प्रभू दयाल यादव, श्री (एडवोकेट)
प्रेम नारायण अहेरवार, श्री

फजलुर्रहमान अन्सारी, श्री
फजलुलबारी, श्री (उर्फ बन्ने भाई)
बंगाली सिंह, डाक्टर
बच्चा पाठक, श्री
बदन सिंह, श्री
बनारसी दास, श्री
बनारसी दास चांदना, श्री
बरफियालाल जुवांठा, श्री 'अरबिन्द'
बलदेव, श्री
बलबीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
बलबीर सिंह, श्री (जिला मैनपुरी)
बशीर अहमद ,श्री
बसंत, श्री
बांके लाल, श्री
बाबू बदरे, श्री
बाबूराम प्रभाती, डाक्टर
बाबूराम वर्मा, श्री
बाबू राम शुक्ल, श्री
बाबू लाल वर्मा, श्री
बाबू लाल विद्यार्थी, श्री
बाबू लाल 'सरोज', श्री
बाबू सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
बाबू सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
बिन्दू लाल, श्री
बिशून दयाल, श्री
बिहारी लाल हन्स, श्री
बुद्धू राम, श्री
बृजलाल, श्री
बेचू राम, श्री
बेनी प्रसाद माधव, श्री
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री
ब्रज वल्लभ, श्री
ब्रह्मदत्त द्विवेदी, श्री
भगवत दयाल, डाक्टर
भगवती चरण 'निर्मोही, श्री
भगवती प्रसाद सिंह, श्री
भगवानदीन कुशवाहा, श्री
भगवान सिंह, श्री
भगौती सिंह, श्री
भाभी, श्री
भारत सिंह, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
भीषम, श्री
मंगल राम प्रेमी, श्री
मकबूल अहमद, श्री
मकबूल हुसैन खां, श्री
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मन्जूर अली खां, श्री (उर्फ शम्भू खां)
मन्जूर अहमद, श्री
मन्ना लाल, श्री
मन्नी लाल, श्री
मन्नू राम, श्री
मन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मन्सूर अली श्री
मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसूदुल हसन नोमानी, श्री
महेन्द्र रिपुदमन सिंह, राजा
महेन्द्र सिंह यादव, श्री
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री
मान सिंह आजाद, श्री
माधव, श्री
मालती शर्मा, श्रीमती
मिठाई लाल, श्री
मित्रसेन, श्री
मुकन्दी सिंह, श्री
मुकीमुर्रहमान, श्री
मुख्तार अनीस, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्र पाल सिंह, श्री
मुफ्ती जलील अहमद, श्री
मुलायम सिंह यादव, श्री
मुश्ताक अहमद, श्री
मुहम्मद खलील उल्लाह कुरेशी, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मूल चन्द्र, ठाकुर
मैनेजर सिंह, श्री
मोअज्जिज अली बेग, डाक्टर
मोती राम, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहन लाल त्रिपाठी, श्री
मोहन सिंह, श्री (जिला देवरिया)
मोहन सिंह, श्री (जिला रायबरेली)
मोहम्मद उसमान, श्री
मोहम्मद मसूद खां, श्री
मौजी लाल कुरील, श्री
यशपाल सिंह, श्री

रघुबर दयाल वर्मा, श्री
रणजीत सिंह, श्री
रणजीत सिंह 'जूदेव', श्री
रणबीर सिंह, श्री
रफी उल्लाह, श्री
रफीक अहमद खां, श्री
रमा शंकर कौशिक, श्री
रमेश चन्द्र, श्री
रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री
रवीन्द्र सिंह, श्री
राघव राम मिश्र, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राज नरायन, श्री
राजनाथ सिंह, श्री
राजपति मिश्र, श्री
राजबली तिवारी, श्री
राज ब्रजराज सिंह, श्री
राजमंगल तिवारी, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र चौधरी, श्री
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री
राजेन्द्र सिंह, श्री
राजेश कुमार सिंह, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
राम अधार, श्री
राम अधार यादव, बाबा
राम आसरे, श्री
राम आसरे अग्निहोत्री, श्री
राम आसरे वर्मा, श्री
राम कृष्ण, श्री
राम गोबिन, श्री
राम जनम, श्री
राम जनम राय, श्री
रामजी , श्री
राम दत्त जोशी, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव दुबे, श्री
राम देव यादव, श्री
राम नरायन वर्मा, श्री
राम नरेश पाण्डेय, श्री
राम नरेश यादव, श्री
रामपति, श्री
राम प्यारे, श्री
राम प्रकाश, श्री
राम फेर कोरी, श्री
राम बक्श, श्री
राम वरन वर्मा, श्री
राम रतन सिंह, श्री
राम रति देवी, श्रीमती
राम लखन, श्री
राम शिरोमणि दुबे, श्री
राम सजीवन, श्री
राम सरन सिंह, कुंवर
राम सागर, श्री
राम सिंह, श्री
राव मुश्ताक अहमद खां, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रेवती रमण रस्तोगी, श्री
रेवती रमण सिंह, श्री (उर्फ मणि जी)
रेवती शरण मौर्य, श्री
लक्खी सिंह, श्री
लक्ष्मण सिंह, श्री
लक्ष्मी नरायन, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लाल दास, श्री
लीलवत सिंह, श्री
वंश गोपाल चतुर्वेदी, श्री
विक्रमा राय, श्री
विजय राज सिंह, श्री
विद्या शंकर, श्री
विमला राकेश, श्रीमती
विश्वनाथ पाँडेय, श्री
विष्णु प्रताप सिंह, श्री
वीरेन्द्र चतुर्वेदी, श्री
वीरेन्द्र पति यादव, श्री
शंकर सिंह, श्री
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शफीकुर्रहमान बर्क, श्री
शमशाद अहमद, हाजी
शम्भूनाथ, श्री
शम्भू नाथ चौधरी, श्री
शशि प्रभा, श्रीमती
शारदा देवी, श्रीमती
शारदा प्रसाद जायसवाल, श्री
शारदा भक्त सिंह, श्री
शिवदास, श्री
शिव प्रसाद, श्री
शिव मंगल सिंह, श्री
शिव लाल मित्तल, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शोबन सिंह जीना, श्री
श्यामदत्त पालीवाल, श्री
श्यामदेव, श्री
श्यामधर मिश्र, श्री
श्याम नारायन तिवारी, श्री
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्याम सुन्दर गुप्त, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनारायण, श्री (उर्फ भुलई भाई)
श्री राम द्विवेदी, श्री
संगम लाल, श्री
संग्राम सिंह, श्री
सखावत हुसैन, श्री
सत्यदेव त्रिपाठी, श्री
सत्यपाल सिंह यादव, श्री
सत्य प्रकाश, श्री
सत्य प्रकाश मालवीय, श्री
सत्यवीर, कुंवर
सन्त बख्श रावत, श्री
सियाराम सागर, श्री
सुखद राज सिंह, श्री
सुखपाल पाण्डेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दर लाल, श्री
सुन्दर लाल दीक्षित, श्री
सुमेर चन्द्र गोयल, श्री
सुल्तान सिंह, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूरज प्रसाद, श्री
सूरवीर सिंह, श्री
सूर्यमुखी शर्मा, श्रीमती
सोनपाल, श्री (उर्फ सोहन लाल पिपल)
सोहन वीर सिंह तोमर, श्री
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती
हर गोविन्द सिंह, श्री
हर देव सिंह, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री
हरिकेवल प्रसाद, श्री
हरिचरण यादव, श्री (एडवोकेट)
हरिपाल सिंह शास्त्री, श्री
हरिश्चन्द्र, श्री (उर्फ हरीश जी)
हरी किशन श्रीवास्तव, श्री
हरी राम वर्मा, श्री
हरीराम शाक्य, श्री
हरी सिंह, श्री
हाकिम लाल, श्री
हामिद रजा खां, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकम चन्द तिवारी, श्री
हुकम सिंह परिहार, श्री
हेमराज, श्री

नोट—हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री, श्रीमती चन्द्रावती तथा स्वायत्त शासन मन्त्री, श्री रामाधार पांडेय भी सदन में उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, 22 मार्च, 1979

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

पथकर की समाप्ति पर विचार

**1—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि नागर क्षेत्रीय स्थानीय निकायों द्वारा यात्री बसों तथा भार वाहक ट्रकों से टोल टैक्स वसूल किये जाने का नियम अब तक समाप्त न करने का क्या कारण है और कब से समाप्त कर दिया जायगा ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री रामाधार पाण्डेय)—

नागर क्षेत्रीय स्थानीय निकायों में पथकर न समाप्त करने का कारण उनको होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति का प्रश्न है। शासन इस सम्बन्ध में वैकल्पिक व्यवस्था करने के प्रश्न पर गम्भीरतापूर्वक विचार कर रहा है। शीघ्र ही उपयुक्त निर्णय हो जाने की आशा है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सरकार पथकर समाप्त करने पर सिद्धान्त रूप से सहमत है ? यदि हां, तो जो वैकल्पिक व्यवस्था के बारे में विचार कर रही है उसकी रूपरेखा क्या है ?

श्री रामाधार पाण्डेय—

मान्यवर, शासन इस निर्णय पर पहुंच चुका है कि सिद्धान्त रूप में इसे समाप्त कर दिया जाय। इस पर इन्क्वायरी कमेटी की बैठक भी हुई। वैकल्पिक व्यवस्था के लिए हम इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि परिवहन विभाग से बात करके हम दो हजार बैरियर्स में से सोलह सौ बैरियर्स अबालिश करने की बात तय कर चुके हैं। उसमें एक बात यह थी कि हमने इन्ट्री टैक्स की बात तय की थी जिसमें केन्द्रीय सरकार की सहमति की आवश्यकता है। इसके बारे में 13 तारीख को भारत सरकार को पत्र लिखा जा चुका है। जैसे ही उनकी सहमति प्राप्त हो जायेगी हम उस चीज को लागू कर देंगे। हमने परिवहन संघ से भी इसके सम्बन्ध में बात कर ली है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या माननीय मंत्री जी इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पथकर सिद्धान्त रूप में समाप्त करने का निर्णय लिया जा चुका है और बहुत दिनों से आश्वासन देते चले आ रहे हैं तो अभी कितने दिन और लगेंगे ? कब तक यह सिद्धान्त रूप से स्वीकार की गयी व्यवस्था कार्यान्वित हो जायेगी ?

श्री रामाधार पाण्डेय—

यह मामला तुरन्त ही 13 तारीख को केन्द्रीय सरकार को भेज दिया गया है। जैसे ही उनकी अनुमति मिल जाती है, इसे समाप्त कर दिया जायगा।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि पथकर को समाप्त करने से कितनी राजस्व की हानि होती है और उसे पूरा करने के लिए क्या विकल्प उन्होंने सोचा है ?

श्री रामाधार पाण्डेय—

इसमें जहां तक छोटी स्थानीय निकायों का सम्बन्ध है, 3 करोड़ रुपये की हानि होने की आशंका है। इसकी पूर्ति के लिए पैसेन्जर टैक्स एक प्रतिशत और गुड्स टैक्स 2 प्रतिशत जब हम परिवहन विभाग से वसूल कर लेंगे और उसको नगरपालिकाओं में अनुपात में विभाजित कर देंगे। इस प्रकार तीन-साढ़े तीन करोड़ रुपया हमें मिल जायगा। कुछ नुकसान और होगा जो इन्ट्री ट्रान्जीट टैक्स था उसके स्थान पर पर इन्ट्री टैक्स लगाने की बात है जिसके बारे में केन्द्रीय सरकार के पास मामला भेजा गया है। उससे हमें डेढ़ करोड़ से दो करोड़ रुपया तक मिल जायगा। इस प्रकार जो घाटा होगा उसको हम इससे पूरा कर लेंगे।

श्री शारदा प्रसाद जायसवाल (जिला गोरखपुर)—

मंत्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में। जो माल ट्रक या बस से बाहर जाता है, क्या उनके ऊपर टैक्स छोड़ रहे हैं और जो बैलगाड़ी पर भी माल लादकर बाहर जाते हैं उस पर भी टैक्स नहीं लेंगे ? बैरियर तोड़ने से जो कर्मचारी प्रभावित होंगे, उन्हें सेवा में लेंगे या नहीं लेंगे ?

श्री रामाधार पाण्डेय—

मान्यवर, जहां तक सवारियों के ऊपर टैक्स का सवाल है वह तो उन महापालिकाओं के अन्दर सी० पी० टक्स या दूसरे टैक्स बैरियर की वजह से लगता है, उसके अन्दर से टैक्स अबालिश नहीं हो रहा है। जहां तक बैलगाड़ियों से माल ले जाने की बात है, बैलगाड़ियां उसी क्षेत्र के अन्दर जाती हैं और उस पर कोई टैक्स कटौती नहीं है।

श्री रामदत्त जोशी (जिला नैनीताल)—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे, जैसा अभी उन्होंने फरमाया कि आपने परिवहन संघ से बात कर ली है और आपने पथकर समाप्त करने के लिए परिवहन विभाग से बात कर ली है। बाकी जो पब्लिक कैरियर ट्रक्स हैं, उसके कई संघ हैं तो उनमे किस प्रकार आप टैक्स वसूल करेंगे ? स्पष्ट बतलायें ? संघ तो कई हैं।

(उत्तर के लिए मंत्री जी को पुकारा नहीं गया)

श्री रघुवर दयाल वर्मा (जिला आगरा)—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि आपने जो पथकर के बारे में बताया है, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि देहात से किसान अपना माल बैलगाड़ी में लादकर लाता है, तो उस पर पथकर लग जाता है। तो क्या माननीय मंत्री जी किसानों के हित को दृष्टि में रखते हुए बैलगाड़ियों से पथकर हटाने की कृपा करेंगे ?

श्री रामाधार पाण्डेय—

लोकल टैक्स तो लग ही जाता है। जो गाड़ियाँ पास होती हैं उन सब पर लागू होता है, सभी नगरपालिकाओं में हम बैरियर नहीं हटा रहे हैं, 1600 बैरियर हम हटा रहे हैं, 400 बैरियर रह जायेंगे।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा कि 1600 जगहों पर पथकर टैक्स को खत्म करने की बात चीत केन्द्र से चल रही और उनके विचाराधीन है, तो यह देखते हुए कि इसमें अभी तो समय लग सकता है तो क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या कोई रिट्रास्पेक्टिव डेड ऐसी उन्होंने निश्चित की है कि उसके बाद वे अन्तिम फैसला लें तो वह कौन सी तारीख से लागू होगा ?

श्री उपाध्यक्ष—

मैं इसकी इजाजत नहीं देता। माननीय मंत्री जी जवाब दे रहे थे। लेकिन रिट्रास्पैक्टिव इफेक्ट से आप लगाना चाहते हैं तो यह इस प्रश्न के अन्दर नहीं आता है।

श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी के उत्तर से ही तो यह प्रश्न उठता है।

श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)—

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार कोई ऐसा नियम बनाने जा रही है कि जो हर ट्रकों या यात्री बसों को रोक लेते हैं तो उनको बिना रोके ही उनका नम्बर नोट कर लिया जाये और फिर बाद में टैक्स वसूल हो जाये ?

श्री रामाधार पाण्डेय—

मान्यवर, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है बल्कि यूनियन के लोगों का यह सजेशन है कि यह टैक्स और बैरियर तभी हटाये जायें जब केन्द्रीय मंत्रालय से निर्देश मिल जायें और उनकी सहमति के बाद एक साथ सब काम हो।

फैजाबाद जिले में स्टेडियम निर्माण की मांग

**2—श्री जयशंकर पाण्डेय (जिला फैजाबाद)—

क्या सरकार को जानकारी है कि फैजाबाद में स्पोर्ट्स स्टेडियम के लिए पांच वर्ष पूर्व एक लाख रुपया स्वीकृत हुआ था और जिसका ब्याज मिलाकर लगभग दो लाख रुपया जमा हो गया है परन्तु जमीन के अभाव में अभी तक उक्त स्टेडियम का निर्माण नहीं हो पाया ? यदि हां, तो क्या सरकार तुरन्त वहां जमीन अधिग्रहण कर अथवा राजकीय इन्टर कालेज, फैजाबाद के हास्टल की खेती की जमीन, जो खाली पड़ी है, वहां पर स्टेडियम बनवाने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राष्ट्रीय एकीकरण मंत्री (श्री हरी किशन श्रीवास्तव)—

जी हां।

स्पोर्ट्स विभाग में जमीन अधिग्रहण करने की कोई व्यवस्था नहीं है। राजकीय इन्टर कालेज की भूमि स्टेडियम हेतु प्राप्त करने के लिए शासन स्तर पर विचार हो रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री जय शंकर पाण्डेय—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि शासन स्तर पर जो विचार हो रहा है, वह कार्यवाही के रूप में कब तक परिणत हो जाएगा ?

श्री हरी किशन श्रीवास्तव—

मान्यवर, राजकीय कालेज की भूमि हेतु शिक्षा विभाग सहमत नहीं है। शिक्षा विभाग का यह कहना है कि विद्यालयों के खेल मैदानों को स्टेडियम निर्माण के लिए देने से विद्यालयों में मैदानों की सुविधा घट जाएगी। संबंधित भूमि प्राप्त करने हेतु पुनः शासन स्तर पर प्रयास किया जा रहा है।

श्री मुख्तार अनीस (जिला सीतापुर)—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि जब 5 वर्षों से यह योजना पड़ी हुई है तो अभी तक जमीन का अधिग्रहण क्यों नहीं हो पाया और क्या जमीन को अधिग्रहीत करने के लिये इसके पूर्व भी कोई प्रस्ताव आया था ?

श्री हरी किशन श्रीवास्तव—

मान्यवर, मैंने पहले ही सूचना दी कि हमारे विभाग से जमीन अधिग्रहण करने की कोई ऐसी योजना नहीं है। इसके लिए जब राजकीय इन्टर कालेज से कहा गया तो शिक्षा विभाग ने जैसी आपत्ति की वह मैंने उत्तर में दे ही दिया। उन्होंने कहा कि इससे अध्ययन काल में विघ्न पड़ेगा लेकिन फिर भी शासन ने अपनी ओर से पुनः प्रयास किया है कि वह स्थान स्टेडियम के लिए दे दिया जाय।

श्री श्रीराम द्विवेदी (जिला फैजाबाद)—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि फैजाबाद के जिलाधिकारी महोदय के बंगले के कैम्पस में बहुत भारी जमीन खाली पड़ी हुई है क्या उसमें स्टेडियम बनाने का विचार करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—

इसकी इजाजत नहीं देता।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

माननीय मंत्री जी के उत्तर से संबंधित। मान्यवर, शिक्षा विभाग ने यह फैसला पूरे प्रदेश के क्रीड़ा स्थलों के लिए किया है कि वह अपने शिक्षा संस्थाओं को जमीन नहीं देगा। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मेरी व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर जिन विद्यालयों में जैसे, फैजाबाद, सीतापुर, लखीमपुर में जमीन इतनी मात्रा में है कि अगर वे विद्यालय को विश्वविद्यालय में भी परिणत कर दें तो भी जमीन की कमी नहीं पड़ेगी तो क्या शासन इस बात पर पुनर्विचार करने की कृपा करेगा कि ऐसे विद्यालयों में जहाँ जमीन आवश्यकता से अधिक उपलब्ध है, उनको जमीन क्रीड़ास्थल के लिए दे दी जायगी ?

श्री हरी किशन श्रीवास्तव—

मान्यवर, मैंने उत्तर दे दिया है कि शासन इसके लिए पुनः प्रयास कर रहा है।

श्री जय शंकर पाण्डेय—

एक प्रश्न और करना चाहता था। क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि जिला अधिकारी, फैजाबाद ने मंत्री को लिखा है कि शिक्षा विभाग की उक्त जमीन

खाली है और उस पर स्टेडियम बनाया जा सकता है और डिप्टी डायरेक्टर, एजूकेशन फैजाबाद ने भी लिखा है कि इस पर स्टेडियम बन सकता है? जिलाधिकारी ने उन्हें आश्वासन दिया है कि उन को खेल के लिए नजूल की जमीन देंगे? क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी है?

श्री हरी किशन श्रीवास्तव—

मान्यवर, जिलाधिकारी ने यदि लिखा है तो वह सही है लेकिन यह तो पहले ही मैंने कहा कि जमीन स्टेडियम के लिए उपलब्ध है और जितनी भूमि चाहिए उतनी ही है पर शिक्षा विभाग इसमें अनुमति नहीं दे रहा है जिसके लिए शासन प्रयत्नशील है।

मिर्जापुर जिले के हिन्डालको की बिजली की कटौती

**3—श्री राजनाथ सिंह (जिला मिर्जापुर) तथा श्री राम जी (जिला आजमगढ़)—

क्या विद्युत मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि हिण्डालको, रेनूकूट, मिर्जापुर की विद्युत आपूर्ति में श्री यादव मन्त्रि-मण्डल द्वारा जो कटौती की गयी थी, क्या उसे समाप्त करने के आदेश शासन द्वारा दिये जा चुके हैं? यदि हाँ, तो कब? यदि नहीं, तो शासन की इस सम्बन्ध में स्पष्ट नीति क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री रेवती रमण सिंह)—

जी नहीं। श्री यादव मंत्रि-मंडल द्वारा हिन्डालको की बिजली आपूर्ति में कटौती के आदेश उच्चतम न्यायालय के विचाराधीन हैं। अतः शासन ने उन्हें समाप्त नहीं किया है।

क्योंकि उक्त मामला उच्चतम न्यायालय के विचाराधीन है अतः शासन अपनी स्पष्ट नीति इस संबंध में निर्धारण करने में असमर्थ है।

श्री राजनाथ सिंह—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि श्री यादव मंत्रि-मण्डल ने हिन्डालको की विद्युत आपूर्ति की जो कटौती की थी, वह किन कारणों से की थी तथा यदि हिन्डालको की प्रबन्ध समिति उच्चतम न्यायालय से अपना मामला वापस ले लेती है, तो क्या इस विद्युत आपूर्ति कटौती को समाप्त करने के संबंध में शासन विचार कर रहा है?

श्री रेवती रमण सिंह—

मान्यवर, जैसा मैंने पहले बताया मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। यह क्वेश्चन हाइपोथिटिकल है। निर्णय के बाद ही हम अपना कोई फैसला करेंगे। अभी हमने इस पर कोई अंतिम निर्णय नहीं किया है और कटौती इसलिए की गयी थी कि उस समय हमारी जो इन्स्टाल्ड फैक्टरी कैपेसिटी थी वह लगभग 2700 मेगावाट थी और जेनरेशन 1100 मेगावाट थी। इस समय इन्स्टाल्ड कैपेसिटी 3200 है और 1900 मेगावाट हम जनरेट कर रहे हैं। इसलिए बिजली बढ़ गयीं है। इसलिए हम ने यह निर्णय लिया है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि कटौती जो बिड़ला जी से की गयी थी उसका एक कारण यह था कि उनके ऊपर काफी रुपया अभी तक बकाया था? अगर हाँ, तो इस पर क्या किया गया?

श्री रेवती रमण सिंह—

मान्यवर, उनके ऊपर एक्साइज टैक्स लगा हुआ था, 6 करोड़ रुपया। उस सम्बन्ध में उनसे बातचीत चल रही है और अभी इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मेरा प्रश्न था कुल कितना रुपया उन पर बकाया है और उसके लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री उपाध्यक्ष—

उन्होंने बतलाया कि 6 करोड़ रुपया बकाया है और वसूलयाबी के लिये कार्यवाही हो रही है ।

श्री राम अधार—

उत्तर प्रदेश के अन्दर 15 हजार नलकूप ऐसे हैं जिनको कनेक्शन नहीं मिले । दूसरी तरफ केन्द्रीय सरकार ने भी लिखा है कि अल्यूमिनियम के प्रोडक्शन को देखते हुए हिन्डालको को बिजली दी जाय । अब बिजली का प्रोडक्शन बढ़ गया है तो क्या शासन ऐसी व्यवस्था करने जा रहा है कि अल्यूमिनियम भी बढ़े और कनेक्शन्स भी दिये जायं ?

श्री उपाध्यक्ष—

मैं इजाजत नहीं देता ।

श्री राम अधार—

यह मामला किसी व्यक्ति का नहीं है । उत्तर प्रदेश के अन्दर अल्यूमिनियम के प्रोडक्शन को देखते हुए क्या शासन हिन्डालको को बिजली देने के प्रश्न पर विचार कर रहा है ?

(उत्तर के लिए मंत्री जी को नहीं पुकारा गया ।)

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

भूत वह जो सिर पर चढ़ कर बोले ।

श्री राजनाथ सिंह—

हिन्डालको में अल्यूमिनियम के प्रोडक्शन की जितनी क्षमता है वह बिजली की कटौती से घटी है । अल्यूमिनियम का कितना अधिक महत्व हमारे प्रदेश के लिये है, इसे हम सभी जानते हैं तो बिजली की आपूर्ति में जो कटौती की गयी है अल्यूमिनियम के प्रोडक्शन के सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी की उस कटौती को समाप्त करने के सम्बन्ध में व्यक्तिगत धारणा क्या है ?

श्री उपाध्यक्ष—

व्यक्तिगत भावना पर प्रश्न नहीं होता है ।

श्री सत्य देव त्रिपाठी (जिला इटावा)—

शासन की नीति नलकूपों को अधिक बिजली देने तथा सिंचाई के लिये अधिक साधन उपलब्ध कराने की है तो इसको देखते हुए क्या बिड़ला साहब को मिलने वाली बिजली में और अधिक कटौती करने का विचार सरकार कर रही है ?

श्री रेवती रमण सिंह—

माननीय सदस्य के प्रश्न के सम्बन्ध में मुझे यह निवेदन करना है कि इस समय तक जितनी भी दरख्वास्तें सरकारी अथवा प्राइवेट नलकूपों की पड़ी थीं वे सब मंजूर हो चुकी हैं और छोटे लघु उद्योगों के लिये भी जितनी दरख्वास्तें पड़ी थीं उनमें भी कोई पेंडिंग नहीं है ।

(श्री देव बहादुर सिंह का नाम पुकारे जाने पर)

श्री सत्यदेव त्रिपाठी—

यह सही नहीं है । नलकूपों को बिजली देने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र अभी बकाया हैं.....

श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती)---

माननीय मंत्री जी ने गलतबयानी की है इसलिये उनके खिलाफ विशेषाधिकार की सूचना दे रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष---

आप लिख कर भेज दें।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)---

माननीय मंत्री जी ने एक प्रश्न के उत्तर के संदर्भ में कहा है कि इस कन्सर्न पर 6 करोड़ रुपया बाकी है जिसकी वसूली की बातचीत चल रही है। मैं जानना चाहूंगा बातचीत किसने की, कब की और जो बातचीत करने वाले हैं क्या उन्हें यह भी अधिकार दे दिया गया है कि वह इस धनराशि में कमी भी कर सकें? साथ ही यह भी बतायें कि बातचीत कब तक चलेगी?

श्री उपाध्यक्ष---

मैं इसकी इजाजन नहीं देता।

श्री देव बहादुर सिंह---

इसका अभी उन्होंने उत्तर दिया था.....

श्री उपाध्यक्ष---

अभी नेगी जी ने सवाल किया था और उन्होंने उत्तर दिया कि 6 करोड़ रुपया बाकी है और उसकी वसूलयाबी के सिलसिले में कार्यवाही की जा रही...

(व्यवधान)

श्री रघुबर दयाल वर्मा---

अभी मंत्री जी ने सदस्य इटावा के प्रश्न के उत्तर में बताया कि जितने भी ऐसे प्रार्थना पत्र उनके पास दिये गये हैं उनको बिजली दे दी गई है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरी जानकारी है कि अभी किसानों के कई प्रार्थना पत्र इस सम्बन्ध में पड़े हुये हैं और उनको बिजली नहीं दी गई है। एक तरफ तो मंत्री जी कहते हैं कि उनके पास कोई प्रार्थना पत्र पेंडिंग नहीं है और दूसरी तरफ अभी उनके पास कई प्रार्थना पत्र बाकी हैं। तो दोनों में कौन-सी बात सही है?

श्री रेवती रमण सिंह---

माननीय वर्मा जी ने जो सवाल पूछा है वह इससे रेलीवेन्ट नहीं है फिर भी मैं बताना चाहता हूं कि सबके प्रार्थना पत्र सेंक्शन कर दिये गये हैं भले ही उस पर कागजी कार्यवाही पूरी न हुई हो इसमें कोई गलत बयानी नहीं हुई है।

श्री छोटे लाल (जिला फतेहपुर)---

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि लघु और सीमान्त कृषकों ने सन् 73 से आज तक 40 हजार नलकूपों को जिनकी पी0 एल0 फार्म आदि भरने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, उन्हें अभी तक विद्युत् के कनेक्शन नहीं दिये गये हैं? क्या माननीय मंत्री जी इसकी जानकारी करायेंगे कि उनको क्यों नहीं अभी तक कनेक्शन दिये गये? बिड़ला के ऊपर इतना पैसा अभी तक बकाया है और छोटे काश्तकारों के दस-दस रुपये बकाये होने पर उनके ट्रांसफारमर काट लिये जाते हैं।

श्री उपाध्यक्ष---

इससे यह प्रश्न नहीं उठता।

(श्री ऊदल का नाम पुकारे जाने पर)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

मैं माननीय विद्युत मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की नोटिस देता हूं। माननीय विद्युत मंत्री ने गलत जानकारी दी है।

श्री उपाध्यक्ष---

आप लिख कर भेज दें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

क्योंकि यह घटना सदन में हुई है। अभी-अभी भूतपूर्व लघु सिंचाई मंत्री जी ने बताया और मेरी सूचना है कि हजारों की संख्या में अनिर्णीत प्रार्थना-पत्र पड़े हुए है। मैं विशेषाधिकार की सूचना दे रहा हूं। लिख कर भेज रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष---

आपको नोटिस भेजनी पड़ेगी क्योंकि अलग-अलग स्टेटमेंट है। आप लिख कर भेज दें।

श्री ऊदल---

मेरा प्रश्न सुन लें।

श्री श्याम सुन्दर गुप्त (जिला जालौन)---

मेरा निवेदन यह है कि यह घटना इतनी महत्वपूर्ण है कि इसमें सदन की रुचि बढ़ रही है। मैं प्रार्थना करूंगा कि इस पर आधे घंटे की चर्चा एलाऊ कर दें ताकि इस प्रश्न पर गहराई से विचार किया जा सके। क्योंकि 6 करोड़ रुपया बिड़ला पर बकाया है और आपने बिजली की आपूर्ति उनको वापस कर दी है। पिछली सरकार ने जो कटौती की थी वह समाप्त कर दी है।

श्री उपाध्यक्ष---

इसे मैं स्वीकार करता हूं। आधे घंटे की चर्चा इस पर होगी क्योंकि काफी दिलचस्पी माननीय सदस्यों की है। श्री ऊदल, अब आप प्रश्न न करें।

श्री ऊदल---

मुझे तो आपने प्रश्न के लिए बुला लिया था, उसके बाद बीच में माननीय सदस्य खड़े हो गये।

श्री उपाध्यक्ष---

अब ऐसा करें उस दिन कर लें। आज इसको समाप्त करें।

श्री ऊदल---

एक ही प्रश्न कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष---

अब मैं प्रश्न की इजाजत नहीं देता।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)---

एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री देव बहादुर सिंह---

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि अभी आपने आधे घंटे की चर्चा दे दी। नियम में यह है कि उसके लिए जब कोई आदमी नियम 49 में लिख कर मांग करे, तभी देंगे।

श्री राम आसरे वर्मा---

इस पर चर्चा बन्द नहीं हो सकती।

श्री उपाध्यक्ष---

माँग कर ली है उसे मैंने स्वीकार कर लिया। इसमें कोई अनियमित नहीं है। वह लिख कर भेज देंगे।

श्री गोविन्द सिंह नेगी ---

मेरा एक निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष---

इसमें अबन कोई व्यवस्था नहीं उठायेंगे।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

आपने स्वीकार कर लिया कि आधे घंटे की चर्चा होगी उसकी माँग भी हुई है। आप कृपा करके यह बतायेंगे कि यह आधे घंटे की चर्चा कब होगी ? इससे पहले आप माननीय सदस्य ऊदल को सवाल करने के लिए पुकार चुके थे और वह खड़े थे और प्रश्न करने वाले थे। इसलिए एक प्रश्न माननीय ऊदल को करने दीजिये और किस दिन चर्चा होगी उसकी तारीख निश्चित कर दीजिये।

श्री ऊदल—

मेरा निवेदन यह है कि . . . .

श्री उपाध्यक्ष—

इसमें आप प्रश्न न करे, पुकार जरूर लिया था।

श्री ऊदल—

मैं प्रोटेस्ट के साथ बैठूंगा इसलिये कि आपने मुझे बोलने के लिए पुकारा। मैं दो बार खड़ा हुआ। उसके बाद आधे घंटे की चर्चा की माँग आती है। वह ठीक है कि उसे आपने स्वीकार कर लिया है।

श्री उपाध्यक्ष—

आप पूछिये ।

श्री ऊदल—

मैं माननीय विद्युत मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी को यह जानकारी है कि बिड़ला ने रेणु सागर में अपना कारखाना बनाया है और उसे बढ़ाने के लिए भी सरकार से लाईसेंस प्राप्त किया गया है? यदि हाँ, तो क्या सरकार बिड़ला को जो बिजली की कटौती पहले हुई थी उसे कायम रखेगी ?

श्री रेवती रमण सिंह—

अभी रेनूकूट के बारे में कोई निर्णय लाइसेंस देने के बारे में नहीं हुआ है। वह अभी विचाराधीन है। जो साढ़े 7 मेगावाट का कनेक्शन दिया गया है वह हाई कोर्ट के निर्णय के अनुसार दिया गया है। साढ़े बयालीस मेगावाट से ज्यादा बिजली उन्हें नहीं दी जाएगी।

(व्यवधान)

श्री मान सिंह आजाद (जिला लखनऊ)—

अभी आपने कहा कि इस पर आधे घंटे की चर्चा होगी, फिर भी आपने उनको प्रश्न पूछने दिया, यह आप विधान सभा में नियमों के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। यह मेरी समझ में नहीं आता है। यह नियमों क प्रतिकूल है। यह अच्छा नहीं लग रहा है। कोई भी अध्यक्ष पीठ से ऐसी व्यवस्था करे तो वह शोभा नहीं देता है ।

(व्यवधान)

(अगला प्रश्न लेने पर)

श्री राम आसरे वर्मा—

आप सारा कार्य नियमों के विरुद्ध कर रहे हैं। आप व्यवस्था के प्रश्न भी नहीं सुनते हैं और जो जबानी बात होती है, उसको आप सुन लेते हैं।

श्री मान सिंह आजाद—

यह इस तरह से आपके आदेश का उल्लंघन हो रहा है। इसको रोकिये, यह शोभा नहीं देता है ।

श्री उपाध्यक्ष—

वर्मा जी, मैं, आपको इजाजत नहीं देता हूं। मुझे आशा है कि आप बिना इजाजत के नहीं बोलेंगे। प्रश्नों क समय में कोई व्यवस्था नहीं उठाई जाती।

अधीक्षक, तेजबहादुर अस्पताल, इलाहाबाद द्वारा सल्फाडायमिडीन की खरीद

**4—बाबा राम अधार यादव (जिला इलाहाबाद)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि विगत 1978 में अधीक्षक, तेजबहादुर अस्पताल, इलाहाबाद द्वारा राजकीय कोष से मनुष्यों के उपचार हेतु सल्फाडायमिडीन .5 मि0 ग्राम के स्थान पर 5 मि0 ग्राम वाली औषधि का क्रय किया गया था जिसका प्रयोग चौपायों के उपचार में होता है ? क्या उक्त अनियमितता का विवरण इलाहाबाद के दैनिक पत्रों में भी प्रकाशित हुआ था ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या जांच पड़ताल की गई ?

चिकित्सा मंत्री (श्री रमा शंकर कौशिक)—

जी हां ।

इस सम्बन्ध में विभागीय जांच पूर्ण हो गयी है और उसका परीक्षण कराया जा रहा है ।

बाबा राम अधार यादव—

यह जांच कब पूरी हुई और उनमें कौन व्यक्ति दोषी पाया गया और जांच किसने किया और उस रिपोर्ट को क्या मंत्री जी सदन के सामने रखेंगे ?

श्री रमाशंकर कौशिक—

जांच जो अब पूर्ण हुई है, वह एक संयुक्त निदेशक द्वारा कराई गई है और उसने कहा है कि इस अनियमितता के लिए एक अधीक्षक, दो फारमेसिस्ट और एक लिपिक दोषी है ।

श्री देव कुमार (जिला बांदा)—

यह मामला बहुत गम्भीर है, अतः मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अधीक्षक महोदय ने कितने कीमत की दवा खरीदी और किस कम्पनी से और कब खरीदी ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

इस अनियमितता की जानकारी महालेखाकार के प्रलेख अध्याय द्वारा हुई थी, जो उनके पत्र दिनांक 25-10-78 द्वारा प्राप्त हुआ था। इस पर 7 नवम्बर को स्वास्थ्य सेवा निदेशक से आख्या मांगी गई । यह कितने कीमत की हैं, इसकी जानकारी नहीं है । संयुक्त निदेशक ने जो रिपोर्ट भेजी है, उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इसमें एक अधीक्षक, दो फारमेसिस्ट और एक लिपिक दोषी हैं । अब उनको सजा देने के बारे में परीक्षण हो रहा है और परीक्षण पूरा होने के उपरान्त उन्हें सजा दी जाएगी और तत्काल उनको वहां से हटाया जा रहा है ।

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)—

डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरी के बाद भी परीक्षण किस एजेंसी द्वारा कराया जा रहा है ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

शासन द्वारा ।

श्री रामअधार—

मनुष्यों के लिए दवाएं खरीदी गईं, लेकिन वास्तव में वह पशुओं के लिए थीं और उसके बाद भी परीक्षण की बात है । तो यह जो गलत दवा खरीदी गई, उसके लिए दोषी लोगों को दण्ड तुरन्त क्यों नहीं दिया गया ? केवल ट्रांसफर करने से काम चलने वाला नहीं है । क्या वह उनको दंडित करने जा रहे हैं ?

श्री रमाशंकर कौशिक—

यह मामला वास्तव में गम्भीर है और शासन भी ऐसा मानता है और शासन मामले को गम्भीर मानते हुए सजा भी उनको गम्भीरता के साथ देगा ।

श्री सुखपाल पाण्डेय—

श्रीमन्, आप दायें-बांये दोनों ओर देखा कीजिए। सीधे बैठा कीजिए।

श्री फजलुलबारी (जिला गोंडा)—

क्या कारण है कि इलाहाबाद अस्पताल में जानवरों की दवाएं आईं, ऐसा तो नहीं है कि वहां पशुओं की दवाओं की ही जरूरत होती है ?

(हंसी—उत्तर के लिए मंत्री जी को पुकारा नहीं गया।)

श्री सुखपाल पाण्डेय—

माननीय मंत्री जी को इस मामले की जानकारी कब हुई कि इस प्रकार से जानवरों की दवाएं खरीदी गईं और इसमें परीक्षण में क्यों बिलम्ब हो रहा है ?

श्री रमाशंकर कौशिक—

जैसा मैंने निवेदन किया इसकी जानकारी शासन को 25-10-78 से हुई और 7 नवम्बर को स्वास्थ्य सेवा निदेशक से कहा गया कि वह इस मामले में जाँच करायें और जब उन्होंने उसकी उसी समय जाँच कराई, तो उन्होंने जाँच के उपरान्त कहा कि उनके सी0 एम0 ओ0 द्वारा जो आख्या मंगवाई, उसमें और रिपोर्ट में कुछ विरोधाभास है। इसलिए किसी अन्य व्यक्ति के जरिये से .....

श्री सुखपाल पाण्डेय—

यह इन्होंने नहीं बताया कि किस माध्यम से जानकारी हुई है ?

श्री रमाशंकर कौशिक —

पहले पूरी बात सुनिये तो। जब स्वास्थ्य सेवा निदेशक से कहा तो एक संयुक्त निदेशक यहाँ से भेजा गया और उनसे जाँच कराई गई। उन्होंने उसको दोषी पाया है। इसमें बहुत बिलम्ब नहीं हुआ है, फिर भी मानता हूं कि थोड़ा विलम्ब हुआ है। किन्तु मेरे पास जब से मामला है, देर बिलकुल नहीं हुई है। उनको शीघ्र ही उचित और कठोर सजा दी जाएगी।

श्री अजीत सिंह सेठी (जिला मेरठ)—

मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जो अनियमितता सामने आई है, वह कितने मिकदार दवाओं की है, जो उनके हाथ में लगी और उन्होंने हटाया ?

श्री रमाशंकर कौशिक—

प्रश्न क्वान्टिटी का नहीं क्वालिटी का है और उसी रूप में इसकी जाँच कराई गई है। जिस प्रकार का प्रश्न है, उसी प्रकार की जानकारी है। प्रश्न यह है कि जानवरों की दवा पुरुष अस्पताल में कैसे आई ? क्वान्टिटी ही चाहिए तो बता दूंगा।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

अमीनाबाद पार्क, लखनऊ के श्री हनुमान जी मन्दिर की प्रसाद की दुकान का आवंटन

*1—श्री मुहम्मद रफी खाँ (जिला शाहजहांपुर)—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि हनुमान जी मन्दिर, अमीनाबाद पार्क, लखनऊ के कोने में स्थित प्रथम नम्बर की प्रसाद की दुकान वर्ष 1937 से श्री खूबचन्द्र को आवंटित की गयी थी और आवंटी एवं उनके उत्तराधिकारी श्रीमती हंशा देवी मार्च, 1978 तक उसका किराया नियमित रूप से जमा करते रहे ? क्या यह भी सही है कि उक्त प्रथम नम्बर की दुकान जून, 1978 को अन्य व्यक्ति को आवंटित कर दी गयी और उपरोक्त पुराने आवंटी को बिना कारण बताये नोटस दिये तथा बिना बचाव का अवसर दिये अचानक उक्त स्थान से बेदखल कर दिया गया ? यदि हाँ, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त कार्यवाही

को रद्द करके उक्त दुकान उसके पुराने आवंटी को पुनः आवंटित करने तथा दोषी अधिकारियों के प्रति कठोर कार्यवाही करेगी ? यदि हाँ, तो यह कार्यवाही कब तक सम्पन्न हो जायेगी ?

श्री रामाधार पाण्डेय—

प्रश्नगत स्थान पर कोई दूकान आवंटित नहीं की गयी थी बल्कि खाली स्थान किराये पर दिए गए थे।

यह सही है कि श्री खूबचन्द्र एवं उनके उत्तराधिकारियों को जो स्थान दिया गया था उसके परमिट शुल्क का निरन्तर भुगतान किया गया है।

जी नहीं।

श्रीमती बेला देवी पत्नी श्री जय नारायण (पार्टी नम्बर 2) को वर्ष 1935 में एक अन्य स्थान का लाइसेन्स दिया गया था। परन्तु उन्होंने वर्ष 1969 में नगर महापालिका से एक वाद किया। उसमें हार जाने के कारण उन्हें वर्ष 1970 में हटा दिया गया। वर्ष 1975 में उन्होंने पुर्नस्थापना हेतु एक प्रार्थना-पत्र नगर महापालिका को दिया जिस पर विचार करके उन्हें उनके पूर्व प्लाट का पुनः लाइसेन्स दिया गया।

इस बीच श्रीमती हंसा देवी एवं श्रीमती आशा देवी (पार्टी नम्बर 1) ने वर्ष 1975 में लगभग 3—4 महीने के लिए श्रीमती बेला देवी के पूर्व लाइसेन्स के स्थान पर अनाधिकार कब्जा कर लिया था। श्रीमती बेला देवी के प्रार्थना-पत्र पर मुकदमे का सारा व्यय तथा बकाया लाइसेन्स फीस लेकर पुनः विचार करके लाइसेन्स प्रदान करने के निर्णय के बाद श्रीमती हंसा देवी को वहां से हटा दिया गया। इस समय श्रीमती हंसा देवी (पार्टी नं0 1) एवं श्रीमती बेला देवी (पार्टी नम्बर 2) दोनों के पास अलग-अलग एक एक प्लाट है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री मुहम्मद रफी खां—

क्या मंत्री जी इस जबाव से मुतमईन हैं ? मैं भी रूलिंग पार्टी का मेम्बर हूं। प्रिविलेज का नोटिस देना मुनासिब नहीं है। लिहाजा बेहतर है फिर से जाँच करवा लें ?

श्री उपाध्यक्ष—

आप इसके बारे में साफ प्रश्न करें। यह प्रश्न नहीं हुआ।

श्री मुहम्मद रफी खां—

क्या माननीय मंत्री जी इसको दोबारा जाँच करवाएंगे और उसके बाद सदन को जबाव देंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह कहते हैं कि जो जाँच रिपोर्ट आयी है, उनकी जानकारी के अनुसार सही नहीं है तो क्या दोबारा जाँच करवाएंगे ?

श्री रामाधार पाण्डेय—

मान्यवर, अगर कोई ऐसी चीज हो हमको लिख कर दें कि इसमें विरोधाभास है, मैं तत्काल उसकी जाँच करवा लूंगा।

(अगला प्रश्न लेने पर)

श्री मुहम्मद रफी खां—

लिख कर देने का सवाल ही नहीं। डाकूमेन्ट दे रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

ठीक है, आप दें। लिख कर भेज दीजिये।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् सेवा निवृत कर्मचारियों को पेंशन आदि का भुगतान

*2—श्री नेम सिंह चौहान (जिला अलीगढ़)—

क्या विद्युत मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश विद्युत् परिषद के गत दो वर्ष के सेवा निवृत्त कर्मचारियों को अब तक पेंशन या अन्य देय प्राप्त नहीं हुए हैं ? यदि हाँ, तो देरी का कारण क्या है तथा कब तक इनको पेंशन आदि का भुगतान हो जायेगा ?

श्री रेवती रमण सिंह—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

श्री नेम सिंह चौहान—

यह मेरा प्रश्न काफी पुराना है। अभी भी इसका उत्तर नहीं आया। यह घोर उपेक्षा है । जो लोग सेवा से निवृत्त हो गये उनको सुविधायें नहीं मिलतीं । वह मर जायेंगे और बहुत से मर गये । इसके विषय में अगर सूचना नहीं मिल पाती है, तो उसके लिए क्या कहा जाय। मैं समझता हूं कि आप आश्वासन दें, आप हमारे हितों के रक्षक हैं, क्यों सूचना नहीं आ पा रही है ? इसके लिए आवश्यक कार्यवाही जरूर की जानी चाहिए ।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय मन्त्री जी, इसमें सूचना यहीं से उपलब्ध हो सकती है, इसमें तमाम लोगों की जीविका का प्रश्न है । आप कृपा कर यह बता दें कि इसकी सूचना माननीय सदस्य को कब दे देंगे ।

श्री रेवती रमण सिंह—

विद्युत् परिषद के अन्दर चार सौ डिवीजन हैं। चार सौ डिवीजनों में, पूरे उत्तर प्रदेश से सूचना मांगने में थोड़ा समय लग रहा है । एक महीने में सूचना आ जायगी और मैं उपलब्ध करवा दूंगा ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मान्यवर, यह प्रश्न 17 अक्तूबर, 1978 को सबसे पहले सरकार को गया। उसके बाद यह मुल्तवी हुआ। 28 दिसम्बर, 1978 को दोबारा सरकार के अन्दर गया। आज तारीख है 22 मार्च। क्या माननीय मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वह कौन से कारण हैं, जिससे वह सूचना एकत्र करने में असमर्थ रहे ?

श्री उपाध्यक्ष—

वह तो बताया उन्होंने। चार सौ प्रखण्डों का मामला है, जिससे सूचना उनको एकत्र करनी है ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

अक्तूबर में यह प्रश्न हुआ। आज मार्च है । छः महीने हो गये। मैं पूछना चाहूंगा कि छः महीने में सूचना एकत्र नहीं हो सकी, इसका क्या कारण है ?

श्री रेवती रमण सिंह—

मान्यवर, विद्युत् परिषद् में एक लाख कर्मचारी काम करते हैं और उनका पूरा ब्योरा इकट्ठा करना है, तो यह नेचुरल है कि उसमें देरी हो सकती है ।

श्री रियासत हुसैन—

माननीय उपाध्यक्ष जी, सवाल को देखने से यह लगता है कि यह 5 महीने की अवधि का है । 5 महीने से यह आपकी सरकार में चल रहा है। कभी प्रोरोगेशन के कारण और कभी किसी कारण से अभी तक पड़ा रहा। तो क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि कितनी बार और किस प्रकार से खण्डों को लिखा गया और सूचना एकत्र करने के लिए क्या प्रयास किए गए ?

श्री उपाध्यक्ष—

अगर आपके पास सूचना हो तो दे दें ।

श्री रेवती रमण सिंह—

कई बार सचिवालय से विद्युत् परिषद् को कहा गया और लिखा गया। मैं कहना चाहता हूं कि एक महीने में इसकी सूचना एकत्र कर के दे दूंगा।

(श्री नेम सिंह चौहान के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

वह कहते हैं कि सूचना एकत्र करके दे दी जायगी।

श्री नेम सिंह चौहान—

अगर सूचना नहीं दी जाती है तो क्या माननीय मन्त्री जी उनके विरुद्ध कार्यवाही करेंगे?

(उत्तर के लिए मन्त्री जी को पुकारा नहीं गया)

नगरपालिका, मुगलसराय के अधिशासी अधिकारी एवं श्री मंगला सिंह, चुंगी अधीक्षक द्वारा पारगमन अनुमति पत्र का दुरुपयोग

*3—श्री राजकिशोर तिवारी (जिला जौनपुर)—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका, मुगलसराय, जिला वाराणसी के अधिशासी अधिकारी एवं मंगला सिंह, चुंगी अधीक्षक ने गत जनवरी, सन् 1978 में महापालिका, वाराणसी से हड़ताल में पारगमन अनुमति पत्र जिसका नम्बर 425 था प्राप्त कर प्रयोग कराया और क्या उससे जारी रसीदों का धन पालिका कोष में जमा नहीं किया गया? यदि हां, तो क्यों?

श्री रामाधार पाण्डेय—

प्रभारी अधिकारी, नगरपालिका मुगलसराय की एक जांच रिपोर्ट दिनांकित 3 फरवरी, 1979 में प्रश्नगत पारगमन अनुमति पत्र प्रयोग होना नहीं पाया गया है बल्कि यह कहा गया है कि वह रसीद बुक गायब हो गयी थी। मामले की पुनः जांच कराई जा रही है।

श्री राज किशोर तिवारी—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह मामला बड़ा गम्भीर है। मुगल सराय नगरपालिका में बहुत बड़ा घपला किया गया है उसकी जानकारी जब हुई, तो यह प्रश्न किया गया। माननीय मन्त्री जी ने स्वीकार किया है कि वह रसीद बही खो गई है, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि वह रसीद कब गायब हुई और यदि गायब हुई, तो उसकी रिपोर्ट क्या विभाग में या पुलिस में की गयी?

श्री रामाधार पाण्डेय—

मान्यवर, जनवरी, 1978 में इसकी सूचना मिली थी कि यह रसीद गायब हो गयी है और उसकी जांच फरवरी में की गयी। जांच की गयी और उस रिपोर्ट को शासन ने सही नहीं समझा इसलिए 17 मार्च, 1979 को निदेशालय के अधिकारियों के द्वारा जांच करने के आदेश दे दिए गए हैं और यह भी कहा गया है कि 10 दिन के अन्दर जांच की रिपोर्ट दी जाय।

श्री मन्जूर अहमद (जिला मेरठ)—

माननीय मन्त्री जी क्या यह बताने की कृपा करेंगे कि वह रसीद बुक कितने धन की थी और जिस अधिकारी ने जांच की है उसका नाम क्या है?

श्री रामाधार पाण्डेय—

जांच करने के लिए प्रभारी अधिकारी थे। रिपोर्ट आई थी और यह कहा जाता है कि वह 400 रुपए की थी।

श्री श्यामदेव (जिला वाराणसी)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मुगलसराय नगरपालिका के अधीक्षक श्री मंगला सिंह पर भ्रष्टाचार के सैकड़ों केसेज हैं और कथित रसीद

गायब होने के बाद हम लोगों ने उनके खिलाफ जांच के लिए जनता के प्रार्थना-पत्रों को अग्रसारित किया लेकिन अभी तक उस पर जांच नहीं की गयी। क्या उनकी जांच की गयी और परिणाम क्या निकला ?

श्री उपाध्यक्ष—

जो प्रार्थना पत्र दिए गए थे क्या वह इसी सम्बन्ध में थे ?

श्री श्याम देव—

उसी रसीद के सम्बन्ध में थे।

श्री रामाधार पाण्डेय—

जो प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए थे वह एक विषय पर थे और उनकी जांच हुई थी। माननीय सदस्य ने कहा कि कई मुकदमें चल रहे हैं। अगर उनको उनकी जानकारी है तो वह मुझे लिखकर दे दें मैं उनको दिखवा लूंगा कि क्या कार्यवाही हुई है। अगर इसी प्रश्न के सम्बन्ध में पूछना चाहते हैं तो इसके लिए मुझे सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री गुलाब सेहरा—

माननीय मन्त्री जी ने कहा कि रसीद गायब हो गयी तो उस रसीद बुक के रखने की जिम्मेदारी जिस कर्मचारी पर थी उसके खिलाफ शासन ने कोई कार्यवाही की या नहीं ?

श्री रामाधार पाण्डेय—

जैसा मैंने बताया आज ही मैंने आदेश दिए हैं डायरेक्टोरेट को कि इस मामले में गहरी छानबीन की जाय और जो दोषी अधिकारी हो उसके विरुद्ध. . .

श्री गुलाब सेहरा—

मान्यवर, मेरा प्रश्न दूसरा है। मेरा प्रश्न है कि जिस कर्मचारी की जिम्मेदारी रसीद बुक के रखने की थी, उसके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री रामाधार पाण्डेय—

शिकायत की जांच करने के आदेश दे दिए गए हैं।

(प्रश्न संख्या 4 लिए जाने पर)

श्री गुलाब सेहरा—

मान्यवर मन्त्री जी ने कहा कि छानबीन के लिए आदेश दिए हैं। मेरा प्रश्न है कि जिस कर्मचारी की जिम्मेदारी थी उस रसीद बुक को रखने की उस कर्मचारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी जिसके पास से वह गायब हुई ?

श्री रामाधार पाण्डेय—

मैं इस प्रश्न को ठीक से समझ नहीं पाया हूं, कृपया इसे फिर से पूछ लें।

श्री गुलाब सेहरा—

रसीद बुक नगरपालिका में जिस कर्मचारी के पास रहनी चाहिए थी, उसकी लापरवाही से गायब हुई, उसके विरुद्ध शासन ने क्या कार्यवाही की ?

श्री रामाधार पाण्डेय—

छानबीन जो उस कम्प्लेन्ट की हुई और जो रिपोर्ट शासन के पास आई, उससे मैं संतुष्ट नहीं था इसलिए मैंने उसकी पुनः जांच के आदेश दिए हैं और मैं सदन को आश्वस्त करता हूं कि 10 दिन का जो मैंने समय दिया उसके बाद मैं इस मामले में तत्काल कार्यवाही करूंगा।

श्री गुलाब सेहरा—

मान्यवर, मेरा प्रश्न है कि रसीद बुक गायब हो गयी। रसीद बुक रखने की जिस कर्मचारी की जिम्मेदारी थी उसकी लापरवाही से यह गायब हुई या कहीं रख दी गयी, क्या जान बूझकर गायब की गयी ? तो उस कर्मचारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री शफीकुर्रहमान बर्क (जिला मुरादाबाद)—

मान्यवर, आपने तो यह सवाल खत्म कर दिया था लेकिन आपने इसी को फिर से शुरु कर दिया ?

श्री उपाध्यक्ष—

अभी खत्म नहीं हुआ था।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क—

आपने दूसरा सवाल ले लिया था ? अगर इस तरह से होता रहेगा तो हमको मौका ही नहीं मिलेगा ?

श्री उपाध्यक्ष—

अगर सदस्य खड़े नहीं होते हैं और कोई कार्यवाही नहीं होती है तो मैं इजाजत दे सकता हूं, परम्परा यह रही है।

श्री रामाधार पाण्डेय—

जो शिकायत आई थी उसमें सिर्फ रसीद बही खोने की बात थी। विवेचना के बाद ये जो नये तथ्य उस रसीद बही का इस्तेमाल हुआ, इसमें मैंने 17 तारीख को निर्देश दिए हैं कि इसकी पुनः जाँच की जाय और 10 दिन के अन्दर रिपोर्ट दी जाय ताकि दोषी कर्मचारी के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही की जा सके।

मेसर्स सरैयत इंजीनियरिंग वर्क्स, सरादर नगर, गोरखपुर के कर्मचारियों का वेतन

*4—श्रीमती शारदा देवी (जिला गोरखपुर) तथा श्री राम सागर (जिला बाराबंकी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मे0 सरैयत इंजीनियरिंग वर्क्स, सरदारनगर, गोरखपुर द्वारा राजकीय आदेशों का उल्लंघन कर कर्मचारियों के उत्पीड़न के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता द्वारा माह जनवरी, 1978 से अब तक कितने पत्र शासन को दिए गए ? पत्रों पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रम मन्त्री (श्री क्रान्ति कुमार)—

माननीय सदस्य श्रीमती शारदा देवी द्वारा इस कारखाने के सम्बन्ध में एक पत्र शासन को प्राप्त हुआ था। इस पत्र के साथ संलग्न श्रमिकों के प्रत्यावेदन में उल्लिखित माँगों की जाँच कराई गयी। सेवायोजकों द्वारा श्रमिकों को अक्तूबर, 1978 का वेतन भुगतान न करने के कारण उनके विरुद्ध निर्देश वाद दायर कर दिया गया था। प्राप्त सूचना के अनुसार सेवायोजकों ने अक्तूबर, 1978 के वेतन का भुगतान श्रमिकों को कर दिया गया है। नवम्बर, 1978 के वेतन के भुगतान के सम्बन्ध में भी दायर किए गए निर्देश वाद का निर्णय सेवायोजकों के विरुद्ध हो गया है। सेवायोजकों के विरुद्ध दिसम्बर, 1978 व जनवरी, 1979 के वेतन श्रमिकों को भुगतान न किये जाने के सम्बन्ध में भी निर्देश वाद दायर कर दिए गए हैं, जो न्यायालय के विचाराधीन है।

वर्ष 1976–77 का बोनस भुगतान न दिए जाने तथा श्रमिकों को अनिवार्य सुविधायें न दिए जाने के परिणामस्वरूप सेवायोजको के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जा रही है।

श्री शारदा प्रसाद जायसवाल—

उस कम्पनी ने जनवरी, फरवरी और मार्च का जो बेतन नहीं दिया है तो उसके लिए उस कम्पनी के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री रमाशंकर कौशिक—

मैंने निवेदन किया कि निर्देश वाद दायर कर दिए गए हैं और जो भी कानूनी कार्यवाही सम्भव है, वह की जा रही है।

श्री सन्तबक्श रावत (जिला लखनऊ)—

वर्ष 1976–77 का बोनस भुगतान एवं अनिवार्य सुविधाएं न दिए जाने के लिए कम्पनी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री रमाशंकर कौशिक—

वर्ष 1976–77 का जहाँ तक सम्बन्ध है उसके लिए हमारे अधिकारियों द्वारा निरीक्षण कर लिया गया है और सेवायोजकों को आवश्यक कारण बताओ नोटिस दिया गया है और कानूनी कार्यवाही की जा रही है। बात यह है कि जब तक विवाद के सम्बन्ध में सूचना लिखित रूप में यूनियन के जरिए या किसी श्रमिक के जरिए नहीं प्राप्त होती है तब तक कोई कार्यवाही नहीं हो पाती। जहाँ तक वर्ष 1976–77 का सवाल है, चूंकि उस वर्ष उनको घाटा हुआ था, इसलिए वर्ष 1975–76 में उनके ऊपर कोई बोनस देय नहीं था।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)—

माननीय मन्त्री जी के उत्तर के अनुसार कम्पनी द्वारा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट ऐक्ट का खुला उल्लंघन है, तो इस अपराध में सेवायोजकों के विरुद्ध सरकार द्वारा कौन सी कार्यवाही की जा रही है ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

मान्यवर, जहाँ तक माननीय सदस्य का सवाल है, मैं समझता हूं कि इनका मतलब समय से वेतन दिए जाने से सम्बन्धित कानून से है, तो वेतन न दिए जाने के सम्बन्ध में निर्देश-वाद दायर हमने किए हैं और उसका फैसला हो जाने के बाद रिकवरी हम करते हैं। जहाँ तक प्रासीक्यूशन का सवाल है, प्रासीक्यूशन हम इसलिए नहीं कर पा रहे हैं, इसके खिलाफ चूंकि इसका जो देय है, वह एक लाख रुपए से कम है, इसलिए यही कानूनी कार्यवाही सम्भव है, वह की जा रही है।

स्टेशन रोड, लखनऊ पर लाइन मैन श्री नत्थू की कथित मृत्यु

*5—श्री मन्जूर अली खां (जिला रामपुर)—

क्या विद्युत् मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि स्टेशन रोड, लखनऊ पर 5 सितम्बर, 1978 को नत्थू लाइन मैन की सरकारी ड्यूटी पर बिजली का काम करते-करते मृत्यु हो गयी? यदि हाँ, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई जाँच बिठाई और मृतक के घर वालों को क्या सहायता प्रदान की गयी ?

श्री रेवती रमण सिंह—

ऐसी किसी दुर्घटना की सूचना शासन को प्राप्त नहीं हुई है। अतः प्रश्नगत दुर्घटना से सम्बन्धित जाँच बिठाने तथा मृतक के घर वालों को सहायता प्रदान करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

[22 मार्च, 1979 के लिए निर्धारित ताराँकित प्रश्न]

*1—श्री श्रीराम द्विवेदी तथा श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

[19-3-79 को अल्प सूचित ताराँकित प्रश्न संख्या 3 द्वारा उत्तरित]

नोट—नियम 38 (2) के अन्तर्गत ताराँकित प्रश्न संख्या 4 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

अप्रशिक्षित ए०एन०एम० तथा एल०एच०बी० की नियुक्ति

*2—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या शासन को जानकारी है कि अतिरिक्त निदेशक एवं राज्य परिवार कल्याण अधिकारी,लखनऊ, उत्तर प्रदेश के आदेश सं0 प0क0/चार-बजट/24/76-77/44515-90, दिनाँक 17 अक्तूबर, 1978 के माध्यम से प्रदेश में उक्त विभाग के 25,000 से अधिक जन-संख्या वाले नगरीय केन्द्रों में कार्यरत प्रशिक्षित ए0एन0एम0 तथा एल0एच0बी0 को हटाकर अप्रशिक्षित कर्मचारियों को सेवा करने की वरीयता दी गयी है ? यहाँ तक कि उक्त आदेश से केन्द्रीय सरकार के पोस्ट मार्टम स्कीम का भी उल्लंघन होता है ? यदि हाँ, तो क्या शासन प्रशिक्षित के स्थान पर अप्रशिक्षित तथा अनुभवहीन कर्मचारियों की असन्तोषप्रद सेवा से ग्रसित प्रदेश के हजारों प्राणियों की रक्षा हेतु उक्त पत्र तथा तत्सम्बन्धी आदेशों को स्थगित करके आदेशों की वैधता की जाँच करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

जी नहीं, केन्द्रीय सरकार की पोस्ट मार्टम स्कीम का कोई उल्लंघन नहीं होता है। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

सी०पी०एम०टी० में पिछड़ी जाति का आरक्षण

*3—श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

क्या सरकार बताएगी कि सी0पी0एम0टी0 की वर्ष 1978 की उत्तीर्ण घोषित सीटों में सामान्य सीट से उत्तीर्ण घोषित अन्तिम अभ्यर्थी से अधिक अंक प्राप्त किए हुए पिछड़ी जाति के अभ्यर्थियों को अनुत्तीर्ण घोषित किया गया है और सरकारी नीति के अनुसार पिछड़ी जाति के अभ्यर्थियों को उपरोक्त चयन में 15 सैकड़ा स्थान भी नहीं दिया गया है ? यदि हाँ, तो क्यों ? किस आधार पर और सामान्य योग्यता में लिए गए अंक से अधिक अंक प्राप्त किए हुए पिछड़ी जाति के अभ्यर्थियों का चयन उक्त परीक्षा के लिए होगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

पिछड़ी जाति के ऐसे अभ्यर्थियों को जिनके प्राप्ताँक अन्तिम चुने गए सामान्य अभ्यर्थी से ज्यादा या बराबर थे और जिन्हें प्रवेश नहीं दिया गया था, प्रवेश दे दिया गया है। मेडिकल कालेजों में पिछड़ी जाति के अभ्यर्थियों के लिए सीटें सुरक्षित करने के लिए शासन द्वारा अलग से निर्णय लिया गया था जिसके अनुसार 8 प्रतिशत सीटें पिछड़ी जाति (पुरुष) के लिए तथा 4 प्रतिशत सीटें पिछड़ी जाति (महिला) के लिए सुरक्षित की गयी थीं और इन सभी सीटों को पिछड़ी जाति के अभ्यर्थियों के द्वारा भरने के बाद उपरोक्त उल्लिखित अभ्यर्थियों को सीटें प्रदान की गयी हैं।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रुदौली, बाराबंकी के चिकित्साधिकारी का फर्जी त्याग-पत्र एवं स्थानान्तरण

*4—श्री प्रदीप कुमार यादव (जिला बाराबंकी), श्री अशर्फी लाल यादव (जिला बाराबंकी) तथा संगम लाल (जिला प्रतापगढ़)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि जनवरी सन् 1979के प्रथम सप्ताह में शासन, सचिवालय और स्वास्थ्य निदेशालय को यह शिकायत मिली है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रुदौली के कतिपय कर्मचारियों ने उक्त स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्सा अधिकारी को हटाने के लिए उनके नाम से उनका फर्जी त्याग-पत्र भिजवाया और स्थानान्तरण के लिए उनकी तरफ से झूठी दरख्वास्त दिलवाई और उस झूठे दरख्वास्त के आधार पर चिकित्सा अधिकारी का स्थानान्तरण भी करवाया गया ? यदि हाँ, तो शिकायत के विवरण क्या हैं, किन कर्मचारियों के विरुद्ध है और उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री रमा शंकर कौशिक--

जी हाँ ।

शिकायत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रुदौली के लैब टेक्नीशियन तथा स्माल पाक्स सुपरवाइजर के विरुद्ध है । जाँच के पश्चात् उनका स्थानान्तरण जिला बाराबंकी से अन्यत्र कर दिया गया है ।

शिकायती-पत्र की प्रति संलग्न है ।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 724-725 पर ।)

वाराणसी जिले के ग्राम हृदय पट्टी के विद्युतीकण की मांग

*5--श्री श्रीनारायण (जिला देवरिया)--

क्या विद्युत् मन्त्री को जानकारी है कि ग्राम हृदय पट्टी, पोस्ट मदोही, जनपद वाराणसी की हरिजन बस्ती में अभी तक बिजली नहीं लग पाई है ? यदि हाँ, तो बिजली अभी तक न लगने का क्या कारण है तथा ग्राम हृदय पट्टी (हरिजन बस्ती) में भी बिजली लगवाने की कृपा करेंगे ? यदि हाँ, तो कब तक ?

श्री रेवती रमण सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

अष्टांग आयुर्वेदिक कालेज, लखनऊ के अध्यापकों की शैक्षिक योग्यता

*6--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री को ज्ञात है कि प्रदेश की राजधानी, लखनऊ में चल रहे "अष्टाँग आयुर्वेदिक कालेजों" में आयुर्वेद कल्पक (कम्पाउन्डर) का दो वर्षीय पाठ्यक्रम चलता है और उक्त कालेज से निकले छात्र राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में कल्पक के पद पर नियुक्त किए जाते हैं ? यदि हाँ, तो उक्त कल्पक पास करने वाले छात्रों को पढ़ाने के लिए कौन-कौन से शिक्षक हैं और उनकी शैक्षिक योग्यता क्या है ?

श्री रमा शंकर कौशिक--

जी हाँ ।

2--अष्टाँग आयुर्वेदिक विद्यालय, लखनऊ के कल्पक पाठ्यक्रम पढ़ाने वाले अध्यापकों के नाम एवं उनकी शैक्षिक व्यवसायिक योग्यताओं का विवरण साथ में संलग्न है ।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 726-727 पर ।)

राजकीय आयुर्वेदिक कालेजों के शिक्षकों की अर्हतायें

*7--श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया) तथा श्री राज कुमार शर्मा (जिला सहारनपुर)--

क्या सरकार को जानकारी है कि राज्य आयुर्वेदिक कालेजों के शिक्षकों के लिए निर्धारित अनिवार्य अर्हताओं में अनेक प्रकार की विषमताएं हैं ? यदि हाँ, तो क्या शासन इनको दूर करके मेडिकल कालेजों की भांति रीडर, लेक्चरर आदि पदों पर नियुक्ति के लिए अर्हताएं निर्धारित किए जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमा शंकर कौशिक--

जी नहीं । प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक कालेजों के विभिन्न शैक्षिक पदों के कर्तव्य, स्वरूप एवं दायित्व के अनुसार उपयुक्त अनिवार्य अर्हताएं निर्धारित हैं । प्रश्न नहीं उठता क्योंकि आयुर्वेदिक कालेजों की परिस्थितियाँ मेडिकल कालेजों की परिस्थितियों से भिन्न हैं और यदि मेडिकल कालेजों की भाँति आयुर्वेदिक कालेजों के विभिन्न शैक्षिक पदों के लिए स्नातकोत्तर उपाधि के साथ निर्धारित अध्यापन अनुभव अनिवार्य कर दिया जाय, तो आयुर्वेदिक कालेजों में अपेक्षित अर्हता वाले अभ्यर्थियों का मिलना कठिन होगा ।

सरोजनी नायडू अस्पताल, फिरोजाबाद की एक्सरे मशीन

*8—श्री रघुवर दयाल वर्मा—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री को जानकारी है कि जनपद आगरा के क्षेत्र फिरोजाबाद के सरोजनी नायडू अस्पताल की एक्सरे की मशीन वर्ष 1972 से खराब है जिससे सैकड़ों रोगियों को पीड़ा व कष्ट में एक्सरे के अभाव में दाखिल नहीं किया जाता है और न उन्हें तुरन्त इलाज मिल पाता है ? यदि हाँ, तो यह एक्सरे मशीन कब तक ठीक करा दी जायगी ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

सरोजनी नायडू अस्पताल, फिरोजाबाद जिला आगरा की एक्सरे मशीन 25 मई, 1978 से खराब चल रही है। इसे ठीक कराने हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष में रु0 16,886 (सोलह हजार आठ सौ छियासी रुपया) स्वीकृत कर दिया गया है। अतः आशा है कि उक्त मशीन इस वर्ष ठीक हो जायगी।

उक्त एक्सरे मशीन के अभाव में रोगियों को भर्ती करने अथवा उन्हें तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने में कोई बाधा नहीं है। आवश्यकता पड़ने पर रोगियों को एक्सरे फिल्म उपलब्ध करा दी जाती है ताकि वह निकट के किसी अन्य सरकारी अस्पताल से अपना एक्सरे करा सकें।

फतेहपुर, बिन्दकी राजकीय अस्पताल का जीर्ण-शीर्ण भवन

*9—श्री जगन्नाथ सिंह (जिला फतेहपु)—

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद फतेहपुर का सबसे प्रमुख नगर व व्यापारिक मण्डी, बिन्दकी का राजकीय अस्पताल जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है ? क्या स्वास्थ्य सेवा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ने अपने पत्र सं0 10-क/21/278/3636, दिनाँक 12 सितम्बर, सन् 1978 ई0 को फतेहपुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से इस सम्बन्ध में आख्या माँगी थी तो क्या आख्या मिली है ? सरकार इस पिछड़े मध्य वर्ग क्षेत्र के अस्पताल का कब तक विकास करा देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

जनपद फतेहपुर के नगर बिन्दकी स्थित राजकीय अस्पताल का भवन पुराना हो जाने के कारण उसमें वृहत् मरम्मत की आवश्यकता है।

सन्दर्भित पत्र द्वारा माँगी गयी मुख्य चिकित्सा अधिकारी, फतेहपुर की आख्या प्राप्त अवश्य हो गयी है परन्तु वह अपूर्ण है।

उक्त अस्पताल के सुधार व विस्तार हेतु जिला चिकित्सालय तथा स्वास्थ्य सलाहकार समिति से आवश्यक प्रस्ताव प्राप्त होने पर ही निर्धारित माप दण्ड के प्रकाश में, गुणावगुण के आधार पर यथासमय विचार किया जा सकता है।

शाहजहांपुर कस्बा तिलहर के मुहल्ला कुवरगंज में मन्दिर के पास शराब की दुकान

*10—श्री सत्यपाल सिंह यादव (जिला शाहजहाँपुर)—

क्या आबकारी मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद शाहजहाँपुर के कस्बा तिलहर के मुहल्ला कुवरगंज में कोई शराब की दुकान मन्दिर के पास में खोली गयी है ? यदि हाँ, तो क्यों ? सरकार इसमें क्या और कब तक कार्यवाही करेगी ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

सन्दर्भित दुकान की स्थिति के बारे में सूचना प्राप्त नहीं हो पाई है, किन्तु 1 अप्रैल, 1979 से शाहजहाँपुर जिले में मद्य निषेध लागू कर दिया गया है। तद्नुसार उक्त दुकान 1 अप्रैल 1979 से बन्द हो जायगी और किसी अन्य कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

सुल्तापुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जामों के डाक्टरों की अनुपस्थिति और जांच रिपोर्ट

*11--श्री तेजभान सिंह (जिला सुल्तानपुर)--

तृतीय सत्र 1978 के पहले गुरुवार के तारांकित प्रश्न संख्या 17 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि चिकित्साधिकारी, सुल्तानपुर की 4 दिसम्बर, 1978 की आख्या क्या है तथा उक्त आख्या के बाद भी सम्बन्धित डाक्टरों के विरुद्ध इतनी लम्बी अवधि के बाद भी, कोई कार्यवाही न करने का क्या कारण है ? क्या उक्त सम्बन्धित अस्पताल के डाक्टरों के विरुद्ध शिकायत की जाँच जिलाधिकारी द्वारा नियुक्त मजिस्ट्रेट तथा संयुक्त निदेशक, फैजाबाद ने भी की थी ? यदि हाँ, तो उक्त दोनों अधिकारियों की जाँच रिपोर्ट तथा जिलाधिकारी को शासन को भेजी संस्तुति तथा आख्या को सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री रमा शंकर कौशिक--

मुख्य चिकित्साधिकारी, सुल्तानपुर का 23 दिसम्बर, 1978 का पत्र निदेशालय में 4 दिसम्बर, 1978 को प्राप्त हुआ था। उसके साथ उन्होंने प्रा0 स्व0 केन्द्र जामो,सुल्तानपुर में तैनात तीनों डाक्टरों के अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण भेजा था। उक्त पत्र के प्राप्त होने के बाद वहाँ पर तैनात दो डाक्टरों को स्वास्थ्य सेवा निदेशक द्वारा स्थानान्तरित कर दिया गया है और एक के स्थानान्तरण के आदेश जारी किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त निदेशक द्वारा उन्हें कठोर चेतावनी भी दे दी गयी है जिसका उल्लेख उनकी चरित्र पंजी में कर देने के आदेश दिए गए हैं। चूंकि प्रश्नगत मामला शासन स्तर पर अभी विचाराधीन है अतः जिलाधिकारी द्वारा नियुक्त मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट तथा उनके द्वारा शासन को भेजी गयी संस्तुति सदन के पटल पर रखा जाना जनहित में न होगा। संयुक्त निदेशक, फैजाबाद की जाँच रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है।

याकूबपुर, इटावा का डाक्टर विहीन चिकित्सालय

*12--श्री औसान सिंह (जिला इटावा)--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री को जानकारी है कि इटावा जनपद के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, याकूबपुर में एक वर्ष से कोई चिकित्सक नहीं है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार शीघ्र चिकित्सक की व्यवस्था करेगी ?

श्री रमा शंकर कौशिक--

इटावा जनपद के याकूबपुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र न होकर राजकीय चिकित्सालय है।

उक्त चिकित्सालय पर तैनात डाक्टर 14 दिसम्बर, 1978 से अनधिकृत अवकाश पर है। वहाँ पर डाक्टर की तैनाती शीघ्र कर दी जायेगी।

कानपुर के लाला लाजपतराय अस्पताल में श्री राम किशोर की मृत्यु

*13--श्री बाबू राम शुक्ल (जिला कानपुर)--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि दिनाँक 23 अक्तूबर, 1977 को लाला लाजपत राय अस्पताल, कानपुर में 21 वर्षीय राम किशोर उर्फ पप्पू की मृत्यु समय पर "बी" ग्रुप का ब्लड न दिए जाने के कारण हुई जबकि अस्पताल के ब्लड बैंक में 6 बोतल 'बी' ग्रुप का खून मौजूद था ? क्या यह भी सही है कि मृतक के एक सम्बन्धी के पत्रों के उत्तर में स्वास्थ्य मन्त्री के पत्र संख्या 7999-ए, दिनाँक 27 नवम्बर, 1977 तथा पत्र संख्या ए-814 ए च0एम0, दिनाँक 17 जनवरी, 1978 द्वारा उक्त घटना की जाँच कराने का आश्वासन दिया था ? यदि हाँ, तो जाँच रिपोर्ट क्या है तथा उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री रमा शंकर कौशिक--

वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक, लाला लाजपत राय एवं सम्बद्ध चिकित्सालय, कानपुर ने अपनी जाँच आख्या में निदेशक को सूचित किया है कि रोगी राम किशोर गुप्ता उर्फ पप्पू दिनाँक 28 अक्तूबर, 1977 को 6.30 बजे अपराह्न को लाला लाजपत राय अस्पताल, कानपुर में गम्भीर दशा में भर्ती हुआ था तथा उसे बचाने के लिए हर सम्भव प्रयत्न करने एवं दो बोतल रक्त चढ़ाए जाने के बावजूद दिनाँक 29 अक्तूबर, 1977 को 0.25 बजे प्रातः उसकी मृत्यु हो गई तथा यह सही नहीं है कि उसकी मृत्यु समय पर 'बी' ग्रुप का रक्त न दिए जाने के कारण हुई।

भूतपूर्व स्वास्थ्य मन्त्री ने दिनाँक 27 नवम्बर, 1977 के पत्र द्वारा आवेदक को अन्तरिम उत्तर भेजा था। पप्पू की मृत्यु के सम्बन्ध में जांच कराई गई और जाँच आख्या का परीक्षण स्वास्थ्य सेवा निदेशक द्वारा किया जा रहा है।

*14--श्री रामदत्त जोशी--

[4थे मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या 17 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

बरेली जिले के ग्राम दुबावट के श्री नन्हें की नसबन्दी

*15--श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री को ज्ञात है कि जिला बरेली की तहसील नवाबगंज के ग्राम दुबावट के श्री नन्हें पुत्र जानकी, शेर खां पुत्र झंडा खां व नबीशेर पुत्र मरदान खां और महमूद आदि कई व्यक्तियों की नसबन्दी वर्ष 1976-77 में उनके विभाग द्वारा इन व्यक्तियों के अविवाहित होने पर भी कर दी गयी? यदि हां, तो सरकार ने दोषी अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की?

श्री रमा शंकर कौशिक--

प्रश्नगत व्यक्तियों में से केवल श्री नन्हें पुत्र जानकी की नसबन्दी अविवाहित होने पर भी कर दी गयी थी। इस मामले की जांच सी0आई0डी0 द्वारा की जा रही है।

स्वास्थ्य सेवा निदेशालय में अनुसूचित जाति के कर्मचारियों का आरक्षण

*16--श्री बिहारी लाल हंस (जिला हरदोई)--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि शासकीय आदेश सं0 5 एस0सी0, 12-बी-303-64, दिनांक 19 मार्च, 1964 के अनुसार स्वास्थ्य सेवा निदेशालय में कोई अधिकारी अनुसूचित जाति का आरक्षित कोटा पूरा करने के लिए मनोनीत किया गया है? यदि हां, तो जनवरी 1, 1978 से अब तक विभाग के मुख्यालय स्तर पर विभिन्न नियुक्तियों, पदोन्नतियों व स्थायीकरण किस अधिकारी की देख-रेख में सम्पन्न हो रहा है?

श्री रमा शंकर कौशिक--

जी नहीं। जनवरी 1, 1978 से निदेशालय के विभिन्न अनुभागों में उन अनुभागों से सम्बन्धित अधिकारी नियुक्तियां, पदोन्नतियां एवं स्थायीकरण करते समय अनुसूचित जाति का आरक्षित कोटा पूरा करने हेतु ध्यान रखते हैं।

राज्य विद्युत् परिषद् के राजपत्रित अधिकारियों के विरुद्ध सतर्कता अधिष्ठान की जांच

*17--श्री सुखपाल पाण्डेय--

क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्य विद्युत् परिषद् के 102 राजपत्रित अधिकारियों के विरुद्ध सतर्कता अधिष्ठान द्वारा की जा रही जांच में से जिन 42 राजपत्रित अधिकारियों के विरुद्ध 1 जून, 1978 तक जांच पूरी होकर शासन को प्राप्त हो गयी, उसमें कितने-कितने रुपए का आरोप सिद्ध हुआ है? क्या यह सही है कि अधिकारी

आज भी जिम्मेदारी के पद पर आसीन हैं ? उक्त 42 अधिकारियों के विरुद्ध 31 दिसम्बर, 1978 तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं की गयी, तो क्यों ?

श्री रेवती रमण सिंह---

प्रश्न में मांगी गयी सूचना अधिक ब्यौरे वाली है जिसको एकत्र करने में जो श्रम, समय व धन व्यय होगा वह वांछित फल के अनुरूप न होगा ।

लक्ष्मीपति सिंहानिया हृदय रोग संस्थान, कानपुर में गबन

*18---श्री हुक्म सिंह परिहार (जिला आगरा)---

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि लक्ष्मीपति सिंहानियां हृदय रोग संस्थान, कानपुर में गत वर्ष 2 लाख का घपला पकड़ा गया है ? यदि हां, तो पूर्ण तथ्य क्या हैं और इसमें क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री रमा शंकर कौशिक---

लक्ष्मीपति सिंहानिया हृदय रोग संस्थान, कानपुर के लेखों के परीक्षण के उपरान्त रुपया 1,10,821.45 के गबन का मामला प्रकाश में आया है। यह गबन वेतन बिलों के माध्यम से अधिक धनराशि आहरित करके कर्मचारियों को उनके वेतन का कम भुगतान करके तथा पंजीकरण शुल्क को सरकारी कोषागार में जमा न करके किया गया है ।

इस मामले में पुलिस द्वारा कार्यवाही की जा रही है तथा स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के सम्प्रेक्षा दल द्वारा की गयी विशेष सम्प्रेक्षा की रिपोर्ट का स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के स्तर पर परीक्षण किया जा रहा है ।

*19---श्री विजय राज सिंह, श्री रामदत्त जोशी तथा
श्री देव बहादुर सिंह---
[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

*20---श्री राजकुमार शर्मा---
[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

पाम आयल की बिक्री

*21---श्री शम्भूनाथ चौधरी---

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1977-78 में सरकार ने आदेश दिया था कि पाम आयल की बिक्री के पूर्व रिफाइण्ड करना, पब्लिक एनालिसिस कराना और सरकार का बिक्री हेतु आदेश प्राप्त करना अनिवार्य है ? यदि नहीं, तो राज्य में पाम आयल की बिक्री किन शर्तों पर की जाती है ? क्या पाम आयल की बिक्री के उक्त आदेश तथा शर्तों का उल्लंघन करके वर्ष 1977 और 1978 में राज्य के गाजियाबाद और आगरा, कानपुर की विभिन्न व्यापारिक संस्थानों ने करोड़ों रुपए का पाम आयल बिक्रीकर दिया है ? यदि हां, तो किन-किन ने और ऐसी फर्मों एवं संस्थाओं के लाइसेन्स निरस्त न करने के क्या कारण हैं ?

श्री रमा शंकर कौशिक---

सूचना एकत्र की जा रही है ?

समाचार पत्र प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों की सेवा शर्त के सम्बन्ध में रिपोर्ट

*22---श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

क्या श्रम मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि समाचार पत्र प्रतिष्ठानों में कार्यरत पत्रकारों तथा अन्य श्रमजीवियों की सेवा शर्तों आदि के सम्बन्ध में रिपोर्ट शासन को प्राप्त हो गयी है ? यदि हां, तो मुख्य सिफारिशें क्या हैं तथा उनके सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री क्रान्ति कुमार—

प्रदेश के समाचार पत्र प्रतिष्ठानों में काम करने वाले पत्रकार एवं गैर पत्रकार कर्मचारियों की समस्याओं पर विचार करने हेतु राज्य सरकार द्वारा गठित त्रिपक्षीय समिति की रिपोर्ट शासन को प्राप्त हो गयी है।

समिति की मुख्य सिफारिशें कर्मचारियों की बीमा योजना, ग्रेच्युटी फंड, हितकारी कोष, नकदीकरण अवकाश का लाभ प्रदान करना, उनके उत्पीड़न पर रोक, क्षोभ निवारण प्रक्रिया निर्धारित करना, आवास सुविधा प्रदान करना एवं उनकी अन्य सेवा शर्तों में सुधार करना आदि से सम्बन्धित है।

समिति की उक्त सिफारिशें शासन के विचाराधीन हैं।

*23—श्री प्रदीप कुमार यादव—

[31-8-79 के तारांकित प्रश्न संख्या 50 द्वारा उत्तरित]

सुल्तानपुर जनपद के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जामो के डाक्टरों की अनुपस्थिति

*24—श्री तेजभान सिंह—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 13 जनवरी, 1979 को जिलाधिकारी, सुल्तानपुर ने प्रा0 स्वास्थ्य केन्द्र, जामों का आकस्मिक निरीक्षण किया था तथा उक्त अस्पताल के समस्त डाक्टरों को अनुपस्थित पाया? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में शासन ने अब तक क्या कोई कार्यवाही की? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों? क्या जिलाधिकारी ने इस सम्बन्ध में शासन को कोई रिपोर्ट भी भेजी है?

श्री रमा शंकर कौशिक—

जी हां, जिलाधिकारी ने आकस्मिक निरीक्षण किया था तथा निरीक्षण के समय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर केवल एक डाक्टर उपस्थित था तथा दो अनुपस्थित थे।

अनुपस्थित डाक्टरों में से एक को जामों से अन्यत्र स्थानान्तरित कर दिया गया। दूसरे को स्थानान्तरित किया जा रहा है। जिलाधिकारी से प्राप्त निरीक्षण रिपोर्ट पर अन्य कार्यवाही विचाराधीन है।

फिरोजाबाद के चूड़ी कारखानों के कर्मचारियों को दी जाने वाली सुविधायें

*25—श्री रघुवर दयाल वर्मा—

क्या श्रम मन्त्री को जानकारी है कि जनपद आगरा के उद्योग नगर फिरोजाबाद के चूड़ी के प्रतिष्ठानों में फैक्ट्री ऐक्ट और अन्य श्रम कानूनों के अन्तर्गत प्रदत्त सुविधाएं स्वास्थ्य वायु, कोयला के धुंआ, कैमीशन की गन्दगी आदि प्रदूषण का बचाव है, अथवा नहीं? क्या प्रतिष्ठान व चूड़ी कटाई, चूड़ी जुड़ाई, चूड़ी पिराई और गोदाम के चूड़ी श्रमिकों को कानून प्राप्त वार्षिक अवकाश, आकस्मिक अवकाश, रोजाना आधा घंटे का अवकाश प्राप्त है? यदि नहीं, तो सरकार ने उक्त सम्बन्ध में क्या कोई व्यवस्था की है?

श्री क्रान्ति कुमार—

जनपद आगरा के उद्योग नगर फिरोजाबाद के चूड़ी के कारखानों में नियोजित श्रमिकों के स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त वेंटिलेशन उपलब्ध है। भट्ठियों से निकलने वाले कोयले के धुएं के निकास के लिए चिमनियां हैं जिनके फलस्वरूप कारखानों के भीतर की वायु प्रदूषित नहीं होती है। चूड़ी बनाने वाले कारखानों के श्रमिकों को कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत अवकाश की सुविधाएं देय हैं। चूड़ी कटाई के प्रतिष्ठानों पर कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत वार्षिक सवेतन अवकाश के प्रविधान लागू नहीं होते हैं। चूड़ी पकाई और चूड़ी गोदाम के प्रतिष्ठानों पर उत्तर प्रदेश दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम, 1962 लागू है, अतः इस अधिनियम के अन्तर्गत वार्षिक अवकाश, आकस्मिक अवकाश व दैनिक

विश्राम की सुविधाएं प्राप्त हैं। चूड़ी जुड़ाई का कार्य चूंकि घरों में परिवार के सदस्यों की सहायता से किया जाता है। अतः उन्हें उपरोक्त सुविधाएं अनुमन्य नहीं हैं।

मलेरिया कर्मचारी संघ की मांग

*26—श्री रामदत्त जोशी—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री को यह जानकारी है कि उत्तर प्रदेश शासन के परिपत्र संख्या 7276/16-10-78 चिकित्सा अनुभाग-10, दिनांक 28 सितम्बर, 1978 के द्वारा अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश मलेरिया कर्मचारी संघ को यह आश्वासन दिया गया था कि मलेरिया उन्मूलन विभाग के कर्मचारियों की पदोन्नति, स्थायीकरण, यात्रा भत्ता तथा आवास सुविधा इत्यादि की मांगों पर शासन द्वारा दीपावली से पूर्व निर्णय ले लिया जायगा? यदि हां, तो शासन द्वारा किए गए निर्णय का विवरण क्या है?

श्री रमा शंकर कौशिक—

मलेरिया कर्मचारी संघ की मांगों के सम्बन्ध में ऐसा आश्वासन नहीं था।

मलेरिया कर्मचारियों की मांगों पर लिए गए निर्णय का संक्षिप्त विवरण संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 728-729 पर)

नगरपालिका अतर्रा की सीवर योजना

*27—श्री जगन्नाथ सिंह—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अतर्रा नगरपालिका के बांदा, जिला अन्तर्गत क्षेत्र में कब तक सीवरेज और ड्रेन्स का कार्य शुरू होगा?

मुख्य मन्त्री (श्री बनारसी दास)—

सीवरेज योजना के विरचन से सम्बन्धित सर्वेक्षण कार्य अप्रैल, 1979 में प्रारम्भ किया जायगा तथा योजना विरचन का कार्य दिसम्बर, 1979 तक पूर्ण होने की सम्भावना है। इसके पश्चात् ही मौके पर इस योजना का क्रियान्वयन सम्भव हो सकेगा।

ड्रेन्स के सम्बन्ध में कोई योजना नहीं बनाई गई है। अतः उक्त क्षेत्र में ड्रेन्स का कार्य शुरू होने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

प्रतापगढ़, चिलबिला में नलकूप का निर्माण

*28—श्री संगम लाल—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन को हीरा लाल खण्डेलवाल मकन्दगंज चौक, प्रतापगढ़ का कोई प्रार्थना-पत्र दिनांक 7 सितम्बर, 1978 को भूमि सं0 987 नया नं0 1924 स्थित चिलबिला, प्रतापगढ़ के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ है? यदि हाँ, तो उसमें अभी तक क्या कार्यवाही हुई? क्या जाँच आदेश के बाद उसमें ट्यूबवेल गाड़ा जा रहा है? यदि हाँ, तो किस अधिकारी के आदेश से?

श्री बनारसी दास—

जी हाँ।

प्रार्थना-पत्र के सम्बन्ध में यह जानकारी मिली कि प्रश्नगत भूमि के अध्याप्ति की कार्यवाही को अनियमित घोषित करने तथा भूमि को वापस किए जाने के बारे में श्री हीरा लाल खण्डेलवाल ने एक दावा दीवानी न्यायालय में दायर किया था जिसका अन्तिम निर्णय 20 मई, 1978 को हो गया, जिसके फलस्वरूप श्री खण्डेलवाल का दावा खारिज कर दिया गया है। प्रश्नगत भूमि पर नगरपालिका को दिनाँक 26 फरवरी, 1970 को कब्जा भी मिल चुका है।

नगरपालिका के निर्णय के आधार पर जल निगम द्वारा प्रश्नगत भूमि पर नलकूप के गाड़ने का कार्य 7 जनवरी, 1979 को पूर्ण किया जा चुका है।

मुख्य चिकित्साधिकारी, हरदोई के वित्तीय अधिकार

*29—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हरदोई ने शासनादेश संख्या एफ0पी0 922, 16-11-77-1122/72, दिनाँक 20 फरवरी, 1978 का अतिक्रमण करते हुए उप मुख्य चिकित्साधिकारियों को अपने निहित वित्तीय अधिकार का उपयोग करने हेतु प्राधिकृत किया हैं ? यदि हाँ, तो इस प्रकार शासनादेश की अवज्ञा कैसे की गयी ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

जी नहीं। उक्त शासनादेश के अनुसार मुख्य चिकित्साधिकारी, हरदोई में निहित वित्तीय अधिकार दिनाँक 28 दिसम्बर, 1978 को प्रशासनिक अधिकारी को दे दिया गया।

व्यक्तिगत नलकूपों के विद्युत् शुल्क

*30—श्री ऊदल तथा श्री रवीन्द्र सिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या विद्युत् मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनाँक 30 दिसम्बर, 1978 को मुख्य मंत्री ने एलान किया है कि प्राइवेट पम्पिंग सेट के किसानों से अब 15 रु0 प्रति हार्स पावर की जगह 12 रु0 प्रति हार्स पावर विद्युत् शुल्क लिया जायगा ? यदि हाँ, तो उसे कब से लागू किया गया है और आदेश क्या दे दिए गए हैं ?

श्री रेवती रमण सिंह—

जी हाँ। दिनाँक 30 दिसम्बर, 1978 को मुख्य मन्त्री जी ने सदन को आश्वासन दिया था कि व्यक्तिगत नलकूप/पम्पिंग सेट के लिए लागू वर्तमान 15 रु0 प्रति अश्वशक्ति प्रति माह की दर को घटाकर जल्दी ही 12 रु0 प्रति अश्वशक्ति प्रति माह कर दिया जायगा। यह दर किस तिथि से घटाई जाय, यह अभी विचाराधीन है और इस पर शीघ्र ही निर्णय ले लिया जायगा।

*31—श्री राजकिशोर तिवारी—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

प्रदेश में मद्य निषेध का विवरण (वि0-337)

*32—श्री राजकुमार शर्मा—

क्या आबकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार की मद्य निषेध नीति के अनुसार क्या आगामी 1 अप्रैल, 1979 से पूरे प्रदेश में या कुछ भाग में मद्य निषेध करने का विचार है ? क्या जिला सहारनपुर तथा जिला बिजनौर के पूरे जिलों में 1 अप्रैल, 1979 से मद्य निषेध कर दिया जायगा ? जैसा कि प्रश्नकर्ता विधायक ने अपने पत्र सं0 755, दिनाँक 31 अगस्त, 1978 में आपसे माँग की है ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

जी हाँ। प्रदेश के 12 जिलों, जहाँ पहले से मद्य निषेध लागू है के अतिरिक्त 7 अन्य जिलों—बिजनौर, मुरादाबाद, बरेली, रामपुर, शाहजहाँपुर, सीतापुर तथा हरदोई में 1 अप्रैल, 1979 से पूर्ण मद्य निषेध लागू किए जाने का निर्णय हुआ है और तद्नुसार अधिसूचना गजट में प्रकाशित हो गयी है। प्रश्नकर्ता विधायक की माँग के अनुसार 1 अप्रैल, 1979 से बिजनौर जिले में पूर्ण मद्य निषेध लागू हो जायगा। सहारनपुर जिले में मद्य-निषेध लागू किए जाने के निमित्त निर्णय अभी नहीं हो पाया है।

विद्युत् निर्माण उपखण्ड, बुलन्दशहर के कतिपय अभियन्ताओं के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*33—श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्री यतेन्द्र नाथ शर्मा, एडवोकेट ने अपने पत्र दिनांक 27-3-78, 4-5-78, 12-8-78, 13-9-78 व 14-12-78 को भ्रष्टाचार के गम्भीर आरोप सहायक अभियन्ता, जनपद विद्युत् निर्माण उपखण्ड, बुलन्दशहर व जनपद विद्युत् स्टोर उपखण्ड, बुलन्दशहर के सहायक अभियन्ता पर लगाए हैं ? क्या पत्र प्राप्त हुए हैं ? यदि हाँ, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री रेवती रमण सिंह—

श्री यतेन्द्र नाथ शर्मा, एडवोकेट के दिनांक 27-3-78, 4-5-78 व 12-8-78 के पत्र प्राप्त हुए हैं। दिनाँक 27-3-78 के पत्र में सहायक अभियन्ता, विद्युत् जनपद निर्माण उपखण्ड पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं और 4-5-78 एवं 12-8-78 के पत्र में सहायक अभियन्ता भण्डार केन्द्र, बुलन्दशहर व अधिशासी अभियन्ता, विद्युत् भण्डार केन्द्र, गाजियाबाद के विरुद्ध अनियमितता के आरोप लगाए हैं। दिनाँक 27-3-78 के पत्र की जाँच की गयी तथा तत्कालीन उप खण्डाधिकारी, विद्युत् जनपद निर्माण उप खण्ड, बुलन्दशहर व अवर अभियन्ता (जनपद) के विरुद्ध कार्यवाही की गई। दिनाँक 4-5-78 एवं 12-8-78 के पत्रों में वर्णित आरोपों की जाँच की जा रही है।

*34—श्री देव बहादुर सिंह—

[4थे मंगलवार में ताराँकित प्रश्न संख्या 12 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*35—श्री दयाराम भास्कर—

[28-12-78 को अताराँकित प्रश्न संख्या 14 द्वारा उत्तरित]

*36—श्री दयाराम भास्कर—

[28-12-78 के अताराँकित प्रश्न संख्या 15 द्वारा उत्तरित]

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सिसवा बाजार, गोरखपुर के भवन एवं लिंक रोड की मरम्मत

*37—श्री शारदा प्रसाद जायसवाल—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1972 में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सिसवा बाजार (गोरखपुर) के भवन मरम्मत तथा लिंक रोड बनाने हेतु 1,20,000 रुपए का स्टीमेट शासन द्वारा स्वीकृत करके 60,000 रु0 की धनराशि शासन द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग, गोरखपुर को निर्माण कार्य शुरू कराने हेतु दी गयी थी ? क्या यह सही है कि आज तक कोई निर्माण कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा नहीं कराया गया है ? क्या सरकार उसकी जाँच करायेगी ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

जी हाँ। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सिसवा बाजार (गोरखपुर) के भवन की मरम्मत तथा लिंक रोड बनाने हेतु वर्ष 1973 में रु0 1,42,000 के आगणन के विरुद्ध रु0 45,100 की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी। शासन को उपलब्ध सूचना के अनुसार उपर्युक्त कार्य प्रगति पर है। अतः जाँच कराने का प्रश्न नहीं उठता।

विष्णुपुरी, कालोनी अलीगंज, लखनऊ के लिए डायरेक्ट विद्युत् लाईन की मांग

*38—श्री राम सजीवन (जिला बाँदा) तथा श्री सुरेन्द्र पाल (जिला बांदा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विष्णुपुरी कालोनी कुर्सी रोड, अलीगंज लखनऊ के निवासियों के लिए लखनऊ पावर हाउस से डायरेक्ट विद्युत् लाइन जोड़ने की कोई योजना 1977-78 से विचाराधीन है ? यदि हाँ, तो अब तक उक्त कालोनी में विद्युत् लाइन न जोड़ने का क्या कारण है ? क्या सरकार उक्त कालोनी के निवासियों की

कठिनाइयों को देखते हुए लखनऊ पावर हाउस से डाइरेक्ट विद्युत् लाइन जोड़ने का आदेश देने की कृपा करेंगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रेवती रमण सिंह—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

विष्णुपुरी कालोनी के लिए लखनऊ पावर हाउस से डायरेक्ट विद्युत् लाइन बनाना सम्भव नहीं हैं ।

*39—श्री बाबू लाल विद्यार्थी—

[3रे शुक्रवार में तारांकित प्रश्न संख्या 9 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*40—श्री नरेश चन्द्र—

[3रे गुरुवार के लिए स्थगित]

*41—श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

[3रे गुरुवार के लिए स्थगित]

कानपुर नगर महापालिका में सोप स्टोन पर चुंगी की दर

42—श्री बाबूराम शुक्ल—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चुंगी विभाग द्वारा सोप स्टोन पर चुंगी किस दर से वसूल की जाती है ? क्या मन्त्री यह भी बतावेंगे कि कल्याणपुर (कानपुर) चुंगी चौकी पर दिनांक 4 दिसम्बर, 1978 ट्रक नं0 यू0एस0ए0 7464 जिस पर सोप स्टोन था तथा जिसकी चुंगी की रसीद नं0 8900/25 दी गयी है, किस दर पर चुंगी वसूल की गयी है ? इसी प्रकार ट्रक नं0 एच0आर0एस0 1715, जिस पर सोप स्टोन लदा हुआ था, उक्त चुंगी चौकी पर ही दिनाँक 8 जनवरी, 79 को रसीद नं0 9680/66 द्वारा कितनी चुंगी वसूल की गयी है ? क्या यह सत्य है कि उपयुक्त दोनों ट्रकों से दो रुपया प्रति क्विंटल चुंगी वसूल की गयी है जबकि शासकीय गजट नं0 4471-बी:11-6-270-72, उ0 प्र0, दिनाँक 27 अगस्त. 1976 के अनुसार सोप स्टोन पर चुंगी की दर केवल 50 पैसे प्रति क्विंटल है ? यदि हाँ, तो क्यों ?

श्री रामाधार पाण्डेय—

कानपुर महापालिका में सोप स्टोन पर चुंगी कर की दर 0.50 पैसे प्रति क्विंटल है ।

दिनाँक 4 दिसम्बर, 1978 को ट्रक नम्बर यू0एस0ए0 7464 पर सोप स्टोन नहीं बल्कि सेलम पाउडर लदा था जिसकी चुंगी दो रुपया प्रति कुन्तल की दर से ली गयी। दिनाँक 8 जनवरी, 1979 को ट्रक नम्बर एच0आर0एस0 1715 पर सफेद पत्थर की गिट्टी व चूरा लदा हुआ था जिसकी चुंगी दो रुपया प्रति कुन्टल की दर से ली गयी। यह सही है कि गजट संख्या 4471/बी/11-6-270-72 उ0 प्र0 दिनाँक 27 अगस्त, 1976 के अनुसार सोप स्टोन पर चुंगी की दर 0.50 पैसे प्रति कुन्टल है किन्तु उक्त दोनों ट्रकों पर सोप स्टोन नहीं लदा था, अतः 0.50 पैसे प्रति कुन्टल की दर से चुंगी लेने का प्रश्न नहीं उठता ।

*43—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

[3रे सोमवार में तारांकित प्रश्न संख्या 7 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*44—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

[29-8-78 को तारांकित प्रश्न संख्या 80 द्वारा उपस्थित]

बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए कथित योजना

*45—श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि प्रदेश के काम की गारन्टी देने के लिए इस दृष्टि से कोई योजना हाल में बनाई गयी है कि प्रत्येक वयस्क को रोजगार मिल जाय और प्रदेश में बेरोजगारी दूर हो ? यदि हाँ, तो उपरोक्त योजना क्या है और क्या उससे काम की गारन्टी प्रत्येक बालिग को मिल रही है ?

श्री क्रान्ति कुमार—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

*46—श्री शिवानन्द नौटियाल—

(मन्त्रि परिषद् में सम्मिलित हो जाने के कारण हटाया गया।)

अतारांकित प्रश्न

मेरठ मेडिकल कालेज में किए गए मृतकों के पोस्ट मार्टम

1—श्री मन्जूर अहमद—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जुलाई, 1977 से 20 सितम्बर, 1978 तक मेडिकल कालेज, मेरठ में कितने मृतकों का पोस्ट मार्टम हुआ है ? क्या मन्त्री जी मृतकों के नाम सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

मेडिकल कालेज, मेरठ में 1 जुलाई, 1977 से 20 सितम्बर, 1978 क 1405 मृतकों के पोस्ट-मार्टम हुये हैं। मृतकों के नामों की सूची संलग्न है।†

श्री डी०पी० सिंह, अधिशासी अभियन्ता, विद्युत् वितरण खण्ड, देवरिया के विरुद्ध शिकायती पत्र

2—श्री शारदा प्रसाद जायसवाल—

क्या विद्युत् मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अधिशासी अभियन्ता, विद्युत् (श्री डी0 पी0 सिंह) जनपद देवरिया के प्रति देवरिया के सदस्यों एवं जनता द्वारा भ्रष्टाचार से सम्बन्धित वर्ष 77–78 में कितनी शिकायतें विभाग की प्राप्त हुई हैं ? शिकायतें क्या हैं और क्या सरकार ने इस बारे में कोई जाँच कराई ? यदि हाँ, तो वह क्या है ?

श्री रेवती रमण सिंह—

श्री डी0 पी0 सिंह, अधिशासी अभियन्ता, विद्युत् वितरण खण्ड, प्रथम, देवरिया के विरुद्ध वर्ष 1977–78 में कुल 6 शिकायती पत्र प्राप्त हुये थे। शिकायतें एवं उन पर की गई कार्यवाही का विवरण संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 730–731 पर)

आपातकाल में विद्युत् विभाग के कर्मचारियों की सेवा समाप्ति

3—श्री प्रदीप कुमार यादव—

क्या विद्युत् मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आपात स्थिति के दौरान विद्युत् विभाग में कितने ऐसे कर्मचारी थे जिन्हें अनिवार्य रूप से सेवा निवृत्त कर दिया गया था और उनमें कितने को स्क्रीनिंग कमेटी की सिफारिश के आधार पर और कितनों को वगैर स्क्रीनिंग किए हुए सेवा निवृत्त किया गया ? उनके विरुद्ध क्या कोई अभियोग थे ? यदि ऐसा था तो

---

†छापी नहीं गई।

क्या प्रशासनिक कार्यवाही द्वारा उन्हें तथाकथित अभियोग के विरुद्ध बचाव या स्पष्टीकरण का अवसर प्रदान किया गया था ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रवती रमण सिंह--

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

वाराणसी, मेरठ, आगरा मण्डलों में शराब व भांग के ठेकेदारों पर बकाया लाइसेन्स फीस और ठेकेदारों की माली हैसियत

4--श्री प्रदीप कुमार यादव--

क्या आबकारी मन्त्री कृपया बतायेंगे कि पहली अगस्त, 1978 को वाराणसी, मेरठ और आगरा मण्डलों में जिलावार वित्तीय वर्ष 1975-76, 1976-77 और 1977-78 की लाइसेन्स फीस का देशी व अंग्रेजी शराब व भांग के ठेकेदारों पर अलग-अलग कितना-कितना रुपया बाकी था ?

श्री रमा शंकर कौशिक--

विवरण संलग्न है ।

(देखिए नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 732 पर)

5--श्री प्रदीप कुमार यादव--

क्या ठेका देते समय इन बकायादार ठेकेदारों की माली हैसियत उनके ठेकों की कीमत के हिसाब से ठीक थी और नहीं तो ऐसे ठेकेदारों को ठेका देने की जिम्मेदारी किन अधिकारियों पर है और उनके खिलाफ बकाया धनराशि की वसूली के लिए क्या कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमा शंकर कौशिक--

जी हाँ ।

ठेका देते समय इन बकायादार ठेकेदारों की माली हैसियत उनके ठेकों की कीमत के हिसाब से ठीक समझी गयी थी । बकाया की वसूली के लिए जिला अधिकारियों द्वारा कार्यवाही की जा रही है ।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के कर्मचारियों के निरस्त किए गये स्थानान्तरण आदेश

6--श्री शिव प्रसाद (जिला आजमगढ़)--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि पहली अप्रैल, 1978 से 15 सितम्बर, 1978 तक चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के कितने कर्मचारियों व अधिकारियों के स्थानान्तरण किए गए थे उनमें से कितने संशोधित किए गए और कितने निरस्त किए गए हैं ? स्थानान्तरण सम्बन्धी पूर्व घोषित नीति में इस प्रकार की उदारता का क्या कारण है ?

श्री रमा शंकर कौशिक--

पहली अप्रैल, 1978 से 15 सितम्बर, 1978 तक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में 2073 अधिकारियों तथा 5099 कर्मचारियों के स्थानान्तरण किये गये थे, जिनमें से 202 अधिकारियों एवं 309 कर्मचारियों (आयुर्वेद के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को छोड़कर) के स्थानान्तरण संशोधित किये गये तथा 13 अधिकारियों एवं 186 कर्मचारियों (आयुर्वेद के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को छोड़कर) के स्थानान्तरण निरस्त किये गये थे । स्थानान्तरण आदेशों का यह संशोधन या निरस्तीकरण केवल प्रशासकीय आधार पर या अनुकम्पा के कारण अपरिहार्य स्थिति में किया गया न कि स्थानान्तरण संबंधी पूर्व घोषित नीति में उदारता के कारण ।

श्री रवीन्द्र नाथ गुप्ता, उप खण्ड अधिकारी विद्युत्, गजरौला, मुरादाबाद के वेतन का निर्धारण

7—श्री मंगल राम प्रेमी (जिला बिजनौर)—

क्या विद्युत् मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि श्री रवीन्द्र नाथ गुप्ता, उप खंड अधिकारी प्रथम 132 के0 वी0 सब-स्टेशन गजरौला (जिला मुरादाबाद) का वेतन सन् 1969 से अब तक चार या पाँच बार पुनरावृत्त (रिवाइज्ड) हो चुका है किन्तु वेतन का निर्धारण अभी तक किसी भी स्तर पर नहीं किया गया है जिससे उक्त अधिकारी को वित्तीय एवं अन्य सेवा सुविधाओं की लगातार हानि हो रही है ? क्या यह सही है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में उक्त अधिकारी की धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल गुप्ता का प्रार्थना-पत्र प्रश्नकर्ता द्वारा अपने संस्तुति पत्र दिनाँक 27 अगस्त, 1977 के साथ तथा उसका स्मारक दिनाँक 8 दिसम्बर, 1977 को विद्युत् मंत्री जी को प्रेषित किया जा चुका है ? यदि हाँ, तो उक्त सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री रेवती रमण सिंह—

श्री रवीन्द्र नाथ गुप्ता को अवर अभियन्ता के काल की सेवा पुस्तिका बदायूं खंड में खो गई थी जोकि पुनः बनवाई गई है और संबंधित खंडों की प्रविष्टियाँ पूरी कराई जा रही है। इस कारण श्री गुप्ता का वेतन निर्धारण पुनरावृत्त वेतनमानों में नहीं हो पाया है। सेवा पुस्तिका के पूरा होते ही उनका वेतन निर्धारण कर दिया जायगा। श्रीमती निर्मल गुप्ता का प्रश्न में संदर्भित कोई प्रार्थना पत्र परिषद् में प्राप्त नहीं हुआ है।

नगरपालिका एवं नगर महापालिका के कर्मचारियों के स्थायीकरण की मांग

8—श्री गजाधर प्रसाद (जिला बहराइच)—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जब से नगरपालिका एवं महापालिका की कुछ सेवायें केन्द्रीय सेवा के अन्तर्गत ली गयी हैं, कितने कर्मचारी अब तक स्थाई किये जा चुके हैं ? यदि 1966 से अब तक किसी अधिकारी, कर्मचारी को स्थाई नहीं किया गया है तो उसका क्या कारण है तथा कब उन्हें स्थाई किया जायेगा ? क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीयित सेवा तथा उसमें के कर्मचारियों के लिये सेलेक्शन ग्रेड का प्राविधान है ? यदि हाँ, तो लागू क्यों नहीं किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इस विषय में कोई निर्णय लेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामाधार पाण्डेय—

(क) स्थायीकरण के विषय पर वाँछित सूचना एकत्र की जा रही है।

(ख) केन्द्रीयित सेवा के सहायक नगर अधिकारियों, अधिशासी अभियन्ता (श्रेणी–1) को तथा सेनेटरी इन्सपेक्टरों को सेलेक्शन ग्रेड देने का प्राविधान है। चूंकि सहायक नगर अधिकारी/अधिशासी अधिकारी (श्रेणी–1) के पदों पर कार्यरत सभी अधिकारी (केवल एक को छोड़कर) स्थानापन्न रूप से अथवा अस्थाई। तदर्थ रूप से कार्यरत हैं और उनकी ज्येष्ठता अभी निर्णीत नहीं है इस कारण सेलेक्शन ग्रेड नहीं दिया जा सका।

(ग) सेनेटरी इन्सपेक्टरों को सेलेक्शन ग्रेड देने का प्राविधान शासनादेश दिनांक 26 फरवरी, 1979 के अन्तर्गत कर दिया गया है। इस आदेश के अनुसार पात्र व्यक्तियों को सेलेक्शन ग्रेड शीघ्र ही अनुमन्य किया जायेगा।

गोरखपुर तथा वाराणसी मण्डलों का नवसृजित टाउन एरियाओं के बख्शियों के वेतन का भुगतान

9—श्री शारदा प्रसाद जायसवाल—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मण्डल गोरखपुर, वाराणसी में नव सृजित नगर क्षेत्र समितियों के बख्शियों की जो नियुक्ति की गई है उन बख्शियों को आज तक

जिलाधिकारियों द्वारा वेतन न देने तथा कोषागार में टाउन फन्ड कोष खोले जाने एवं साधारण अनुदान जो शासन द्वारा वर्ष 1978–79 में दिया गया है टाउन फन्ड में ट्रांसफर आज तक न कराने का कारण क्या है ?

श्री रामाधार पाण्डेय—

गोरखपुर मण्डल की स्थिति निम्न प्रकार है:—

नवसृजित टाउन एरियाओं में करों के लगाने में बिलम्ब होने तथा करों की वसूली में समय लगने के कारण कुछ बख्शियों के कुछ समय के वेतन भुगतान में विलम्ब हुआ। जैसे-जसे इन नगर क्षेत्र समितियों की आय बढ़ती जायेगी और कर वसूल होते जायेंगे, वैसे-वैसे वेतन भुगतान का कार्य सामान्य हो जायेगा। गोरखपुर तथा देवरिया जिले की नवसृजित टाउन एरियाओं में 1978–79 में प्राप्त साधारण सड़क अनुदान सम्बन्धित टाउन एरियाओं के खाते में ट्रान्सफर हो चुका है। बस्ती जिले की तेतरी बाजार तथा बढ़नी बाजार टाउन एरियाओं का कोषागार में खाता खोलने का प्रस्ताव महालेखाकार के विचाराधीन है सड़क अनुदान के उपयोग की अवधि शासन न बढ़ा दी है। आजमगढ़ जिले की नव सृजित टाउन एरियाओं को 1978–79 में प्राप्त साधारण सड़क अनुदान टाउन फण्ड में हस्तान्तरित कर दिया गया। गोरखपुर में ऐसी कोई नई टाउन एरिया नहीं है।

वाराणसी मण्डल के जौनपुर तथा बलिया जिलों में कोई नवसृजित टाउन एरिया नहीं है। वाराणसी जिले की नवसृजित टाउन एरियाओं में बख्शियों के वेतन की स्थिति वही है जो ऊपर बताई जा चुकी है। इस जनपद की नवसृजित टाउन एरियाओं को वर्ष 1978–79 में जिला सड़क अनुदान टाउन फण्ड में जमा कर दिया गया। मिर्जापुर जिले में केवल दुद्धी नवसृजित टाउन एरिया है। यहां वेतन का भुगतान हो रहा है तथा सड़क अनुदान फण्ड में जमा हो चुका है। गाजीपुर जिले की जंगीपुर तथा गहमर दो नवसृजित टाउन एरिया हैं। जंगीपुर में बख्शी का वेतन नियमित रूप से दिया जा रहा है किन्तु गहमर में धनाभाव के कारण वेतन वितरित नहीं हो पाया। इन दोनों टाउन एरियाओं में 1978–79 में स्वीकृत अनुदान टाउन फण्ड में जमा कर लिया गया है।

राज्य विद्युत् परिषद के विभिन्न खण्डों के क्षतिग्रस्त ट्रान्सफार्मरों का मूल्य

10—श्री सुखपाल पाण्डेय—

क्या विद्युत् मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य विद्युत् परिषद् उत्तर प्रदेश, लखनऊ के विभिन्न खंडों में एक करोड़ रुपये से अधिक का ट्रांसफार्मर खराब है ? यदि हां, तो कितने रुपये के ट्रांसफारमर खराब है ? किन-किन कम्पनियों से क्रय किये गये हैं ? जो ट्रांसफारमर खराब हैं क्रय करते समय, उनके चालू रहने की गारन्टी कितने-कितने वर्ष के लिये थी ? जो गारन्टी के पहले खराब हो गये उन ट्रांसफारमर का क्लेम सम्बन्धित कम्पनी से किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रेवती रमण सिंह—

जी हां।

दिनांक 30 जून, 1978 को विभिन्न क्षमता के खराब ट्रांसफारमरों की कीमत लगभग 16.82 करोड़ थी।

ये ट्रांसफारमर देश विदेश में स्थित विभिन्न कम्पनियों से खरीदे गये।

सामान्यतः गारन्टी की अवधि ट्रांसफार्मर की खरीद की तिथि से 18 महीने अथवा चालू किये जाने की तिथि से 12 महीने, जो भी पहले हो पूरी हो जाय, थी।

दिनांक 30 जून, 1978 की स्थिति में जो 638 ट्रांसफार्मर गारन्टी अवधि में खराब थे उनमें से 618 ट्रांसफार्मरों को सम्बन्धित कम्पनियों से निःशुल्क मरम्मत कराने हेतु कार्यवाही प्रगति पर है तथा अन्य 20 मामलों में भी कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

चीनी मिलों के शीरे की नीलामी एवं उसका विश्लेषण

11—श्री सोहनवीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)—

क्या आबकारी मन्त्री कृपया बतायेंगे कि स्टेट शुगर कारपोरेशन लिमिटेड की मिलों द्वारा गत चार पिराई सत्रों में कुल कितना शीरा खराब होने के कारण नीलाम किया गया ? किस-किस चीनी मिल में यह नीलाम शीरे के खराब होने का विश्लेषण कराये बगैर कर दिया था ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

77,841.25 कुन्तल ।

प्रदेश के किसी भी चीनी मिल में संदर्भगत नीलाम शीरे के खराब होने का विश्लेषण कराये बगैर नहीं किया गया है ।

बाराबंकी जिले के ग्राम तूलीपुर की हरिजन बस्ती का विद्युतीकरण

12—श्री मसूदल हसन नोमानी (जिला बाराबंकी)—

क्या विद्युत् मन्त्री कृपया बताने का कष्ट करेंगे कि ग्राम तूलीपुर मजरे पंजरौला न्याय पंचायत भवानीपुर ददरौली, ब्लाक दरियाबाद, जिला बाराबंकी में हरिजन बस्ती में बिजली लगाने के लिए दिनांक 19 जुलाई, 1978 तथा 18 अगस्त, 1978 को श्री मु0 इफहाम हाशिमी ने प्रार्थना-पत्र अविशासी अभियन्ता, अनुरक्षण खंड (विद्युत्) बाराबंकी को प्रेषित किया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रेवती रमण सिंह—

ग्राम तूलीपुर की हरिजन बस्ती के विद्युतीकरण हेतु श्री मु0 इफहाम हाशिमी का एक प्रार्थना पत्र दिनांक 18-8-1978 को प्राप्त हुआ था ।

ग्राम तूलीपुर का हरिजन बस्ती के विद्युतीकरण राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा इस सम्बन्ध में निर्धारित नीति के अन्तर्गत सम्भव पाये जाने की दशा में इस हरिजन बस्ती के विद्युतीकरण हेतु आदेश दे दिये गये हैं । आशा है कि ग्राम तूलीपुर की हरिजन बस्ती का विद्युतीकरण मार्च, 1978 के अन्त तक कर दिया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ जिले की स्वास्थ्य निरीक्षिकाओं का स्थानान्तरण

13—श्री सूरज प्रसाद (जिला शाहजहांपुर) तथा श्री विजयराज सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया इस प्रश्न पर विचार करेंगे कि लखनऊ जनपद में पांच वर्ष से अधिक समय से कार्यरत ऐसी स्वास्थ्य निरीक्षिकाओं जिनके पति लखनऊ में सरकारी सेवा में नहीं हैं, को स्थानान्तरित करके शासनादेश संख्या 19 (1) 1976-कार्मिक-1, दिनांक 5 जनवरी, 1976 के अनुपालन में ऐसी स्वास्थ्य निरीक्षिकाओं (जिनके प्रार्थना-पत्र मातृ एवं शिशु कल्याण निदेशालय, लखनऊ में लम्बित हैं) को लखनऊ में सेवा करने का अवसर दिया जायेगा, जिनके पति लखनऊ में सरकारी सेवा में सेवारत हैं ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

यथासम्भव प्रयास किया जायेगा ।

14—श्री पूरन चन्द्र—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया।]

अलीगढ़ जिले की नगरपालिका सिकन्दराराऊ की सड़कों, नालियों व जल-कल की व्यवस्था के सम्बन्ध में पत्र

15—श्री नेम सिंह चौहान—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री को जानकारी है कि सिकन्दराराऊ नगरपालिका (अलीगढ़ जनपद) की समस्त सड़कों, नालियों व नगर की जल-कल तथा विद्युत् व्यवस्था अत्यन्त शोचनीय है ? क्या क्षेत्रीय विधायक ने मन्त्री महोदय को इस विषय में कोई ज्ञापन गत वर्ष दिया ? यदि हां, तो नगर की दयनीय अवस्था को सुधारने की क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामाधार पाण्डेय—

माननीय विधायक का पत्र दिनांक 21-8-78 को प्राप्त हुआ था जिसमें सिकन्दराराऊ में सड़क, विद्युत्, जल तथा सफाई की व्यवस्था के सम्बन्ध में शिकायत की गई थी। जिसके सम्बन्ध में नगरपालिका सिकन्दराराऊ द्वारा निम्न कार्यवाही की गई है:—

सड़क व नालियों के निर्माण हेतु नगरपालिका सिकन्दराराऊ (अलीगढ़) द्वारा टेन्डर मांगे गये थे जिनमें से कुछ स्वीकृत हो चुके हैं और शेष के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है। जल व्यवस्था के सुधार हेतु एक नया नलकूप नगरपालिका सिकन्दराराऊ द्वारा निर्मित कराया गया है जिससे जनता को पानी अच्छे दबाव से उपलब्ध हो रहा है। इसके अतिरिक्त एक अन्य नलकूप पर नया पम्प अधिष्ठित किया जा रहा है। इस प्रकार वर्तमान में पानी की व्यवस्था संतोषजनक है। वित्तीय वर्ष 1978-79 में प्रकाश व्यवस्था सुचारुरूप से चलाने हेतु पालिका द्वारा 1550 बल्बों को लगवाया गया है। नगर में पुराने ट्यूब-लाइट्स को बदलने की व्यवस्था की जा रही है।

लखनऊ जिले की स्वास्थ्य निरीक्षिकाओं के स्थानान्तरण का कथित आदेश

16—श्री छेदी लाल (जिला गोंडा)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि इस समय लखनऊ जनपद में जो स्वास्थ्य निरीक्षकायें सेवारत हैं, वह प्रत्येक कितने-कितने वर्षों से लखनऊ में सेवारत हैं तथा इस अवधि में प्रत्येक के कब-कब और कहां-कहां के लिए स्थानान्तरण आदेश हुये तथा वे आदश कार्यान्वित हुये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

सूचना संलग्न है।

संलग्न सूची में उल्लिखित स्वास्थ्य निरीक्षिकाओं का लखनऊ जनपद में उनके योगदान की तिथि से स्थानान्तरण नहीं किया गया। अतः उनके स्थानान्तरण आदेश कार्यान्वित न होने का प्रश्न नहीं उठता।

(देखिए नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 733 पर)

अतिरिक्त निदेशक एवं राज्य परिवार कल्याण अधिकारी, लखनऊ के विरुद्ध शिकायती पत्र

17—श्री रामेश्वर नाथ चौबे (जिला बरेली)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री को जानकारी है कि नवम्बर तथा दिसम्बर, 1978 में अतिरिक्त निदेशक एवं राज्य परिवार कल्याण अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के आदेश संख्या प0क0/चार-बजट-24/76-77-44515-90, दिनांक 17 अक्तूबर, 1978 के सन्दर्भ में कुछ माननीय सदस्यों के शिकायती पत्र शासन तथा सम्बन्धित अधिकारियों को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उनके तथ्य क्या हैं तथा इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

सूचना एकत्र की जा रही है।

जल निगम के सीतापुर स्थिति स्टोर में सीमेंट की कमी

18—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जल निगम के सीतापुर स्थित स्टोर में सितम्बर 1978 में अथवा उसके आस-पास इस आशय की जानकारी मिली कि माल कम है ? यदि हाँ, तो वास्तविकता क्या है ? दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बनारसी दास—

जी हाँ।

सीतापुर नगर में स्थित जल निगम के गोदाम की जाँच करने पर 36 बोरी सीमेन्ट कम पाई गई।

सम्बन्धित अवर अभियन्ता को दिनांक 6 मार्च, 1979 को पूर्वाह्न से निलम्बित कर दिया गया है तथा मामले की विस्तृत जाँच की जा रही है।

फैजाबाद की तहसील बीकापुर में महिला अस्पताल के निर्माण की मांग

19—श्री श्रीराम द्विवेदी—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री को इसकी जानकारी है कि फैजाबाद जनपद में बीकापुर तहसील केन्द्र पर 5 लाख की आबादी पर कोई महिला चिकित्सालय नहीं है क्या शासन के समक्ष उक्त स्थान पर महिला चिकित्सालय खोलने का प्रश्न विचाराधीन है ? यदि हाँ, तो यह चिकित्सालय कब तक खुल जाने की सम्भावना है ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

जी हाँ। फैजाबाद जनपद की बीकापुर तहसील के मुख्यालय पर महिला चिकित्सालय नहीं है। जी हाँ, बीकापुर तहसील के मुख्यालय पर एक महिला एलोपैथिक चिकित्सालय की स्थापना के आवश्यक औपचारिक शासनादेश निर्गत कर दिये गये हैं।

नगरपालिका, सिकन्दराराऊ में तालाबों की स्वच्छता की मांग

20—श्री नेम सिंह चौहान—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि सिकन्दराराऊ नगरपालिका के विचाराधीन नगर के अन्दर स्थित तालाबों व अन्य गन्दे स्थलों को स्वच्छ बनाने की कोई योजना है ? यदि नहीं, तो क्या माननीय मन्त्री जी इस नगर में नगरपालिका की अच्छी आय तथा राजकीय सहायता से इस कार्य को सम्पादित कराने की कृपा करेंगे ?

श्री रामाधार पाण्डेय—

नगरपालिका, सिकन्दराराऊ के अन्दर स्थित तालाबों को स्वच्छ बनाने की कोई योजना नगरपालिका के विचाराधीन नहीं है। नगरपालिका क्षेत्र के अन्दर 7 तालाब हैं जो कई व्यक्तियों की निजी सम्पत्ति है। इन तालाबों की सफाई हेतु पालिका बजट में कोई प्राविधान नहीं है और न ही इसके निमित्त पालिका को राजकीय सहायता स्वास्थ्य शासन के बजट के अधीन प्रदान की जा सकती है। नगर में अन्य कोई गन्दे स्थल नहीं है।

नगरपालिका, सीतापुर की सीवर योजना

21—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर नगरपालिका में सीवर बिछाने के लिए सर्वेक्षण करने हेतु आवश्यक शुल्क जल निगम के पास काफी दिन पूर्व जमा कर दिये जाने के बाद भी अब तक सर्वेक्षण का कार्य प्रारम्भ न करने का कारण क्या है तथा सर्वेक्षण का कार्य कब तक पूरा कर दिया जायगा ?

श्री बनारसी दास—

सीतापुर जलोत्सारण योजना की अनुमानित लागत लगभग 286 लाख रु0 आँकी गई जिसका विरचन शुल्क लगभग 11.5 लाख रू0 होता है। नगरपालिका सीतापुर ने दो किश्तों में विरचन शुल्क के रूप में मई, 1977 तथा जुलाई, 1978 में क्रमशः 10 हजार तथा 75 हजार रु0 और इस प्रकार कुल 85 हजार रु0 जमा किया है।

नगरपालिका, सीतापुर में सीवर योजना का क्रियान्वयन 3 खन्डों में सम्पन्न किया जायेगा। सीवर बिछाने हेतु सर्वेक्षण का कार्य नवम्बर, 1977 में ही प्रारम्भ कर दिया गया था। प्रथम खंड का सर्वेक्षण कार्य पूर्ण हो चुका है। द्वितीय खंड का सर्वेक्षण कार्य चल रहा है जिसके अप्रैल, 1979 तक पूर्ण हो जाने की आशा है। तृतीय खंड के सर्वेक्षण का कार्य दिसम्बर, 1979 तक पूर्ण किये जाने की सम्भावना है।

विद्युत् कर्मचारियों की हड़ताल

22—श्री शारदा प्रसाद जायसवाल—

क्या विद्युत् मन्त्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 8 दिसम्बर, 1978 से विद्युत् कर्मचारियों द्वारा की गयी हड़ताल से काश्तकारों के ट्यूबवेल पर विद्युत् आपूर्ति न होने से जो रबी की क्षति हुई है उसका मुआवजा देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रेवती रमण सिंह—

दिनांक 8-12-1978 से 20-12-1978 तक विद्युत् कर्मचारियों द्वारा की गई हड़ताल के बावजूद भी काश्तकारों के नलकूपों पर विद्युत् अपूर्ति की निरन्तरता कायम रखने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गयी थी और उन्हें रबी फसल की क्षति से बचाने का हर सम्भव प्रयास किया गया था। यदि किन्हीं काश्तकारों को विद्युत् आपूर्ति में कुछ अल्पकालिक असुविधा हुई हो तो वह उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् के नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों में हुई होगी, जिसके लिये उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् को उत्तरदायी ठहराने या उनके द्वारा मुआवजा दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, टांडा फैजाबाद हेतु एक्सरे मशीन की मांग

23—श्री अब्दुल हफीज (जिला फैजाबाद)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि फैजाबाद जनपद के टान्डा प्राथमिकता स्वास्थ्य केन्द्र हेतु वर्ष 1978 में एक्स-रे मशीन की स्वीकृति हो चुकी है ? यदि हाँ, तो अब तक क्यों नहीं लगाई गई ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

उक्त केन्द्र के लिए एक्स-रे मशीन की स्वीकृति नहीं हुयी है। अतः मशीन लगाने का प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर के भैरवघाट पर इलेक्ट्रिक शवदाह गृह का निर्माण

24—श्री बाबूराम शुक्ल—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर महानगर में भैरवघाट पर इलेक्ट्रिक शवदाह गृह बनाया जा रहा है ? यदि हाँ, तो शव दाह गृह बनाने में अभी और कितना समय लगेगा ? उक्त शवदाह गृह बनाने में कुल कितना रुपया खर्च करने का प्राविधान है ?

श्री रामाधार पाण्डेय—

जी हाँ।

शवदाह गृह बन कर तैयार होने में लगभग 5 महीने का समय लगने की सम्भावना है। इस योजना का अनुमानित व्यय 13.50 लाख रुपये है।

25–26—श्री ईश्वर प्रसाद—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]।

टाण्डा के बिजली कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायत

27—श्री अब्दुल हफीज—

क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि 26 अक्तूबर, 1978 अपने टान्डा दौरे के समय टान्डा बिजली कर्मचारियों के विरुद्ध जो प्रमाणित भ्रष्टाचार की शिकायत जनता ने की थी उन कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रेवती रमण सिंह—

दोषी पाये गये कर्मचारियों के विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा विभागीय कार्यवाही की जा रही है एवं उनका टान्डा से स्थानान्तरण भी कर दिया गया है।

फैजाबाद की टाण्डा तहसील में जनता योजना के अन्तर्गत ग्रामों का विद्युतीकरण

28—श्री अब्दुल हफीज—

क्या विद्युत् मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि फैजाबाद जनपद में टाँडा तहसील के ग्रामीण क्षेत्रों में जनता कनेक्शन योजना के अन्तर्गत कितने ग्रामीणों को विद्युत् कनेक्शन का लक्ष्य वर्ष 1978–79 में है और अब तक कितने ग्रामों को विद्युत् कनेक्शन दिये गये हैं ? क्या यह सत्य है कि टाँडा तहसील के ग्राम उतरेथू, मनुहारी, ढलमऊ, सुरापुर आदि में खम्भे और तार लग चुके हैं और अब तक कनेक्शन नहीं दिये गये ? यदि हाँ, तो क्यों ?

श्री रेवती रमण सिंह—

जनता कनेक्शन योजना के अन्तर्गत विद्युत् कनेक्शन प्रदान करने के कोई लक्ष्य वर्ष 1978–79 के लिए निर्धारित नहीं किये गये हैं। इस योजना के अन्तर्गत विद्युतीकरण ग्रामों में हरिजनों, भूमिहीन मजदूरों एवं सीमान्त कृषकों को कनेक्शन देने का प्राविधान है तथा जिन व्यक्तियों द्वारा कनेक्शन हेतु समस्त औपचारिकतायें पूरी कर दी जाती हैं उनको कनेक्शन दिये जा रहे हैं।

जनता कनेक्शन योजना के अन्तर्गत ग्रामों का विद्युतीकरण करने का प्रश्न नहीं उठता। अन्य योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 1978–79 में अब तक फैजाबाद जनपद में कुल 13 ग्रामों का विद्युतीकरण किया जा चुका है जिनमें से तीन टाँडा तहसील के अन्तर्गत आते हैं।

मऊहारी व सूरापुर ग्रामों का विद्युतीकरण क्रमशः 30–3–1977 व 7–8–1978 को किया जा चुका है। ढेलमऊ तथा उतरेथू ग्रामों के विद्युतीकरण हेतु निर्माण कार्य अभी शुरू नहीं किया गया है।

मऊहारी व सूरापुर ग्रामों में जनता कनेक्शन योजना के अन्तर्गत क्रमशः एक व पाँच पंखा, बत्ती के कनेक्शन दिये जा चुके हैं तथा कोई भी अन्य मामला ऐसा नहीं है जिसमें संबंधित व्यक्तियों ने समस्त औपचारिकतायें पूरी कर दी हों और कनेक्शन दिया जाना हो। ढेलमऊ तथा उतरेथू ग्राम अभी विद्युतीकृत नहीं हैं। अतः इनमें कनेक्शन दिये जानेका प्रश्न नहीं उठता।

डुमरियागंज, बस्ती के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में जाली के लिए स्वीकृत धनराशि और कर्मचारियों के विद्युत् बिलों का भुगतान

29—श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ (जिला बस्ती)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र डुमरियागंज, बस्ती में वर्ष 1977–78 में अस्पताल के दरवाजों में जाली लगाने के लिए लगभग 2,000 रुपया निकाला गया, परन्तु जाली नहीं लगाई गई जिसकी जांच संयुक्त निदेशक, गोरखपुर मण्डल ने किया है और रुपये का गोलमाल साबित हुआ है ? यदि हाँ, तो दोषी व्यक्ति कौन-कौन से हैं और उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

30—श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ—

क्या जाँच के समय संयुक्त निदेशक ने यह भी पाया कि कर्मचारियों के घरों में बिजली का भुगतान हर माह सरकारी मद से किया जाता रहा है और कर्मचारियों से हर माह उसका पैसा भी वसूला गया है ? यदि हाँ, तो सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमाशंकर कौशिक—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

31—श्री पूरन चन्द्र—

[14-12-78 को अतारांकित प्रश्न संख्या 24 द्वारा उत्तरित] ।

आगरा नगर महापालिका के ग्राम गढ़ी बंगस-बहड़ मार्ग का निर्माण

32—श्री रघुवर दयाल वर्मा—

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद आगरा की महापालिका, आगरा के कक्ष ताजगंज के ग्राम गढ़ी बंगस को बहड़ से जाने को मार्ग नहीं है ? यदि हाँ, तो महापालिका उक्त ग्राम के विकास के लिए ताजमहल से सड़क का निर्माण करायेगी तथा बिजली की रोशनी व पानी पीने के कुओं का निर्माण तुरन्त करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामाधार पाण्डेय—

जी हाँ । इस मार्ग का निर्माण लगभग रु0 69,000 की अनुमानित लागत पर किया जा रहा है और कार्य प्रगति पर है ।

बिजली की व्यवस्था करना धनाभाव के कारण अभी संभव नहीं है ।

नगर महापालिका द्वारा कुओं का निर्माण नहीं कराया जाता अतएवं वहाँ कुआं बनवाने का कोई कार्यक्रम नहीं है ।

आगरा जनपद के फिरोजाबाद क्षेत्र के नलकूपों का विद्युत् कनेक्शन

33—श्री रघुबर दयाल वर्मा—

क्या विद्युत् मन्त्री बतायेंगे कि जनपद आगरा के क्षेत्र फिरोजाबाद के कितने काश्तकारों के नलकूप कनेक्शन का एग्रीमेन्ट वर्ष 1977-78 से जल विद्युत् परिषद् से हुआ और क्या उनको वर्ष 1977-78 में उनके नलकूपों पर लाइन खींच कर बिजली दे दी गई और नलकूप चालू हो गए ? यदि नहीं, तो अब तक कितनो को एग्रीमेन्ट पर बिजली देना शेष है और कितने प्रार्थना-पत्र विचाराधीन है ?

श्री रेवती रमण सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

विद्युत् वितरण खण्ड, नारायण बगड़, जिला चमोली के पेट्रोलमैन, श्री भगवती प्रसाद खेमवाल का स्थानान्तरण

34—श्री पूरन चन्द्र (जिला अल्मोड़ा)—

क्या विद्युत् मन्त्री को ज्ञात है कि राज्य विद्युत् परिषद् वितरण खंड, नारायण बगड़, जिला चमोली में पेट्रोलमैन के पद पर कार्यरत श्री भगवती प्रसाद खेमवाल का स्थानान्तरण पेट्रोलमैन के पद के वेतन-क्रम से नीचे वेतन-क्रम के पद पर श्री खेमवाल के फर्जी हस्ताक्षर बनाकर कराया गया ? क्या विद्युत् मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि श्री खेमवाल द्वारा इस सम्बन्ध में शिकायत करने पर इस फर्जी प्रार्थना-पत्र के सम्बन्ध में कोई छानबीन की गई ? यदि हाँ, तो उसका क्या नतीजा रहा तथा दोषी व्यक्ति के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी तथा श्री खेमवाल को क्या उनके पेट्रोल मैन के पद पर नियुक्त किया गया ?

श्री रेवती रमण सिंह—

जी नहीं, श्री भगवती प्रसाद खेमवाल, पेट्रोलमैन का स्थानान्तरण उनके प्रार्थना-पत्र के आधार पर ही समान वेतनमान के पद पर किया गया था। श्री खेमवाल की शिकायत यह थी कि एक सादे कागज पर कथित व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षर करवा कर उनका स्थानान्तरण चालाकी से पेट्रोलमैन के पद से आयलर पद पर करवा दिया गया। इस संबंध में उन्होंने सक्षम न्यायालय के समक्ष अभियोग भी प्रस्तुत किया था जो दिनाँक 9–11–76 को खारिज कर दिया गया। दिनाँक 4–1–1977 से श्री खेमवाल स्वयं लापता है अतएव न तो दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही ही सम्भव हो रही है और न उनका पेट्रोलमैन के पद पर पुनरस्थापना।

प्रदेश में बिजली का उत्पादन

35—श्री हुकम चन्द्र तिवारी (जिला मथुरा)—

क्या विद्युत् मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जुलाई, 1977 से दिसम्बर, 1978 तक कुल कितनी बिजली प्रदेश में उत्पन्न हुई तथा उसका कितने प्रतिशत किसानों को दिया गया तथा कुल किसानों को दी गयी बिजली का कितना राजस्व वसूल हुआ ?

श्री रेवती रमण सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

गोरखपुर जिले के ग्राम सोफड़ा के श्री राम प्यारे शुक्ल द्वारा विद्युत् कनेक्शन हेतु जमा धन राशि की वापसी

36—श्री शारदा प्रसाद जायसवाल—

क्या विद्युत् मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के सिसवा ब्लाक के ग्राम सभा सोफड़ा के श्री राम प्यारे शुक्ल को 10 हा0 पा0 लोड नलकूप के लिए 1972–73 में स्वीकृत किया गया था जमानत की धनराशि जमा करके विभाग से अनुबन्ध हुआ था किन्तु उपभोक्ता को 1977 तक लाइन नहीं दी गयी ? क्या प्रश्नकर्त्ता ने भी वर्ष 1977 में तथा दिनाँक 4 जुलाई, 1978 को लाइन उखाड़ने व जमानत वापस करने के लिए लिखा था जिसके सन्दर्भ में अधीक्षण अभियन्ता, गोरखपुर का डी0 ओ0 नं0 एच–1/जी0 एच0 ए0–71सी–1 (जी0 के0 पी), दिनाँक 12 जुलाई, 1978 प्राप्त हुआ था ? उस पर आज तक कार्यवाही न करने का कारण क्या है ?

श्री रेवती रमण सिंह—

श्री राम प्यारे शुक्ल को 7.5 हा0 पा0 नलकूप कनेक्शन हेतु स्वीकृति दिनाँक 11–12–1973 को दे दी गयी थी तथा श्री शुक्ल ने जमानत तथा सर्विस लाइन की व्यय की धनराशि जमा करके दिनाँक 10–1–1974 को अनुबन्ध कर लिया था। श्री शुक्ल द्वारा बी0 एल0 फार्म जमा न करने की स्थिति में उन्हें कनेक्शन नहीं दिया गया।

माननीय सदस्य ने दिनाँक 4–7–78 को लिखा था कि श्री राम प्यारे शुक्ल द्वारा जमा की गयी धनराशि वापिस कर दी जाय। यह पत्र अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत् वितरण मण्डल, गोरखपुर ने अर्ध शासकीय पत्र संख्या 12216–एच (जी)/एच0 ए0–7/सी–1/जी0 के0 पी0, दिनाँक 12–7–1978 द्वारा आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता को भेजा था।

श्री राम प्यारे शुक्ल द्वारा कनेक्शन हेतु जमा की गयी धनराशि में से लाइन उखाड़ने का व्यय समायोजित करके शेष धनराशि दिनाँक 11–1–1979 को उनको वापस कर दी गयी है।

37—श्री शारदा प्रसाद जायसवाल—

[28–12–78 को तारांकित प्रश्न संख्या 4 द्वारा उत्तरित]

सीतापुर जिले के ब्लाक रामपुर, मथुरा तथा महमूदाबाद के ग्रामों का विद्युतीकरण

38—श्री राम नरायन वर्मा (जिला सीतापुर)—

क्या विद्युत् मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रामपुर, मथुरा तथा महमूदाबाद ब्लाक, जनपद सीतापुर में आर0ई0 सी 0 (ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजना) के अन्तर्गत 1973 में कोई योजना सरकार के विचाराधीन थी ? यदि हाँ, तो आज तक इस योजना से कितने गाँव लाभान्वित हुये हैं तथा विद्युत् विभाग ने आज तक कितनी धनराशि इस पर व्यय किये हैं ?

श्री रेवती रमण सिंह—

जी नहीं। सीतापुर जनपद के रामपुर, मथुरा व महमूदाबाद ब्लाक में ग्रामीण विद्युतीकरण योजना फरवरी, 1976 में स्वीकृत की गई थी।

13 (तेरह) गाँवों का विद्युतीकरण दिसम्बर, 1978 के अन्त तक किया जा चुका है।

इस योजना के अन्तर्गत किये गये कार्यों पर दिसम्बर, 1978 के अन्त तक रु0 4.587 लाख का व्यय किया जा चुका है।

श्री ए० पी० सिंह, अवर अभियन्ता, विद्युत् उप खण्ड, बलरामपुर के विरुद्ध शिकायती-पत्र

39—श्री दीपनरायन (जिला गोंडा)—

क्या विद्युत् मन्त्री यह का बताने का कष्ट करेंगे कि गोंडा जनपद के विद्युत् वितरण खंड बलरामपुर डिवीजन के अवर अभियन्ता (श्री ए0 पी0 सिंह) के विरुद्ध 15 जून, 1978 से आज तक अनियमित कार्य, घूसखोरी, फर्जी मस्टर रोल इत्यादि के सम्बन्ध में विद्युत मन्त्री, मुख्य मंत्री को तथा अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खंड, बलरामपुर को तथा विद्युत् सचिव को तथा अध्यक्ष विद्युत परिषद् को कितने शिकायती-पत्र प्राप्त हुये हैं ? आरोपों की जाँच किस अधिकारी द्वारा करायी गयी तथा कार्यवाही क्या की गयी ? यदि नहीं, तो क्या सरकार सम्बन्धित अवर अभियन्ता के विरुद्ध सतर्कता अधिष्ठान द्वारा जाँच करायेगी ?

श्री रेवती रमण सिंह—

श्री ए0 पी0 सिंह, अवर अभियन्ता ग्रामीण विद्युतीकरण उपखण्ड चतुर्थ, बलरामपुर के विरुद्ध विद्युत् मंत्री जी को सम्बोधित माननीय सदस्य महोदय का पत्र दिनाँक 17-11-78 को प्राप्त हुआ था। पत्र में उल्लिखित आरोपों की जाँच खण्ड अधिकारी, बलरामपुर द्वारा कराई गई किन्तु आरोप सिद्ध नहीं हो पाये।

श्री मुर्तजा हुसैन खां, ग्राम देवरिया, बुद्धू खां, जिला देवरिया के वेतन का भुगतान

40—श्री कृष्णा राय (जिला देवरिया)—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 1230/9-5-78/105-सी-178, स्वायत्त शासन अनुभाग-3, लखनऊ, दिनाँक 22 मार्च, 1978 पर जो कि श्री मुर्तजा हुसैन खां, ग्राम देवरिया, बुद्धू खां, पो0 बेलवा बाजार, जिला देवरिया को सम्बोधित था, शासन द्वारा कोई निर्णय लिया गया ? यदि हाँ, तो क्या निर्णय लिया गया और नहीं, तो कब तक निर्णय लिये जाने की सम्भावना है ?

श्री बनारसी दास—

जी हाँ। श्री हुसैन खां की सेवा पुस्तिका पूर्ण करा कर उनके वेतन के अवशेषों का भुगतान किया जा चुका है। उनके द्वारा जुलाई, 1966 से मार्च, 1968 तक की गई सेवा को उनकी अक्तूबर, 1969 में की गई नई नियुक्ति के सेवाकाल में जोड़ा जाना सम्भव नहीं है।

41—श्री बाबूराम शुक्ल—

[5वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 42 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका कन्नौज के विरुद्ध शिकायती-पत्र

42—श्री राम लाल अहेरवार (जिला फर्रुखाबाद) तथा श्री बाबू राम शुक्ल—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद फर्रुखाबाद, तहसील व शहर कन्नौज के अधिशासी अधिकारी के भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं के सम्बन्ध में माह जुलाई अगस्त, सितम्बर, 1978 में कितने शिकायती प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये तथा अब तक उन पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामाधार पाण्डेय—

माह जुलाई, अगस्त एवं सितम्बर, 1978 के बीच अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका कन्नौज के विरुद्ध 4 शिकायती-पत्र प्राप्त हुये। जिलाधिकारी, फर्रुखाबाद द्वारा शिकायतों की जांच करायी जा रही है।

विद्युत् विभाग, प्रतापगढ़ में की गयी कुलियों की नियुक्ति

43—श्री हरी राम वर्मा (जिला फैजाबाद)—

क्या विद्युत मन्त्री कृपया बतायेंगे कि श्री महेन्द्र कुमार शर्मा, अधिशासी अभियन्ता, प्रतापगढ़ ने अप्रैल, मई, जून, सन् 1978 में कुलियों की नियुक्तियां की हैं ? यदि हां, तो कितने ? मस्टर रोल में कार्यरत श्रमिकों को वरिष्ठता सूची के आधार पर नियुक्त किया गया है ? यदि हां, तो वरिष्ठता सूची किस अधिकारी ने बनाई थी तथा नियुक्तियों में आरक्षण के आधार पर कितने किन जातियों के हैं ?

श्री रेवती रमण सिंह—

जी हां। कुल 12 कुलियों की नियुक्तियां मस्टर रोल में कार्यरत कर्मचारियों में से की गई जिनका आधार वरिष्ठता नहीं था, क्योंकि मस्टर रोल में कार्यरत श्रमिकों की कोई वरिष्ठता सूची नहीं बनाई जाती है। उक्त 12 कुलियों में से 3 अनुसूचित जाति, 3 पिछड़ी जाति तथा 6 अन्य जातियों के हैं।

नगर महापालिका, लखनऊ द्वारा निर्मित भवनों के आवंटियों के नाम पते सहित सूची

44—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा तथा श्री रामजी—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री कृपया नगर महापालिका, लखनऊ द्वारा निर्मित विभिन्न कालोनियों के उन भवनों की एक सूची उनके वास्तविक आवंटियों के नाम, पद और पते के साथ सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे जिन पर वास्तविक आवंटी के अतिरिक्त अन्य लोगों का अवैध कब्जा है, या जो लगातार वर्षों से बन्द पड़े हैं और वास्तविक आवंटी स्थायी रूप से बाहर चला गया है ?

श्री रामाधार पाण्डेय—

ऐसी सूची बनाने के लिए नगर महापालिका और विकास प्राधिकरण के तीन हजार से ऊपर भवनों के सर्वेक्षण के आदेश प्रशासक, नगर महापालिका द्वारा 26-2-1979 को दिये जा चुके हैं।

45—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा तथा श्री रामजी—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री लखनऊ महानगर की आवासीय समस्या को देखते हुये ऐसे भवनों को शीघ्र खाली कराकर उनका आवंटन विधिवत् ऐसे लोगों के नाम करने की कृपा करेंगे जिन्हें वास्तव में भवन की आवश्यकता है और जिनके प्रार्थना-पत्र आवंटन हेतु महापालिका के विचाराधीन पड़े हैं ?

श्री रामाधार पाण्डेय—

जी हां।

46—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा तथा श्री रामजी—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री महापालिका, लखनऊ के भवनों में रहने वाले उन लोगों की एक सूची मय नाम, पद और पते के सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी जो स्वयं महापालिका के भवन में रहते हैं और अपने नाम, अपनी पत्नी के नाम व बच्चों के नाम लखनऊ शहर में ही स्वयं का भवन बनवा लिए हैं, जो किराये पर चलता है ?

श्री रामाधार पाण्डेय—

ऐसी सूची तैयार करने के लिए नगर महापालिका और विकास प्राधिकरण के भवनों के सर्वेक्षण के आदेश प्रशासक, नगर महापालिका, लखनऊ द्वारा 26–2–1979 को दिए जा चुके हैं।

47—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा तथा श्री रामजी—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री ऐसे लोगों से महापालिका भवन खाली कराने की कृपा करेंगे जिनके स्वयं या पत्नी अथवा बच्चों के नाम इसी शहर में कोई अन्य अपना भवन भी है। यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

श्री रामाधार पाण्डेय—

जी हां। सूची बन जाने के उपरान्त ऐसी कार्यवाही करना सम्भव होगा।

लखनऊ, नगर महापालिका की कालोनियों के भवनों में अवैध कब्जा से सम्बन्धित मुकदमा

48—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा तथा श्री रामजी—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नगर महापालिका, लखनऊ की कालोनी लारस टरेस के भवन संख्या बी–20, सी–10, ए–9, ई0–1 तथा पार्क लेन के भवन संख्या 13 एवं पेपर मिल कालोनी के भवन संख्या एफ 2/6 इस समय (नवम्बर सन् 1978 तक) वास्तव में किसक नाम आवंटित है, और इनमें किन लोगों का वास्तविक आवासीय कब्जा ह और कैसे ?

श्री रामाधार पाण्डेय—

विवरण संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ 734 पर)

49—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा तथा श्री रामजी—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जून सन् 1977 से नवम्बर सन् 1978 तक न0 म0 प0, लखनऊ ने अवैध कब्जे से सम्बन्धित कुल कितने मुकदमे किन-किन भवनों पर चलाये और कितने फसले महापालिका के पक्ष म हुये और कितने विरुद्ध ? क्या किन्हीं भवनों का मुकदमा महापालिका केवल इसलिये हार गई कि महापालिका के वकील तारीख पर हाजिर नहीं हुये ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री रामाधार पाण्डेय—

जून, 77 से नवम्बर, 78 तक अवैध कब्जे से संबंधित 23 मुकदमें दाखिल किये गए जो इस समय भी न्यायालय के विचाराधीन हैं। कोई भी वाद वकील के तारीख पर उपस्थित न होने के कारण महापालिका नहीं हारी है।

50—श्री बाबू राम शुक्ल—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

राज्य विद्युत् परिषद का बकाया विद्युत् शुल्क

51—श्री रघुबर दयाल वर्मा—

क्या विद्युत मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश की कुल जल विद्युत परिषद को वर्ष 1976–77 और वर्ष 1977–78 में कुल कितनी आय हुई ? क्या जल विद्युत परिषद का धन उपरोक्त वर्षों में उपभोक्ताओं पर बकाया रहा ? यदि हां, तो वह धन कितना है ? क्या इस बकाया धन की अधिकांश राशि उद्योगपतियों पर बकाया है ? यदि हां, तो उसके वसूल करने को सरकार ने क्या कदम उठाये ह ?

श्री रेवती रमण सिंह—

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद को वर्ष 1976–77 में कुल 192.41 करोड़ रु0 एवं 1977–78 में कुल 76.28 करोड़ रु0 की आय हुई ।

जी हां उपभोक्ताओं पर बकाया धनराशि 31–3–77 को 72.66 करोड़ रु0 तथा 31–3–78 को 72.40 करोड़ रु0 थी ।

उद्योगपतियों पर 22.91 करोड़ रु0 की धनराशि मार्च, 1978 तक बकाया थी जिस के विरुद्ध निम्नलिखित कदम उठाये गये :—

1—जिन बकायेदार उपभोक्ताओं के मामलों में न्यायालयों द्वारा कनेक्शन काटने के विरुद्ध स्थगन आदेश नहीं हैं उनके कनेक्शन काटे जा रहे हैं ।

2—औद्योगिक उपभोक्ताओं को बकाया धनराशि को किश्तों में भी भुगतान करने की सुविधा प्रदान की गई ।

3—उन मामलों में जहां उपभोक्ताओं ने बकाया धनराशि का भुगतान समयानुसार नहीं किया था एवं जो पुराने बकायेदार थे बकाया धनराशि को भू राजस्व की तरह वसूल करने के लिए वसूली प्रमाण पत्र जिलाधिकारियों को प्रेषित किये गये ।

4—जिन औद्योगिक उपभोक्ताओं के बकायों की वसूली के विरुद्ध न्यायालयों के स्थगन आदेश थे उनमें स्थगन आदेशों को निरस्त करने एवं विवादग्रस्त मामलों को निपटाने के सक्रिय प्रयास किये जा रहे हैं ।

गोरखपुर जिले के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के कर्मचारियों के उचन्त खाते की धनराशि का भुगतान

52—श्री रवीन्द्र सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वर्ष 1976, 1977, 1978 मे गोरखपुर जनपद के स्वास्थ्य चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग के कितने अधिकारी व कर्मचारी सेवा निवृत्त हुये ? तथा सेवा निवृत्त कर्मचारियों के उचन्त खाते की धनराशि का भुगतान कर दिया गया ? यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है ? सरकार शीघ्र भुगतान कराने के सम्बन्ध में क्या कदम उठा रही है ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

वर्ष 1976–77 एवं 1978 में गोरखपुर जनपद में स्वास्थ्य चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग के तीन अधिकारी एवं 26 कर्मचारी सेवा निवृत्त हुये । इनमें से तीन अधिकारियों तथा चार कर्मचारियों को उनके उचन्त खाते की धनराशि का भुगतान किया जा रहा है । शेष कर्मचारियों के उचंत खाते के यथाशीघ्र भुगतान करने के लिये संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये जा रहे हैं ।

गोरखपुर जिले के विकास क्षेत्र, पिपरौली के ग्रामों के विद्युतीकरण की मांग

53—श्री रवीन्द्र सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि विगत कई वर्षों से पिपरौली विकास क्षेत्र, जिला गोरखपुर के छपिया भीटी उर्फ खोरिया, बांसपार, तेनुवा आदि गांवों के काश्तकारों ने बिजली लगाने के लिए रुपया जमा किया है ? क्या इन गांवों में सरकारी ट्यूबवेल भी लगा है ? जिस के लिए वहां बिजली गई हुई है ? यदि हां, तो अब तक बिजली न देने का क्या कारण है तथा इसे कब तक लगा दिया जायेगा ?

श्री रेवती रमण सिंह—

ग्राम भीटी (उर्फ खोरिया) व तेनुआ में केवल पंखा बत्ती के कनेक्शन हेतु क्रमशः 36 व 3 प्रार्थना पत्र 'अर्नेस्ट मनी' की रु0 25 की धनराशि के साथ प्राप्त हुये हैं। ग्राम बाँसपार व छपिया में अभी तक कनेक्शन हेतु एक भी प्रार्थना पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

ग्राम भीटी (उर्फ खोरिया) तथा छपिया प्रत्येक में एक-एक राजकीय नलकूप है जो क्रमशः मई 1977 व नवम्बर, 1977 में अर्जित किये गये थे। ग्राम बाँसपार व तेनुआ में अभी तक कोई भी राजकीय नलकूप अर्जित नहीं किया गया है।

ग्राम तेनुआ व बाँसपार का विद्युतीकरण "न्यूनतम", आवश्कता प्रोग्राम (एम0 एन0पी0) के अन्तर्गत आर0 ई0 सी0 से स्वीकृत योजना के अन्तर्गत किया जाना था। ग्राम तेनुआ का विद्युतीकरण दिनाँक 26-10-1978 को किया जा चुका है तथा ग्राम बाँसपार के विद्युतीकरण के संबंध में आरम्भिक कार्यवाही शुरू कर दी गयी है।

ग्राम भीटी (उर्फ खोरिया) तथा छपिया आर0 ई0 सी0 से स्वीकृत ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में सम्मिलित नहीं हैं। इनका विद्युतीकरण सामान्य योजना के अन्तर्गत विद्युतीकरण पर आने वाली कुल लागत पर कनेक्शन हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रों के आधार पर 15 प्रतिशत राजस्व प्रतिलाभ उपलब्ध होने की दशा में ही किया जा सकता है। वर्तमान स्थिति में ग्राम छपिया में कोई भी प्रार्थना पत्र प्राप्त न होने तथा ग्राम भीटी (उर्फ खोरिया) में प्राप्त 36 प्रार्थना पत्रों के आधार पर समुचित राजस्व प्रतिलाभ होने की दशा में इन ग्रामों के विद्युतीकरण किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

54—श्री रवीन्द्र सिंह—

[3रे मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 42 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

अल्मोड़ा जिले की ग्राम सभा घेटी में मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र की स्थापना की मांग

55—श्री पूरन चन्द्र—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि दिनाँक 21 जनवरी, 1978 को ग्राम सभा घेटी, पी0 ओ0 भिलकोट, जिला अल्मोड़ा का प्रस्ताव उक्त ग्राम सभा में मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र खोलने के लिए प्रश्नकर्ता की संस्तुति सहित प्रस्तुत किया गया था ? जिसमें निःशुल्क भूमि ग्रामवासियों द्वारा विभाग को देने का अनुरोध भी किया गया था ? यदि प्राप्त हुआ तो उनमें क्या कार्यवाही हुई ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

जी हाँ।

प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के अन्तर्गत आठ उपकेन्द्र खोले जाते हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गरुड़-बैजनाथ, जिसके अन्तर्गत ग्राम सभा घेंटी है, में पहले से ही आठ उपकेन्द्र कार्यरत हैं। अतएव ग्राम घेंटी में अतिरिक्त केन्द्र खोलना सम्भव नहीं है। यदि सम्बन्धित क्षेत्र विकास समिति किसी वर्तमान उपकेन्द्र को ग्राम सभा घेंटी को स्थानान्तरण करने का प्रस्ताव पारित करें तो उस पर विचार किया जा सकता है।

फैजाबाद जिले में अस्पताल निर्माण की मांग

56—श्री जय शंकर पाण्डेय—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबद जिले में कितने ऐलोपैथिक, आयुर्वेदिक तथा होम्योपैथिक अस्पतालों का निर्माण विचाराधीन है और कौन-कौन से स्थानों पर ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

फैजाबाद जनपद में सम्प्रति सामान्यतया किसी भी ऐलोपैथिक, आयुर्वेदिक अथवा होम्योपैथिक अस्पताल का निर्माण विचाराधीन नहीं है परन्तु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मियाँव एवं अकबरपुर में 24 शैय्या वाले संयुक्त अस्पताल का निर्माण कार्य हो रहा है।

फैजाबाद जिले के ग्राम मड़ना के अस्पताल का निर्माण

57—श्री जय शंकर पाण्डेय—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि अयोध्या चुनाव क्षेत्र के अन्तर्गत पूरा ब्लाक में सुदूरवर्ती ग्राम मड़ना में एलोपैथिक अस्पताल की कोई योजना विचाराधीन है ? यदि है, तो कब तक पूरी हो जाने की सम्भावना है ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

जी हाँ, प्रश्नगत ग्राम सड़ना में एक चार शैय्यायुक्त पुरुष एलोपैथिक अस्पताल की स्थापना संबंधी आवश्यक औपचारिक आदेश निर्गत कर दिए गए हैं ?

58—श्री राम दत्त जोशी—

[2 रे मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 77 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

नई बाजार, भदोही, वाराणसी का प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

59—श्री ऊदल—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् 1965 में स्थान नई बाजार, ब्लाक भदोही, तहसील ज्ञानपुर, जिला वाराणसी में प्रा0 स्वास्थ्य केन्द्र की इमारत बना ली गयी है, जिस पर दो लाख रुपये खर्च किया गया और अस्पताल में चल रहा था ? क्या यह सत्य है कि भदोही ब्लाक की इमारत भदोही के पूरब नगर पालिका सीमा में बन गयी इसलिये अस्पताल को ट्रांस्फर कर दिया गया, अब वहाँ कोई स्टाफ नहीं रह गया है ? यदि हाँ, तो क्या भदोही के अन्तर्गत राजा बलवन्त सिंह अस्पताल, बीमा अस्पताल, श्रम हितकारी अस्पताल तथा नयी पी0 एच0 सी0 है ? ऐसी सूरत में क्या सरकार नयी बाजार में डाक्टर तथा दूसरे स्टाफ एवं दवाइयों को भेज कर अस्पताल को चालू करने पर विचार करेगी ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

ब्लाक भदोही, जिला वाराणसी के नई बाजार नामक स्थान पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का कोई भी भवन नहीं बना था, वरन वहाँ पर परिवार कल्याण केन्द्र का भवन बना था जिसमें प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अस्थायी रूप से कार्य कर रहा था।

भदोही ब्लाक के पास चौरी रोड पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का नया भवन बन जाने के पश्चात् केन्द्र को उस भवन में स्थानान्तरित कर दिया गया है और नई बाजार के भवन में परिवार कल्याण केन्द्र कार्य कर रहा है।

चूंकि एक विकास खन्ड में केवल एक ही प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने की प्रथा है, अतः नई बाजार में पुनः डाक्टर तथा अन्य स्टाफ नियुक्त करने का प्रश्न नहीं उठता।

60—श्री शिवानन्द नौटियाल—

[मंत्रि परिषद में सम्मिलित हो जाने के कारण हटाया गया]

स्वास्थ्य विभाग में अनुसूचित जाति कर्मचारियों की प्रोन्नति

61—श्री बिहारी लाल हंस—

क्या विधान सभा तृतीय सत्र 1978 के पहले गुरुवार दिनाँक 7 दिसम्बर, 1978 के लिए निर्धारित ताराँकित प्रश्न संख्या 47 के उत्तर के संदर्भ में क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि अनुसूचित जाति का कोई भी सदस्य विभागीय चयन समिति द्वारा पदोन्नति हेतु पात्र नहीं पाया गया ? यदि हाँ, तो क्या उन पदों पर दूसरे वर्गों के सदस्यों को पदोन्नति देने के लिए शासन के राष्ट्रीय एकीकरण अनुभाग से पूर्व अनुमति ली गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

विभागीय चयन समिति द्वारा प्रोन्नति हेतु अनुसूचित जाति के किसी अभ्यर्थी को पात्र न पाये जाने के परिणाम स्वरूप लोक हित में शासन से राष्ट्रीय एकीकरण अनुभाग द्वारा प्रसारित आदेश संख्या 65/2/69 रा0 एकी0, दिनाँक 8 मार्च, 1973 के अनुसार अन्य वर्ग के सदस्यों को तदर्थ रूप से प्रोन्नत किया गया है।

इटावा जिले के ग्राम मल्हौसी, याकूबपुर के विद्युतीकरण की मांग

62—श्री औसान सिंह—

क्या विद्युत मन्त्री की जानकारी है कि तहसील विधूना, जनपद इटावा के ग्राम मल्हौसी व याकूबपुर का विद्युतीकरण करने की योजना है ? क्या एक वर्ष से खम्भा व तार वहाँ पड़े हैं ? यदि हाँ, तो विद्युतीकरण का कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

श्री रेवती रमण सिंह—

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

बस्ती जिले के कतिपय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को औषधियों की आपूर्ति

63—श्री विश्वनाथ पाँडे (जिला बस्ती)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले के अन्तर्गत इटवा, खुनियाँव, तथा भनवापुर प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों से वर्ष 1978 के 1 जनवरी से लेकर 1 जनवरी, 1979 के बीच क्रमशः कितने रुपये की दवा प्रत्येक केन्द्रों पर अलग-अलग जिला मुख्यालय से वितरण हेतु भेजी गयी ? उक्त तीनों केन्द्रों पर अलग-अलग कितने रुपया का अन्य सामान दवा के अलावा भेजा गया ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

बस्ती जनपद के अन्तर्गत इटवा, खुनियाँव तथा भनवापुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को 1 जनवरी, 1978 से 1 जनवरी, 1979 तक जिला मुख्यालय से वितरण हेतु उनके सामने अंकित मूल्य की औषधियों एवं अन्य सामान भेजे गये हैं :—

क्रम संख्या	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का नाम	दवायें (रुपये में)	अन्य सामान (रुपयों में)
1	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, इटवा ..	20130–50	4574–25
2	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, खुनियाँव ..	26643–44	4228–25
3	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, भनवापुर ..	22722–71	3906–25

राजकीय नलकूपों को दिए गए विद्युत कनेक्शन

64—श्री श्रीराम द्विवेदी—

क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1977–78 में कुल कितने राजकीय नलकूपों को विद्युत कनेक्शन दिये गये ? क्या प्रदेश में 1,000 से ऊपर राजकीय नलकूप इस समय बनकर तैयार हैं? यदि हाँ, तो इन राजकीय नलकूपों को कब तक विद्युत कनेक्शन दिया जायेगा ?

श्री रेवती रमण सिंह—

वर्ष 1977–78 में 837 राजकीय नलकूपों को कनेक्शन दिये गये।

जनवरी, 1979 तक राज्य विद्युत परिषद को केवल 649 राजकीय नलकूपों के बी0 एल0 फार्म प्राप्त हुये। इनमें से 200 नलकूपों को दिनाँक 31–3–1979 तक तथा शेष 449 नलकूपों को 30 जून 1979 तक कनेक्शन दिया जाना सम्भव हो सकेगा।

रोजगार कार्यालय में पंजीकृत बेरोजगार

65—श्री रघुबर दयाल वर्मा—

क्या श्रम एवं रोजगार मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के रोजगार कार्यालयों में कितने बेरोजगारों के नाम वर्ष 1975–76, 1976–77, और 1977–78 में दर्ज हुए और उनमें से कितनों को रोजगार उपलब्ध कराया जा सका तथा सरकार ने बेरोजगारों को काम देने के लिए कौन-कौन सी योजनायें बनाई हैं ? वह योजना क्या हैं ?

श्री क्रान्ति कुमार—

उत्तर प्रदेश के रोजगार कार्यालयों में वर्ष 1975–76, 1976–77 और 1977–78 में क्रमशः 9,17,003, 10,17,049 एवं 9,90,210 बेरोजगारों के नाम पंजीयन किये गये और उनमें से क्रमशः 43,702, 52,743 व ,49,990 अभ्यर्थियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया।

विकास के रूप को श्रम प्रधानता की दिशा देते हुये कृषि, सिंचाई, लघु उद्योगों व शिक्षा कार्यक्रमों को वरीयता देकर और विकास की गति को बढ़ाकर शिक्षित बेरोजगारी सहित बेरोजगारी कम करने का प्रयास किया जा रहा है।

विद्युत् प्रखण्ड, मिर्जापुर के अवर अभियन्ता श्री दिनेश सिंह व श्री दुबे सहायक स्टोर कीपर के विरुद्ध शिकायती पत्र

66—श्री ईश्वर प्रसाद (जिला मिर्जापुर)—

क्या विद्युत मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर के अन्तर्गत श्री दिनेश सिंह, अवर अभियन्ता वि0 प0, मिर्जापुर एवं श्री दूबे, सहायक स्टोर कीपर जि0 प्र0 उप खंड छबका (चतुर्थ) के लाखों रुपयों भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में दिनाँक 27 मार्च, 1978 से आज तक प्रश्नकर्त्ता तथा क्षेत्र की जनता एवं संबंधित कर्मचारी संघ ने कई बार आपके पास शिकायती पत्र भेजा है ? यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रेवती रमण सिंह—

जी हाँ, एक शिकायती पत्र प्राप्त हुआ था जिसकी जाँच पुलिस अधीक्षक, मिर्जापुर को सन्दर्भित की गई है। विभाग द्वारा शिकायतों की छानबीन के दौरान श्री दुबे, सहायक स्टोर कीपर के विरुद्ध लगाये गये आरोप सिद्ध नहीं हो पाये।

राबर्ट्सगंज विद्युत् विभाग कन्ट्रोल रूम के कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायती-पत्र

67—श्री ईश्वर प्रसाद—

क्या विद्युत मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर के अन्तर्गत राबर्ट्सगंज (सब-स्टेशन) विद्युत् विभाग कन्ट्रोल रूम से संबंधित श्री वी0 के0 शर्मा, एस0 डी0 ओ0 तथा श्री जे0 आर0 पाल, लाइन इन्सपेक्टर श्री आर0एन0 चतुर्वेदी, एस0 एस0 ए0 के भ्रष्टाचार एवं लापरवाही के सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता ने स्वयं दिनाँक 14 जून, 1978 से आज तक कई बार शिकायती-पत्र आपके पास भेजा ? उसमें अभी तक क्या कार्य वाही हुई? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रेवती रमण सिंह—

सर्वश्री वी0 के0 शर्मा, एस0 जी0 ओ0, जे0 आर0 पाल, लाइन इन्सपेक्टर, आर0 एन0 चतुर्वेदी एस0 एस0 ए0 जनपद मिर्जापुर राबर्ट्सगंज कन्ट्रोल रूम के विरुद्ध सदस्य महोदय का शिकायती पत्र प्राप्त हुआ । पत्र में लगाये गये आरोपों की जाँच कराई गई किन्तु आरोप सिद्ध नहीं हुए ।

प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

(श्री जनार्दन प्रसाद ओझा के पुकारे जाने पर)

श्री नेम सिंह चौहान (जिला अलीगढ़)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । मैंने एक प्रश्न किया था, सिकन्दराराऊ की नगरपालिका के विषय में, वह अतारांकित में भेज दिया गया । वहाँ से झूठी रिपोर्ट आई है, वहाँ की सड़कें खराब हैं । वहाँ जो प्रभारी अधिकारी हैं 300 रुपए से 1 हजार रुपए रोज कमाते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बिना इजाजत बोल रहे हैं ।

श्री नेम सिंह चौहान—

[* * * *]

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

इस तरह से मैं इजाजत नहीं देता हूं । यह लिखा नहीं जायगा ।

श्री नेम सिंह चौहान—

[* * * *]

श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती)—

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । मेरा यह प्रश्न है कि 16 करोड़, 82 लाख का. . . . .

श्री उपाध्यक्ष—

301 की सूचनाएं हो जाने दीजिए ।

श्री सुखपाल पाण्डेय—

[* * * *]

नोट—[***] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

(कई सदस्य खड़े होकर बोलने लगे)

श्री उपाध्यक्ष—

जो बिना इजाजत के बोल रहे हैं, वह लिखा नहीं जायेगा। श्री ओझा जी आप पढ़ें।

(श्री जनार्दन प्रसाद ओझा के खड़े होने पर)

श्री राम सागर (जिला बाराबंकी)—

मान्यवर, श्रीमती शारदा देवी के बाद मैं 4 बार खड़ा हुआ, मुझे इजाजत नहीं दी गयी।

श्री उपाध्यक्ष—

आप खड़े हुए होंगे, लेकिन मेरा ध्यान उधर नहीं गया।

गेहूं का समर्थन मूल्य निर्धारित न होने के कारण किसानों में व्याप्त असन्तोष के विषय को नियम 300 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से प्रदेश के किसानों में वर्तमान रबी विशेषतः गेहूं का समर्थन मूल्य न निर्धारित होने के कारण व्याप्त असन्तोष एवं व्यापक असमर्थता को माननीय सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं।

कृषि उत्पादित वस्तुओं का मूल्य जिस तेजी से गिर रहा है उससे किसानों में भय एवं चिन्ता व्याप्त हो गयी है। गेहूं बाजार में विक्रय हेतु आने वाला है, लेकिन अभी तक प्रदेश की सरकार ने कृषि मूल्य आयोग या केन्द्रीय सरकार के पास अपनी कोई संस्तुति नहीं भेजी। समाचार पत्रों से यह भी ज्ञात हुआ है कि केन्द्रीय सरकार शीघ्र ही कोई निर्णय लेने जा रही है। हरियाना, पंजाब प्रदेश ने ऊंचे मूल्य की माँग की है। किन्तु उत्तर प्रदेश सरकार चुप बैठी है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर माननीय सदन व सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए सदन स्थगित होने के पूर्व ही गेहूं की समुचित मूल्य की घोषणा की माँग करता हूं।

मान्यवर, अभी तक ऐसा होता रहा है कि सदन के उठने से पहले इस पर वक्तव्य हो जाता है। जो प्रदेश की सरकार है वह कदाचित केन्द्र सरकार के मूल्य आयोग को अपनी संस्तुति भेजती रही है। मान्यवर, मेरी सूचना के अनुसार यह सदन 27 तारीख को स्थगित हो जायगा और जैसा कि अखबारों से भी पता चलता है कि केन्द्र सरकार इस पर शीघ्र निर्णय करने जा रही है तो कृपया इस पर वक्तव्य दिलवा दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष—

आप अपना भाषण न दें। सरकार इसके बारे में घोषणा करेगी क्योंकि रबी का सीजन जो है उसमें कटाई प्रारम्भ हो गयी है और काश्तकार अपना गल्ला बाजार ले जायगा तो इसके सम्बन्ध में सरकार जो घोषणा करने जा रही है वह 27 मार्च के पहले कर देगी।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क (जिला मुरादाबाद)—

(श्री शफीकुर्रहमान को अपनी सूचना पढ़ने के लिए बुलाए जाने पर)

मान्यवर, मेरी दफा 51 में सूचना थी आप उसी में मन्जूर करें।

श्री उपाध्यक्ष—

51 में आपकी सूचना मुझे प्राप्त नहीं हुई है मुझे तो इसमें प्राप्त हुई है।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क—

मैंने दफा 51 में दी थी, 301 में नहीं। आप उसको देख लें। दफा 51 में ही आप उसको मन्जूर कर दें, बड़ा अहम मसला है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष—

लेकिन जो सूची है उसमें आपका नहीं है।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क—

सिर्फ दफा 51 में दिया है। उसको आपने अपने कक्ष में मन्जूर किया है।

श्री उपाध्यक्ष—

लेकिन सूचना मुझे नहीं मिली। मैं वक्तव्य दिलवा दूंगा। आप इसको पढ़िए।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

एक व्यवस्था का प्रश्न है, मान्यवर। मैं यह नहीं समझ सकता कि आपने सूचना 51 में दी है और आपने बुला लिया 301 में। तो यह मसला क्या है? आप इसको देखिए। बड़ा गम्भीर मामला है।

श्री उपाध्यक्ष—

श्री रियासत साहब आप बैठिए। मैंने इसको देख लिया है। मुझे यह 301 में मिला है।

श्री रियासत हुसैन—

तो क्या माननीय सदस्य ने 301 में दिया है?

श्री उपाध्यक्ष—

नहीं। यह हमारे कार्यालय की गलती है। और इसके लिए मुझे खेद है। 51 में आपने दी थी लेकिन वह शायद जल्दी में 301 में आ गयी।

श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, यह मसला बहुत ही गम्भीर और अहम है। इसे आप 51 में ले लीजिए।

श्री उपाध्यक्ष—

आप ऐसा करें, इसकी नोटिस आप दे दें क्योंकि एक दिन में एक ही होता है।

अब श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त पढ़ेंगे।

कानपुर में सामाजिक कार्यकर्ता श्री हरी गुप्त की हत्या के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, प्रदेश में निरन्तर बढ़ते हुए अपराध तथा उसकी रोकथाम के लिए जिम्मेदार पुलिस के अनियन्त्रित एवं शासकीय आदेशों से असन्तुष्ट होने से उत्पन्न विस्फोटक परिस्थिति आपके माध्यम से आदरणीय सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं।

मान्यवर, कल कानपुर में एक सामाजिक कार्यकर्ता श्री हरी गुप्त की निर्मम हत्या इसलिए कर दी गयी कि उनके मुहल्ले के कुछ लोग श्री गुप्त से इसलिए नाराज थे कि वह समाज के कमजोर वर्ग का पक्षधर था। उसने अपनी माँ से कुछ दिन पूर्व कह दिया था कि अनवरगंज थाने की पुलिस किसी भी दिन उसकी हत्या करवा सकती है और हत्या हो गयी।

स्थिति अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि जब पुलिस की कर्तव्यपालन में अकर्मण्यता के लिए उनके कुछ अधिकारियों को निलम्बित किया गया तो अनेक पुलिस जन शासन के आदेश के विरुद्ध भूख हड़ताल पर बैठ गये। पुलिस के इस आचरण से पुलिस बगावत के संकेत मिलते हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार अभी भी आन्दोलन समाप्त नहीं है। इस घटना से सम्पूर्ण प्रदेश में चिन्ता व्याप्त हो गयी है कि यदि पुलिस भी नियन्त्रण के बाहर होकर आन्दोलन करने लगे तो प्रशासन का क्या होगा।

अतएव श्री हरी गुप्त की हत्या, पुलिस जनों द्वारा की गयी अनुशासनहीनता तथा उसके निराकरण के लिए शासन द्वारा उठाए गए कदमों में माननीय गृह मन्त्री द्वारा सदन को अवगत कराना अविलम्बनीय महत्व का विषय बन गया है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मैं तत्काल वक्तव्य की आशा करता हूं।

मान्यवर, यह अत्यन्त गम्भीर मामला है। यदि पुलिस स्वयं बगावत करने लगे, हड़ताल करने लग जाय और शासकीय आदेशों की अवहेलना करने लगे तो काम नहीं हो सकता है। इसलिए मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं, मुख्य मन्त्री जी नहीं हैं लेकिन उप मुख्य मन्त्री जी बैठे हैं। आप निर्देश देने की कृपा करें आदरणीय सदन इस सम्बन्ध में तत्काल जानकारी चाहता है।

श्री उपाध्यक्ष—

इसमें तत्काल कार्यवाही करके शासन की तरफ से कोई वक्तव्य आ जायगा।

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी (जिला इलाहाबाद)—

मान्यवर, यह आइसोलेटेड घटना नहीं है। मुख्य मन्त्री जी गृह मन्त्रालय का कार्य, सम्भालते हैं वह आज पुलिस के वर्तमान असन्तोष के सम्बन्ध में इस सदन में वक्तव्य दें। आज पुलिस के अन्दर असन्तोष फैलता जा रहा है। आज पुलिस विद्रोह के कगार पर खड़ी होती जा रही है। राजनीतिक नेताओं द्वारा उनकी कार्यवाहियों में अनावश्यक हस्तक्षेप किया जा रहा है, गुण्डा तत्वों को जो राजनीतिक प्रश्रय दिया जा रहा है वह प्रदेश के सभी लोगों के लिए चिन्ता का विषय है।

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने निर्देश दे दिया है। शीघ्रातिशीघ्र इस सिलसिले में एक बयान गवर्नमेन्ट देगी। वह प्रयास करेंगे कि कल तक आ जाय।

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी (जिला फर्रुखाबाद)—

मान्यवर, यह बहुत गम्भीर मामला है।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप और समय न लें। मैंने निर्देश दे दिया है।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी—

कोई काम पुलिस नहीं कर रही है। थाने को घेरे हुई है। यह बहुत गम्भीर मामला है।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप इसके ऊपर समय न बढ़ावें।

जनपद आगरा के फिरोजाबाद में गन्दे पानी की निकासी के लिए नाले के निर्माण की मांग के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के सज्ञान में लाना

श्री रघुवर दयाल वर्मा (जिला आगरा)—

मान्यवर, जनपद आगरा के नगर फिरोजाबाद में वर्षा एवं गन्दा पानी को निकालने के लिए केवल एक नाला है जो फिरोजाबाद का क्षेत्रफल और आबादी को देखते हुए पानी की निकासी के लिए नाकाफी है जिससे सम्पूर्ण फिरोजाबाद की गलियां, नालियों एवं सड़कों पर गन्दा पानी भरा रहता है और मुख्य नाला गन्दे मिट्टी से भरा रहता है। पानी का बहाव बिल्कुल बन्द रहता है तथा पानी का आवागमन अवरुद्ध हो जाता है। महावीर नगर, करबला, पुरुषोत्तम नगर, नई बस्ती, जलेसर रोड आदि के पानी के निकलने का एक मात्र साधन नया नाला गांधी पार्क की ओर से पश्चिम की ओर सड़क के सहारे टापा नाले में सी0एल0जैन डिग्री कालेज के पास डाला जाय जो नगला बरी से पानी लेता हुआ इस नाले में गिरे तभी शहर के घनी आबादी के उपरोक्त मुहल्लों को अगली वर्षा के समय डूबने से बचाया जा सकेगा और उन्हें गन्दगी तथा पानी के सड़ांध से बचाया जा सकेगा।

[श्री रघुबर दयाल बर्मा]

शहर में नाले की घोर दुर्दशा के कारण और पानी भरे रहने से मक्खियों एवं मच्छरों का भयंकर प्रकोप हो गया ह तथा बीमारियां फैलने की आशंका बढ़ गयी है। उक्त नये नाले का निर्माण अगले दो महीनों में ही सम्भव है और इन्हीं दो महीनों में मुख्य नाले की सफाई सम्भव है। लेकिन इस समय न तो नालों का निर्माण ही कराया जा रहा है और न तो सफाई ही। इससे भयंकर बीमारी फैलने की आशंका से जन मानस दहल उठा है।

अतः आज मैं माननीय सदन में आपकी आज्ञा से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि शहर को गन्दगी एवं वर्षा बाढ़ से बचाने हेतु इस नये नाले का निर्माण तत्काल कराया जाय, पुराने नाले की सफाई कराई जाय और बीमारी से बचाव के लिए व्यापक पैमाने पर छिड़काव कराया जाय।

आपातकाल में निकाले गए कृषि अमीन एवं चपरासियों की पुनः नियुक्ति में अनियमितता के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री हरिकेवल प्रसाद (जिला देवरिया)—

मान्यवर, देवरिया जनपद में आपात काल के दौरान 350 कृषि अमीन एवं चपरासी सेवा मुक्त कर दिए गए जिसकी सेवा अवधि 3 साल से लगायत 18 साल की थी। शासन ने इस आशय का आदेश दिया है कि उपरोक्त सेवा मुक्त कर्मचारियों को उनकी योग्यतानुसार उन्हें जिले में रिक्त पदों पर प्राथमिकता के आधार पर नियुक्त किया जाय लेकिन देवरिया जनपद में इस आदेश की घोर अवहेलना की जा रही है। अभी हाल ही में देवरिया में कलेक्टरेट में संग्रह अधिष्ठान के अन्तर्गत अमीनों की नियुक्तियां हुई हैं परन्तु इन नियुक्तियों में भी शासनादेश सेवा मुक्त कृषि अमीन व चपरासियों के सेवा अवधि एवं योग्यता का नजरअन्दाज कर काफी कनिष्ठ उम्मीदवारों को भाई-भतीजा वाद के आधार पर अथवा भारी रकम लेकर नियुक्त कर लिया गया है।

इस प्रकार की जा रही अनियमिततायें एवं भ्रष्टाचार की तरफ मैंने भी शासन एवं राजस्व परिषद् का ध्यान आकर्षित कराया था लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गयी। सेवा मुक्त कृषि अमीनों तथा चपरासियों ने भी प्रशासन एवं शासन का दरवाजा खटखटाया लेकिन उन्हें चारों तरफ निराशा ही दिखाई दी। वे बाध्य होकर दिनांक 13-2-79 से जिला अधिकारी, देवरिया के आवास के सामने अनशन चला रहे हैं अब वे इसे शीघ्र ही सामूहिक आमरण अनशन में बदलने जा रहे हैं। इस स्थिति को देखकर जिले के सभी राज्य कर्मचारियों में क्षोभ एवं आक्रोष व्याप्त हो गया है जिससे समस्त राज्य कर्मचारियों ने इन अनशनकारियों के समर्थन में एक दो दिन के अन्दर ही समस्त कार्यालयों के काम को ठप कर देने की योजना बनाई है जिससे एक विषम परिस्थिति उत्पन्न होने की सम्भावना है।

अतः आज मैं इस लोक महत्व के प्रश्न पर माननीय सदन के संज्ञान में लाकर निम्नलिखित मांग करता हूं।

1—आपात काल के दौरान सेवा मुक्त समस्त कृषि विभाग के अमीन एवं चपरासियों को जिले के समस्त विभागों में रिक्त पदों पर योग्यता के अनुसार सेवा में तत्काल ले लिया जाय।

2—देवरिया में संग्रह अमीनों की भरती में शासनादेश का उल्लंघन कर भाई-भतीजा वाद के आधार पर की गयी नियुक्तियों को शीघ्रतिशीघ्र रद्द किया जाय तथा इसके जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ तत्काल कार्यवाही की जाय।

3—जब तक इन्हें सेवा में न ले लिया जाय तब तक नई नियुक्तियों पर रोक लगाया जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हरदोई जिले की बिलग्राम तहसील की जलालपुर, छिबरामऊ एवं बिरौरी विद्युत् लाइनो को चालू न किए जाने के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के सज्ञान में लाना

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)—

मान्यवर, हरदोई जिले की बिलग्राम तहसील के अन्तर्गत जलालपुर, छिबरामऊ एवं बिरौरी विद्युत् लाइनों को कई वर्षों पूर्व बिछवाया जा चुका है, लेकिन चालू न किए जाने से उक्त क्षेत्र के ग्रामीण अंचलों में परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। गत वर्ष 1978 में इसी सदन में, अक्तूबर, 1978 तक चालू कर दिए जाने का आश्वासन दिया गया था किन्तु आज तक कोई प्रगति नहीं हुई।

शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए उक्त लाइनों को अविलम्ब चालू किए जाने तथा दोषी अधिकारियों को दंडित किए जाने की मांग करता हूं।

राजस्थान व हरियाणा का पानी मथुरा जिले में आने से मथुरा में भयंकर बाढ़ एवं गर्की के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत संदन के सज्ञान में लाना

*श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

उपाध्यक्ष महोदय, मथुरा जिला इस प्रदेश में जो बिल्कुल सीमा पर बसा हुआ है। एक ओर हरियाणा की सीमा है, दूसरी ओर राजस्थान की सीमा है। राजस्थान व हरियाणा से हर वर्ष लगातार बीस-पचीस वर्ष से भयंकर नाले आने के कारण मथुरा व छाता तहसील हमेशा गर्की ग्रस्त होती रही है। शेष दो तहसीलें मांट व सादाबाद जमुना नदी के बीच में आने के कारण अपनी अलग समस्या रखती हैं। इन दोनों तहसीलों के भी सैकड़ों गांव हर साल गर्की व बाढ़ से जलमग्न होते रहे हैं। मथुरा जिले की प्राकृतिक व भौगोलिक बनावट ऐसी है कि यहां पर अपनी स्वयं की आपदा नहीं गरकी व बाढ़ की आपदा राजस्थान, हरियाणा तथा अलीगढ़ जिले से आने वाले कई भयंकर नाले जो ग्राम कोलाहार तथा मांट के पास आकर एक साथ पड़ते हैं। उनके कारण हर वर्ष स्थिति दयनीय होती है। वैसे पिछले साल से सिंचाई विभाग ने गर्की व बाढ़ के स्थायी हल करने के लिए काफी काम किया है। पर फिर भी समस्यों का पूरा समाधान अभी नहीं हुआ। जिसका परिणाम आने वाली वर्षा के समय ही सही पता लग सकेगा। विगत 25 वर्ष से पूरे जनपद की चारों तहसीलों में खरीफ की फसल का तो एक दाना कभी भी गर्की व बाढ़ के कारण हुआ ही नहीं है। रबी की फसल भी कभी समय से नहीं बोई जा सकी है। इसलिए रबी की फसल भी कभी एक दो साल को छोड़कर अच्छी नहीं हो पाई है। ग्राम नौह झील तथा मांट की तो भयंकर झील ही लगभग 10 हजार एकड़ उपजाऊ जमीन को जल प्लावित किए हुए हैं जिसका लगान किसान देते हैं और कभी पानी झील का निकलता नहीं है न जमीन बोई जाती है। इस वर्ष पूरे जनपद में गर्की व बाढ़ के अपने पुराने सभी रिकार्ड तोड़ दिए थे जिसे सरकार भलीभांति जानती है। खरीफ की फसल का एक दाना गर्की ग्रस्त क्षेत्र में हुआ ही नहीं। रबी की फसल भी बहुत देर से बोई गयी और अब फसल आने तक गांवों में खाने का अनाज तक नहीं है। सारे जिले के गांवों में अन्न व चारे की कमी से त्राहि-त्राहि मची हुई है। फिर भी प्रदेश सरकार के अमीन पुराना छः माहिनों का लगान व आबपाशी तथा अन्य ड्यूज एक साथ वसूल कर रहे हैं जिससे किसान इस नाजुक हालत में किसी प्रकार भी नहीं दे सकते हैं। अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि पूरे जनपद के गर्की व बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र में रबी की फसल आने तक समूची वसूली स्थगित करावें तथा हर सम्भव सहायता भूखी जनता की फिलहाल करें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कानपुर के अनवरगंज थाने के पुलिस कर्मचारियों द्वारा भूख हड़ताल की धमकी के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री रेवती रमण रस्तोगी (जिला कानपुर)--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस सदन का ध्यान दैनिक हिन्दी पत्र स्वतन्त्र भारत दिनाँक 22 मार्च, 1979 के मुख्य पृष्ठ पर छपे उस समाचार की ओर दिलाना चाहता हूं जो कानपुर के अनवरगंज थाने में पुलिस कर्मचारियों द्वारा भूख हड़ताल किए जाने के सम्बन्ध में है। मान्यवर, पुलिस कर्मचारियों द्वारा भूख हड़ताल किए जाने तथा आन्दोलन करने की धमकी बहुत ही खेद तथा चिन्ताजनक है। इससे सम्पूर्ण प्रान्त विशेषकर कानपुर नगर में आतन्क तथा भय व्याप्त हो गया है। लोग अपने को असुरक्षित अनुभव कर रहे हैं तथा असामाजिक तत्वों को बढ़ावा मिल रहा है और उनका मनोबल ऊंचा हो रहा है।

अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से माँग करता हूं कि सरकार तुरन्त इस विषय की ओर गम्भीर पग उठाकर बढ़ती हुई आग को दबाने की कृपा करे साथ ही सम्बन्धित मामले की न्यायिक जाँच कराने की भी कृपा करें।

सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश तथा इलाहाबाद की मेजा व करछना तहसीलों के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में राजस्व की वसूली में बर्बरता के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री गुरु प्रसाद (जिला इलाहाबाद)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान पूरे प्रदेश तथा खास तौर पर जनपद की इलाहाबाद की तहसील करछना और मेजा की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं।

इस वर्ष उक्त दोनों तहसीलों में बाढ़ एवं जलप्लावन से जो विनाश लीला हुई थी उससे एक ही जिला नहीं, पूरा प्रदेश प्रभावित था। बाढ़ के बाद अभी किसानों की कोई फसल तैयार नहीं हुई है और न मई महीने तक तैयार होने की सम्भावना ही है किन्तु राजस्व विभाग के कर्मचारी सम्पूर्ण राजकीय देयों की वसूली के लिए बर्बरता का रूप धारण कर प्रति दिन सैकड़ों किसानों को कुर्की, वारेन्ट द्वारा तहसील में बन्द कर रहे हैं।

मान्यवर, उनका कहना है कि हम लोगों को 31 मार्च तक तहसील को बेबाक करने का आदेश है। जबकि आज कल किसानों के लिए भोजन और पशुओं के लिए चारे की स्थिति संकटपूर्ण है। किसानों में घोर असन्तोष व्याप्त है और सरकार के प्रति निष्ठा के बजाय क्रूरता का वातावरण व्याप्त हो रहा है।

अतः मेरा अनुरोध है कि वर्तमान सरकार उस अंग्रेज सरकार के नियम 31 मार्च की अवधि को 30 जून में परिवर्तित कर किसानों की जबरन वसूली तत्काल रोक दें।

जनपद फर्रुखाबाद के तहसील कायमगंज के कतिपय ग्रामों में भूमि संरक्षण विभाग द्वारा मेड़ बन्दी में अनियमितता तथा वसूली के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री गिरीश चन्द्र तिवारी (जिला फर्रुखाबाद)--

मान्यवर, फर्रुखाबाद जनपद के कायमगंज तहसील के अन्तर्गत ग्राम गदनपुर चैन, अमलैया आशानन्द, बकसुरी में आज से लगभग 5 वर्ष पूर्व भूमि संरक्षण विभाग ने जमीन कोसमतल करने तथा मेड़बन्दी कर आश्वासन देकर भूमि संरक्षण का कार्य किया था। यह गाँव गंगाजी की तराई क्षेत्र और रेतीली जमीन में स्थित है। यह सारे गाँव पिछड़े क्षेत्र में हैं तथा अविकसित एवं अशिक्षित हैं। पाँच वर्ष के उपरान्त गाँव वालों से एक बहुत लम्बी रकम वसूलने के आदेश मिले हैं। उनकी वसूली की कीमत उनकी भूमि की भी कीमत से अधिक है। ग्रामवासी इस बात से सहमत हैं कि उनकी भूमि ले ली जाय किन्तु वह वसूली का धन देने में नितान्त असमर्थ हैं। उनका कहना है कि उनके गाँव में भूमि के

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सुधारने या समतल करने का काम उचित ढंग से नहीं हुआ है और विभाग ने भ्रष्टाचार फैला कर अधिक खर्च दिखाया है। दूसरे भूमि संरक्षण के नाम पर उनके खेतों के ऊपर उपजाऊ मिट्टी को काटकर खाली भूमि पर डाल दिया गया है जिसके कारण अधिकांश क्षेत्रों का उत्पादन भी अत्यन्त घट गया है। किसान दोहरी मार से पीड़ित हैं। एक तो उनके खेतों का उत्पादन घटा है, दूसरी ओर उनके ऊपर जबरिया वसूली हो रही है।

अस्तु शासन से अनुरोध है कि उन गाँवों में हुई भूमि संरक्षण विभाग द्वारा अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की खुली जाँच की जाय तथा उनकी वसूली रोक कर नये ढंग से वसूली के आदेश देने की कृपा की जाय।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् द्वारा जी०पी०ओ० पार्क में धरना तथा उनकी मांगों के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री रामजी (जिला आजमगढ़)---

महोदय, मैं आपका ध्यान नियम 301 के अन्तर्गत निम्न विषय पर सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं ---

शैक्षशिक समस्याओं के समाधान हेतु दिनांक 21 मार्च से विधान सभा भवन के पास जी0 पी0ओ0 पार्क में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् की ओर से धरना प्रारम्भ किया गया है।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश का पिछला तथा वर्तमान शैक्षिक वर्ष अराजकता और अव्यवस्था की स्थिति से गुजर रहा है। शिक्षण संस्थाओं को अनावश्यक बन्दी, सत्रों की अनियमितता, परीक्षा प्रकाशन में देरी, लम्बे समय तक चलने वाली परीक्षाएं, गुण्डागर्दी, अनावश्यक राजनैतिक हस्तक्षेप, अध्यापकीय व प्रति स्पर्धीय विद्यार्थी राजनीति ने शैक्षिक वातावरण को दूषित कर दिया गया वहीं पर समस्याओं के समाधान के लिए संवाद के अवसर के स्थान पर शोचनीय तरीकों का आश्रय लिया गया।

परिषद् के अन्दर अशान्ति के लिए मूलत: उच्च शिक्षा का विसंगतिपूर्ण ढांचा, छात्रों तथा प्रशासन के मध्य संवादहीनता, कार्य संचालन में सरकारी हस्तक्षेप, कुलपतियों की अक्षमता भी जिम्मेदार रही है।

उपर्युक्त परिस्थितियों में सुधार के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् द्वारा अपनी निम्न माँगों की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट करने के लिए धरना दिया जा रहा है ---

1---परीक्षा प्रणाली में सुधार।
2---शैक्षिक कैलेन्डर का प्रकाशन।
3---सत्रों की नियमितता।
4---परिसर में गुण्डा तत्वों के प्रति कड़ी नीति।
5---शिक्षा क्षेत्र में आचार संहिता का निर्माण।
6---विश्वविद्यालय विधेयक में परिवर्तन इत्यादि।

विद्यार्थी परिषद् के इस प्रदेश व्यापी धरना कार्यक्रम के कारण छात्रों और युवकों में आन्दोलन की भावना पनप रही है। विद्यार्थी परिषद् के इस धरना कार्यक्रम की ओर शासन ने यदि तुरन्त ध्यान नहीं दिया तो प्रदेश की छात्र युवा शक्ति जिसने लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में समग्र क्रान्ति के आन्दोलन के प्रथम पंक्ति में भाग लेकर देश में पनप रही तानाशाही की मनोवृत्ति को कुचल डाला वह अपनी अन्धकार मय अनिश्चित भविष्य को मंगलमय बनाने के लिए पुन: संघर्ष के मार्ग को अपनाने के लिए विवश होगी। अत: सरकार समय रहते चेते और छात्र युवा शक्ति की समस्याओं के निस्तारण हेतु अविलम्ब कदम उठाए।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सरकार से समझौते के बावजूद भी ट्रक मालिकों की मांगें पूरी न किए जाने के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री खान गुफरान जाहिदी (जिला फतेहपुर)--

उत्तर प्रदेश ट्रक आपरेटर फेडरेशन रजिस्टर द्वारा संचालित हड़ताल समाप्त करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने दिनांक 3 जनवरी, 1979 को फेडरेशन के प्रतिनिधियों से एक लिखित समझौता किया था। जिसके फलस्वरूप सम्पूर्ण मांगों को दिनांक 15 फरवरी, 1979 तक कार्य रूप में लागू करने का आश्वासन दिया था। जिसकी प्रतिलिपि संलग्न† है।

अब समाचार पत्रों द्वारा नित्य संकेत मिलते हैं कि दिनांक 1 अप्रैल, 1979 से पुनः ट्रक मालिक हड़ताल पर जा रहे हैं जिससे स्थिति अत्यन्त गम्भीर होती जा रही है। और पहले की तरह संकट उत्पन्न होने की सम्भावना बढ़ रही है। क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस सम्बन्ध में सरकार अपने वायदों को लागू करने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है? अब यह समझौता तरमीम कर दिया गया है। आज भी तमाम आलू पड़ा सड़ रहा है। परिवहन मन्त्री और मुख्य मन्त्री ने समझौता किया था। परिवहन मन्त्री मौजूद हैं। आप उनसे इसके बारे में बयान देने के लिए जरूर कहें ताकि ट्रक आपरेटर्स को सूचना मिल सके।

श्री उपाध्यक्ष--

वे बाद में सूचना दे देंगे।

श्री अजीत सिंह सेठी (जिला मेरठ)--

1 अप्रैल से ट्रक आपरेटरों ने फिर हड़ताल कर दी तो बड़ा मुश्किल होगा। इसलिए अभी बयान दिलवा दें।

श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)--

वे आज ही बयान देने के लिए तैयार हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

नहीं, आज नहीं।

बांदा जिले में चलने वाली बसों में लूटपाट तथा हत्याओं के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री देव कुमार (जिला बाँदा)--

मान्यवर, दिनांक 20 मार्च, 1979 को जनपद बाँदा में कमासिन से बाँदा आने वाली प्राइवेट बस के चालक सहित चार यात्रियों की दिन दहाड़े नृशन्स हत्या कर दी गयी है और बड़ी संख्या में बस यात्री गोलियों से घायल हो गये हैं जिनमें कुछ की बाँदा अस्पताल में हालत अत्यन्त चिन्ताजनक है।

अराजकता की इस गम्भीर स्थिति से आतंकित होकर बस मालिकों व चालकों ने हड़ताल कर दी है। आम जनता में आतन्क, असुरक्षा और भय की भावना व्याप्त हो गई है।

बाँदा जिले में इस प्रकार की यह पहली घटना नहीं है। कुछ दिनों पहले मटोंध थाने के अन्तर्गत कानपुर जाने वाली एक प्राइवेट बस के व्यवसायी यात्रियों को दिन दहाड़े लूटा गया और एक व्यवसायी को गोली मार कर हत्या कर दी गयी और हजारों रुपया लूटा गया। मानिकपुर थाने के अन्तर्गत कुतुब एक्सप्रेस से यात्रा करने वाले यात्रियों को लूटा और घायल किया गया।

---

†छापी नहीं गयी।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बांदा जिले में चलने वाली बसों में लूटपाट तथा हत्याओं के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

कत्ल, डकैतियों, राहजनी, अपहरण और हरिजनों पर अमानुषिक अपराधों की घटनायें रोजमर्रा की आम बात हो गयी है। कानून और व्यवस्था एवं असुरक्षा की इस गम्भीर स्थिति के कारण जनजीवन अस्त-व्यस्त एवं त्रस्त हो गया है।

इस विषम परिस्थिति में मैं सरकार से जोरदार शब्दों में माँग करता हूं कि पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश को अविलम्ब बाँदा जिले में भेजा जावे तथा रेलों, बसों में यात्रा करने वाले यात्रियों तथा पूरे जनपद में बिगड़ती हुई कानून और व्यवस्था की स्थिति में काबू पाने के लिए प्रभावशाली कदम अविलम्ब उठाए जायं।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मन्त्री जी से आग्रह करूंगा कि बहुत गम्भीर घटनाएं बाँदा जनपद में घटित हो रही हैं और माननीय मुख्य मन्त्री जी का ध्यान आपके माध्यम से आकर्षित करना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में कोई वक्तव्य मुख्य मन्त्री जी अभी दें या आप निर्देश दे दें कि इसी सत्र के चलते-चलते कोई वक्तव्य वे इस सम्बन्ध में दें।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठें। माननीय मुख्य मन्त्री जी इसको देख लेंगे।

श्री देव कुमार—

मान्यवर, मुख्य मन्त्री जी मौजूद हैं, आप उन्हें वक्तव्य के लिए निर्देश दे दें। बसों के मालिकों ने हड़ताल कर दी है, जनजीवन बहुत त्रस्त हो रहा है इसलिए मैं चाहता हूं कि आप मुख्य मन्त्री जी को अभी निर्देश दें।

श्री उपाध्यक्ष—

मुख्य मन्त्री जी इसको देख लेंगे और समझ लेंगे तब वे इसके ऊपर कोई बयान देंगे।

श्री देव कुमार—

मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप मुख्य मन्त्री जी को निर्देश दें कि आई० जी० महोदय को वहाँ मौके पर भेजा जाय और इस सम्बन्ध में कोई प्रकाश डालने का कष्ट किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

यह कोई प्रक्रिया नहीं है कि जिस समय 301 में कोई माननीय सदस्य सूचना पढ़ें उस समय सरकार कोई आश्वासन दे या ऐसे निर्देश दिए जायं।

अब आप जो बोल रहे हैं, वह लिखा नहीं जायगा।

ईंटों के मूल्य में अभूतपूर्व वृद्धि से निर्माण कार्य ठप्प हो जाने के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

***श्री श्रीराम दिवेदी** (जिला फैजाबाद)—

मान्यवर, प्रदेश में ईंटों के मूल्य में अभूतपूर्व वृद्धि कर दिए जाने के कारण निर्माण कार्यों के ठप्प हो जाने से उत्पन्न गम्भीर समस्या की तरफ मैं इस माननीय सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। प्राप्त सूचनाओं के अनुसार ईंटों का मूल्य 125 रु० प्रति हजार से लेकर 180 रु० तक निर्धारित किया गया है। इस वित्तीय वर्ष के अन्तिम माह में जबकि निर्माण कार्य पर आवंटित धनराशि से व्यय किया जाना है। ईंटों का दाम बढ़ जाने से करोड़ों रुपए लैप्स हो जाने की सम्भावना है।

मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर सरकार से अपेक्षा करता हूं कि सरकार ईंटों के बढ़े दाम को तत्काल घटाए जिससे निर्माण कार्यों पर आसन्न गतिरोध समाप्त किया जा सके।

***वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।**

श्री उपाध्यक्ष—

मद संख्या 3—विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न के बारे में. . . .

श्री रवीन्द्र सिंह (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, मैंने एक सूचना दी थी. . . .

श्री अजीत सिंह सेठी (जिला मेरठ)—

मान्यवर, मैंने 301 में सूचना दी थी . . .

श्री उपाध्यक्ष—

आपका 51 में आ गया है . . . .

श्री रवीन्द्र सिंह—

मान्यवर, मैंने सूचना दी थी। आपने अपने कक्ष में आश्वासन भी दिया था कि मंजूर कर लिया है. . .

श्री उपाध्यक्ष—

कल मेज दीजिए. . . .

श्री राम नरायन वर्मा (जिला सीतापुर)—

मैंने भी 301 में सूचना दी थी. . .

(कई सदस्यों के बोलने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

जिन लोगों की सूचनाएं नहीं हैं, वे कल मेज दें।

लोकनायक जय प्रकाश नारायण के स्वास्थ्य के सम्बन्ध में जानकारी

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—

मान्यवर, मैं नियमावली के नियम 110 के अन्तर्गत आप से अनुरोध करना चाहता हूं कि लोक नायक जयप्रकाश को देखने हमारे माननीय मुख्य मन्त्री जी और उप मुख्य मन्त्री जी गए थे। पूरा सदन उनकी स्थिति के बारे में जानने के लिए व्यग्र है। हम जानना चाहते हैं कि उनकी स्थिति क्या है और हमारी सरकार ने अपनी ओर से उनके इलाज के लिए क्या सेवाएं पेश की हैं। इसके बारे में आप, माननीय मुख्य मन्त्री जी से सदन में कुछ जानकारी दिलवा दें तो बड़ी कृपा करेंगे। जयप्रकाश जी के स्वास्थ्य के बारे में जानने के लिए पूरा सदन ही नहीं पूरा प्रदेश और देश व्यग्र है। कल मुख्य मन्त्री जी गये थे इसलिए इस पर सदन को जानकारी दिला दें तो बड़ी कृपा करेंगे।

श्री राम नारायन वर्मा (जिला सीतापुर)—

मैंने 301 में सूचना दी थी. . .

श्री उपाध्यक्ष—

वह पहले आ चुकी है इसलिए खारिज हो गया।

माननीय मुख्य मन्त्री जी, श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी जी ने यह निवेदन किया है और चाहा है कि माननीय मुख्य मन्त्री जी जयप्रकाश बाबू को देखने गये थे तो उनके स्वास्थ्य के बारे में सदन को जानकारी दें।

*मुख्य मन्त्री (श्री बनारसी दास)—

श्रीमन्, मैं और उप मुख्य मन्त्री श्री राम नरेश यादव, सर्वश्री मैनेजर सिंह, कल्पनाथ सिंह, बम्बई गये थे और हमने लोक नायक जयप्रकाश जी के दर्शन किए। उनकी स्थिति परसों से कुछ बेहतर है लेकिन अभी तक अत्यन्त चिन्ता जनक है। आज उनकी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

डाइलेसिस होगी। डाक्टर्स का कथन था कि डाइलेसिस में अगर किसी प्रकार की कोई क्राइसिस नहीं हुई तो स्थिति में सुधार होगा। डाक्टर्स लोग पूरी तरीके से परिचर्या और पूरे प्रयास कर रहे हैं। लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि उनकी स्थिति सन्तोषजनक है। अभी तक स्थिति गम्भीर है।

श्री उपाध्यक्ष—

अब मैं विशेषाधिकार. . .

*श्री शारदा प्रसाद जायसवाल (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, रोज दिन में एक बात उठाई जाती है असामाजिक तत्वों और साम्प्रदायिक पार्टियों के बारे में, आर0 एस0 एस0 के बारे में। सी0आर0पी0सी0 में गुण्डा ऐक्ट में एफ0आई0आर0. . . .

श्री उपाध्यक्ष—

मैं इसकी इजाजत नहीं देता। आपने कोई सूचना दी थी . . .

श्री शारदा प्रसाद जायसवाल—

उनको देश से निकाल दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

श्री राम आसरे वर्मा, सदस्य, विधान सभा ने. . .

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)—

मान्यवर, निर्णय देने से पहले सुन तो लीजिए. . .

श्री उपाध्यक्ष—

मैं इजाजत नहीं देता हूं। मैंने स्वीकार कर लिया है। आप बैठें. . .

श्री राम आसरे वर्मा, सदस्य, विधान सभा ने 20 मार्च, ...

(श्री राम गोबिन के खड़े होने पर और बोलने पर)

आप इस तरह से टोका न करें. . .

श्री राम गोविन (जिला बलिया)—

माननीय मुख्य मन्त्री ने लोक नायक जय प्रकाश नारायण के सम्बन्ध में जो सूचना दी है तो मैं यह जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार उनकी चिकित्सा के सम्बन्ध में क्या योगदान करने जा रही है ?

श्री उपाध्यक्ष—

लोक नायक के लिए पूरे भारत की हमदर्दी है।

पुलिस अधीक्षक, बाराबंकी के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न

श्री उपाध्यक्ष—

श्री राम आसरे वर्मा, सदस्य, विधान सभा ने 20 मार्च, 1979 को पुलिस अधीक्षक, बाराबंकी के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना दी। माननीय सदस्य का कहना है कि 12 मार्च, 1979 को पुलिस अधीक्षक, बाराबंकी के कार्य कलापों के सम्बन्ध में जिनसे जिले की शान्ति व्यवस्था प्रभावित हो रही है, शून्य प्रहर के दौरान माननीय श्री सुन्दर लाल दीक्षित ने सदन का ध्यान आकृष्ट किया। इसके फलस्वरूप 17 मार्च, 1979 को जब श्री सुन्दर लाल दीक्षित अपने क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराने हेतु उक्त पुलिस अधीक्षक के पास गये तो उसने श्री सुन्दर लाल दीक्षित को धमकी दी कि विधान सभा में उनके विरुद्ध मसला उठाने के गम्भीर परिणाम होंगे। इतना ही नहीं उन्होंने विधायक तक को जेल के सीकचे के में कैद करने तक के अपने अधिकार को बताया।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री उपाध्यक्ष]

श्री सुन्दर लाल दीक्षित ने 12 मार्च, 1979 को बाराबंकी जनपद में पुलिस के आतंक के वाद-विवाद के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना दी थी, जिसे मैंने स्वीकार किया था और माननीय श्री सुन्दर लाल दीक्षित उसे सदन के संज्ञान में लाए थे। जो आरोप लगाए गए हैं उनके अनुसार पुलिस अधीक्षक, बाराबंकी ने श्री सुन्दर लाल दीक्षित को सदन में कही बातों के सम्बन्ध में उत्पीड़ित किया है, जो प्राग्दर्शन में विशेषाधिकार की अवहेलना है। अतः मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 78 के अन्तर्गत इस प्रश्न को परीक्षण, जाँच और प्रतिवेदन के लिए विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट करता हूं।

गन्ना विकास मन्त्री, गन्ना आयुक्त, गन्ना सचिव तथा श्री महादेव शुक्ल व राम आसरे सिंह आदि के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री उपाध्यक्ष—

श्री सुखपाल पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा ने माननीय गन्ना विकास मन्त्री, गन्ना आयुक्त, गन्ना सचिव तथा सर्वश्री महादेव शुक्ल एवं राम आसरे सिंह आदि तथा उनके सहयोगियों के विरुद्ध विशेषाधिकार की सूचना दी है। माननीय सदस्य का कहना है कि वे विधान सभा की बैठक में भाग लेने के लिए अपने घर से 18 मार्च, 1979 को बभनान आये और भूख हड़ताली किसानों के पास गये तो वहाँ पर एकत्रित किसानों की भीड़ को श्री महादेव शुक्ल एवं श्री राम आसरे सिंह ने ललकारा कि सुखपाल पाण्डेय को बाँध कर बिठा दो, इनकी सरकार है और हम लोगों के गन्ने की दुर्दशा हो रही है और किसान भूख हड़ताल पर हैं और यह लखनऊ में मौज उड़ा रहे हैं। जब तक गन्ने के पेरने की व्यवस्था नहीं होगी तब तक इन्हें विधान सभा की बैठक में नहीं जाने दिया जायगा। माननीय सदस्य ने अपनी सूचना में यह भी कहा है कि उन्होंने गन्ना विकास मन्त्री एवं गन्ना आयुक्त को टेलीफोन पर घिराव की स्थिति से अवगत करा दिया था और सूचित कर दिया था कि जब तक कोई नहीं आयेगा तब तक किसान उन्हें बैठक में भाग नहीं लेने देंगे 19 मार्च, 1979 को अतिरिक्त गन्ना आयुक्त, उप गन्ना आयुक्त तथा जिलाधिकारी आदि ने पहुंच कर गन्ने आदि के स्थानान्तरण बकाए के भुगतान तथा अन्य माँगों पर एक समझौता करके 4 बजे शाम को भूख हड़ताल समाप्त करवाई।

सूचना में माननीय गन्ना मन्त्री, गन्ना आयुक्त, गन्ना सचिव तथा उप गन्ना आयुक्त द्वारा श्री सुखपाल पाण्डेय को बाधा पहुंचाने का कोई आरोप नहीं है। माननीय श्री पाण्डेय के कथनानुसार उप गन्ना आयुक्त ने तो स्थल पर पहुंचकर समझौता कराने में सहायता की। अतः उनके विषय में कोई विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न नहीं उठता। माननीय सदस्य ने यह आरोप किया है कि वे विधान सभा की बैठक में भाग लेने के लिए बभनान आए किन्तु उसके लिए उन्हें बभनान में रुकना आवश्यक न था। वे स्वयं उस स्थान पर गये जहां भूख हड़ताली बैठे थे। सूचना में यह स्पष्ट नहीं है कि उन्हें बलपूर्वक विधान सभा की बैठक में जाने से रोका गया या वे स्वयं आन्दोलन की सहानुभूति में वहां रहे। अतः शेष व्यक्तियों के विरुद्ध भी मैं विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न सदन में उठाने की अनुमति नहीं देता हूं।

श्री सुख पाल पाण्डेय (जिला बस्ती)—

मैंने टेलीफोन से मन्त्री जी को सूचना दी कि मैं बिठा लिया गया हूं...

श्री उपाध्यक्ष—

मैं निर्णय दे चुका हूं।

श्री सुखपाल पाण्डेय—

[* * * *]

नोट—[*****] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री उपाध्यक्ष—

यह कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा ।

श्री सुखपाल पाण्डेय—

[* * * *]

(व्यवधान)

क्षय रोगाश्रम, भुवाली की परामर्शदात्री समिति में कार्य करने के लिए सदस्यों के निर्वाचन का कार्यक्रम

श्री उपाध्यक्ष—

क्षय रोगाश्रम, भुवाली की परामर्शदात्री समिति में कार्य करने के लिए विधान सभा के दो सदस्यों के निर्वाचन के सम्बन्ध में नामों की वापसी के लिए नियत समय,अर्थात् दिनांक 20 मार्च, 1979 के अपराह्न 4 बजे तक कोई नाम वापस नहीं लिया गया है और चूंकि अभ्यर्थियों की संख्या निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की संख्या से अधिक है अतः अब उक्त समिति के सदस्यों के निर्वाचन हेतु मतदान पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 23 मार्च, 1979 के पूर्वाह्न साढ़े दस बजे से अपराह्न 5 बजे तक विधान मण्डल पुस्तकालय, विधान भवन, लखनऊ में होगा ।

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के नाम ये हैं :—

(1) डा0 कृष्णवीर सिंह कौशल (आगरा),
(2) श्री जयशंकर पाण्डेय (फैजाबाद),
(3) डा0 जितेन्द्र कुमार अग्रवाल (सुल्तानपुर),
(4) श्री पूरन चन्द्र (अल्मोड़ा),
(5) डा0 बंगाली सिंह (अलीगढ़),
(6) श्री मौजी लाल कुरील (कानपुर),
(7) श्री राज कुमार शर्मा (सहारनपुर),
(8) श्री सुखपाल पाण्डेय (बस्ती) ।

उपर्युक्त निर्वाचन अनुपाती प्रतिनिधित्व के सिद्धान्तानुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जायगा ।

श्री रवीन्द्र सिंह (जिला गोरखपुर)—

विशेषाधिकार की सूचना मैंने भी दी थी . . .

श्री उपाध्यक्ष—

वह अभी मेरे सामने नहीं आई है ।

भूतपूर्व प्रधान मन्त्री, श्रीमती इन्दिरा गाँधी के लोक सभा से निष्कासन तथा कारावास के विरोध में कांग्रेस (आई0) द्वारा चलाए गए आन्दोलन के दौरान राज्य की विभिन्न जेलों में हुई घटनाओं के सम्बन्ध में अग्रेतर वक्तव्य

कारागार मन्त्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)—

मान्यवर, भूतपूर्व प्रधान मन्त्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी के लोक सभा से निष्कासित तथा कारावास के विरोध में कांग्रेस (आई0) के आन्दोलन के सम्बन्ध में दिनांक 12 मार्च, 1979 को सदन में दिए गए वक्तव्य के पराग्राफ 4 में कहा गया था कि कुछ अन्य जेलों में भी अनुशासनहीनता की घटनायें हुई थीं। उक्त आन्दोलन के दौरान राज्य की केन्द्रीय कारागार, नैनी

नोट :—[****] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया जाय ।

[श्री बेनी प्रसाद वर्मा]

के अतिरिक्त अन्य जिन जेलों में अनुशासनहीनता आदि की अप्रिय घटनाएं हुई थीं उनका उल्लेख नीचे किया गया है:—

1—केन्द्रीय कारागार, आगरा
2—केन्द्रीय कारागार, वाराणसी
3—जिला जेल, फतेहगढ़
4—जिला जेल, फतेहपुर
5—जिला जेल, सहारनपुर
6—जिला जेल, बरेली
7—जिला जेल, इटावा
8—जिला जेल, गाजीपुर

2—उपरोक्त सभी जेलों में हुई घटनाओं की मैजिस्टीरियल जांच के आदेश सम्बन्धित जिलाधिकारियों द्वारा दिए गये थे। जिला जेल, फतेहगढ़ तथा जिला जेल, इटावा में हुई घटनाओं के बारे में मैजिस्टीरियल जांच पूरी हो चुकी है और रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है जो शासन के विचाराधीन है। शेष सात जेलों में हुई घटनाओं की मैजिस्ट्रीरियल जांच को शीघ्र पूरा करने के सम्बन्ध में सम्बन्धित जिलाधिकारियों को निर्देश दे दिए गये हैं।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित (जिला बाराबंकी)—
मान्यवर, सुनाई नहीं दिया . . . .

श्री उपाध्यक्ष—
आपके पास वक्तव्य पहुंच गया होगा। उसे देख लीजिए।

श्री अजीत सिंह सेठी (जिला मेरठ)—
मान्यवर, इस पर हमें यह कहना है कि जिन-जिन जेलों में कांग्रेस (आई) के वर्कर्स ने वहिष्कार किया है, उनके प्रति इनका क्या विचार है?

श्री उपाध्यक्ष—
इस पर किसी स्पष्टीकरण की इजाजत नहीं हो सकती। आप लिखकर दे दें, वे बता देंगे।

श्री अजीत सिंह सेठी—
उन्होंने कहा है कि मैजिस्टीरियल जांच होगी . .

श्री उपाध्यक्ष—
नियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण की इजाजत नहीं दी जा सकती।

चान्दपुर, जिला बिजनौर में कुछ लड़कों द्वारा होली का चन्दा जबरन वसूल करने तथा श्री हीरा लाल वरुण नामक दरोगा द्वारा बीच बचाव करने पर मारपीट के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री उपाध्यक्ष—
आज दिनांक 22 मार्च, 1979 को नियम 56 के अन्तर्गत कार्य स्थगन प्रस्ताव की 3 सूचनाएं प्राप्त हुई जिन्हें मैंने अस्वीकार किया है। इसमें पहली श्री गुलाब सेहरा की है, जो 13 मार्च, 1979 को चान्दपुर, जिला बिजनौर में कुछ लड़कों द्वारा होली का चन्दा जबरन वसूल किए जाने एवं श्री हीरा लाल वरुण नामक दरोगा को बीच बचाव करने पर पकड़कर मारने के सम्बन्ध में है। मैंने इसी विषय पर एक सूचना को नियम 51 में स्वीकार कर लिया है . . (व्यवधान) आज ही नियम 51 की सूचना में यह आ जायेगा।

*श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)—

मान्यवर, मैंने कार्य स्थगन का प्रस्ताव दिया है। मान्यवर, अनुसूचित जाति के जितने कर्मचारी हैं वे चान्दपुर में गुण्डों से आतंकित हो गये हैं। एक सब इन्सपेक्टर को जो अनुसूचित जाति का है उसको वर्दी में तीन बजे से लेकर रात 10 बजे तक कैद करके रखा और उसके मुंह में गन्दी-गन्दी चीजें ठूस दी गयीं और उसके दो दांत तोड़ दिए और पूरे बाजार में जलूस निकाला और नारे लगाये कि "चमार शाही नहीं चलेगी, पैर की जूती पैर में रहेगी" वहां पर 15 तारीख को हरिजन कल्याण मन्त्री चन्द्रावती जी गयीं उसके बावजूद कोई ऐक्शन नहीं हुआ।

श्री उपाध्यक्ष—

यह आप उसी समय पूछ लीजिएगा। इसे मैंने नियम 51 में स्वीकार किया है।

श्री गुलाब सेहरा—

एक इन्सपेक्टर जो हरिजन है उसकी यह हालत हो रही है। इस बात का अफसोस है कि आज हरिजन इस तरह से पिट रहे हैं, जलाए जा रहे हैं। पुलिस वर्दी में होते हुए उसके दांत तोड़ दिए जाते हैं और 6, 6 घंटे तक बन्द किया जाता है।

*मुख्य मन्त्री (श्री बनारसी दास)—

श्रीमन्, जिस घटना की ओर माननीय गुलाब सेहरा ने ध्यान आकर्षित किया है इसकी जानकारी जब मुझको हुई तो मैंने तुरन्त ही आदेश दिया कि इस पर जानकारी हासिल की जाय। आपने निर्देश दिया है नियम 51 का कि इस पर वक्तव्य दिया जाय। लेकिन मैं सदन को सूचित करना चाहता हूं कि घटना इस प्रकार से है जिस सब इन्सपेक्टर का जिक्र हो रहा है वे बाजार में जा रहे थे उन पर कुछ लोगों ने रंग फेंका, वे वर्दी में थे कुछ लोग नाजायज जबरदस्ती चन्दा वसूल कर रहे थे इसको सब इन्सपेक्टर ने रोका। यह सही है कि वहां के कुछ दुकानदारों ने सब इन्सपेक्टर को पकड़ लिया और उसके साथ कुछ अभद्र व्यवहार भी किया। इसके बाद तुरन्त ही उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे और लोगों को गिरफ्तार किया उसके बाद बाजार बन्द हो गया। यह भी सही है कि जैसा आपने कहा कुछ दुकानदारों ने इस तरह के नारे लगाए कि 'चमार गद्दी नहीं चलेगी' इस घटना को गंभीरता से देखा गया। आज मैंने सुबह बम्बई से पहुंचने के बाद आदेश दिए हैं कि मेरठ मण्डल के डी0आई0जी0 स्थल पर जाकर देखें। इससे पहले वहां पर मैजिस्ट्रेट की जांच के आदेश दिए जा चुके हैं और डी0आई0जी0 को घटना स्थल पर भेजा है। मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि यह दुर्भाग्य का विषय है समाज में कुछ ऐसे तत्व हैं जिसमें जातीय द्वेश की भावना है और जो परिगणित जाति और हरिजनों के प्रति इस तरह की हेय की भावना रखते हैं। लेकिन प्रशासन इस तरह की घटनाओं को नहीं बरदास्त करेगा। जहां कहीं इस तरह से हरिजन कर्मचारियों का मनोबल गिरता हो उसमें जो भी लोग हों उनके खिलाफ कठोरता से कार्य किया जायगा और जो व्यक्ति दोषी पाये जायेंगे उनको दंडित भी किया जायगा।

श्री गुलाब सेहरा—

प्रश्न यह है कि पुलिस अधिकारियों ने 3 बजे से लेकर रात 10 बजे तक कुछ नहीं किया वह इतनी देर तक कमरे में बन्द रहे चान्दपुर की पुलिस उनको नहीं छुड़ा पाई। जब वहां के मुसलमान और हरिजनों की ढाई हजार भीड़ ने उस घर को घेर लिया तब जाकर छुड़ाया वहां के पुलिस अधिकारियों ने उस हरिजन इन्स्पेक्टर को बचाने का कोई प्रयत्न नहीं किया। इस बात की जानकारी मुख्य मन्त्री जी को होनी चाहिए कि उस इन्स्पेक्टर को भीड़ ने छुड़ाया उस मकान से पुलिस ने नहीं छुड़ाया।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अजीत सिंह सेठी (जिला मेरठ)—
मान्यवर, इस तरह की घटनाएं. . .

श्री उपाध्यक्ष—
मुख्य मन्त्री जी ने आश्वासन दिया है और यह भी कहा है कि इस तरह की घटनायें होना अफसोस की बात है ।

(व्यवधान)

श्री मन्जूर अहमद (जिला मेरठ)—
मैं एक सूचना जरूर देना चाहता हूं। मुझे यह सूचना इस बारे में है कि नवीन कुमार नामक जो लड़का है, वह क्रान्ति कुमार जी का रिश्तेदार है। इसीलिए अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—
जब उन्होंने जानकारी दे दी और यह भी बता दिया कि उन्होंने डी0 आई0 जी0 को आदेश दे दिये हैं कि वह तुरन्त मौके पर जाकर देखें और साथ ही यह भी कहा है कि दोषी अधिकारियों को वह छोड़ेंगे नहीं, तो वह काफी है अब यह समाप्त हुआ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला आगरा)—
माननीय सदस्य आगरा ने नियम 56 में एक सवाल दिया और आपने उसको नियम 51 में बदल दिया. . . . . .

श्री उपाध्यक्ष—
नियम 51 में भी सूचना आई थी और वह मैं कर सकता हूं ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—
लेकिन जब आपने नियम 51 में स्वीकार कर लिया तो तुरन्त ही मुख्य मंत्री से बयान दिलवाने की क्या वजह है ?

श्री उपाध्यक्ष—
मैंने उनको बयान के लिए नहीं बुलाया। उन्होंने स्वयं ही दिया। उनको जानकारी थी, तो वह दे सकते हैं। यह तो शासन की तत्परता है। तो इसमें कोई बुराई नहीं है कि उन्होंने बयान दिया ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—
जब आपने नियम 51 में स्वीकार कर लिया तो गुलाब सेहरा को बोलवाने और मुख्य मंत्री जी से जबाव दिलवाने की क्या आवश्यकता है ?

श्री उपाध्यक्ष—
यह तो कोई गलत बात नहीं है। यह तो शासन की तत्परता की निशानी है। अब मैं किसी को इजाजत नहीं देता हूं। सब लोग बैठें।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की अन्य सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष—
सर्वश्री अजीत सिंह, अरुणकुमार और कृष्णवीर सिंह कौशल की भी नियम 56 में इसी सम्बन्ध में सूचना है। देवकुमार यादव ने दिनाँक 20 मार्च, 1979 को बाँदा जिले में कमासिन से आ रही एक प्राइवेट बस के चालक एवं चार यात्रियों की हत्या के सम्बन्ध में सूचना दी थी। इसको भी मैंने अस्वीकार किया है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)---

जिस समय आप प्राप्त कार्यस्थगन प्रस्तावों के बारे में जानकारी दे रहे थे, आपने कहा कि मैंने उन्हें अस्वीकार कर दिया है, ठीक है। लेकिन फिर भी आपने किस विषय पर उनको बोलने दिया।

श्री उपाध्यक्ष---

विषय बताना जरूरी है ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

फिर आप यह न कहते कि मैंने सबको खारिज कर दिया है, तो अच्छा होता।

श्री देव कुमार (जिला बाँदा)---

श्रीमन्, मेरा प्रश्न इतना गम्भीर है कि मैं आपसे आग्रह करता हूं कि उसे आप नियम 51 में ही स्वीकार कर लें।

श्री उपाध्यक्ष---

आप इसको लिखकर भेजिएगा।

1978–79 के अनुपूरक अनुदानों पर सामान्य चर्चा (क्रमागत)†

श्री उपाध्यक्ष---

इस पर नेता विरोधी दल उस दिन 20 मिनट बोल चुके हैं, इसका ध्यान रखते हुए वह आगे चर्चा जारी रखें।

*श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---

श्रीमन्, मैं निवेदन कर रहा था कि जो ओवर ड्राफ्ट लिये जाने के सम्बन्ध में बार-बार वित्त मंत्री के द्वारा पिछली सरकार पर आरोप लगाया जा रहा है, उस आरोप का खोखलापन इस अनुपूरक बजट में स्वयं सिद्ध कर दिया गया है। मैं कह रहा था कि पश्चिमी बंगाल में शासन ने इसी वित्तीय वर्ष में 3 करोड़ रुपये रोजाना बाढ़ सहायता के नाम पर ओवर-ड्राफ्ट लिया। यह लेना अपने से कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन जब दूसरी प्रदेश सरकारें इसका उपयोग समय-समय पर करती रही हैं और केन्द्रीय सरकार इसको अपने नेशनल डेफिसिट का अंग मानती रही है तो जो हमारी आलोचना की जाती थी, वह कितनी थोथी थी, वह इस बजट से स्पष्ट होता है। दूसरी बात जो मैं दोबारा कहना चाहता हूं वह यह है कि क्रम संख्या 90 में जो 232 करोड़ रुपये का व्यय किया गया है, यह कहना गलत होगा कि यह सारा का सारा नेशनल अकाउंट है। मेरा खयाल है, यह विकास योजनाओं में जो धनराशि इस सदन की स्वीकृति के बाद सरकार खर्च नहीं कर पायी उस धनराशि को बजाय बचत दिखाने के हम खर्च नहीं कर सके, यह दिखाना कि यह उन्होंने उसको इस मद में डाल दिया, बहुत बड़ी धनराशि विकास योजनाओं की थी, जो सदन ने स्वीकार की थी, वह धनराशि इस मद के अन्दर डाइवर्ट करके रिऐप्रोप्रिएट करके, उसी तरह से प्रदर्शित की जा रही है ताकि अगले साल जो बजट पास होगा तो वित्त मंत्री कहेंगे कि हमने इस साल का सारा बजट का अनुदान जो स्वीकृत हुआ था खर्च कर लिया है। अब घाटा हो गया। मैं जानना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्री और वित्त मंत्री जी से कि वह बताएं पिछले वर्ष जो योजनागत व्यय था जिसमें प्रथम पूरक बजट द्वारा स्वीकृत अनुदान शामिल है, 286 करोड़ का प्लान एक्सपेंडीचर मंजूर हुआ, इसमें से कितने करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं। आज की तारीख तक, एक महीने की सूचना होगी, चूंकि वोट आन एकाउन्ट पर जो बजट पेश किया गया उसमें प्लान और नान प्लान दोनों को मिला कर फीगर दी गई है योजनागत और आयोजनेतर दोनों को मिला कर फीगर दिये गये हैं। उससे

---

†12 मार्च, 1979 की कार्यवाही से।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नारायण दत्त तिवारी]
प्लान की पूरी जानकारी नहीं मिलती। मैं जानना चाहता हूं कि 232 करोड़ जो क्रम संख्या 90 में राज्य सरकार ऋण खाते में जो सरकार माँग रही है, यह रूपया कहाँ से आ रहा है, कितना नेशनल, नाम मात्र का है क्योंकि 232 करोड़ रुपया इस मद में बढ़ा रहे है, उसका, स्पष्टीकरण नहीं है, एक तिहाई रुपया ज्यादा माँगा जा रहा है।

अब दूसरी मदों को देंखे। मंत्रि-परिषद के विस्तार के लिए इसमें रुपया माँगा जा रहा है। मंत्रि-परिषद् का विस्तार हो चुका। जो प्रस्तुत व्यय है और जो हो चुका है जिस के लिए पैसा अब मंजूर कराया जा रहा है यह उत्तर प्रदेश के इतिहास में, इतनी बड़ी मंत्रि-परिषद् की कल्पना पहले कभी नहीं हुई। मुझे श्रीमन्, इस बात का पूरा विश्वास है जो आज इस अनुपूरक बजट से काउन्सिल आफ मिनिस्टर्स के एक्सपेंशन के लिए रुपया माँग रहे हैं, फिर अनुपूरक अनुदान या मूल बजट जो आने वाला है, इससे लगभग दुगुना रुपया मंत्रि परिषद् के विस्तार के बारे में खर्च होने वाला है। जितना माँगा जा रहा है इसमें फिर कमी रहने वाली है। मंत्रि परिषद् के विस्तार के लिए हम सुनते हैं, दो टायर होगी, तीन टायर होगी, चार टायर होगी और इसमें जो मंत्रि पद के समकक्ष जो पद बनाये जाने वाले है उनका शुमार नहीं है।

इसमें एक यह मद रखी गयी है राज्य आबकारी की। इसमें विचित्र बात यह है कि दो बार इसमें व्यय हुआ है। सप्लीमेन्टरी बजट पहले आ चुका है। एक बार मूल बजट आया। दूसरी बार सप्लीमेन्टरी बजट आया। उसमें आबकारी व्यय के लिए रुपया माँगा। तो एक ओर तो शराबबन्दी हो रही है और दूसरी ओर शराब के प्रशासन में ज्यादा रुपया भी खर्च हो रहा है। यह चमत्कार है कि एक ओर प्राहिबिशन हो रहा है और दूसरी ओर आबकारी विभाग का खर्च बढ़ रहा है। रुपया माँग रहे हैं और किस-किस लिए वह इसलिए कि यात्रा व्यय और वेतन के लिए। कारण कोई नहीं दिया गया है। क्या आप इसके प्रचार के लिए रुपया माँग रहे है किसके लिए रुपया माँग रहे हैं। यह बैड इस्टीमेटिंग है। इसको अनुपूरक अनुदान में क्यों नहीं ठीक किया गया। इस्टीमेट ही गलत बनाये गये हैं।

मान्यवर, हजरतगंज लखनऊ में हमारे शासन काल में एक मल्टी स्टोरीड बिल्डिग बनायी गयी। उसको अब इस सरकार ने कार्यालय के लिए ले लिया है। बैंक आफ बिडौदा से कर्ज लेकर हम लोगों ने दुकानदारों के लिए व्यवस्था की थी और यह नो प्राफिट नो लास के बेसिस पर थी और यह सब्सीडी के आधार पर थी कि दुकानदारों को दिया जायेगा। उस समय बहुगुणा जी मुख्य मंत्री थे और मुझे वित्त मंत्री होने का सौभाग्य मिला था। सभी बैंकों से बात करके दुकानदारों के लिए जोविस्थापित हो गये थे उनके लिए यह भवन बनवाया गया था। इसमें सब्सीडी का भी प्राविधान था लेकिन वह भवन दुकानदारों को नहीं दिया गया। उस भवन की सारी डिजाइन दुकानों के लिए है कमर्शियल परपज के लिए है। दारुलशफा के सामने जो भवन है सारा का सारा दुकानों के लिए है। आफिस के लिए नहीं बनाया गया है। उसका डिजाइन आफिस के लिए नहीं है कि सेक्शन आफिस वहाँ पर खोले जायें। आप जवाहर भवन को देखे, वह आफिस परपज के लिए बनाया गया है। उसकी डिजाइन आफिस के लिए की गयी है। उस भवन को शासन ने अपने कब्जे में ले लिया है। जब वह आफिस परपज के लिए नहीं है तो उसमें तोड़ा-फोड़ी होगी और भवन कमजोर होगा। बैंकों ने दफ्तर बनाने के लिए ऋण नहीं दिया था। उनका विश्वास हमारे ऊपर से समाप्त हो गया है। अगर वित्त मंत्री जी अब आगे ऋण माँगेगे तो वह कहेंगे कि हम ने पहले ऋण दिया था तो आपने उससे आफिस बना लिया और कमर्शियल परपज के लिए लोन का प्रयोग नहीं किया। आगे के लिए बैंकों का सहयोग नहीं मिलेगा। संस्थागत वित्त कैसे प्राप्त होगा। आप बैंकों से बचन बद्ध हुए और व्यापारियों से बचन-बद्ध थे, आपने बचन का पालन नहीं किया। कुछ बड़ी फर्मों और कुछ गरीब व्यापारियों के लिए दुकाने थीं। जो नीचे के एरिया में रहेंगे उनके किराया कम लिया जायेगा लेकिन हम

क्या देखते हैं कि उसको सरकारी कार्यालय के लिए प्रयोग किया जा रहा है। श्रीमन आगे बैंक लोन देने वाले नहीं है। मैं नहीं जानता कि इस शासन में कितना समय है कि वह बैंकों से रुपया इस प्रदेश के लिए लावे।

मान्यवर, कुम्भ मेले के व्यय के लिए कहा जा रहा है। आप इलाहाबाद जायं तो पता चलेगा कि बहुत से काम जो कुम्भ मेले में अधूरे थे और जिनको पूरा किया जाना था उनको छोड़ दिया गया है। इलाहाबाद में चूंकि वहाँ पर कुम्भ और माघ मेलों में बड़ी भीड़ हो जाती है, एक ट्रांसपोर्ट नगर की व्यवस्था की गयी थी। क्या कारण है कि लखनऊ में हमने ट्रांसपोर्ट नगर की व्यवस्था की, कानपुर में चल रही है, लेकिन इलाहाबाद में जहाँ पर मेलों के समय इतना कन्जेक्शन हो जाता है वह नहीं हुआ। कितनी ऐसी योजनायें है, यह हमें देखना होगा। कुम्भ मेले का 3/4 काम हो गया था लेकिन उसे भी छोड़ दिया गया है। वहाँ पर सड़कों को चौड़ा करने के लिए रुपया दिया गया था लेकिन इस सम्बन्ध में भी कोई काम नहीं हो रहा है। इसमें मेलों के बिलों के भुगतान की बात कही जा रही है लेकिन योजनायें सभी अधूरी पडी हुयी हैं।

इसी प्रकार से पुलिस के लिए कम्प्यूटर केन्द्र और टी0 ए0 वगैरह के लिए धनराशि माँगी जा रही है। आज का "जागरण" अखबार देखिए। हम पुलिस के लिए कह रहे हैं, पुलिस की हड़ताल शुरु हो गयी है। कानपुर में वे लोग भूख हड़ताल कर रहे हैं, फ्रन्ट पेज में यह छपा है। कानपुर में जो कारपोरेशन है वहाँ पर पुलिस वालों में सनसनी मची-हुयी है। हम देखेंगे कि पुलिस में असंतोष है और यह खतरे का बिगुल हैं। हम एड मिनिस्ट्रेशन को डिमोरेलाइज भी नहीं कर सकते हैं लेकिन एक ओर पुलिस के लिए क्या कहें। जो रिपोर्ट्स हैं, हम पहले भी देख चुके हैं और भविष्य में भी, पुलिस का मौरल डिमो-रेलाइज नहीं होना चाहिए। हम चाहेंगे कि सवा लाख की जो पुलिस फोर्स है, उसका मोरल डिमोरेलाइज न हो। वैसे ही प्रदेश में शाँति-व्यवस्था की हालत खराब है। अगर हमारी पुलिस डिमोरेलाइज रही और कानपुर में जो हो रहा है, वह रहा तो जो भी स्थिति है वह और बदतर हो जायगी।

हमने शाँति व्यवस्था के लिए 6 जिलों में विशेष योजना लागू की थी। भूतपूर्व मुख्य मंत्री जी बैठे हुए हैं, उन्होंने भी सदन को विश्वास दिलाया था लेकिन जो टोटल प्लान हमने बनाया था, आज वह सिसक रहा है। कोई देखने वाला नहीं है कि उस समग्र योजना की क्या हालत है। माननीय राम नरेश यादव जी ने भी कहा था कि योजना को हम चालू कर रहे हैं। लेकिन उसकी बुरी हालत है।

इस बजट में फायर सर्विसेज के लिए रुपया माँगा गया है। हमने यह तय किया था कि हर जिले में एक फायर बिग्रेड अवश्य होगा और जब हमने बजट में घोषणा की थी तो आज के बहुमत ने जो उस समय विरोध में था उन्होंने हमारी 2 योजनाओं कि, हर पुलिस स्टेशन में वायरलेस लगेगा और 27 जिलों में फायर सर्विसेज होंगी, को ठीक कहा था। इसके लिए आर्डर भी दे दिये गये थे लेकिन अब तक उसके लिए कोई प्राविधान नहीं किया गया है। इस समय कौन इस काम को देख रहा है मैं नहीं जानता क्योंकि 27 मंत्री हैं लेकिन राम नरेश जी को कहा गया है शायद वे देख लें।

इसके आगे आप देखें लेखन सामग्री और मुद्रण के लिए 40 लाख रुपया माँगा गया है। इसमें लिखा क्या गया है। इसमें लिखा है कि शासकीय कार्य को सुगमतापूर्वक चलाने के लिए यह किया है। इनको कागज मिलों से जो इनके लिये कागज एलाटेड हैं वही नहीं मिल पा रहा है। डी0 जी0 एस0 एन्ड डी0 द्वारा आवंटित जो कागज है वही इनको नहीं मिल रहा है इससे ज्यादा और क्या इनकी असमर्थता हो सकती है। यह अपने प्रेस के लिये भी कागज नहीं ले पा रहे हैं और कहते हैं अब बाजार से कागज खरीदेंगे ओपेन मार्केट से और इसके लिए इनको 40 में से 37 लाख की आवश्यकता है। यह है इनकी

[श्री नारायण दत्त तिवारी]
असफलता। माननीय भूतपूर्व मुख्य मंत्री जी कृपया इसे देखें, उद्योग विभाग अब उनके पास है।

अब अनुदान संख्या 24 देखें। उसमें एक बड़ी विचित्र बात लिखी है और वह यह कि भारत सरकार से प्राप्त वित्तीय सहायता की 64,15,500 रुपये की धनराशि, जिसमें से 45,82,500 रुपये की धनराशि ऋण तथा 18,33,000 रुपये की धनराशि अनुदान के रूप में है, में से कुल 1,51,000 रुपये की अनुमानित लागत पर निम्न कारागारों का विद्युतीकरण कराये जाने का निश्चय किया गया है। मतलब इसका यह हुआ कि भारत सरकार से मिला 64 लाख और खर्च करेंगे 1 लाख 51 हजार, माँग भी कर रहे है 1 लाख 51 हजार की, बाकी का क्या होगा? माननीय कारागार मंत्री और माननीय वित्त मंत्री जी को शायद समय नहीं मिला इसे देखने का, वित्त विभाग बड़ा होशियार विभाग है हमारा, लेकिन इसमें कहीं न कहीं कोई गलती जरूर हो गयी है जिसकी वजह से यह हुआ है। इसमें वे यह लिख देते कि शेष धनराशि हम फलाँ फलाँ मद में खर्च कर रहे हैं, या जब पूरा बजट पायेंगे तब उसका उल्लेख करेंगे। तो इसे आप कृपया देख लें।

आगे देखिये कि हमारे माननीय अतिथियों पर एक कैसा विचित्र आरोप लगाया गया है। कहते है मीराबाई मार्ग, लखनऊ स्थिति अधिकारी होस्टल के कक्षों में बिजली के सब मीटर लगाये जायेंगे उसमें एम0 पी0, सेन्ट्रल मिनिस्टर्स, बड़े बड़े अधिकारी आकर ठहरते हैं। इसमें लिखा है कि सब-मीटरों के अभाव में अध्यासी द्वारा बिजली का दुरुपयोग करने के फल स्वरूप शासन को बहुत अधिक धनराशि का बिजली का बिल अदा करना पड़ता है। अब उनमें जो लोग रहते है क्या वे बिजली का दुरुपयोग करते हैं? यह क्या आरोप उन पर लगाया है? अब सब मीटर लगाने की बात है। अरे किसी एकाध ने दुरुपयोग कर दिया होगा। कितना बुरा मानेंगे कि जो अतिथि हमारे आयेंगे और वे इस बिजली के दुरुपयोग की बात को सुनेंगे। तो यह दुरुपयोग का बहुत बड़ा आरोप इसमें लगा दिया। सावधानी से नोट बनाना चाहिए था।

इसमें एक और कमाल की बात लिखी गयी, अनुदान संख्या 26 वित्त मंत्री जी जरा देखें। इसमें मांगी गयी है रुपया 1 करोड़ 78 लाख 45 हजार। इसकी ड्राफ्टिंग कैसी है। उपर्युक्त व्ययाधिक का मुख्य कारण यह है कि सेवा निवृत्त और मृतकों की संख्या ठीक-ठीक पूर्वानुमान लगाना संभव नहीं है। इसके अतिरिक्त अधिक संख्या के सेवानिवृत्ति और मृत सरकारी कर्मचारियों का होना मुख्य कारण है। यह नहीं मालूम कि कितने लोग रिटायर होंगे या कितने लोग मरेंगे या यह मान लें कि ज्यादा लोग मरेंगे या ज्यादा लोग रिटायर होंगे। शासन को यह मालूम रहता है कि इतने आदमी रिटायर होंगे, हां मरने का अन्दाजा नहीं रहता है। लेकिन क्या कारण है कि वित्तीय वर्ष 1978-79 में ज्यादा लोग रिटायर हो गये। 1 करोड़ 78 लाख रुपये को मांगने का यह बताया गया है कि ज्यादा अधिकारी लोग रिटायर हो गये और ज्यादा मर गये। इसलिए पेंशन ज्यादा देनी पड़ गयी। मैं यह जानता हूं कि इसके कारण दूसरे हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

अभी आप कितना समय और लेंगे।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन्, मैं आपना कर्त्तव्य पूरा कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

अभी तो और लोग भी बोलेंगे, 4 बजे हमको समाप्त करना है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

अभी तो 4 बजने में बहुत देरी है।

परिवार नियोजन को श्रीमन् देखें। इसमें 1 करोड़ 48 लाख 38 हजार 700 रुपये ज्यादा मांगा जा रहा है। यह एक करोड़ 48 लाख कहते है कि प्राविधान कम हो गया है, तो फेमिली प्लानिंग के लिए यह रुपया अतिरिक्त मांग रहे हैं। क्या कर रहे है आप ? आगे चल कर श्रीमन्, आप देखे। जो 4 करोड़ 79 लाख रुपये मांग रहे हैं पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए और कहते है कि छिड़काव काम बढ़ाया गया है। यह पता नहीं है कि इन का फाइलेरिया में बढ़ाया गया है, मलेरिया में बढ़ाया गया है। यह साफ नहीं है।

जबकि इसके लिए अनुपूरक अनुदान में रुपया मांग लिया गया था। आगे चल कर अनुदान संख्या 49 देखें। वित्त मंत्री जी दखें, इसके पहले पैराग्राफ में लिखा गया है कि वित्तीय वर्ष 1978–79 के लिए विकास खण्ड में कार्यरत कर्मचरियों के लिए निर्धारित वित्त सीमा को ध्यान में रखते हुए यात्रा व्यय मद में 1 करोड़ 33 लाख रुपये का अनुदान लिखा गया है जिसमें शासन द्वारा केवल 80 लाख रुपया स्वीकृत किया गया था। इसी नीति में इससे बड़ी भूल और क्या हो सकती है जो एक करोड़ तैंतीस लाख जो निर्धारित किया गया था जिसे डिपार्टमेन्ट ने निर्धारित किया था, जिसे फाइनेन्स विभाग ने निर्धारित किया था वह मासिक व्यय के हिसाब से एक करोड़ तैंतीस लाख रुपये होना चाहिए 80 लाख का क्या हुआ ? एक तरफ तो कम नहीं हुआ। काम में कमी आयी और 22 लाख रुपये कम हो गये।

हमारा भी यह अनुभव हुआ जब कभी यह बात हमारे सामने आयी थी। फाल्स इकानामी से यह काम होने वाला नहीं है हमने कहा। जब हम मूल बजट बनायें तो फाल्ट इकानामी में बजट में कटौती कर दें जब भी हमसे यह कहा जाता था हमने उस समय कहा कि फाल्स इकानामी नहीं करनी चाहिए। यह बजट के लिए गलत है। हमें भी ऐसी सलाह दी गई है लेकिन हमने नहीं मानी। लेकिन मैं श्री राम नरेश जी को और दिघे जी को कहना चाहता हूं कि हमें मूल बजट बनाते समय कम कर लेना चाहिए। अगर हमने एक लाख कर्मचारी रखे है तो उसमें कटौती कर लें लेकिन अगर रखे है तो उनको तनख्वाह देनी होगी। इस तरह से बजट पर नियंत्रण नहीं हो सकता।

श्रीमन्, आगे देखिये। विकास खण्डों के लिए डीजल जीप खरीदी जा रही है। मुझे इसमें दुःख है : जीपें खरीदी जायें ठीक है लेकिन इसमें रुपया कौन सा इस्तेमाल किया जा रहा है, किसान सहायता निधि से। श्रीमन्, आप को याद होगा मैंने एक रूरल डेवलपमेंट फण्ड बनाया था जो छोटे किसान, खेतिहर भूमिहीनों को मदद देने के लिए था। इसके लिए लगभग 16 करोड़ रुपये . . . .

लोकनायक जय प्रकाश नारायण के निधन की कथित सूचना पर शोकोद्गार

*मुख्य मंत्री (श्री बनारसी दास)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अत्यन्त दुःख के साथ सदन को यह सूचना देनी है कि लोक नायक जय प्रकाश जी का निधन हो गया है। इसलिए श्रीमन्, वह सूर्य जिससे रोशनी और गर्मी सब देश को मिलती थी वह सूर्य अस्त हो गया है। सदाचार, सत्य निष्ठा, निर्भीकता, देशभक्ति, विनम्रता की वह मूर्ति जो देश के सारे जीवन को शक्ति देती थी वह क्रूर काल के हाथों तोड़ दी गयी। वह पवित्र सरिता, पवित्र गंगा, क्रान्ति का दूत, त्याग में देश को जो बराबर प्रेरित करता रहा, वह धारा मृत्यु के समुद्र में जाकर विलीन हो गयी।

---

*वक्ता न भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बनारसी दास]

श्रीमन्, लोकनायक ने मान्यताओं के लिए, क्रान्ति के लिए, देश की स्वतंत्रता के लिए, देश में सामाजिक और आर्थिक क्रान्ति के लिए अनवरत संघर्ष किया और आज मृत्यु से भी उन्होंने निरन्तर 3 साल से संघर्ष किया है। मृत्यु के सामने भी उन्होंने अपने को नतमस्तक नहीं किया और अन्त में आज मृत्यु उनको लेकर चली गयी।

श्रीमन्, जय प्रकाश नारायण जी का जीवन हमारे देश के लिए अत्यन्त गौरव का विषय है। अमेरिका में वहां पर परिश्रम करके आपने पी0 एच0 डी0 की डिग्री प्राप्त की और यहां आने के बाद सन् 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में वे स्वतंत्रता संग्राम में लग गये। श्री जय प्रकाश नारायण सत्य के पथिक थे इसलिये वह किसी विचार से अवरुद्ध नहीं होते थे। जहां उन्हें सत्य नजर आता था वह तुरन्त मान लेते थे। सबसे पहले वह कम्युनिस्ट विचार-धारा से प्रेरित हुये थे। कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रेरित होकर उन्होंने देश के युवकों को प्रेरणा दी। लेकिन शीघ्र ही उन्होंने देखा कि देश का कल्याण डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, लोकतंत्रीय सोशलिज्म में है। इसलिये नंबूदरीपाद और आचार्य नरेन्द्र देव और दूसरे नेताओं से मिल कर उन्होंने सन् 1934 में कांग्रेस के अन्दर एक कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की।

सन् 1942 के अन्दोलन के वह एक प्रमुख सेनानी थे। जब वह देहली जेल के अन्दर थे, स्वर्गीय प्रभा जी जब उनसे मिलने गयीं तो जो उनके अन्दर ज्वाला थी वह फूट पड़ी। वह देश को एक संदेश देना चाहते थे। उसी वक्त यहां के होम सेक्रेटरी मैक्सवेल ने श्री जय प्रकाश जी की भर्त्सना की तो महात्मा गांधी ने कहा कि जय प्रकाश प्रिंस एमंग पैट्रीयाट हैं। और जो उन्होंने किया वह अनुकरणीय है। मैं जय प्रकाश जी को अत्यन्त बहादुर, देशभक्त समझता हूं। यह बात दूसरी है कि मुझसे थोड़ा मतभेद रखते हैं। लेकिन अंग्रेजी शासन को जय प्रकाश जी की भर्त्सना करने का अधिकार नहीं था। तो क्रांति हुयी और जिस वक्त सन् 1942 के आन्दोलन के बाद क्रिप्स मिशन आया तो जय प्रकाश जी का मत था कि राज्य-पालों को गिरफ्तार किया जाय और यहां पर क्रान्ति की जाय। उसके बाद श्री जय प्रकाश जी ने सन् 1946 में देहरादून में ए0 आई0 सी0 सी0 के अन्दर प्रस्ताव रखा कि कांग्रेस का लक्ष्य समाजवाद, आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र है जिसको महात्मा गांधी ने, जवाहर लाल ने स्वीकार किया। श्री जय प्रकाश नारायण हमारे देश में समाजवादी विचारधारा के प्रवर्तक थे।

सन् 1948 में कांग्रेस से मतभेद होने के कारण उन्होंने प्रथक समाजवादी पार्टी की स्थापना कीऔर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी और कांग्रेस से अलग हो गये। श्री जयप्रकाश नारायण जैसा मैंने कहा वह सत्य के पथिक थे। उनमें परिवर्तन आया और उन्होंने महसूस किया कि इस देश के लिये सर्वोदय ही अधिक कल्याणकारी है। उन्होंने सर्वोदय के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये अपना जीवन समर्पित कर दिया। सक्रिय राजनीति से वह अलग हो गये। जय प्रकाश जी संसार के ऐसे बिरले पुरुषों में है जो सत्ता की राजनीति से सदैव प्रथक रहे। श्रीमन्, जब देश में अधिनायक वादी विचारधारा चलने लगी तो श्री जय प्रकाश नारायण ने समग्र क्रांति का नारा दिया। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी कालेजों को छोड़ें वह चाहते थे कि शिक्षा के अन्दर आमूल क्रान्ति हो, समाज में आमूल क्रांति हो। वह चाहते थे कि देश में लोकतंत्र पुनर्जीवित हो। दुर्भाग्य से सन् 1975 में यहाँ पर इमरजेंसी की घोषणा की गयी, उसके बाद ही उनको बंदी बना लिया गया और बंदी बनाने के बाद चंडीगढ़ के मेडिकल इंस्टीट्यूट में उनको रखा गया। यह देश का दुर्भाग्य है कि चंडीगढ़ के मेडीकल इंस्टीट्यूट में उनकी किडनी खराब हो गयी। उसके बाद जबसे वह छूट करके आये वह निरन्तर ही डायलेसिस पर जिन्दा थे। लेकिन इसके बावजूद श्री जय प्रकाश जी अपने जीवन की चिन्ता न करते हुये उन मूल्यों और सिद्धान्तों के लिये जिनके लिये उन्होंने जीवन समर्पित किया वह हमेशा संघर्ष करते रहे। तो आज वह प्रकाश, वह रोशनी जो हमको मिलती थी भौतिक रूप से उठ गयी है। लेकिन इतिहास में वह हमेशा अमर रहेगी और उनकी आत्मा अमर रहेगी। उनकी विचारधारा और वह मसाल जो उन्होंने जलाई है वह बराबर जलती रहेगी और

आगे आने वाली संस्तुतियों को वह प्रेरित करती रहेगी। श्रीमन्, मैं श्री लोकनायक जय प्रकाश के प्रति अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि भेंट करता हूं।

*श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

श्रीमन्, शब्द नहीं बन पड़ते कि नेता सदन ने जो अत्यन्त हृदय विदारक सूचना इस सदन को दी कि किन शब्दों में हम प्रातः स्मरणीय श्रद्धेय श्री जय प्रकाश नारायण के निधन के संदर्भ में अपनी श्रद्धांजलि के शब्द प्रस्तुत कर सकें। श्री जय प्रकाश जी एक व्यक्ति केवल एक मात्र व्यक्ति नहीं थे बल्कि वह सदैव अपने जीवन पर्यन्त भारतीयता, गाँधीवाद और प्रजातांत्रिक भावना के तथा समाजवादी जीवन चर्या के वह एक मूर्तिमान विभूति थे। वह स्वयं अपने जीवन में अपनी मृदुता से, अपनी सरलता से और अपनी मृतभाषिता से लेकिन अपने विचारों के प्रति अपने महान हिमालय की, तरह आस्था व्यक्त करते हुये वह प्रेरणा के एक अलौकिक स्तम्भ थे। आज उस महान पीढ़ी का एक महा सेनानी हमको छोड़कर चले गये।

उस महान पीढ़ी की जिन्होंने देश को स्वतंत्रता की आवाज प्रदान की, जिन्होंने अपने अनेकानेक क्रान्तिकारी कार्यों से उस समय की युवा पीढ़ी को ओजस्विता दी और सर्वस्व न्योछावर करने की प्रेरणा दी, वह दिन, विद्यार्थी काल के यहाँ तमाम सम्मानित सदस्य बैठे हैं, सन् 1942 के दिन बरबस याद आते हैं। उस समय यह नारा सारे देश में गूंजता था "भारत के लेनिन जय प्रकाश।" और 1942 की युवा पीढ़ी सुभाष चन्द्र बोस, जय प्रकाश जी को क्रान्ति का दर्शन मानते हुये महात्मा गाँधी के 'करो या मरो' के आन्दोलन को सर्जन मानते हुये उनके नेतृत्व में आते थे। 1942 के पीढ़ी के लोग, चाहे वह किसी राजनीतिक दल या किसी विचारधारा के हों, श्री जय प्रकाश का अद्भुत व्यक्तित्व, जो हजारी बाग से ब्रिटिश के चंगुल से जिस तरह दीवाली की रात को उन्होंने पलायन किया और भूमिगत होकर जिस तरह सारे देश में 1942 की क्रांति का संचालन किया वह, संसार में एक अमर कहानी रहेगी। देवली जेल में रहकर जो उन्होंने भारतीय समाजवाद का विश्लेषण किया और आचार्य नरेन्द्र देव जैसे विचारक के साथ साथ उन्होंने जिस प्रकार भारतीय समाजवाद की पृष्ठभूमि को अपने लेखों द्वारा अग्रसारित किया, वह भविष्य में भी न केवल भारत, बल्कि प्रत्येक विकासशील देश, समाजवादी देश के लिये सदैव के लिये उदाहरण रहेगा। जय प्रकाश जी, जैसा कि नेता सदन ने कहा, एक विद्यार्थी के रूप में अमरीका गये थे और एक गरीब छात्र के नाते उन्होंने एक उदाहरण प्रस्तुत किया कि कैसे एक गरीब छात्र भी कठिनाइयों का मुकाबिला करते हुये उच्च से उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकता है। कैसे उन्होंने सुबह और शाम बगीचे में फल तोड़कर, एक श्रमिक के रूप में काम करके, उच्च शिक्षा प्राप्त की। लेकिन उन्होंने जो वहाँ पूंजीवाद का नग्न रूप देखा, काले गोरे का भेदभाव देखा, उससे प्रभावित होकर जन्म भर समाजवादी रहे।

श्रीमन्, भारत समाजवादी दल की स्थापना नासिक जेल में जब उन्होंने की तब से भारतीय समाजवाद को वह प्रकाश देते रहे और आज कोई भी दल हो, विचार धारा में मतभेद हो सकता है, हमारे राजनैतिक क्रम में मतभेद हो सकता है, लेकिन भारतीय समाजवाद की जो व्याख्या जय प्रकाश जी ने की और उसको लेकर जिस तरह से अपने सहयोगियों के साथ चले, वह आज भी समाजवादियों के लिये, चाहे वे किसी भी दल में हों, सदैव के लिये प्रेरणा देती रहेगी और उनकी जो सजग और मूर्तिमान लेखनी थी, वह भविष्य की पीढ़ियों को प्रकाश देती रहेगी।

मान्यवर, जय प्रकाश जी, सत्ता की राजनीति में रहते हुये भी राजा जनक की तरह, विदेह की तरह, सत्ता से मुक्त रहे। आज की पीढ़ी में वैसे नाम मात्र लोग रह गये हैं जो सत्ता के बीच में रहते हुये भी उसके व्यामोह में न पड़कर अपने रूप को दिग्दर्शित कर सकें लेकिन

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

जय प्रकाश जी ने सदैव इस बात को किया। जब उन्होंने 14 सूत्रीय प्रोग्राम पंडित जवाहर लाल नेहरू के समक्ष प्रस्तुत किया तो उन्होंने उनके सूत्रों को स्वीकार भी किया और उस समय अगर जय प्रकाश जी चाहते तो जवाहर लाल नेहरू के साथ साथ उस समय सत्ता में आ सकते थे लेकिन उन्होंने सत्ता की राजनीति को पसंद नहीं किया। श्रीमन्, इस सदन में ऐसे कई लोग बैठे हुये हैं कि जब उन्होंने सत्ता की राजनीति छोड़ा 1954 में, तो कितने वर्षों तक हम लोग प्रयास करते रह गये लेकिन उन्होंने कहा कि हम सत्ता की राजनीति में भाग नहीं लेंगे और उन्होंने सर्वोदय की विचारधारा को रचनात्मक रूप देने में जिस तरह से अपने जीवन को लगाया, वह संसार की एक अमर कहानी है।

मान्यवर, जय प्रकाश जी के महान व्यक्तित्व के बारे में जो कुछ भी कहा जाय, कम है। उन्होंने मृत्यु से किस प्रकार संघर्ष किया, वह स्वयं भी उनके जीवन की संघर्षशीलता का दिग्दर्शक है। ऐसे महान व्यक्ति के उठ जाने से न केवल हमारे देश की क्षति हुयी है, बल्कि सारा संसार निर्धन हो गया है। मैं आपसे आग्रह करूंगा हूं कि हमारे दल की ओर से, हम सभी की ओर से अश्रु भरे उद्गार उनके जो समस्त अनुयायी हैं, उनके जो भाई राजेश्वरी प्रसाद जी हैं, उनको भेजने की कृपा करें। वैसे तो सारे देश के लिये उसका हक है क्योंकि जो उनके विरोधी भी रहे हैं, उनको भी उन्होंने क्षमा किया। यह तो उनका बड़प्पन ही था और उनके व्यक्तित्व की महानता ही थी कि कभी उनके हृदय में किसी के खिलाफ कोई भावना नहीं रही और यह गाँधीवाद की चरम सीमा थी जो उनमें दिखाई देती थी।

श्रीमन्, वह हमें छोड़कर चले गये लेकिन उनका व्यक्तित्व अमर ज्योति के रूप में भारत की आने वाली पीढ़ियों को प्रकाश देता रहेगा। हमारे संस्कृत साहित्य में कहा गया है असतो मा सत्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। मृत्योर्मा अमृतं गमय। असत्य से सत्य की ओर, अन्धकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु और जीवन द्वन्द से अमृत्व की ओर, इस उद्दात भावना के प्रतीक थे श्री जय प्रकाश नारायण। 'उजाले उनकी यादों के हमारे साथ रहने दो। न जाने किस गली में जिन्दगी की शाम हो जाये।' उनके जीवन का उजाला भविष्य में आने वाली पीढ़ी को उजाला देता रहेगा, यही हम उनके जीवन के प्रति संकल्प कर सकते हैं और यही हमारी श्रद्धांजलि होगी।

*श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

उपाध्यक्ष जी, अभी परसों 20 तारीख को आदरणीय जय प्रकाश नारायण के दीर्घजीवी होने की कामना इस माननीय सदन के द्वारा की गयी थी। आज यह दुखद समाचार प्राप्त हुआ कि उनका देहावसान हो गया। श्रीमन, उनकी सबसे बड़ी देन तो देश की आजादी के बारे में रही। उस समय लाखों लोगों ने उनसे प्रेरणा प्राप्त की थी और उसके बाद जैसा कि अभी नेता, विरोधी दल ने कहा उन्होंने ही इस देश में समाजवादी पार्टी का गठन किया और उस पार्टी के गठन द्वारा भी लाखों लोगों को प्रभावित किया। सन् 1948 में जैसाकि इस सदन के पुराने माननीय सदस्यों को ज्ञात होगा उन्होंने सत्ता की राजनीति को छोड़ दिया और काँग्रेस से अलग हो गये। मेरी भी श्रीमन्, दो बार उनसे मुलाकात हुई है। एक बार तो बम्बई में जब वे भूदानी और सर्वोदयी हो चुके थे। एक बहुत बड़ी मीटिंग थी। उनसे सवाल कर दिया गया कि आप तो देश में समाजवाद लाना चाहतेथे लेकिन क्यों भूदानी, ग्रामदानी और सर्वोदयी बन गये। जो आपकी पुरानी विचारधारा थी, उसको आपने छोड़ दिया। उसका उत्तर उन्होंने बड़ी उदारता के साथ दिया और उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ। हालाँकि हमारी पार्टी और माननीय जय प्रकाश जी के विचारों में मतभेद था। इसके बावजूद भी उनमें जो सबसे बड़ी खूबी थी वह यह कि वे लोगों से बिना किसी भेदभाव के बड़ी उदारता से मिलते थे। हमारे देश की आजादी के लिए उन्होंने श्रीमन्, बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, इसलिए उनका नाम सदैव अमर रहेगा। मैं नेता सदन ने जो भाव व्यक्त किये हैं और नेता, विरोधी दल ने जो विचार व्यक्त किये हैं उनसे अपने दल को सम्बद्ध करता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि मेरे दल की ओर से मेरी श्रद्धांजलि उनके परिवार के लोगों और जान-पहचान के लोगों तक पहुंचाने की कृपा करें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री लक्ष्मी शंकर यादव (जिला जौनपुर)--

मान्यवर, अभी थोड़ी देर पहले नेता सदन ने बाबू जय प्रकाश नारायण के स्वास्थ्य के बारे में सूचना दी थी, उसके बाद यह दुखद समाचार मिला। इससे तमाम लोगों को शोक समुद्र में डूबना पड़ा। नेता सदन और नेता, विरोधी दल और श्री ऊदल ने जो विचार व्यक्त किया है उससे हम अपने दल को सम्बद्ध करते हैं। उनके जीवन की जो खूबी रही है वह अभी सभी माननीय नेताओं ने बताया। वैसे उनके विषय में सारा संसार जानता है। मैं तो ऐसा मानता हूं कि वे एक त्यागी पुरुष थे और सत्ता से दूर रहना चाहते थे और रहे और जीवन भर सत्ता के विकेन्द्रीकरण में जुटे रहे। मैं ऐसा मानता हूं कि हमारे देश में गाँधीवाद और ग्राम स्वराज्य, पंचायत राज के सबसे बड़े प्रचारक और सबसे बड़े हामी थे और सबसे बड़े नेता थे। वे बड़े बहादुर थे, त्यागी थे, महान पुरुष थे ही। जब भी वे तय कर लेते थे, जिससे समझते थे कि राष्ट्र का हित होगा, जनता का हित होगा तो जो भी विचार हो, कोई उसे मानता हो या न मानता हो लेकिन इतनी दृढ़ता उनमें थी कि वे उस रास्ते पर बड़ी दृढ़ता से चलते थे और उसे आगे बढ़ाते। ये तमाम ऐसी खूबियाँ थीं कि ऐसी खूबी का महान व्यक्ति जल्दी नहीं आता। इसलिये उनके जाने से जो देश या संसार में शून्यता आई, वह भरी जा सके, यह सोचा नहीं जा सकता। हम अपनी तरफ से और अपने दल की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और आपसे निवेदन करते हैं कि हम सब की तरफ से, हमारे दल की तरफ से आप उनके परिवार वालों को संवेदना भेजने की कृपा करें और साथ ही मैं ईश्वर से भी प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शाँति मिले और उनसे संबंधित परिवार या अन्य लोगों को यह दुख सहन करने की शक्ति भी भगवान उन्हें दे।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)--

मान्यवर, परसों इस सदन ने उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना की थी और उसके बाद माननीय मुख्य मंत्री जी ने कल स्वयं बम्बई जाकर उनको देखने के बाद आज जब सदन को अवगत कराया कि कुछ हालत में सुधार हुआ है तो हम सबको एक सुकून मिला था लेकिन ज्यादा समय नहीं बीता और यह खबर सुनने को मिली कि वे, श्री जय प्रकाश जी हमारे बीच से चले गये। यह एक हृदयविदारक घटना है। हमारे लिये, इस सदन के लिये, सारे देश के लिये। मैं यह कहना चाहूंगा कि उनका जीवन शुरू से ही लेकर आखिर तक संघर्ष का ही दूसरा नाम रहा। स्वाधीनता संग्राम में उनकी भूमिका ऐतिहासिक थी लेकिन उन्होंने अपनी उस भूमिका को स्वाधीनता संग्राम तक ही सीमित नहीं रखा। उसके बाद भी भारतीय जनमानस का दर्द उनके दिल में हमेशा समाया रहा। जब जब उन्होंने देश के ऊपर आपत्ति के बादल मंडराते देखे, सदैव उन बादलों के खिलाफ उन्होंने आवाहन किया। ज्यादा दिन अभी नहीं बीते, जिस समय हमारे देश में, उन्होंने महसूस किया कि लोकतांत्रिक मूल्य खतरे में है, उन्होंने महसूस किया कि भारत में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और मंहगाई का नंगा नाच हो रहा है, उस समय उन्होंने सारे देश की युवा शक्ति का आवाहन किया था और उस युवा शक्ति के अन्दर एक विश्वास पैदा किया था। उनके उस आवाहन के साथ सारा देश उमड़ पड़ा था, जिसको श्री जय प्रकाश जी ने समग्र क्रान्ति की संज्ञा दी। इस क्रान्ति की चपेट में सारा देश आया। आपातस्थिति लागू हुई, उसमें भी उन्होंने यातनाओं को सहते हुए, पूरे देश का मनोबल ऊंचा बनाये रखा, जो भारतीय नागरिकों में आत्मबल था, उसको और आगे बढ़ाया। मान्यवर, मैं उनके अन्दर जो दृढ़ता, जो विश्वास की भावना थी, उसको किन शब्दों में प्रकट करूं, मैं नहीं कह सकता। हमारे सामने वह छोड़ गये हैं। उनकी भावना के मुताबिक जब परिवर्तन आया और उस परिवर्तन के बाद भी जब जब उन्होंने अपने उन सपनों को पूरा होते नहीं देखा, तब तब कहा कि हमारे संघर्ष का सिलसिला जारी है और आखिरी साँस अपने उसी पैगाम के साथ वह हमारे बीच से चले गये। मैं उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि उसी को समझूंगा यदि उनके पैगाम के साथ हम अपने को जोड़ें और आगे बढ़ायें। वह पैगाम

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राम आसरे वर्मा]
जिसे उन्होंने मानव मूल्यों की स्थापना के सिलसिले में, लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना के सिलसिले में, समाज को सही रास्ते में ले जाने के सिलसिले में जारी रखा। यही सच्ची श्रद्धांजलि उनके प्रति होगी।

इन बातों के साथ नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल, माननीय यादव जी, माननीय कदल जी द्वारा प्रकट किये गये उदगारों के साथ अपने को सम्बद्ध करते हुये, अपने दल को सम्बद्ध करते हुये, श्रद्धाजलि अर्पित करता हूं और आपसे यह आग्रह करूंगा कि हमारी श्रद्धांजलियों के पुष्प उनके परिवार तक भिजवाने का कष्ट करें और हम यह कामना करते हैं कि उनके सम्पर्क का सारा परिवार, सारा देश, जो आज शोकाकुल है, को शांति मिले।

*श्रीमती कुदसिया बेगम (जिला हरदोई)---

उपाध्यक्ष जी, अभी जो दिल खराश बात सुनने में आई उसका असर हम सब के दिलों पर जो है वह साफ जाहिर हो रहा है। परसों जबसे उनकी बीमारी की खबर मालूम हुई थी हर एक को यही फिक्र थी और यही दुआ थी कि उनको सेहत हो जाय। मैं समझती हूं कि ऐसा कोई आदमी नहीं होगा जिस को इस खबर से रन्ज और सदमा नहीं पहुंचा होगा। वह एक बहुत बड़ी हस्ती थे, एक महान पुरुष थे। उन्होंने अपनी तमाम जिन्दगी मुल्क के खिदमत में गुजारी, कुर्बानियाँ की और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने कभी किसी इज्जत या किसी ओहदे की ख्वाहिश नहीं की। उन्होंने अपने जीवन को ग्राम उद्योग और ग्राम सुधार के लिए वक्फ कर दिया लेकिन जब उन्होंने देखा कि हिन्दुस्तान में एक अजीब वातावरण पैदा हो रहा है और जिस वातावरण के लिए हमारे महान पुरुषों ने कुर्बानियाँ की थीं, बलिदान दिये थे वह उन्हें खत्म होते नजर आया, तो बावजूद अपने कमजोर सेहत के, बावजूद अपने मजबूरियों के, वह आगे आये और उनके पीछे हमारे मुल्क के करोड़ों, लाखों आदमी हो गये। हमारे युवक, जिन्होंने एक इतना बड़ा इनक्लाब देश में पैदा किया, प्रकाश जी के पीछे लग कर, वह हम कभी नहीं भूल सकते। मुझे जातीय तौर पर फक्र था कि मैं उनसे मिली थी। उन से बातें करने का मुझे मौका मिला था और मैं समझती हूं कि वह हमारे मुल्क के एक बहुत बड़े, महान पुरुष हुये। अफसोस है कि वह आज हमारे बीच से चले गये।

उन्होंने अपने मुल्क की नब्ज को पहचाना था और उसी के साथ वह चले थे। आज हम सब यतीम हो गये। बड़े-बड़े महान पुरुष जिन्होंने इतनी बड़ी खिदमत मुल्क के लिए की थी वह हमसे छूटते चले जा रहे हैं। अफसोस तो यह है कि उनकी जिन्दगी से जो हमको सबक लेना चाहिये था उसको हम भूलते चले जा रहे हैं। जय प्रकाश जी जो हमारे बीच से चले गये हमारे नवयुवकों ने उनका साथ दिया। महात्मा गांधी तथा जवाहर लाल नेहरू जो बड़े-बड़े नेता थे उनके जमाने में इस पीढ़ी के युवक नहीं थे लेकिन इस पीढ़ी के युवक हमारे मुल्क में इस समय हैं उन्होंने जय प्रकाश के नारे पर उनका साथ दिया। मैं उम्मीद करती हूं कि उनकी कुर्बानियों को हम जल्दी नहीं भूलेंगे। मुल्क की उन्होंने जो खिदमत की और इस जम्हूरियत को बचाने की कोशिश की और जिन आला उसूलों को सामने रख कर उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया उसको हम सब लोग याद रखेंगे और उसे याद रखते हुए उनकी रूह को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे. . . .

लोकनायक श्री जय प्रकाश नारायण के निधन की गलत सूचना दिए जाने पर मुख्य मन्त्री द्वारा खेद प्रकाशन

*मुख्य मंत्री (श्री बनारसी दास)---

मैं एक सूचना देना चाहता हूं। मुझे खेद है कि टेलिप्रिन्टर पर यह सूचना आई थी कि उनका निधन हो गया अभी पुनः सूचना मिली है कि वह रिवाइव कर गये हैं और वह जीवित हैं।

(मेजों की थपथपाहट)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---

मैं समझता हूं कि यह बहुत गंभीर बात है। मुझे दुख है कि मुख्य मंत्री जी ने खेद भी प्रकाश नहीं किया कि उन्होंने सदन को गलत सूचना दी। इतना सब कुछ हो गया, इतनी बड़ी बात यह है। हम सब लोग दुखी हो गये, हमने प्रार्थना की तो कम से कम मुख्य मंत्री खेद प्रकाश तो करते। इसकी जांच भी होनी चाहिये कि किसने यह गलत सूचना दी ?

*श्री बनारसी दास---

श्रीमन्, मुझे खेद है। टेलिप्रिन्टर की सूचना थी जो मैंने सदन को दी थी। मैंने अपने कर्त्तव्य का पालन न किया होता अगर टेलिप्रिन्टर की खबर के आधार पर सदन को इस दुखद घटना से सूचित न किया होता। अभी रेडियो से मालूम हुआ कि वह रिवाइव हो गये हैं। पहले यह था कि उनका निधन हो गया लेकिन अब रेडियो की न्यूज यह है कि लोकनायक जी रिवाइव कर गये हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी---

मुख्य मंत्री जी ने इतनी दुखभरी खबर दी....

श्री उपाध्यक्ष---

इसके ऊपर उन्होंने खेद प्रकाश कर दिया है।

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी (जिला इलाहाबाद)---

हम लोग अनावश्यक इस विवाद में पड़ रहे हैं....

श्री उपाध्यक्ष---

मुख्य मंत्री जी ने खेद प्रकाश कर दिया है। टेलिप्रिन्टर की सूचना के आधार पर उन्होंने सूचना दी थी। अब इसके ऊपर ज्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)---

टेलिप्रिन्टर की सूचना मुख्य मंत्री जी को किसने दी इसकी जांच कराई जाय। इतना बड़ा अनर्थ सदन के इतिहास में कभी नहीं हुआ।

श्री उपाध्यक्ष---

देव बहादुर सिंह, आप बैठें।

श्री राज मंगल पांण्डेय (जिला देवरिया)---

मान्यवर, मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि मुख्य मंत्री द्वारा ऐसी सूचना दिये जाने पर आपने कहा कि चर्चा बन्द हो जानी चाहिए। यह कोई चर्चा का विषय नहीं है लेकिन क्या किसी प्रदेश का कोई भी शासन और उस शासन को चलाने वाला कोई भी मुख्य मंत्री केवल टेलीप्रिंटर की न्यूज के आधार पर इस सदन को और देश के तमाम लोगों को उस महान व्यक्तित्व के बारे में ऐसी सूचना दे सकता है

श्री पूरन चन्द (जिला अल्मोड़ा)---

मुख्य मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए....

व्यवधान।

श्री राज मंगल पाण्डेय---

मेरा कोई भी ऐसा इरादा नहीं है, जैसा कि माननीय सदस्य कह रहे हैं। मैं तो केवल एक बात कहना चाहता हूं कि ऐसी घटना पहले पहले आज जीवन में देखने को मिली है कि

[श्री राज मंगल पाण्डेय]
इतने बड़े प्रदेश का मुख्य मंत्री टेलीप्रिंटर की न्यूज के आधार पर सदन को सूचना दे जिसकी वजह से आज सारा सदन और सारा उत्तर प्रदेश क्षुब्ध हो गया और एक ऐसी मनःस्थिति हो गई जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। मैं इस्तीफा नहीं मांग रहा हूं। मैं इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता लेकिन इतना अवश्य कह सकता हूं कि जिस अधिकारी ने इस किस्म की सूचना दी है और उस सूचना के आधार पर सदन को सूचित किया गया है उससे जवाब-तलब होना चाहिए और कार्यवाही होनी चाहिए। आज के इस साइन्स और टेक्नालोजी के युग में बम्बई के जसलोक हास्पिटल से टेलीफोन या वायरलेस से क्या कनेक्शन नहीं हो सकता था? दुनिया के किसी भी इतिहास में और यहां तक कि साधारण जीवन में टेलीप्रिंटर के ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता और इस सीमा तक तो नहीं विश्वास किया जा सकता कि किसी प्रदेश के अन्दर जब कि सदन चल रहा हो और ऐसी सूचना दी जाय। तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि जिस अधिकारी ने आपको यह सूचना दी है उसके खिलाफ आप क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं?

श्री बनारसी दास—

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का अत्यन्त खेद है कि इस गम्भीर अवसर पर भी कुछ सदस्यों ने लोक नायक जय प्रकाश जी के प्रति ऐसी आपत्ति की। यह सूचना टेलीप्रिंटर से मिली और मैंने सदन को सूचित किया। मैं कहता हूं कि यह सूचना गलत हुई। उसके बाद सदन के अन्दर थोड़ा आराम की सांस होनी चाहिये थी। अगर यह सूचना गलत भी हो गई. . . .

(व्यवधान)

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी—

कम से कम क्षमा तो मांगनी चाहिए।

श्री बनारसी दास—

टेलीप्रिंटर में जो गलत सूचना मिली इसके लिए जांच करके कि क्यों ऐसी सूचना दी उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

श्री मुख्तार अनीस (जिला सीतापुर)—

मान्यवर, जो कुछ भी चर्चा यहां हुई है वह सदन की कार्यवाही से निकाल दिया जाय।

श्री बनारसी दास—

अभी मुझे सूचना मिली है कि लोक सभा में भी यह एनाउन्समेंट हुआ। तो यह जैसी कहावत है कि घटना के बाद होशियार बनना चाहिये। जो भी व्यक्ति मेरी जगह होता वह यह करता। मुझे अत्यन्त खेद है और यह लज्जा का विषय है कि कुछ सदस्य चिल्ला चिल्ला कर गरिमा के खिलाफ इस सदन का अवमान करते हैं। यह अत्यन्त लज्जा और शर्म की बात है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

इसके लिए जब उन्होंने अफसोस जाहिर कर दिया तो फिर बात खतम होती है और इस मामले में मेरे ख्याल में ज्यादा विवाद करना मुनासिब नहीं होगा। सदन को इस मामले में गंभीर होना चाहिये। एक बात अगर गलत हो गई, टेलीप्रिंटर ने गलत सूचना दे दी और उसके आधार पर मुख्य मंत्री जी ने कह दिया तो पहले तसदीक करना चाहिये था। यह बिना तसदीक किये हो गया, महात्मा गांधी के बाद हमारे देश में लोकनायक का अस्तित्व है। मुख्य मंत्री जी ने जानबूझ कर गलत सूचना नहीं दी इसलिए इस विवाद को समाप्त करें।

श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)—

कार्यवाही में जो लिख दिया गया है उसे निकाल दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

कार्यवाही से नहीं निकाला जायेगा। माननीय नेता विरोधी दल अपना भाषण जारी रखें।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मुझे कुछ नहीं कहना है।

श्री उपाध्यक्ष—

अनुपूरक मांगों के बारे में ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

सप्लीमेंटरी के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। और लोग कहेंगे।

श्री रामदत्त जोशी (जिला नैनीताल)—

जो सूचना टेलीप्रिंटर और रेडियो से प्राप्त हुई वह दोनों अपनी जगह सही है। पहले यह सूचना आई कि उनका देहांत हो गया और फिर रेडियो से सूचना आई कि रिवाइव कर गये। ऐसे ही पहले भी उनकी हृदय गति रूक गई थी। मेरी समझ में नहीं आता कि दोनों सूचनाओं में विरोधाभास कहाँ है।

(व्यवधान)

1978–79 के अनुपूरक अनुदानों पर सामान्य चर्चा (क्रमागत)

श्री उपाध्यक्ष—

अनुपूरक अनुदानों के ऊपर जो माननीय सदस्य बोलना चाहे वे खड़े हो जायं।

*श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

श्रीमन्, माननीय वित्त मंत्री जी ने इस प्रदेश के सामने अरबों रुपये के अनुपूरक अनुदान रख दिये। मेरी समझ में नहीं आता कि मंत्रिमंडल में इतनी कमी क्यों है ? बार बार इस सदन में इस तरह की माँगे आती हैं। मैंने इसके लिए संकेत भी किया है कि जिस प्रकार से अधिकारी बनाकर दे देते हैं बिना उसको देखे इस सदन में मंत्री जी रख देते हैं और सदन की मंजूरी मिल जाती है।

(शोर)

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सदस्य शाँति रखें जो माननीय सदस्य जाना चाहते हैं कृपया शाँति पर्वक चले जायं। शोर न करें।

श्री रियासत हुसैन—

मुख्य मंत्री जी ने अपने मंत्रिमंडल का जिस तरह से विस्तार किया है एक चरण हो गया 27 की तादाद का और दूसरा चरण आगे 27, 28 की तादाद का होने वाला है। तो उसके लिए भी श्रीमन् पैसा माँगा है कि कारें चाहिए और उनके जनहित के लिए जो दौरे होंगे पूरे प्रदेश में, उसके लिए भी और ज्यादा रकम की माँग की है। इस माननीय सदन की अवहेलना करना इस मंत्रिमंडल ने अपना परम कर्त्तव्य बना लिया है। इसलिए कि इस सदन में एक प्रतिवेदन 19 जुलाई, 1975 को पेश हुआ था, माननीय रामायण राय की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी थी, उसकी तरफ आप देखें। उसके भाग–1 में इस बात की संस्तुति है कि इस माननीय सदन की जो समितियाँ है, उनके चेयरमैन और अध्यक्षों के लिए भी कुछ सिफारिशें की गई थीं, किन्तु उसकी पूरी तरह से नजरन्दाजी कर दी गयी है। तो सन 1975 की जो सिफारिशें है, उनकी तरफ तो मंत्री जी का ध्यान आज तक कोई नहीं गया। आज के मुख्य मंत्री, उस समय जब हमारे अध्यक्ष थे, उनके सामने यह मसला आया था और वित्त मंत्री के सामने उन्होंने तसलीम किया कि ये सही है। लेकिन उस समय वित्त मंत्री

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रियासत हुसैन]

द्वारा पैसे के कारण पाबन्दी लगी। वह एक लाख कुछ हजार का ही मामला था, उस पर खर्च नहीं स्वीकार किया गया। लेकिन जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तो उसके लिए सप्लीमेंटरी बजट में 9 लाख 75 हजार की स्वीकृति लेने के लिए अनुपूरक अनुदानों में पेश कर दिया गया है। यह केवल खेद की बात नहीं, लज्जा जनक और शर्म की बात है। एक तरफ तो जब कोई मंत्री शपथ ले, तुरन्त ही उसका टेलीफोन लग जाए, हजारों रुपये का फर्नीचर लग जाए, टी0वी0 लग जाए तथा और तमाम किस्म की सुविधाएं मयस्सर हो जाएं, लेकिन उन सिफारिशों के अनुसार उस पर कोई इस सरकार का ध्यान नहीं गया। रायल होटल के ब्लाक नम्बर 4 के कमरा नम्बर 28 में एक विधायक रहते थे, उनके कमरे की तरफ मैंने बार-बार सम्बन्धित अधिकारियों का ध्यान दिलाया लेकिन कुछ नहीं, अब उनका टेलीफोन भी हटा दिया गया और उस पर दूसरे मंत्री का कब्जा हो गया और उनका सामान मिनटों में हटा दिया गया। मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि माननीय वित्त मंत्री ने मंत्रियों के दौरे और भत्ते के लिए अनुदान माँगा है।

अब आप अन्य चीजें देखिए। आजकल स्थिति यह है कि अरबों रुपये के अनुदान सप्लीमेंटरी बजट में आ गये हैं, लेकिन किसान की हालत क्या है? गन्ने की दुर्दशा आप जानते हैं, वह बिका नहीं लुट गया है और लुटे हुए का भी मूल्य उसे मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। पैसा मिलने की भी बात है तो मिलमालिकों—सेठों से नहीं बैंकों से दिलवाने की बात है। सेठों से वसूल करके देने की ताकत इस सरकार में नहीं है। उससे बुरी हालत आलू की हो गई है और उससे भी बुरी हालत मेंथा की हुई। आगे गेहूं का भी क्या होगा, कुछ पता नहीं, क्योंक उसकी फसल आगे बहुत अच्छी है। कोई उसको खरीदने वाला बनेगा या नहीं। कुछ कहा नहीं जा सकता।

(इस समय 2 बजकर 20 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री शम्भूनाथ पीठासीन हुए।)

कोई एजेंसी प्रदेश के अन्दर खुलेगी या नहीं, इसका सप्लीमेंटरी बजट में कहीं जिक्र नहीं है। दूसरी तरफ किसान के सामने समस्याएं हैं, साधारण जनता के सामने समस्याएं हैं। सीजन आ गया है शादी विवाह का। जिस बेचारे को शादी विवाह करनी है उसको रात को नींद नहीं आती। हजार रुपये सोने का भाव, बीस रुपये का भाव चाँदी का, 45 रुपये का भाव ताँबे का, कपड़ा बीस रुपये मीटर से कम नहीं मिलता और मिरचा वगैरह 15–20 से कम नहीं। साधारण आदमी के सामने यह बात आती है कि यह सरकार जो अरबों रुपये का अनुदान सप्लीमेंटरी बजट की शक्ल में माँग रही है, क्या यह उचित है?

अब लॉ ऐंड आर्डर की तरफ देखिए। जो कानपुर के अन्दर घटनाएं हुईं उसमें माननीय सदन के सामने आ चुका है। लेकिन जरा सा हिस्सा मैं हाउस के सामने उसमें से पढ़ना चाहता हूं। हरिनारायण गुप्ता का मर्डर हुआ है, उस घटना के पीछे क्या है, उसके सम्बन्ध में पढ़ कर सुनाता हूं—

"मकतूल हरी इलाके में जरायम के बढ़ते हुए अड्डों से बहुत नाखुश था। वह डाक्टर लोहिया और लोकनायक का सच्चा भक्त था। इसको यह पसन्द न था कि जिस जनता पार्टी के बरसरे इक्तदार लाने में इसने अपनी तवानाइयाँ सर्फ की हों, उसकी हुकूमत में माशरे को खराब करने में ब्यूरोक्रेसी और पुलिस साथ दे। मकतूल हरी को इलाके में टिंचर जिंजर की दुकान और जुए के अड्डों से सख्त दुश्मनी थी। उसने जरायम के उन अड्डों के खिलाफ शिकायत भी की थी। कहा जाता है कि इस बात पर न सिर्फ जरायमपेशा अफराद बल्कि बाज पुलिस वाले मुकामी नामनिहाद जनता पार्टी के लीडरान भी नाखुश थे जिनको इन अड्डों से माली मुनाफियत होती है। यह बात गिरफ्तारशुदा अफराद के किरदार से भी साबित हो जाती है क्योंकि इन लोगों का ताल्लुक मुबाइना तौर पर जरायम के अड्डों से है।" मैंने इसलिए कहा कि जो यह जरायम हो रहे हैं, जो दिनदहाड़े मर्डर हो रहे हैं, इनके पीछे क्या है? सदन में नियम 51 में भी आया, लगातार सदन में दोहराया गया कि माननीय

मुख्य मंत्री इसके अन्दर जाँच कराएं, जाँच के साथ इस बात का भी स्पष्टीकरण हो जो यह उस घटना के सम्बन्ध में छपा है, उसके पीछे कुछ पालिटीशियंस चाहे जनता पार्टी के हों या दूसरे दल के हों, उन सब का कोई हाथ साबित होता है तो चाहे लॉ ऐंड आर्डर का कितना ही ढोल पीटा जाने लगे जब पूरे प्रदेश के अन्दर ऐसे हालत मौजूद है, इन स्टैबिलिटी के बारे में जिस का प्राइम मिनिस्टर सर्टिफिकेट दे दे, जनता पार्टी का अध्यक्ष सर्टिफिकेट दे दे तो फिर नैचुरल बात है कि जो अधिकारी या कर्मचारी हैं या साधारण आदमी है उसके दिमाग पर यह सब बातें हैं, इनस्टैबिलिटी मौजूद है तो ला ऐंड आर्डर कंट्रोल में नहीं आ सकता।

मुजफ्फरनगर के बारे में जरा सा ध्यान दिलाऊं। एक अखबार के अन्दर वह छपा है। मुजफ्फरनगर जेल की तीन मिसालें बताऊं। एक वहाँ रामेश्वर साहनी है जिनको लगातार दस साल अंडर ट्रायल की हैसियत से हो गये। दूसरे वहाँ पर किसी गर्ल किडनैपिंग में लाल जी पाँडेय है अंडर ट्रायल उनको दस साल हो गये। एक तीसरे हैं उनको सात साल हो गये। दस दस साल अंडर ट्रायल हो जाते हैं। कोई पुरसाँ हाल नहीं। क्या यह सरकार को चलाया जाना कहा जाय, या यह गिर रही है या लुढ़क रही है? क्या कहा जाये, इतने अनुदान की माँग की गयी है। हर जगह पर संघर्ष चल रहा है। कादराबाद हमारी आश्वासन समिति निरीक्षण के लिए गयी थी। आश्वासन हो जाता है। लेकिन वह पूरा नहीं होता है। चाहे आश्वासन इस सदन में दिया जाये या बाहर दिया जाये कोई पूरा नहीं होता है। गोरखपुर विश्वविद्यालय के वाइस चाँसलर का प्रश्न है, उसको टाला जाता है। स्टूडेन्ट आते हैं अपनी समस्या लेकर लेकिन उनसे पिन्ड छुड़ाने के लिये आश्वासन दे दिया जाता है, वह पूरा नहीं होता है।

मान्यवर, मैं अब ला एन्ड आर्डर की बात कहना चाहता हूं। इस ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि ला एण्ड आर्डर की रीढ़ पी0 सी0 एस0 अधिकारी और पुलिस के प्राविन्शियल अधिकारी होते हैं। ला एन्ड आर्डर में उनका बड़ा हाथ रहता है। लेकिन जो आई0 ए0 एस0 अधिकारी होते हैं वह उनके हकों हकतलफी करते हैं। इस ओर क्या शासन ने कभी सोचा है? कभी नहीं सोचा है, मैं तो यह कहता हूं। अगर सोचा होता तो कोई परेशानी ही नहीं होती। प्राविन्शियल अधिकारी भी जिम्मेदार व्यक्ति होते हैं फिर भी उनको थर्ड ग्रेड का अधिकारी समझा जाता है। तो मान्यवर, आपका ला एन्ड आर्डर कैसे चलेगा? शासन को इस ओर विचार करना चाहिए और सोचना चाहिए।

मान्यवर, मैं अब दूसरी बात कह रहा हूं। एक ठेकेदार जो शारदा सहायक योजना में था उसने क्लेम किया हाई कोर्ट में और वहाँ से वह जीत गया और उसकी डिक्री हुई। इसीलिए 14,900 रुपये की सप्लीमेंटरी ग्रान्ट आयी उसको उस डिक्री का रुपया देने के लिए, यह हालत है आपकी। मान्यवर, यही एक मामला नहीं है बल्कि 10 और केसेज इसी प्रकार के हैं उनकी भी डिक्री होने वाली है। उसमें 5 करोड़ रुपये का मामला इनवाल्व है। माननीय मंत्री जी इस बात का आश्वासन दें कि उसमें जो व्यक्ति दोषी होगा उससे उतना ही रुपया वसूल किया जायेगा जितने की डिक्री होती है। आप उनके खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे जिनके कारण आपको यहाँ पर बजट लाना पड़ रहा है?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि शारदा सहायक परियोजना से सम्बन्धित लगभग 3 करोड़ के मामले सरकार को रेफर कर चुका हूं चाहे वह सिल्ट के मामले हों, चाहे लोहे के मामले हों, चाहे अन्य कोई मामले हों। फाइल बन गयी है कि कार्यवाही की जा रही है, या यह लिखकर आ जाता है कि आपका पत्र सिंचाई सचिव के पास भेज दिया गया है। लेकिन कार्यवाही क्या की गयी है इसका पता नहीं लगता है। कभी भी मेरे पास इस बात की जानकारी की चिट्ठी नहीं आयी कि फलाँ मामले में यह कार्यवाही की गयी है। आप देखें कि सिंचाई विभाग के अधिकारी किस प्रकार से काम करते हैं। कादराबाद, मोदीनगर हम गये थे वहाँ पर जाँच

[श्री रियासत हुसैन]

किया तो पता चला कि वहाँ पर जो एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर थे वह प्रमोट होकर एडीशनल चीफ या कोई दूसरे अधिकारी हो गये उनकी साठ गाँठ से तमाम जमीन मोदी परिवार को मिल गयी।

श्री अधिष्ठाता—

जो आपने रेफर किया है क्या एश्योरेन्स कमेटी की रिपोर्ट सदन में पेश हो गयी है ?

श्री रियासत हुसैन—

जी नहीं, अभी नहीं आयी है ।

श्री अधिष्ठाता—

तो फिर आपको इसे नियमतः रेफर नहीं करना चाहिए जो मामला विचाराधीन हो, उसे नहीं करना चाहिए ।

श्री रियासत हुसैन—

रिपोर्ट हमने दे दी है, सदन में आने ही वाली है ।

तो करप्शन के बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि डेरी फेडरेशन में 80 लाख का गोल माल है जिसको मंत्री जी ने देख लिया है। तो फिर डायरेक्टर्स और जो मैनेजमेंट के लोग हैं, उनके खिलाफ क्यों कोई कार्यवाही नहीं करते हैं ? इसके अलावा हाइडिल विभाग का भी 87 करोड़ रुपया बकाया पड़ा है। 3 करोड़ रुपया स्थानीय निकायों पर बकाया है जिनका इलक्शन नहीं हो रहा है, 7 करोड़ रुपया ट्यूबवेल्स पर बकाया है और 23 करोड़ रुपया प्राइवेट ट्यूबवेल्स पर बकाया है। इसकी वसूली क्यों नहीं की गयी है ? 13 करोड़ रुपया केवल सरकारी खजाने में है लेकिन वसूल नहीं हो पा रहा है। ऐसी हालत में यह सप्लीमेंटरी बजट के जरिए से बार बार करोड़ों और अरबों रुपये मांगा जा रहा है। चूंकि सदन में इनकी अकसरियत है लिहाजा जो भी सदन में रख दिया जाता है, पास होकर चला जाता है। मैं समझता हूं कि यह किसी भी सूरत में उचित नहीं है।

अब मैं मुरादाबाद की गन्ना सोसायटी के बारे में आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। इसमें 61.83 लाख रुपया बकाया है जिसमें से 40 लाख रुपया एक साल से ज्यादा का बकाया है, पेपर्स सील कर दिय गये, एफ0 आई0 आर0 लौज कर दी गयी लेकिन सोसाइटी को डिस्बैन्ड नहीं किया जा सकता है और वह बदस्तूर बनी हुयी है। इन सारी चीजों को ध्यान में रखकर मेजोरिटी के नाम पर सदन में रख दिया जाता है और पास हो जाता है जिसे मनमाने ढंग से खर्च कर लिया जाता है। प्रदेश की जनता को आप इतना बेवकूफ समझते हैं कि वह महसूस नहीं करेगी। इसलिए आप इस अरबों रूपये के अनुपूरक अनुदानों को मन्जूर कराकर फिजूलखर्ची में खर्च कर डालते हैं। आपको इन कामों के लिए सप्लीमेंटरी बजट द्वारा रुपया मांगने का अख्तियार नहीं है।

*श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं सप्लीमेंटरी बजट के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। उत्तर प्रदेश के अन्दर 3 महीने की जो बजट मांग की गयी है, मैं तो समझता हूं कि सारा बजट एक साथ आता तो उचित होता। जहां तक सत्ता पक्ष का सवाल है हम इधर रहते हुए भी यह महसूस करते है कि जनता का रुपया, टैक्स का रुपया, जो शासन में आता है, उसका सही उपयोग नहीं होता है और मैं इस बात से पूर्णतः सहमत हूं कि आज मंत्रिमंडल का खर्चा बहुत ही बढ़ गया है। वर्ष 1974 में माननीय बहुगुणा जी हेली-कोप्टर से लखनऊ से कानपुर गये थे, उस बात को लेकर उस समय के नेता विरोधी दल, चौधरी चरण सिंह ने सवाल उठाया था कि लखनऊ से कानपुर तक के लिये हेलीकाप्टर का इस्तेमाल फिजूलखर्ची है। लेकिन आज जनता पार्टी के शासन में हेलीकाप्टर का इस्तेमाल

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

फिजूलखर्ची है। लेकिन आज जनता पार्टी के शासन में हेलीकाप्टर का इस्तेमाल रिक्शा बन गया है। भूतपूर्व हमारे मुख्य मंत्री जी ने 3–3, 4–4 किलोमीटर पर, जब व अपने यहां गये, हेलीकाप्टर उतारा और अभी मुझे मालूम हुआ है कि 17–18 तारीख को भी उसका इस्तेमाल हुआ। जब हम लोग विरोधी दल में थे तो इन्दिरा कांग्रेस और उनकी सरकार की अलोचना करते हुये यह कहा करते थे कि वह सरकार हेलीकाप्टर की सरकार है। मुझे यह देख कर बड़ा अफसोस है कि जो समाजवादी लोग विरोध पक्ष में बैठकर जिन चीजों का विरोध करते थे, आज सत्ता पक्ष में सत्ता में आकर वे उन्हीं चीजों को कर रहे हैं। सत्ता पक्ष में आने के बाद इस सरकार ने फिजूलखर्ची के सारे रेकार्ड्स तोड़ दिये हैं। सदन के अन्दर अपने शासन की गलत बातों को कहना आवश्यक है, इसलिये मैं उसको कहता हूं। जब हम गरीबों के सामने जाते हैं तो उनके लिये आंसू बहात ह, किन्तु यहां आकर काम वाजिद अली शाह से भी बढ़ कर करते हैं, उनसे भी आगे बढ़ जाते हैं।

बाढ़ के लिये पिछले बजट में जो भी सरकारी आदेश पास हुये, जो योजनायें यहां से स्वीकृत हुईं, वे पूरी नहीं हो पायीं। शारदा सहायक परियोजना के बारे में भी निश्चित जानकारी है कि वह पूरी नहीं होने वाली है। जनता पार्टी के शासन में आने के बाद एक नहर निकालने के आदश हुये, मगर उसका कार्य फिर रुक गया। कहा गया कि वहां चकबन्दी आदि होगी। कब चकबन्दी होगी, कब नहर निकलेगी, कुछ पता नहीं। हमने यहां बार बार प्रश्न उठाया, मगर वह नहर आज भी रुकी पड़ी है। बजट हम पास करते हैं, लेकिन समय से बजट का पैसा खर्च नहीं किया जाता। विद्युत् परिषद के अन्दर पूरे प्रदेश के बजट का 35–40 प्रतिशत भाग खर्च होता है और उसमें लाखों करोड़ों रुपयों का घोटाला होता है। ट्रांसफार्मरों के आर्डर टाटा को दिये जाते हैं, बम्बई आदि की फर्मों को दिये जाते हैं, क्योंकि उनको उनसे काफी कमीशन मिलता है। अपने यहां के छोटे उद्योगों को उसके लिये आर्डर नहीं दिये जाते क्योंकि उनसे उनको उतना कमीशन नहीं मिलता। प्रदेश के बाहर आर्डर देने का एक नतीजा यह भी होता ह कि हमारे प्रदेश का लाखों रुपया सेल्स टैक्स के रूप में बाहर प्रदेशों में चला जाता है। हमारी जो इस प्रकार की औद्योगिक नीति है उसे बदलने की जरूरत है। कोई वजह नहीं है कि हम अपने यहां का माल न खरीद कर बाहर का माल खरीदें।

इस विभाग में घोटाले और भ्रष्टाचार में कोई कमी नहीं है। किसी विभाग में कमी नहीं है, प्राइवेट गाड़ियां, प्राइवेट बसें जो चलती हैं, उनकी उम्र ज्यादा होती है। हमारे यहां जो सरकार की तरफ से बसें चलेंगी, नया टायर लगेगा, नई मशीनें आयेंगी, वर्कशाप के अन्दर मशीनें बदल दी जाती हैं, पुर्जे बदल दिये जाते हैं। हम लोग लिखते रहे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। बजट पास कर देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिस तरह की चोरी है, अगर इसे रोका नहीं गया, तो हमारी जो आर्थिक योजनाएं हैं, पूरी नहीं हो सकती ह। अब तक 20 माह के अन्दर मैंने कहीं नहीं देखा, यहां तक कि जुडीशियरी के अन्दर 4–6 महीने, एक साल के अन्दर क्या हो रहा है, हम कभी नहीं सुनते थे कि साहब यहां का जुडिशियल मजिस्ट्रेट घूस लेता है, लेकिन जनता पार्टी के शासन में जहां जायं, आज वकीलों के अन्दर भ्रम है, जनता के अन्दर भ्रम हो गया है कि जो जुडिशियरी घूस नहीं लेती थी, उसके प्रति आज लोगों में गलतफहमी है।

करोड़ों रुपयों का घोटाला विद्युत विभाग के अन्दर है। आर्डर हैं और काम नहीं होता। कहते हैं कि विद्युतीकरण करेंगे ग्रामों के अन्दर। सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने इसके लिए रुपया दिया, लेकिन मुझे निश्चित जानकारी है, करोड़ों रुपया सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने दिया, लेकिन उस रुपये का सदुपयोग नहीं हुआ। इमर्जेंसी के समय में करोड़ों रुपया लखनऊ के सुन्दरीकरण में खर्च हो गया और वह रुपया विद्युतीकरण में नहीं खर्च हुआ।

[श्री राम अधार]

आज पूरे प्रदेश के अन्दर 14 हजार नलकूप ऐसे है, जिनको कनेक्शन नहीं मिल रहा है। गांवों में खम्भे खड़े हैं, वहां पर बिजली नहीं गयी है। कुछ लोग कहते हैं कि मैं टाटा और बिड़ला का एजेंट हूं। मैं किसान का एजेंट हूं। अल्मोनियम दो हजार रुपये फी टन महंगा केन्द्रीय सरकार विदेश से मंगा रही है, आयात कर रही है और हमारे प्रदेश के अन्दर अल्यूमीनियम का कारखाना है, जिसे बिजली न मिले और अल्यूमीनियम न पैदा हो, जिसकी वजह स 14 हजार प्रदेश क अन्दर ऐसे नलकूप है, जिनको अल्यूमीनियम कंडक्टर के अभाव में कनेक्शन नहीं मिल रहा ह । तो क्या अल्यूमीनियम की जगह पर गेहूं का डंठल और नरकुल की रस्सी से कनेक्शन दिया जायगा ? गेहूं के डंठल से बिजली नहीं गांव में आ जायेगी। ठीक तरह से प्रदेश में उद्योग धंध चलाने की जिम्मेदारी शासन की है। उद्योग नहीं खुलेंगे, तो बेकारी नहीं समाप्त होगी। नौकरी से बेकारी नहीं मिटेगी। आपको उद्योग खोलना है, तो शासन की तरफ से बंगाल और बिहार की तरह से, हरियाणा की सरकार की तरह से आपको यहां पर जमीन की सुविधा देनी होगी, बिजली में सुविधा देना होगा। जो भी हम बजट पास करें, समय से वह खर्च हो। जो फिजूलखर्ची मंत्रियों की गाड़ियों पर होती है, इसकी जांच कराई जाय ।

*श्री श्रीराम द्विवेदी (जिला फैजाबाद)—

मान्यवर, मैं अनुपूरक अनुदानों के संबंध में जो प्रस्ताव इस सदन में विचाराधीन है, उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, यह कहना कि जनता सरकार के ऊपर खर्चे बढ़े हैं, फिजूलखर्ची बढ़ी है, यह आरोप सही नहीं है। हमारी जनता सरकार गाँधी वादी रास्ते पर चल रही है और मैं इसके साथ यह कहना चाहता हूं कि हमारे मंत्री गण ने सादगी के साथ उत्तर प्रदेश शासन का संचालन करने में, इस पिछड़े हुए प्रदेश को विकसित करने में तमाम सारी योजनाओं को पूरा करने में बड़े ही महत्वपूर्ण कार्य किये हैं और इस सन्दर्भ में मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि जनता सरकार ने सड़कों के निर्माण में और शिक्षा संस्थाओं में, उनके निर्माण में तथा और भी तरह-तरह की जो योजनायें थीं जिनको पिछले सत्र में सदन में पूरा करने का वायदा किया गया था, पूरा करने में नया कीर्तिमान स्थापित किया है ।

पूरे प्रदेश में 3 हजार किलोमीटर सड़कें बनायी गयीं और उन सड़कों को पक्का करने का अभियान इस साल चलाया जा रहा है लेकिन इसके साथ ही साथ मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि जो सड़कें मण्डी परिषद् की पिछले साल बनी थीं और जिन पर मिट्टी का कार्य हुआ था, उनमें ओला-वृष्टि से संबंधित जो जिले हैं उनको ही लिया गया है पक्का करने के लिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि मण्डियों को जोड़ने के लिए जो सड़कें बनायी गयी थी उन तमाम जिलों को भी इस योजना में शामिल कर लिया जाये जिनको छोड़ दिया गया है ।

मान्यवर, एक बड़ा भारी प्रश्न विचाराधीन है जिसके सिलसिले में पूरे प्रदेश के लोगों का ध्यान लगा हुआ है। वह है हमारे राजकीय नलकूपों और निजी नलकूपों के संबंध में। मैं इस शासन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि एक हजार से ऊपर राजकीय नलकूप और निजी नलकूपों की संख्या तो बहुत ही बढ़ी है, को बिजली का कनेक्शन न दिये जाने से हमारे सिंचाई के कार्य में असुविधा हो रही है जिसके संबंध में विद्युत् विभाग के मंत्री जी को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। जो राजकीय नलकूप बन कर तैयार हुये हैं, जिनके बी० एल० फार्म भर कर जमा कर दिये गये हैं, तो मान्यवर, मेरा कहना है कि उन्हें प्राथमिकता देनी चाहिए ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मान्यवर, इसी सन्दर्भ में मैं आपका ध्यान एक विशिष्ट मामले की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे फैजाबाद जिले में आचार्य नरेन्द्र देव कृषि विश्वविद्यालय का निर्माण हो रहा है। यह विश्वविद्यालय कृषि विषय के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है जिसने पूरे प्रदेश के पूर्वी अंचल में कृषि क्षेत्र में नये-नये प्रयोग करने की सुविधायें प्रदत्त की हैं। आज मैं कहना चाहता हूं कि आचार्य नरेन्द्र देव कृषि विश्वविद्यालय पर जितना रुपया सरकार ने आवंटित किया है, जो धनराशि बजट में स्वीकृत की गयी है, उसका सही रूप से इस्तेमाल नहीं हो रहा है और आज भी वह विश्वविद्यालय जो बन कर तैयार होने जा रहा है, कई वर्षों से मैं देख रहा हूं कि उसकी निर्माण की प्रक्रिया में काफी कमजोरियाँ हैं, काफी ढिलाई है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस सन्दर्भ में शासन को तत्काल कार्यवाही करने की आवश्यकता हैं।

छठी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप हम तैयार करने जा रहे हैं और उसी सिलसिले में मैं कहना चाहता हूं और यह बहादुरी की बात होती कि उत्तर प्रदेश विधान सभा इस बात पर विशेष रूप से ध्यान देती कि केन्द्र से जो धन मिलता है उत्तर प्रदेश को विकास के लिए उसमें हमारे प्रदेश के लोगों को 10 फीसदी मिलता है और उसका नतीजा यह है कि जो निर्माण के काम हैं, उनकी जो योजनायें हैं, उन योजनाओं के पूरा करने में बाधा पड़ रही है। मैं चाहता हूं कि इस बात पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। हमारे प्रदेश की विधान सभा इस बात की माँग करे कि दिल्ली में केन्द्र की सरकार से जो हमारे बजट में सुविधायें, सहूलियतें हमारे प्रदेश के विकास के लिए मिलती हैं, जो धन मिलता है उसकी राशि बढ़ायी जाये और जिससे हम छठी पंचवर्षीय योजना में उन तमाम सपनों को साकार कर सकें। हम सरकार में गाँधी वादी दर्शन और अंत्योदय के कार्यक्रम को पूरा करने के लिये आये हैं और जो गाँव-गाँव में पिछड़े हैं उनको उठाना है। हमारा उत्तर प्रदेश हिन्दुस्तान का पिछड़ा सूबा है इसको आगे बढ़ाने के लिये केन्द्र सरकार से हम आग्रह करके ज्यादा से ज्यादा धन लायें और यह जो अनुपूरक बजट है और जो तीन महीने का समय मिल रहा है उसमें आने वाली योजना को व्यापक रूप से विकसित करके सदन के समक्ष पेश करें जिससे हमारे प्रदेश में उद्योग धंधे, सिंचाई और अन्य क्षेत्रों में कीर्तिमान उपलब्ध हो सकें। इन शब्दों के साथ मैं अनुपूरक माँगों का समर्थन करता हूं।

*श्री देव कुमार (जिला बाँदा)—

मान्यवर, सरकार ने इन अनुपूरक माँगों के जरिये करोड़ों रुपयों की धनराशि की माँग की है। मैं मान्यवर, आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि इस धनराशि का उपयोग इस प्रदेश की जनता के हित में किन लक्ष्यों को पूरा करने के लिये करने जा रहे हैं। एक चीज जो सामने उपस्थित है वह समझ में आती है कि मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। सबसे बड़ा मंत्रिमंडल इस प्रदेश में बन गया है और उम्मीद है कि और बड़ा मंत्रिमंडल बन जायगा। इस प्रदेश की जनता की मेहनत की आमदनी, उनकी गाढ़ी कमाई का पैसा मंत्रियों, उप मंत्रियों के ऐशोआराम के लिये, उनके दौरों के लिये, हेलीकाप्टर के लिये खर्च होगा। मैं माननीय रामअधार राय जी का बहुत अनुग्रहीत हूं कि उन्होंने एक आत्म चिंतन की बात सत्ता पक्ष में रहकर की। सन् 1974 में बहुगुणा जी के शासनकाल में माननीय चौधरी साहब ने हेलीकाप्टर के इस्तेमाल के संबंध में एतराज किया था। लेकिन वही पार्टी, माननीय चरणसिंह की पार्टी जब सत्ता में आयी तो जिस प्रकार से हेलीकाप्टर का इस्तेमाल हो रहा है उसके संबंध में उनके द्वारा विचार किया जाना बहुत न्याय संगत हैं। लेकिन मैं माननीय राय साहब को बताना चाहता हूं कि आपके मुख्य मंत्री, उप मंत्रियों की मजबूरियाँ है कि अगर हेलीकाप्टर से वह न जायं तो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री देव कुमार]
शायद उनके पास कोई आने वाला नहीं है। मान्यवर, हमारे प्रदेश की जनता मुख्य मंत्री या मंत्रियों को देखने नहीं बल्कि हेलीकाप्टर देखने जाती है। इसी बहाने ही भीड़ होती है और आपके शासन की हिम्मत बढ़ती है कि जनता आपके साथ है।

मैं बताना चाहता हूं कि इस प्रदेश की जो स्थिति है, जिस प्रकार से भ्रष्टाचार दिन प्रति दिन बढ़ता जा रहा है, जन जीवन की तबाही जिस कदर बढ़ रही है, आपके इतने दिनों के शासनकाल में आपके खिलाफ जनता का नजरिया हो रहा है। इसलिये खुदा के वास्ते मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि अगर आप जिन्दा रहना चाहते है, अगर आप इस प्रदेश में शासन कुछ दिनों और चलाना चाहते हैं तो आपको आत्मचिंतन की जरूरत है। जिस मर्ज के कारण जनता के जरिये उधर के लोग 30 सालों के बाद इधर आने को मजबूर किये गये उस रास्ते पर आने के लिये आप इतनी जल्दी अपने को न मजबूर करें। मैंने बजट माँगों को देखा। बहुत अफसोस है कि हमारे वित्त मंत्री जी जो समाजवादी हैं और जिन्होंने जनता पार्टी के घोषणापत्र में बड़े जज्बे के साथ वादा किया था कि हम काम और रोटी दोनों देंगे मैं उन तमाम बजट माँगों को देखकर निराशा के साथ कहना चाहता हूं कि आप इस प्रदेश की बढ़ती हुई बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिये जिस युवा पीढ़ी के बल पर जीतकर आप अधिकांश स्थानों पर आये, उसकी निराशा की रक्षा करने के लिये आप क्या करने जा रहे हैं? मान्यवर, जिस कदर गाँवों और शहरों में बेरोजगारी की दशा बढ़ती जा रही है उसका यदि समय से न समाधान किया गया तो मैं कहना चाहता हूं कि भूख की आग से तमाम व्यवस्थायें भस्म हुई हैं और इस स्थिति को आप ज्यादा देर तक रोक नहीं सकते हैं।

मान्यवर, सरकारी आँकड़े जिनको यदि सही मान लें तो उनके हिसाब से देहात में 45 प्रतिशत आदमी गरीबी की रेखा के नीचे और शहरों में यह 40 प्रतिशत हैं और यह संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। लेकिन सरकार के जरिये वायदे तो किये गये जैसे ग्रामोद्योग गाँवों में खोले जायेंगे, गाँवों को सड़क में बदल दिया जायेगा, वहाँ बसें चलेंगी और हजारों लोगों को काम मिलेगा लेकिन यह सारी योजनायें यदि देखें तो जमीन में नहीं दिखाई पड़ती बल्कि मंत्रियों की फाइलों या आफिसों में ही दिखाई पड़ेंगी।

श्रीमन्, ला एन्ड आर्डर की स्थिति को तिवारी जी ने अपने भाषण में राज्यपाल के अभिभाषण में संशोधन पेश करते समय कहा है कि जब मुख्य मंत्री अपनी रक्षा नहीं कर सकते, मुख्य मंत्री को उनके निवास में ही सीने पर चाकू भोंक दिया जाता है, तो इस प्रदेश की जनता की आप क्या रक्षा करेंगे? गाँवों में जिनके पास हथियार और पुलिस नहीं है उनकी रक्षा आप कैसे कर सकते हैं? मान्यवर, आज ही मैंने सदन में, सारे प्रदेश के सदस्यों ने, सरकार का ध्यान आकर्षित किया था, बाँदा के सिलसिले में एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव भी दिया था और शून्य प्रहर में सूचना दिया था कि 20 तारीख को कमासिन-बाँदा रोड पर एक प्राइवेट लारी जिसमें यात्री थे उनको 9 बजे दिन में सड़क पर गोली मार कर 4 व्यक्तियों को मार दिया और कई व्यक्ति घायल हुये। मान्यवर, मैं चाहता था कि सरकार की नीतियों के संबंध में कुछ करें। बुन्देलखंड की जनता के संबंध में हम लोगों की माँग थी कि बुन्देलखंड के विकास के लिये बुदेलखंड विकास कमीशन की स्थापना की जाय। बाँदा के मुजाहिदों के लिये कुछ किया जाय। वहाँ की बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिये वहाँ कुछ काम किया जाय।

मान्यवर, मैं स्वास्थ्य मंत्री से आग्रह करूंगा कि बाँदा जनपद में पिछली जुलाई-अगस्त से जिला अस्पताल में सर्जन नहीं है। मा0 कल्याण सिंह के समय में वहाँ के सर्जन को ट्रांसफर किया गया लेकिन जबसे मैंने कई बार लिख कर और मिलकर. कहा किन्तु आज तक वहाँ सर्जन की नियुक्ति नहीं हुई है। इसी प्रकार बाँदा, कर्बी के अस्पताल में कोई महिला डाक्टर की नियुक्ति नहीं है। इसलिये मंत्री जी इसकी व्यवस्था करें।

मान्यवर, मुझे अभी सूचना मिली है कि लखनऊ में हवाई अड्डे के पास गुडौरा गाँव में होली के अवसर पर एक मस्जिद की चारों दिवालों को तोड़कर, फिरकापरस्त लोगों ने, कुछ मूर्तियाँ स्थापित कर दिया है। वहाँ साम्प्रदायिक दंगा भड़क सकता है। इसलिये वहाँ की जनता भयभीत है क्योंकि अलीगढ़ की तरह वहाँ दंगा दोहराया जा सकता है। वहाँ मुझे बताया गया है कि पी0 ए0 सी0 और पुलिस तैनात किया लेकिन उससे काम नहीं चलने वाला है। अतः मेरा आग्रह है कि इन सभी बातों की ओर सरकार अविलम्ब ध्यान दे और इस प्रदेश की बेरोजगारी की समस्याओं को हल करे तथा प्रदेश के विकास के लिये कार्यक्रम बनायें।

श्री राम गोविन (जिला बलिया)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका अत्यन्त आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं, मान्यवर, इन अनुपूरक अनुदानों के समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं और उसी के साथ कुछ सुझाव भी सरकार को देना चाहता हूं। मान्यवर, आज जो स्थिति देख रहे हैं—लोकनायक जय प्रकाश जी रोग शैय्या पर पड़े हुये हैं और हम लोग सम्पूर्ण क्रान्ति के सिपाही हैं तथा समग्र क्रान्ति के तहत इस देश में आन्दोलन किया जिसके फलस्वरूप हमारी पार्टी सरकार में आयी। मान्यवर, बहुत सारी विकास की बातें हर बजट में दी जाती हैं लेकिन हमारे आन्दोलन में चार मुद्दे मुख्य थे—बेरोजगारी मिटायेंगे, भ्रष्टाचार समाप्त करेंगे, गाँवों का विकास करेंगे और शिक्षा में आमूल-चूल परिवर्तन करेंगे। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि लगभग दो साल हो गये लेकिन क्या हमारी सरकार इस स्थिति में है कि उसने एक भी वायदा पूरा किया ?

मान्यवर, बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिये यह कह दिया जाना कि हम लघु उद्योग और कुटीर उद्योग के माध्यम से बेरोजगारी को दूर करेंगे। उस संबंध में बजट में प्राविधान किया गया है, मान्यवर। हमारे भूतपूर्व मुख्य मंत्री समेत अधिकाँश मन्त्रियों ने दावा किया है इस संबंध में। लेकिन मैं चैलेंज करता हूं कि एक भी कुटीर उद्योग और लघु उद्योग बलिया जनपद में नहीं लगा। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप कितना भी ढिंढोरा क्यों न पीटें कि कुटीर उद्योग से बेरोजगारी दूर कर सकेंगे, वह होने वाला नहीं। मान्यवर, इसी तरह से इन्दिरा गाँधी गरीबी दूर करती थीं और उसी तरह से हमारी सरकार कुटीर उद्योग और लघु उद्योगों के माध्यम से बेकारी दूर करना चाहती है। लेकिन इससे बेकारी दूर होने वाली नहीं है। कथनी और करनी में फर्क करना पड़ेगा। वित्त मंत्री जी और मुख्य मंत्री जी बैठे हुये हैं। मेरा सुझाव है कि लघु उद्योग और कुटीर उद्योग से बेकारी दूर करने की बात वे छोड़ें और आप इस बात की घोषणा करें कि इस प्रदेश में जितने भी बेरोजगार लोग हैं, उनको बेरीजगारी भत्ता देंगे। हमारे लाखों नौजवानों की, जिन्होंने जेलों में जिन्दगी व्यतीत की थी, यह माँग थी कि हमारी जब सरकार बनेगी, लोकनायक जय प्रकाश जी के क्रान्ति के फलस्वरुप जो सरकार बनेगी, तो वह बेरोजगारी भत्ता देने की व्यवस्था करेगी। मान्यवर, कई बजट आये, हम लोगों ने पास किये, लेकिन हमारी सरकार ने इसका एक परसेंट भी पालन नहीं किया और ये बेरोजगार लोग लाखों की संख्या में, जिनकी संख्या आज भी दिन-प्रति-दिन बढ़ती ही जा रही है, उस स्थिति का सामना कर रहे हैं और इनके सामने कोई विकल्प नहीं है कि वे बेरोजगारी की समस्या का कैसे हल कर सकेंगे और हमारी सरकार के सामने भी कोई विकल्प नहीं है कि वह इस समस्या को कैसे हल करेगी। इसकी कोई कोशिश आप नहीं कर रहे हैं। तो मेरा सुझाव है कि ये लोग घोषणा करें कि इसमें या अगले आने वाले बजट में हम देश के नवजवानों को बेरोजगारी भत्ता देंगे।

मान्यवर, इसी तरह से शिक्षा में आमूल-चूल परिवर्तन की बात है। उसमें भी लाखों-करोड़ों का बजट पास करते हैं। और हमें कुछ भी नहीं मालूम होता चाहे जो भी शिक्षा मंत्री हुए हों। भूतपूर्व शिक्षा मंत्री, चाहे वर्तमान शिक्षा मंत्री, जिसमें पी0 एच0 डी0

[श्री राम गोविन]

किए हुए लोग हैं, वे लोग भी महसूस करते हैं कि शिक्षा में आमूल परिवर्तन होना चाहिए। आज उसके लिए नवयुवक आन्दोलन करते हैं, छात्र आन्दोलन करते हैं। लेकिन शिक्षा में कैसा परिवर्तन हो, इसके बारे में कोई भी घोषणा आज तक हमारी सरकार ने नहीं किया है।

मान्यवर, आपके माध्यम से मेरा सुझाव है कि उत्तर प्रदेश की सरकार को चाहिए कि वह अगुवाई करे सारे हिन्दुस्तान की कि उत्तर प्रदेश में कम से कम प्राथमिक स्तर तक की शिक्षा प्रदेश भर में एक तरह से दी जायेगी चाहे गरीब का लड़का हो, चाहे अमीर का लड़का हो, चाहे किसान का लड़का हो, चाहे पूंजीपति का लड़का हो, सबको एक तरह की सुविधा और एक तरह के स्कूल में शिक्षा की व्यवस्था की जायेगी इसमें कोई बड़ी कठिनाई नहीं होनी चाहिए। आखिर जो बजट पास होता है, उसका उद्देश्य क्या है। फिजूल में खर्च कर देना, कोई सुव्यवस्था न करना, जनता के हित में न खर्च करना, यह उचित नहीं है। कम से कम जनता पार्टी की सरकार जिसको जनता ने अपनी पीड़ा दूर करने के लिए जिताया औरबैठाया तो मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस सरकार से कहना चाहता हूं कि कम से कम श्री जय प्रकाश नारायण, जिनकी चिन्ताजनक स्थिति चल रही है, उनकी भावनाओं को पूरा करने के लिए एक या दो समस्याओं का ही हल निकाल ले तो यह समझा जायगा कि यह क्रान्ति के सिपाही हैं और नवयुवकों और छात्रों के हित में कुछ किया है।

*श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, यह अनुपूरक बजट जो हम लोगों के समक्ष प्रस्तुत है, यह माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत यह तीसरा अनुपूरक बजट इस साल का है। मई में हम लोगों ने मूल बजट पास किया है, सितम्बर और दिसम्बर में प्रथम और द्वितीय अनुपूरक बजट पास किया है। अब मार्च में तृतीय अनुपूरक बजट पास हो रहा है। लगभग 2 हजार करोड़ का मूल बजट था। यदि जोड़ लिया जाय तीनों अनुपूरकों का पूंजीगत, योजनागत तथा आयोजनागत करीब-करीब साढ़े चार सौ करोड़ रुपये केवल अनुपूरक के रूप में है जो कि मुझे लगता है कि मूल बजट का लगभग 20 प्रतिशत होता है जो मेरी समझ में आपत्तिजनक है साथ ही एक दूसरी चीज श्रीमन्, मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वह यह कि आप देखें चाहे सितम्बर का अनुपूरक देखें चाहे दिसम्बर का अनुपूरक देखें, चाहे मार्च का देख लें, बहुत जगहों पर हम देख रहे हैं कि वित्त मंत्री जी ने कई नई मदें भी रखी हैं। आप देखे बजट मई में पास किया और फिर मई में पास करना है तो इस साल भर के अन्दर नई मद की क्या आवश्यकता है जब तक कि अपवाद के रूप में बहुत जरूरी न हो। लेकिन हम देखते हैं, समय के अभाव के कारण मैं मिसाल देने की चेष्टा नहीं करूंगा।

श्रीमन्, शिक्षा विभाग में देखें। शिक्षा विभाग में मैं देख रहा हूं मूल बजट सौ से ज्यादा था। उन्होंने पहला जो अनुपूरक था उसमें सौ रुपया प्रतीक करके रि-एप्रोप्रियेट किया और अब भी करते जा रहे हैं। ऐसा क्यों? वित्त मंत्रालय भी है, ऐसी क्यों आज्ञा दे रहा है कि आप बजट एक करोड़ की जगह 2 करोड़, 10 करोड़ या 20 करोड़ रख लीजिये और फिर उसको रिएप्रोप्रियेट करते रहिये। फिर श्रीमन्, मूल बजट में बड़ी खामियों के बाद, जो हम लोगों ने बताया था, एक हमें खेद इस बात का है, आप भी संसद में रहे हैं, हम भी रहे हैं और माननीय मुख्य मंत्री जी भी संसद में रहे हैं, कहाँ श्रीमन्, यह होता है वित्त मंत्री जी जान लें कि जितने बजट भाषण होते हैं और जितने भाषण सदन में होते हैं जितनी तरह के, हर विभाग की ओर से उसकी नोटिंग होती है और माननीय सदस्यों को बताया जाता है कि क्या उस पर कार्यवाही हो सकती है, हो रही है या क्या नहीं हो सकती। कम से कम दो वर्ष का मेरा अनुभव तो यहाँ यह है कि

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

करीब-करीब मैं रोज बोलता हूं और मैंने माननीय सदस्यों से भी पूछा है कि शायद आपके पास आता हो, मुझे ही बायकाट किया जाता हो, लेकिन ऐसा नहीं है। जो हमने सुझाव दिये, किसी विभाग ने यह नहीं किया कि वे हमें बताते कि यह काम हो सकता है, यह काम नहीं हो सकता है और क्यों नहीं हो सकता है। हमारा निवेदन यह है वित्त मंत्री जी से कि हर विभाग में एक सेल बनायें जो जाँच करके बताये कि हम लोग जो बातें कह रहे है वे हो सकती हैं या अनुपयोगी हैं।

वित्तमंत्री (श्री मधुकर दिघे)—
खर्च बढ़ जाएगा।

श्री श्यामधर मिश्र—
खर्च नहीं बढ़ेगा, आपके पास बहुत अधिकारी हैं, इसमें से छांट कर अधिकारी और कर्मचारी रख दीजिये। मैंने उस सम्बन्ध में वित्त मंत्री जी को एक पत्र लिखा, वह यह लिखा कि इस प्रदेश में जिला स्तर से लेकर प्रान्त स्तर तक अधिकारी और कर्मचारी हमारी समझ से 15–20 फीसदी ज्यादा हैं। काम नहीं है, कामों का मापदण्ड नहीं है और कर्मचारी सब जगह ज्यादा हैं, इसमें कटौती होनी चाहिए। मैं तो खाली काम बता रहा हूं, अगर माननीय कौशिक जी और वित्त मंत्री जी बैठकर इस पर विचार कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। अनेक मदों के सम्बन्ध में श्रीमन्, इस पुस्तिका में चर्चा है।

मैं एक विषय पर पहले बधाई देना चाहता हूं वित्त मंत्री जी को कि वाराणसी में एयर कारगो के संबंध में एक योजना बनाई है। यह पहले भी माँग हुई थी, उसको वे जल्द से जल्द कार्यान्वित करें। लेकिन आप देखे, स्टैम्प की बिक्री के संबंध में मैं कहना चाहता हूं। मेरा अनुभव यह है कि रजिस्ट्रेशन विभाग, बिक्री विभाग में बड़ा भ्रष्टाचार मचा हुआ है। क्या वजह है कि आपने इसके लिये ए0डी0एम0 को लगा रखा है। पहले जिले का जज इसका इन्चार्ज था। काम तो बढ़ा नहीं है। स्टैम्प की बिक्री अगर पोस्ट आफिस और ट्रेजरी के जरिये कर दी जाये तो जो भ्रष्टाचार तहसीलों में मचा हुआ है, मैं समझता हूं कि काफी कम हो जाएगा। एक बात मैं और कहना चाहता हूं, वित्त मंत्री जी मुझसे ज्यादा जानते हैं, एक-एक जिले में 7–7, 8–8, 9–9 ए0डी0एम0 हैं। पता नहीं उनके पास काम क्या है? ए0डी0एम0 (वित्त), ए0डी0एम0 (प्लानिंग) सब अलग-अलग बना रखे हैं। इलाहाबाद में 9 हैं, वाराणसी में 8 हैं। 5 वर्ष पहले केवल 4 थे। हर साल एक-एक ए0डी0एम0 का पद बढ़ता जाता है। जरा पता तो लगायें कि इन पदों में से कितने अनुपयोगी हैं? इस मर्ज को आपको दूर करना होगा। व्यर्थ के जो जिलाधीश के साथ 8–8, 9–9 अतिरिक्त जिलाधीश लगे हुए हैं, इस अपव्यय को आपको रोकना होगा। इसमें सीमेंट आदि के वितरण के संबंध में, तेल के वितरण के संबंध में कुछ बातें एक रूप में कहीं गयीं मैं यह समझता हूं कि जितना ही सरकार यह कह रही है कि वितरण अपने हाथ में ले रही है उतना ही भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है क्योंकि अपने हाथ में नहीं ले रही है। परमिट काटना उसका कन्ट्रोल नहीं है। मैं तो समझता हूं कि समय आ गया है कि इन लोगों के हाथ से निकाल दीजिए, प्राइवेट स्टाकिस्ट्स से निकाल दीजिए। कोआपरेटिव को दीजिए, ब्लाक को दीजिए, इन लोगों से निकाल दीजिए। आप के प्रदेश में ढाई रुपये, तीन रुपये कैरोसीन बिक रहा है, 28 रुपये, तीस रुपये सीमेन्ट बिक रहा है, मैं कोई अतिश्योक्ति नहीं कर रहा हूं, लेकिन हम लोग कहते रह जाते हैं और आप लोग सुनते रह जाते हैं। कोई कार्यवाही नहीं होती।

श्रीमन्, एक चर्चा मैं करना चाहता हूं आवास विकास के बारे में और वह यह है कि प्रदेश में तुलनात्मक ढंग से देखा जाय तो आवास विकास की समस्या का क्या समाधान हुआ। ऐतिहासिक बात है। लेकिन कोई कारण नहीं है कि उसका समाधान न हो। हमने महाराष्ट्र में देखा, गुजरात में देखा, हमने कर्नाटक में देखा, वहाँ एक योजना इस प्रकार

[श्री श्यामधर मिश्र]

की है जैसे कि प्रोविडेन्ट फंड में रुपया जमा होता है 7 प्रतिशत, 8 प्रतिशत, वैसे ही 3 प्रतिशत, 4 प्रतिशत प्रति माह आवास के लिए रुपया जमा होता रहता है और उसके ब्याज से कर्मचारी को अंत में उनकी हैसियत के मुताबिक या तो रुपया मिल जाता है या सौ पचास जगहों पर आवास विकास निगम द्वारा प्रस्तुत मकान उनको मिल जाते हैं। समय आ गया है कि इस पर तत्काल माननीय मंत्री जी विचार करें।

श्रीमन्, मैं यहाँ पर जिले के प्रशासन के बारे में जो खर्चा माँगा गया है उसके बारे में कहना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि सरकार तो बदल गयी, भूतपूर्व राजस्व मंत्री बदल गये लेकिन मंत्रि मंडल तो है। हमने पिछले सत्र में प्रस्ताव रखा था कि राबर्ट्सगंज और दुद्धी एक जिला बनाया जाय और माननीय सदन के चारों तरफ के सदस्यों ने इसकी स्वीकृति दी थी और माननीय मंत्री जी ने पूरा विचार करने का आश्वासन दिया था। साथ ही साथ एक उद्योग जिला ज्ञानपुर में बनाने की बात आई थी। लेकिन कोई बात यहाँ नहीं आई। नहीं आई तो कोई बात नहीं लेकिन वित्त मंत्री जी अगले साल के मूल बजट में तो कम से कम इसे कर दीजिए। समय, काल, न आप की प्रतीक्षा करता है न मेरी प्रतीक्षा करता है, जो अच्छा काम है उसे जरूर करके चले जाइये।

श्रीमन्, बाढ़ के संबंध में ग्यारह करोड़ रुपये की माँग की बात की गई है। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि या तो आप उपयुक्त बाढ़ में खर्च कराइये या जो आप यह जैसे दाना देते हैं इस तरह से कर रहे हैं यह बेकार है। हमारा क्षेत्र बाढ़ का क्षेत्र है, वाराणसी, मिर्जापुर, इलाहाबाद। सरकार ने आश्वासन दिया कि 200 रुपये, 100 रुपये मकानों के देंगे। आश्वासन, आश्वासन ही पड़ा रहा। दस फीसदी लोगों को मिलता है तो और लोगों को तो मालूम नहीं है। 100 रुपये से क्या होता है। मैं तो इसका पक्षपाती नहीं हूं। इतना रुपया क्यों बाँटा जाय। अगर बाँटना है तो सबको दीजिये। आप 11 करोड़ को किस तरह से योजना बना रहे हैं।

श्रीमन्, चतुर्थ श्रेणी के जो कर्मचारी हैं चाहे इस सदन में हो, चाहे हमारे आवासों में हों हमसे रोज कहते हैं कि आठ दस साल हो गये उनको स्थायीकरण नहीं कर रहे हैं। मैं नहीं जानता हूं कि किस नियम में नहीं कर रहे हैं। तीन वर्ष के बाद चतुर्थ श्रेणी के चपरासी और चौकीदार वगैरह जो हैं उनका तो स्थायीकरण होना ही चाहिए। क्या कारण है, क्यों नहीं कर रहे हैं, मैं जानना चाहता हूं। एक ओर आप अफसर बढ़ाये जा रहे हैं और दूसरी ओर आप कह रहे हैं कि इन्हें न बढ़ाया जाय।

पेयजल के संबंध में बड़ी चर्चा है, पहले साल बड़ी चर्चा हुई, कहा गया कि क्रान्ति होगी। अच्छी योजना है, मैं बधाई देना चाहता हूं। मैं बधाई देता हूं कि यह योजना अच्छी थी, उसमें प्रगति भी हुई है लेकिन इधर फिर ढिलाई हो गयी है और रुपया भी उसमें पर्याप्त नहीं है। एक बात यह कहूंगा कि जनता पार्टी अपने विवादों को हम लोगों पर न डाले.....

(व्यवधान) ..... हम आपकी शक्ल देख कर परेशान हो रहे हैं। हमारे सामने दो चीजें हैं। एक साम्प्रदायिक और एक गैर साम्प्रदायिक। हमारे दोनों मित्र हैं। यह व्यक्तियों का सवाल नहीं है, सिद्धान्तों का सवाल है। हमें आज की स्थिति में पसन्द करना होगा तो हम मौका देंगे उनको जो गैर साम्प्रदायिक हैं। लेकिन ये जो हम से कहते हैं कि हमारे साथ हों तो पहले आपको पार्टी छोड़कर हमारे साथ आना होगा। इतनी हिम्मत आपमें होनी चाहिए कि पहले विरोधी दल में बैठें वोट माँगने की बात बाद में करें।

(व्यवधान)

श्री राम दत्त जोशी (जिला नैनीताल)—

मान्यवर, मैं अनुपूरक अनुदानों का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। अनुपूरक माँगों पर बोलते हुए कहा गया कि फिजूलखर्ची की जा रही है.....

श्री अधिष्ठाता—

आप समर्थन दें। अनुपूरक माँगों पर ही बोलें।

श्री रामदत्त जोशी—

मैं अनुपूरक माँगों पर ही बोल रहा हूं। इस सदन में चर्चा की गयी है कि फिजूलखर्ची हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है। इधर से और उधर से यही आरोप लगाया गया और अफसरशाही का विरोध किया गया, मिनिस्टरों की अय्याशी तथा फिजूलखर्ची का जिक्र किया गया। मेरा कहना है कि देश में दूसरों को उपदेश देने वाले तो बहुत हैं। लेकिन वही लोग इस सबके खिलाफ लड़ सकते हैं जो स्वयं त्याग करें।

श्री अधिष्ठाता—

आप स्वयं उपदेश दे रहे हैं।

श्री रामदत्त जोशी—

ऐसे लोग कितने हैं जो पेंशन लेने को तैयार नहीं हैं, अपनी तनख्वाहें बढ़ाने को तैयार नहीं हैं? फर्स्ट क्लास में सफर करते हैं और गरीबों की आवाज और दुख की बात करते हैं। अगर हम वास्तव में गरीब के दुख से दुखी हैं तो फर्स्ट क्लास में न चलकर गरीबों के साथ साधारण श्रेणी में ट्रेवल करने को तैयार हों। हेलीकाप्टर से मिनिस्टर चलते हैं इसकी आलोचना यहाँ की गयी। लेकिन हम भी तो फर्स्टक्लास का मोह छोड़ने को तैयार नहीं हैं लेकिन मिनिस्टर के हेलीकाप्टर उपयोग की निन्दा करने पर आमादा रहते हैं। मैं अपने मित्रों से कहूंगा कि चैरिटी बिगिन्स एट होम। सुधार अपने से शुरू होता है। ला ऐंड आर्डर की चर्चा करते हुए यह कहा गया कि जिस देश के होम मिनिस्टर के घर बैठे ही चाकू मार दिया जाय तो वह सरकार लोगों की क्या हिफाजत कर सकती है? मैं उनसे पूछता हूं कि कांग्रेस के जमाने में महात्मा गाँधी को गोली मार दी गई थी तो क्या उस सरकार को हटा दिया जाना चाहिए था? क्या उससे देश का ला ऐन्ड आर्डर चौपट हो गया था। आकस्मिक घटनायें हुआ करती हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जौन कनेडी इतनी सुरक्षा होने के बावजूद, दिन-दहाड़े गोली से मार दिये गये। तो मैं कहना चाहता हूं इस सदन के माननीय सदस्यों को और जनता पार्टी के नेताओं को तथा इधर बैठे हुये लोगों को जो आये दिन भ्रष्टाचार की आलोचना करते हैं उनके सामने महात्मा गाँधी का चित्र है, जिनका वे सदा नाम लेते हैं, सादगी के रास्ते पर चलते हुये पहले स्वयं अपने ऊपर किफायतशारी का फार्मूला लागू करें फिर दूसरों के लिये कहें।

*श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)—

मान्यवर, यह तीसरा अनुपूरक अनुदान आ रहा है। इससे पहले दो अनुपूरक अनुदान यह सरकार माँग चुकी है। इस सरकार से मेरा मतलब जनता पार्टी की सरकार से है भले ही उस कुर्सी पर राम नरेश जी बैठे हों या बनारसी दास जी बैठे हों लेकिन एक बात साफ हो गयी है कि जनता पार्टी की सरकार की कोई अपनी नीति नहीं है। अनुदान की मदें आप देखें तो पायेंगे कि योजनागत (प्लान) में तीसरा अनुदान माँगा जा रहा है। समझ में नहीं आता है कि कैसे आप योजनायें बनाते हैं, कैसे आकलन करते हैं, कैसे एस्टीमेट्स लगाते हैं। मंत्रि-परिषद् के अन्तर्गत साढ़े नौ लाख रुपये आपको चाहिए। 27 आदमियों की कैबिनेट बन चुकी है। शिवजी की बरात हो गयी।

मुख्य मंत्री जी के जो आजकल बयान निकल रहे हैं उनके अनुसार 60–61 तक यह बारात पहुंच जायेगी। मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि हम आर0 एस0 एस0 के आदमियों को सरकार में शामिल नहीं करेंगे तो आप कृपा करके यह बता दें कि जो बारात आप बढ़ाने जा रहे हैं, उसका प्रयोजन क्या है। पिछली सरकार यानी राम नरेश जी की सरकार के

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गोविन्द सिंह बेगी]

कार्यकाल में कौन नहीं जानता है कि शासन के हर स्तर पर आर0 एस0 एस0 ने घुस पैठ की है चाहे कोई स्कूल हो या कोई कालेज हो, सब जगह घुसपैठ की है। आज तक बनारसीदास जी ने सदन के अन्दर यह नहीं कहा है कि प्रशासन के अन्दर आर0 एस0 एस0 की जो घुसपैठ है उसे हम खत्म करेंगे। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जब वे इस विषय में हमारे साथ यहाँ पर बहस में हिस्सा लें तो आर0 एस0 एस0 के प्रति अपना दृष्टिकोण साफ कर दें। आपने एक आदेश निकाला, उसका पालन नहीं हो रहा है। आर0 एस0 एस0 की शाखायें तमाम सरकारी स्कूलों में, मैदानों में लगातार चल रही हैं तो उस आदेश की क्या कीमत रह गई है। उसमें कोई पेरोल क्लाज नहीं है। मेरा कहना है कि जब तक आप कोई कानून नहीं लगाते हैं जब तक कोई प्रतिबन्ध नहीं लगा सकते हैं और ऐसा करने के लिये आप तैयार नहीं है। मुझे लाबी में यह भी मालम हुआ कि आपकी आर0 एस0 एस0 के साथ बातचीत होना शुरू हो गयी है और नाम भी आपके पास एक आ गया है और वह आपकी कुर्सी के ऊपर विराजमान होने जा रहे हैं। कम्युनिस्ट पार्टी साफ कहना चाहती है कि आपका आर0 एस0 एस0 के बारे में जो दृष्टिकोण है उसे कृपा करके इस माननीय सदन के अन्दर घोषित करें और यह बतायें कि पिछले शासनकाल में जो घुसपैठ हुई, उसे खत्म करें।

पुलिस प्रशासन के लिये 1 करोड़ 68 लाख रुपया माँगा जा रहा है और उसके सम्बन्ध में जो स्पष्टीकरण दिया है उसमें कहा गया है कि चूंकि इस दौरान में हड़तालें बढ़ी हैं लिहाजा उनके भत्ते बढ़ाने पड़े। यह पिछली सरकार का रिकार्ड है। क्या इस लिये उन्हें खर्चा दिया गया ताकि वे पंतनगर में गोली चला सकें, कानपुर में गोली चला सकें, आगरा में गोली चला सकें या अन्य जगहों पर गोली चला सकें। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से दूसरा आश्वासन चाहता हूं कि क्या आपइस बात का कि जहाँ कहीं मजदूरों पर, तमाम जनता पर जब वह प्रदर्शन करते हैं तो उन पर गोलियाँ चलाई जाती हैं तो उसकी कम से कम जुडीशियल इन्क्वायरी करवायेगें या नहीं। आज तमाम लोगों पर, मजदूरों पर, सरकारी कर्मचारियों पर, विद्यार्थियों पर लाठियाँ बरसायी जा रही हैं, गोलियाँ चलाई जा रही हैं और आपकी हिम्मत नहीं होती कि उन गोलीकाँडों की जाँच करें।

अब मैं स्वायत्त शासन के बारें में कहना चाहता हूं। आप जानते है इस प्रदेश में एक परम्परा बन गई है कि जब भी कोई नई सरकार आती है तो उससे पहले जो भी सरकार काम कर रही होती है उसमें पहले लोकल बोडीज को खत्म करती है। काँग्रेस ने बी0 एल0 डी0 वालों को खत्म किया और बी0 एल0 डी0 वालों ने काँग्रेस वालों को खत्म किया, इस तरह चुने हुए प्रतिनिधि जो लोकल बाडीज में होते हैं वह खत्म कर दिये जाते हैं। अब जनता पार्टी आई तो उन्होंने तमाम म्युनिसिपैलिटीज को खत्म कर दिया। माननीय मंत्री जी की तरफ से आश्वासन दिये गये कि लोकल बाडीज के तुरन्त चुनाव करायें जायेंगे और मान्यवर, आपको भी मालूम है कि इस सदन में कल ही एक नया बिल आ रहा है जिसके अनुसार म्युनिसिपैलिटीज के चुनाव टालें जायेंगे। आज म्युनिसिपैलिटीज में प्रशासक, जिला परिषदों में प्रशासक और ब्लाक्स में नौकरशाह आज बैठे हैं।

आपने कई निगम बना रखे है उनमें आर0 एस0 एस0 के लोग जमे बैठे हैं। तो क्या मुख्य मंत्री जी इस बात का आश्वासन देने को तैयार हैं कि इन निगमों के अन्दर जितने भी आर0 एस0 एस0 के लोग भर्ती किये गये थे उन सबको हटा देंगे? अगर आप आश्वासन नहीं देते तो फिर आपका यह कहना कि आप आर0 एस0 एस0 के खिलाफ फासिस्ट ताकतों के खिलाफ लड़ने जा रहे हैं उचित नहीं है और केवल अखबारों में वक्तव्य से कोई यकीन नहीं करेगा। मान्यवर, कहना तो बहुत था लेकिन समय कम होने के कारण अधिक नहीं कहूंगा केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर आर0 एस0 एस0 के खिलाफ जम कर लड़ना है तो उन तमाम ताकतों को साथ लेना होगा जो समाजवाद में यकीन

करती हैं जो धर्मनिरपेक्षता में यकीन करती हैं। कल माननीय तिवारी जी को खेत की भी याद आ गयी और तमाम दूसरी चीजें भी याद आ गई। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर वास्तव में समाजवाद आप लाना चाहते हैं तो कहने की हिम्मत होनी चाहिये कि जनता पार्टी के राज्य में समाजवाद नहीं आ सकता है और आप उसे छोड़ कर इस तरफ आकर बैठें और तब जाकर विराधी दल का सहयोग लेने का आपको अधिकार है भाषण देकर और मुख्य मंत्री पर दबाव डालकर यह नहीं होगा।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप समाप्त कीजिये।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मैं कहना चाहता हूं कि अगर इस सरकार को गिराना चाहते हैं तो हिम्मत होनी चाहिये कि इधर आकर बैठें।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय वित्त मंत्री जी आप कितना समय जबाव देने के लिए लेंगे।

श्री मधुकर दिघे—

20, 25 मिनट लूंगा। अब 25 मिनट तो रह ही गये हैं।

(इस समय 3 बजकर 35 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

श्री अजीत सिंह सेठी (जिला मेरठ)—

मान्यवर, मुझे भी समय मिलना चाहिये। तीन चार बार खड़ा हुआ।

श्री उपाध्यक्ष—

केवल 4 बजे तक का इसके लिए समय है। वित्त मंत्री जी को बहस का जबाव भी देना है। आपके नेता ने तो सारी बातें कह दी, कोई छोड़ी नहीं।

श्री मधुकर दिघे—

मान्यवर, मैं सभी सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने इस अनुपूरक अनुदानों के सम्बन्ध में अपने विचार इस सदन के समक्ष उपस्थित किये। जो आलोचना हुई और जो सुझाव आये उनका विस्तृत ढंग से उत्तर देने की जो समय की अवधि है उसमें देने की क्षमता नहीं रखता। परन्तु प्रयत्न करूंगा कि विशेष रूप से जो नेता विरोधी दल ने और प्रमुख सदस्यों ने आलोचना की है और जो कुछ तकनीकी प्रश्न और संदर्भित प्रश्न उपस्थित किये हैं, उनका उत्तर दूं।

मान्यवर, सबसे पहले मैं अपने विद्वान मित्र और काफी अनुभवी, पुराने वित्त मंत्री, नेता विरोधी दल नारायणदत्त तिवारी जी से एक दरख्वास्त करना चाहता हूं। मान्यवर, यह हमारी तीसरी पीढ़ी है। एक पीढ़ी वह थी जिन्होंने अंग्रेजी राज्य से स्वतंत्रता हासिल की और नारायण दत्त तिवारी जी की दूसरी पीढ़ी को कुछ अच्छी आर्थिक व्यवस्था, कुछ क्षमता अपने प्रदेश की बना कर उनको सौंप दी। लेकिन दूसरी पीढ़ी ने हमारे हाथ में जब सत्ता सौंपी तो हमारे प्रदेश की जो हालत बनाकर रखी थी वहाँ से शुरू करना चाहते हैं। इसमें कुछ गलतफहमी न रहे। जहाँ बधाई और धन्यवाद देना हो और वह जब अवसर आयेगा तो दे दूंगा। जो प्रदेश की सेवा उन्होंने की होगी उसका भी जिक्र करूंगा। लेकिन सबसे पहले यह याद दिलाना चाहता हूं कि जब उन्होंने हमारे हाथ में सत्ता सौंपी तब कैसी दशा थी। ओवर ड्राफ्ट पर उनके भाषण के करीब-करीब 15 मिनट बीते। ओवरड्राफ्ट 1975–76 में 157.18 करोड़ का उन्होंने छोड़ा। जब आखिर में वह गये जब उन्होंने शासन दिया, उनका जिक्र मैं नहीं करूंगा, जो ओवरड्राफ्ट छोड़ कर गये, 115.071 करोड़ कर्जा छोड़ कर जो चला जाय, ओवर ड्राफ्ट करके चला जाय और उसके बाद हमसे उम्मीद करे, कि हम एक डेढ़ वर्ष के अन्दर पुराना कर्जा चुका कर और ऐसी स्थिति में आ

[श्री मधुकर दिघे]

जायं जिस स्थिति की वह हमसे अपेक्षा करते हैं ? लेकिन यह जनता पार्टी की पहली सरकार है केन्द्र और यहाँ का जितना भी सम्पूर्ण ओवरड्राफ्ट था वह समाप्त करके हमने उसको ऋण में तब्दील कर लिया और अब उसको केवल ऋण देने की स्थिति में लाकर जो हमारे लिए कठिनाइयाँ उपस्थित होती थीं उन कठिनाइयों से हम उबर गये। मैं नेता विरोधी दल से पूछना चाहता हूं कि जब वह ओवरड्राफ्ट पर बोल रहे थे तो उन्होंने इस बात को अपने दिमाग में रखा था ? मुझे ऐसा लगता है कि जो आम तौर पर बजट में और आँकड़ों के सिलसिले में लोगों के दिमाग में जो समझ की परेशानियाँ रहती उसका फायदा उठाकर इस बात का जानबूझ कर उन्होंने जिक्र किया ताकि लोग इससे कम समझ पाएं और यह कहें कि लोगों के सामने ला सके कि इस सरकार ने ओवरड्राफ्ट की स्थित में कुछ ऐसी गड़बड़ियाँ की हैं। उन्होंने विशेष रूप से ओवरड्राफ्ट के सिरसिले में एक बात और कही। 232 करोड़ रुपयों का। 232 करोड़ रूपये की जो ऐडजस्टमेंट एंट्रीज है, उसे वे अच्छी तरह से जानते है, मैं उनको सुनाना नहीं चाहता, वह जानबूझ कर फायदा उठाना चाहते है लोगों की कम समझ का, आँकड़ों की परेशानी का, जो उनके दिमाग में रहती है। एक तो, लगातार 12–13 साल का उनको वित्त मंत्री का अनुभव है। मेरा डेढ़ ही साल का अनुभव है। वह इस बात का प्रयत्न कर रहे थे कि डेढ़ साल अनुभव वाले जो नये वित्त मंत्री है वह किस तरह से कुछ गलतियाँ कर रहे हैं, सदन को यह अनुभव करा दिया जाय। यह केवल प्रयत्न था। मान्यवर, जैसा मैंने कहा ओवरड्राफ्ट की जो स्थिति होती है, पहले भी ओवरड्राफ्ट था और अब भी है। 232 करोड़ रुपये का केवल प्रोफार्मा एडजस्टमेंट है। ये उसे जानते हैं। हमारी वेज एन्ड मीन्स की जो स्थिति है, पोजीशन है जहाँ तक ओवर ड्राफ्ट करने की पोजीशन है, हमें रिजर्व ने बनाया है वह 34 करोड़ का है। हमें उसके लिए 130 लाख कैश बेलेन्स भी रखना पड़ता है। रोजमर्रा एडजस्टमेंट होते रहते हैं। क्रेडिट और डेबिट के सिलसिले में एक पूरे वर्ष की जो स्थिति बनती है उनका एडजस्टमेंट करना पड़ता है। 232 करोड़ रुपये का कोई अतिरिक्त व्यय भार नहीं है।

अब मैं बताना चाहता हूं कि तिवारी जी को कि क्या हमने इसको पहली बार किया है। यह तो आपके भी जमाने में भी होता रहा है। मैं आपको 1975–76 की याद दिलाना चाहता हूं। आपने 214.61 करोड़ रुपये का एडजस्टमेंट किया। अगर आपने उसको पढ़ा होता तो तिवारी जी मेरी आलोचना न करते। 1976–77 में 287.03 करोड़ का था, वह मुझसे ज्यादा था। उनका प्रोफार्मा एडजस्टमेंट हमसे ज्यादा था। मेरा ज्यादा नहीं है, हमारा तो कम है। इस ओर तिवारी जी ने कुछ नहीं कहा। यह तो करना ही पड़ता है। यह जरूरी है समय आने के बाद करते हैं। उसका एक प्राविधान है उसी के अनुसार हमको इस सदन के सामने आकर सेंक्शन लेनी पड़ती है। तो इस तरह से हमने काम किया। यह कोई काम नया नहीं है जो हमने किया है। माननीय तिवारी जी को आलोचना नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि वह जानकार हैं।

एक आलोचना उन्होंने यह की कि यह तीसरा अनुपूरक अनुदान रखा गया है। यह 318 करोड़ रुपये का है और तीसरा अनुपूरक है यह तीसरी किस्त है। हमें तो सदन के अन्दर उन सारी चीजों को रखना ही है। जो खर्चा किया गया है उसकी सैंक्शन लेनी पड़ेगी ही और उसी के लिए हम सदन के सामने आये हैं और इसे प्रस्तुत किया है। हमें वर्ष भर के अन्दर यह कार्य कर लेना चाहिए। ऐसा नियम भी है और हम आये हैं। उन्होंने कहा कि 318 करोड़ रुपये का अनुपूरक अनुदान क्यों पेश किया गया। मान्यवर, इसमें शुद्ध व्यय भार केवल 14.64 करोड़ रुपया है वास्तविक बोझ पड़ेगा। बाकी जितना खर्चा है वह केवल एडजस्टमेंट है। इसमें 30.14 करोड़ रुपये का केवल आकस्मिकता निधि पर असर पड़ा है जिसकी स्वीकृति के लिए हम सदन के सामने लाये हैं। इसके

अतिरिक्त 232.57 करोड़ रुपया एडजस्टमेंट के आँकड़े हैं। वह तो केवल डेबिट क्रेडिट है जिसके लिए हम सदन के सामने आये हैं। 47.30 करोड़ रुपया भारत सरकार से ऋण का अनुदान है। वह उसमें एडजस्ट हो जायगा। इसके अतिरिक्त 3.18 करोड़ रुपया जो खाद्यान्नों की योजना है उसके लिए एडिशनल क्रिएट किया है क्योंकि जो खाद्यान्न हमें दिल्ली सरकार से मिला, उसको अपने प्रदेश में खर्चा किया। उसके कारण हमको 3.18 करोड़ रुपया मिला। इसी प्रकार से 18.5 करोड़ रुपया उर्वरक की खरीद के लिए लिया, उसको खरीदा और बेचा। तो यह खरीद और बेची का एडजस्टमेंट है। तो एक तरफ खर्चा हुआ और एक ओर प्राप्त हुआ। यह सब मिलकर हमारा केवल 14.64 करोड़ रूपया शुद्ध व्ययभार इन अनुपूरक अनुदानों के द्वारा पड़ने वाला है।

एक आलोचना मुख्यत: जो हमारे नेता विरोधी दल ने की, उसके बारे में जिक्र करना चाहता हूं। उनका कहना था कि साहब आपने भारत सरकार से प्राप्त किया कुल 64 लाख 15 हजार रूपया और आपने अनुदान संख्या 24 द्वारा 1 लाख 51 हजार 200 रुपये की माँग क्यों की। मान्यवर, नेता विरोधी दल वित्त मंत्री रह चुके हैं। वे अच्छी तरह से जानते हैं कि जो खर्चा होता है वह अलग-अलग मदों में चाहे वह जेल विभाग हो लेकिन अलग-अलग तरीके से उसको अनुदान संख्याओं में खर्च दिखाना पड़ता है। अनुदान संख्या 22—कारागार में हमने प्रशिक्षण विद्यालय के लिए 1 लाख 17 हजार रुपया व्यय दिखाया है लेकिन उसके साथ अनुदान संख्या 71 और 73 जिसको माननीय नेता विरोधी दल ने जानबूझकर सदन से छिपाकर, सदन को गुमराह करने की कोशिश की है ताकि यह मालूम पड़े कि 64 लाख रुपया तो मिला लेकिन खर्च किया केवल 1लाख 51 हजार रुपया। तो यह अलग अनुदानों में खर्चा था इसलिए वहाँ पर नहीं दिखाया गया। अगर ये दूसरी अनुदानों को भी पढ़े होते तो जो गल्ती उन्होंने की है, वे न करते।

इसी प्रकार से उन्होंने एक आलोचना और की और बड़े जोश के साथ यह कहा कि मैंने अपने कार्यकाल में सब जगहें, उनके द्वारा बनाई हुई अग्नि शामक योजना खत्म कर दी। वे देखें कि उनका जोश क्या था और इस सरकार की खूबी क्या है। अगर वे इस खूबी को पहचान जायें तो इस शासन की आलोचना ही न करते। पुराने शासन का तरीका रहा है कि पत्थर लगा दो और उस पर अपना नाम लिखवा दो, योजना चले या न चले। केवल घोषणा कर दी। हमने अग्निशामक योजना को हर जिले में लागू कर दिया है और एक भी जिला बाकी नहीं रहा। जो भी घोषणायें उन्होंने की थी उसको पूरा नहीं किया। इसलिये आप जब आलोचना करें तो यह ध्यान में रखें यह शासन जनता पार्टी का शासन है, जनता के लिये है, जनता द्वारा बना है और जनता के हितों के लिये यह सदा कार्य करता रहेगा।

एक आलोचना माननीय नेता विरोधी दल ने केवल सेन्टीमेन्टस उभारने के लिये मीराबाई मार्ग वाली की। यह वहाँ के लिये नहीं किया जा रहा है जहाँ पर कि माननीय अतिथि आकर रुकते हैं। वहाँ तो बहुत से ऐसे कमरे हैं जो लोगों को क्वार्टर्स के रूप में दे रखे हैं और लोग वहाँ खुल कर बिजली का प्रयोग करते हैं, पंखा चलाते है, खाना पकाने के लिये भी उसका इस्तेमाल करते हैं, तो क्या आप चाहते है कि शासन ऐसे लोगों को यह छूट दे दें और जनता के ऊपर उसका भार पड़ने दे? मैं समझता हूं माननीय नेता विरोधी दल को तो हमारे कार्य की सराहना करनी चाहिये थी। हम नहीं चाहते कि जनता के ऊपर इस प्रकार के खर्च का भार पड़े।

माननीय नेता विरोधी दल ने एक आलोचना पुलिस के ऊपर टी0 ए0 वगैरह की की। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं मैं इस राय का रहा हूं कि ऐसे मदों में खर्च कम से कम हो। मगर जितना भी प्राविधान आप बजट में करेंगे, उसके बाद और माँग अवश्य रखी

[श्री मधुकर दिघे]

जायेगी। मैंने इस सदन को यह आश्वासन दिया था कि मैं मितव्ययिता और कम खर्च करने के लिये जानबूझ कर इस प्रकार के खर्च के लिये बजट में प्राविधान कम रखूंगा ताकि खर्च कम हो। अगर आप ज्यादा कर देंगे तो ज्यादा खर्च होगा और माँग ज्यादा के लिये फिर भी की जायेगी। इसलिये मूल बजट में जानबूझ कर कम खर्च रखा गया था। आपकी इस आलोचना को मैं मानता हूं। जहाँ तक कम खर्च करने और मितव्ययिता की बात है, वह जनता पार्टी के मेनीफेस्टो में है, उसे करने में यद्यपि हम पूरे खरे नहीं उतरे है, पर हमारा प्रयास बराबर है और रहेगा, उसमें हमारी कोई हिचकिचाहट नहीं है। जनता का प्रतिनिधि होने के नाते और वित्त मंत्री होने के नाते उसके लिये हम प्रयास करते रहेंगे। लेकिन कुछ काम तो ऐसे है जिनको हमें करने होंगे।

इस सदन में कई बार ला एन्ड आर्डर की स्थिति पर प्रश्न उठे हैं और स्थिति का मुकाबला करने के लिये स्थान स्थान पर हमें पुलिस को भेजना पड़ता है। मैं उन नेताओं का अनुयायी हूं जिनका कहना था कि डंडा खा लेना, लेकिन डंडा उठाना नहीं। प्रजातंत्र का लाभ उठा कर अगर कुछ असमाजिक तत्व अल्प संख्या और निर्बल एवं गरीब और पिछड़े लोगों पर अत्याचार करने का प्रयत्न करेंगे तो उनका मुकाबला करने के लिये, उन निर्बलों की रक्षा करने के लिये, पुलिस को भेजना पड़ेगा। और उनके लिए खर्च होगा और इसी दृष्टि को ध्यान में रख कर यह जो खर्च हुआ, वह उस उद्देश्य की पूर्ति के कारण हमने अनुपूरक अनुदान की माँग किया है।

मान्यवर, मैं आखिर में माननीय नेता विरोधी दल की एक बात का और जिक्र करूंगा और वह यह है कि उन्होंने बहुत से ऐसे अनुदानों की चर्चा की, जानते हुए कि वह खर्चे नये होने वाले नहीं है। कई केन्द्रीय पोषक योजनाएं रहती है, सेन्ट्रली स्पाँसर्ड स्कीम्स रहती है, सेन्ट्रल से पैसा हमको मिलता है और उस कार्यक्रम को लागू कर दिया जाता है। वे जानते हैं, वित्त मंत्री रह चुके हैं। मैं उनके आदेशों को बहुत चाव से पढ़ता हूं। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैंने कभी अपनी जिन्दगी में नहीं सोचा था कि मैं भी वित्त मंत्री हूंगा, न मेरी कोई जानकारी ही इस विषय में थी।

मैं यह क्रेडिट अपने मित्र नारायण दत्त तिवारी को देना चाहता हूं, उनके बहुत से ड्राफ्ट्स मेरा पथ प्रदर्शन करते हैं। लेकिन उनको अपच है, बुद्धि की अपच है नेता विरोधी दल केवल आलोचना के लिए ही नहीं है, अपोजीशन और शासन दोनों की जिम्मेदारी है इस प्रदेश के 10 करोड़ लोगों की हिफाजत करना, उनके जीवन को सुखी करने का मार्ग दिखाना और उनको जो गरीबी के दलदल में पड़े है, जिन्हें पिछले कई वर्षों से गलती के कारण दुर्बुद्धि के कारण उपेक्षित कर रखा है उनको बढ़ाना इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि वे बावजूद इसके हमारी आलोचना करते रहे। लेकिन उस आलोचना के साथ साथ हमारी तारीफ करने से चूके नहीं, आलोचना के रूप में ही क्यों न हो। मान्यवर, मैं संस्कृत जानता नहीं, मुझे पूछना पड़ा दूसरों से मान्यवर, उन्होंने शुरुवात की थी उस दिन और कहा कि—"ऊर्ध्व मूलम् अथः शाखां।" उन्होंने जनता सरकार को इस संस्कृत के श्लोक से उपाधि दी। "ऊर्ध्व मूलम्" आदि पुरुष परमात्मा का नाम है। इससे बढ़कर जनता पार्टी की क्या व्याख्या हो सकती है। मैं समझता हूं कि अगर इस दृष्टि से उन्होंने परिभाषा की, तो मैं उनका बहुत ही कृतज्ञ हूं शुक्रगुजार हूं। उन्होंने, आलोचना की, जनता पार्टी की, केन्द्रीय शासन की आलोचना के मामले को लेकर यहाँ पर रूलिंग पार्टी की बड़ी आलोचना की। मान्यवर, खूबी है जनता पार्टी की। बदलने वाली परिस्थिति का मुकाबिला करना और उस परिपेक्ष में अपनी योजनाओं को तबदील करने की आकाँक्षा करना है। इसलिए योजना आयोग ने, केन्द्रीय सरकार ने, जनता पार्टी ने रोलिंग प्लान लागू किया है। मान्यवर, इन शब्दों के साथ मैं समझता हूं कि आज जितने भी माननीय सदस्य बैठे है, समझते होंगे और विरोधी दल के माननीय सदस्य

श्यामधर मिश्र और नेगी साहब ने एक बात कही, अच्छी बात कही, हमको इससे शिक्षा लेनी चाहिए, अगर हम जनता पार्टी के घटक हैं, उसके सदस्य हैं तो हम जनता पार्टी के कार्यों की उसके शासन का सम्पूर्ण समर्थन करेंगे और जिस दिन हमारे मन में आयेगा कि यह शासन ठीक नहीं चल रहा है हम विरोधी दल में शामिल हो जायेंगे, मैं उनकी इस बात को स्वीकार करता हूं। इसलिए मान्यवर, मेरा विश्वास है कि आज जनता पार्टी के अच्छे कामों के लिए जनता पार्टी का एक-एक सदस्य उसकी प्रशंसा और आलोचना करता है इसलिए कि जनता पार्टी ने जो जनता को आश्वासन दिये हैं, जनता के सामने जो बातें कहीं है, उन बातों के अनुरुप हम साबित होने का काम करें——

(शेम-शेम की आवाजें विरोध पक्ष की ओर से)

हम हर वक्त दुधारी तलवार के नीचे रहे हैं। मान्यवर, इसलिए मैं कहना चाहता हूं माननीय विरोधी सदस्यों से भी कि प्रदेश के हित में इस सरकार का पूरा-पूरा साथ दें।

इन शब्दों के साथ मैं सभी माननीय सदस्यों का पुनः आभार प्रकट करता हूं और जो बजट प्रस्तुत है, मैं समझता हूं कि उसका उन्हें पूरा-पूरा समर्थन करना चाहिए।

श्री गोविन्द सिंह नेगी——

मान्यवर, मेरा प्रश्न यह था कि राष्ट्रीय स्वयम् सेवक संघ के बारे में अपना एटीट्यूड सदन में स्पष्ट करें।

1978-79 के अनुपूरक अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या 3—मन्त्रि परिषद्

मुख्य मंत्री (श्री बनारसी दास)——

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 3—मंत्रि परिषद् के अन्तर्गत 9,50,000 रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1978–79 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष——

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 3—मंत्रि परिषद् के अन्तर्गत 9,50,000 रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1978–79 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और श्री गुलाब सेहरा तथा श्री रियासत हुसैन द्वारा विभाजन की माँग होने पर घंटी बजायी गयी)

(घंटी बन्द होने पर)

(प्रश्न पुनः उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर सदन का विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ——

पक्ष में——221

विपक्ष में——149।

(मेजों की थपथपाने की आवाजें)

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष——

कृपया सदन में शाँति रखें।

(व्यवधान)

श्री सत्य देव त्रिपाठी (जिला इटावा)——

श्री राज मंगल पाँडेय को पार्टी से निकाला जाय।

अनुदान संख्या 4—न्याय प्रशासन

न्याय मंत्री (श्री श्रीचन्द)—

मान्यवर, आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 4—न्याय प्रशासन के अन्तर्गत 61,08,000 रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1978–79 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 4—न्याय प्रशासन के अन्तर्गत 61,08,000 रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1978–79 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 10—राज्य आबकारी

स्वास्थ्य मंत्री (श्री रमा शंकर कौशिक)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 10—राज्य आबकारी के अन्तर्गत 3,54,000 रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1978–79 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 10—राज्य आबकारी के अन्तर्गत 3,54,000 रूपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1978–79 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 18—सचिवालय

मुख्य मंत्री (श्री बनारसी दास)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 18—सचिवालय के अन्तर्गत 19,16,100 रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1978–79 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 18—सचिवालय के अन्तर्गत 19,16,100 रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1978–79 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 19—जिला प्रशासन

मुख्य मंत्री (श्री बनारसी दास)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 19—जिला प्रशासन के अन्तर्गत 8,40,700 रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1978–79 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 19—जिला प्रशासन के अन्तर्गत 8,40,700 रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1978–79 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 21—पुलिस

मुख्य मंत्री (श्री बनारसी दास)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 21—पुलिस के अन्तर्गत 1,68,68,200 रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1978—79 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 21—पुलिस के अन्तर्गत 1,68,68,200 रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1978—79 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 22—कारागार

कारागार मन्त्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 22—कारागार के अन्तर्गत 60,93,100 रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1978—79 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 22—कारागार के अन्तर्गत 60,93,100 रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1978—79 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 23—लेखन सामग्री तथा मुद्रण

उप मुख्य मत्री उद्योग (श्री राम नरेश यादव)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 23—लेखन सामग्री तथा मुद्रण के अन्तर्गत 42,04,100 रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1978—79 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 23—लेखन सामग्री तथा मुद्रण के अन्तर्गत 42,04,100 रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1978—79 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 24—सार्वजनिक निर्माण कार्य

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री त्रिलोक चन्द)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 24—सार्वजनिक निर्माण कार्य के अन्तर्गत 1,51,200 रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1978—79 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 24—सार्वजनिक निर्माण कार्य के अन्तर्गत 1,51,200 रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1978—79 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 25—अन्य प्रशासनिक सेवाएं

नागरिक सुरक्षा मंत्री (श्री देवराम)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 25—अन्य प्रशासनिक सेवाएं के अन्तर्गत 81,35,800 रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1978–79 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 25—अन्य प्रशासनिक सेवाएं के अन्तर्गत 81,35,800 रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1978–79 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 26—अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें

वित्त मंत्री (श्री मधुकर दिघे)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 26—अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें के अन्तर्गत 1,78,45,800 रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1978–79 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 26—अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें के अन्तर्गत 1,78,45,800 रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1978–79 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 28—शिक्षा

शिक्षा मंत्री (श्री कैलाश नाथ सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिस से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 28—शिक्षा के अन्तर्गत 600 रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1978–79 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 28—शिक्षा के अन्तर्गत 600 रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1978–79 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 29—कला एवं संस्कृति

सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हरी किशन श्रीवास्तव)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 29—कला एवं संस्कृति के अन्तर्गत 1,63,900 रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1978–79 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 29—कला एवं संस्कृति के अन्तर्गत 1,63,900 रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1978–79 के लिए स्वीकर की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 30—वैज्ञानिक सेवाएं एवं शोध

मुख्य मंत्री (श्री बनारसी दास)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 30—वैज्ञानिक सेवाएं एवं शोध के अन्तर्गत 8,400 रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1978–79 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या 30——वैज्ञानिक सेवाएं एवं शोध

श्री उपाध्यक्ष——

प्रश्न यह कि अनुदान संख्या 30——वैज्ञानिक सेवाएं एवं शोध के अन्तर्गत 8,400 रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1978–79 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 31——चिकित्सा

स्वास्थ्य मंत्री (श्री रमाशंकर कौशिक)——

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 31——चिकित्सा के अन्तर्गत 500 रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1978–79 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष——

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 31——चिकित्सा के अन्तर्गत 500 रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1978–79 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 32——परिवार कल्याण

स्वास्थ्य मंत्री (श्री रमाशंकर कौशिक)——

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 32——परिवार कल्याण के अन्तर्गत 1,52,28,200 रुपये की अनुपूरक मांग वितीय वर्ष 1978–79 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष——

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 32——परिवार कल्याण के अन्तर्गत 1,52,28,200 रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1978–79 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 33——सार्वजनिक स्वास्थ्य

स्वास्थ्य मंत्री (श्री रमाशंकर कौशिक)——

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 33——सार्वजनिक स्वास्थ्य के अन्तर्गत 4,80,58,600 रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1978–79 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष——

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 33——सार्वजनिक स्वास्थ्य के अन्तर्गत 4,80,58,600 रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1978–79 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया तथा स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 34——मल निकास व्यवस्था तथा जल सम्पूर्ति

स्वास्थ्य मंत्री (श्री रमा शंकर कौशिक)——

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 34——मल निकासी व्यवस्था तथा जल सम्पूर्ति के अन्तर्गत 7,00,20,000 रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1978–79 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष——

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 34——मल निकासी व्यवस्था तथा जल सम्पूर्ति के अन्तर्गत 7,00,20,000 रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1978–79 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 35—आवास भवन

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री त्रिलोक चन्द)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 35—आवास भवन के अन्तर्गत 54,100 रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1978–79 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 35—आवास भवन के अन्तर्गत 54,100 रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1978–79 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 37—सूचना तथा प्रचार

मुख्य मंत्री (श्री बनारसी दास)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से तथा राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 37—सूचना तथा प्रचार के अन्तर्गत 35,09,000 रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1978–79 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 37—सूचना तथा प्रचार के अन्तर्गत 35,09,000 रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1978–79 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 40—अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण सम्बन्धी योजनाएं

मुख्य मंत्री (श्री बनारसी दास)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से तथा राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 40—अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण संबंधी योजनाएं के अन्तर्गत 12,98,100 रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1978–79 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 40—अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण संबंधी योजनायें के अन्तर्गत 12,98,100 रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1978-79 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 41—दैवी आपदाओं के कारण सहायता

उप मुख्य मंत्री राजस्व (श्री नारायण सिंह)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से और राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 41–देवी आपदाओं के कारण सहायता के अन्तर्गत 11,10,00,000 रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1978–79 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 41—दैवी आपदाओं के कारण सहायता के अन्तर्गत 11,10,00,000 रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1978–79 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 42—अन्य सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं

आवास मंत्री (श्री मोहम्मद मसूद खां)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 42—अन्य सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं के अन्तर्गत 2,42,000 रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1978–79 के लिए स्वीकार की जायं।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 42—अन्य सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं के अन्तर्गत 2,42,000 रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1978–79 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 43—सहकारिता

सहकारिता मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 43—सहकारिता के अन्तर्गत 400 रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1978–79 के लिए स्वीकार की जायं।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 43—सहकारिता के अन्तर्गत 400 रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1978–79 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 44—विशेष एवं पिछड़े हुए क्षेत्र

पर्वतीय विकास मंत्री (श्री आबिद अली)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 44—विशेष एवं पिछड़े हुये क्षेत्र के अन्तर्गत 1,46,47,700 रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1978–79 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 4 —विशेष एवं पिछड़े हुये क्षेत्र के अन्तर्गत 1,46,47,700 रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1978–79 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 46—कृषि

कृषि मंत्री (श्री शिव मंगल सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 46—कृषि के अन्तर्गत 1,50,00,800 रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1978–79 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 46—कृषि के अन्तर्गत 1,50,00,800 रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1978–79 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 47—औद्यानिक विकास

कृषि मंत्री (श्री शिव मंगल सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 47—औद्यानिक विकास के अन्तर्गत 69,200 रूपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1978–79 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 47---औद्यानिक विकास के अन्तर्गत 69,200 रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1978-79 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 49---सामुदायिक विकास

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री जमुना प्रसाद)---

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 49---सामुदायिक विकास के अन्तर्गत 71,78,900 रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1978-79 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 49---सामुदायिक विकास के अन्तर्गत 71,78,900 रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1978-79 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 53---पशुपालन

पशुधन मंत्री (श्री अब्दुल हलीम खां)---

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 53---पशुपालन के अन्तर्गत 100 रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1978-79 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 53---पशुपालन के अन्तर्गत 100 रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1978-79 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 55---मत्स्य उद्योग

पशुधन मंत्री (श्री अब्दुल हलीम खां)---

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 55---मत्स्य उद्योग के अन्तर्गत 3,00,000 रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1978-79 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 55---मत्स्य उद्योग के अन्तर्गत 3,00,000 रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1978-79 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 56---वन

वन मंत्री (श्री काजी मुहम्मद मुहिउद्दीन)---

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 56---वन के अन्तर्गत 84,70,600 रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1978-79 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 56---वन के अन्तर्गत 84,70,600 रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1978-79 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 57—उद्योग

उप मुख्य मन्त्री (श्री राम नरेश यादव)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 57—उद्योग के अन्तर्गत 100 रुपए की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1978–79 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 57—उद्योग के अन्तर्गत 100 रुपए की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1978–79 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 58—ग्राम एवं लघु उद्योग

उप मुख्य मन्त्री (श्री राम नरेश यादव)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 58—ग्राम एवं लघु उद्योग के अन्तर्गत 2,68,81,300 रुपए की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1978–79 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 58—ग्राम एवं लघु उद्योग के अन्तर्गत 2,68,81,300 रुपए की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1978–79 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 64—संचार साधन

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री त्रिलोक चन्द्र)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 64—संचार साधन के अन्तर्गत 6,200 रुपए की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1978–79 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 64—संचार साधन के अन्तर्गत 6,200 रुपए की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1978–79 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 65—कार्यात्मक भवन

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री त्रिलोक चन्द्र)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 65—कार्यात्मक भवन के अन्तर्गत 55,400 रुपए की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1978–79 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 65—कार्यात्मक भवन के अन्तर्गत 55,400 रुपए की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1978–79 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 69—पर्यटन

पर्यटन मन्त्री (श्री आबिद अली)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 69—पर्यटन के अन्तर्गत 3,19,700 रुपए की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1978–79 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 69--पर्यटन के अन्तर्गत 3,19,700 रुपए की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1978-79 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 70--स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा अभ्यर्पण

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री रमा शंकर कौशिक)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 70--स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा अभ्यर्पण के अन्तर्गत 100 रुपए की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1978-79 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 70--स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा अभ्यर्पण के अन्तर्गत 100 रुपए की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1978-79 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 71--सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री त्रिलोक चन्द्र)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 71--सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 34,77,900 रुपए की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1978-79 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 71--सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 34,77,900 रुपए की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1978-79 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 72--कार्यात्मक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री त्रिलोक चन्द)--

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 72--कार्यात्मक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 200 रुपए की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1978-79 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 72--कार्यात्मक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 200 रुपए की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1978-79 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 73--चिकित्सा, परिवार कल्याण तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री रमा शंकर कौशिक)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 73--चिकित्सा, परिवार कल्याण तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 200 रुपए की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1978-79 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 73—चिकित्सा, परिवार कल्याण तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 200 रुपए की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1978-79 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 74—आवास भवनों पर पूंजीगत परिव्यय

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री त्रिलोक चन्द)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 74—आवास भवनों पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 45,00,000 रुपए की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1978–79 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 74—आवास भवनों पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 45,00,000 रुपए की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1978–79 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 76—सहकारिता तथा डेरी विकास सम्बन्धी योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय

सहकारिता मन्त्री (श्री मुलायम सिंह यादव)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 76—सहकारिता तथा डेरी विकास सम्बन्धी योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 29,95,300 रुपए की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1978–79 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 76—सहकारिता तथा डेरी विकास सम्बन्धी योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 29,95,300 रुपए की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1978–79 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 77—विशेष एवं पिछड़े हुए क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय

पर्यटन मन्त्री (श्री आबिद अली)—

मान्यवर, मैं आप की आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 77—विशेष एवं पिछड़े हुए क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 13,03,200 रुपए की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1978–79 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 77—विशेष एवं पिछड़े हुए क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 13,03,200 रुपए की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1978–79 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 79—जमीन्दारी उन्मूलन के सम्बन्ध में प्रतिकर

उप मुख्य मन्त्री राजस्व (श्री नारायण सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 79—जमीन्दारी उन्मूलन के सम्बन्ध में प्रतिकर के अन्तर्गत 30,00,000 रुपए की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1978–79 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 79—जमीन्दारी उन्मूलन के सम्बन्ध में प्रतिकर के अन्तर्गत 30,00,000 रुपए की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1978–79 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 80—कृषि योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय

कृषि मंत्री (श्री शिव मंगल सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 80—कृषि योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 2,50,00,000 रुपए की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1978–79 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 80—कृषि योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 2,50,00,000 रुपए की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1978–79 के लिए स्वीकार की जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 82—खाद्य पर पूंजीगत परिव्यय

खाद्य मन्त्री (श्री मलिखान सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 82—खाद्य पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 18,50,00,000 रुपए की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1978–70 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 82—खाद्य पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 18,50,00,000 रुपए की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1978–79 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 83—पशुपालन तथा मत्स्य उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय

पशुधन मन्त्री (श्री अब्दुल हलीम खां)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 83–पशुपालन तथा मत्स्य उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 1,80,000 रुपए की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1978–79 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 83–पशुपालन तथा मत्स्य उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 1,80,000 रुपए की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1978–79 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 85—सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय

सिंचाई मन्त्री (श्री राजेन्द्र सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 85—सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 1,37,85,100 रुपए की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1978–79 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 85—सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 1,37,85,100 रुपए के अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1978–79 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 87—संचार साधनों पर पूंजीगत परिव्यय

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री त्रिलोक चन्द)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 87—संचार साधनों पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 5,00,00,600 रुपए की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1978–79 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 87—संचार साधनों पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 5,00,00,600 रूपए की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1978–79 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 92—ऋण और अग्रिम स्वायत्त शासन

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री रमाशंकर कौशिक)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 92—ऋण और अग्रिम—स्वायत्त शासन के अन्तर्गत 1,50,00,000 रुपए की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1978–79 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 92—ऋण और अग्रिम–स्वायत्त शासन के अन्तर्गत 1,50,00,000 रुपए का अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1978–79 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 94—ऋण और अग्रिम–उद्योग

उप मुख्य मन्त्री (श्री राम नरेश यादव)—

महोदय, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 94—ऋण और अग्रिम–उद्योग के अन्तर्गत 6,77,97,000 रुपए की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1978–79 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 94—ऋण और अग्रिम–उद्योग के अन्तर्गत 6,77,97,000 रुपए की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1978–79 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 95—ऋण और अग्रिम-सहकारिता

सहकारिता मन्त्री (श्री मुलायम सिंह यादव)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा राज्यपाल महोदय की सिफारिश मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 95—ऋण और अग्रिम–सहकारिता के अन्तर्गत 53,100 रुपए की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1978–79 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 95—ऋण और अग्रिम–सहकारिता के अन्तर्गत 53,100 रुपए की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1978–79 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 96—ऋण और अग्रिम—कृषि

कृषि मन्त्री (श्री शिव मंगल सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 96—ऋण और अग्रिम—कृषि के अन्तर्गत 9,05,00,000 रुपए की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1978–79 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 96—ऋण और अग्रिम—कृषि के अन्तर्गत 9,05,00,000 रुपए की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1978–79 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 98—ऋण और अग्रिम—वित्त

वित्त मन्त्री (श्री मधुकर दिघे)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 98—ऋण और अग्रिम—वित्त के अन्तर्गत 75,00,000 रुपए की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1978–79 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 98—ऋण और अग्रिम—वित्त के अन्तर्गत 75,00,000 रुपए की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1978–79 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश विनियोग (1978–79 का तृतीय अनुपूरक) विधेयक, 1979

वित्त मन्त्री (श्री मधुकर दिघे)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विनियोग (1978–79 का तृतीय अनुपूरक) विधेयक, 1979 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा माँगता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1978–79 का तृतीय अनुपूरक) विधेयक, 1979 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

वित्त मन्त्री (श्री मधुकर दिघे)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विनियोग (1978–79 का तृतीय अनुपूरक) विधेयक, 1979 को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

इसकी कापियाँ अब बंटवा दी जायं।

(विधेयक की प्रतियाँ सदस्यों को वितरित की गयीं।)

वित्त मन्त्री (श्री मधुकर दिघे)—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1978–79 का तृतीय अनुपूरक) विधेयक, 1979 पर विचार किया जाय।

मुझे इसमें कुछ कहना नहीं है।

*श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

मान्यवर, यह जो विनियोग विधेयक पेश किया गया है, इसके अन्तर्गत 318 करोड़ 69 लाख रुपए की धनराशि को विधान सभा की ओर से खर्च करने का अधिकार शासन को दिया जा रहा है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्रीमन्, आप देखेंगे कि अनुपूरक विधेयक में चार्ज्ड एक्सपेंडीचर 233 करोड़ रुपए का और मतदेय व्यय 85 करोड़ 60 लाख रुपए का है। अभी वित्त मन्त्री जी ने अपने भाषण में उल्लेख किया, इतना बड़ा तीसरा अनुपूरक विधेयक के माध्यम से जो अधिकार दिया जा रहा है, जो मैंने बुनियादी प्रश्न उठाया था खर्च के सम्बन्ध में, वह यह है कि यह बताया जाना चाहिए कि 786 करोड़ रुपए का प्लान्ट एक्सपेंडीचर हुआ उसमें कितना खर्च हुआ जो रिवाइज्ड एस्टीमेट के आधार पर उसमें कितना पुनर्विनियोग करके इस बजट में जो नान-प्लान्ड एक्सपेंडीचर है उसके अन्तर्गत, मान्यवर, गरज यह है कि इस तीसरे सप्लीमेंटरी बजट पास होने के बाद वित्त मन्त्री को यह बताना चाहिए सदन को कि प्लान का खर्च कितना है और नान प्लान का कितना है, पब्लिक एकाउन्ट में कितना है। मैंने शुरू में इस बात को कहा था कि जब यह आँकड़े सदन के सामने नहीं आते तब तक सदन की पकड़ नहीं रह सकती कि वाकई विकास कार्य के लिए कितना खर्च शासन कर रहा है। प्लान आउटले, बजट आउटले का बजट में प्राविधान करना अलग चीज है। प्लान का, प्राविधान करना अलग चीज है। खर्च करना अलग चीज है। प्लान और बजट का खर्चा हो रहा है या नहीं, इसके मुताबिक मैं जानना चाहता हूं कि इस विनियोग विधेयक के जरिए उसके अन्तर्गत कितना प्लान की मद में खर्च होने वाला है, कितना नान प्लान में खर्च होने वाला है और कितना पब्लिक एकाउन्ट में खर्च होना है? कितना इन्टरेस्ट में जाने वाला है, कितना रिपेमेंट आफ लोन में? वोट आन अकाउन्ट में जो बजट के आँकड़े दिए उसमें यह बात स्पष्ट नहीं है। कंसालिडेट फण्ड की धनराशि है। लेकिन उसके पढ़ने से स्पष्ट नहीं होता कि प्लान में कितना खर्च होने जा रहा है। फाइनल एस्टीमेट्स मार्च, 1980 के बाद आएंगे लेकिन रिवाइज्ड एस्टीमेट्स इस सदन के सामने जरूर आने चाहिए।

दूसरे जो ओवर ड्राफ्ट के बारें में कहा मेरा निवेदन यह था कि हमने जो ओवर ड्राफ्ट किया 156 करोड़ का वह प्रदेश की आवश्यकताओं को देखते हुए हमने किया था और केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति से किया था। श्री सुब्रह्मणियम साहब का पत्र रखा हुआ है फाइल में, केन्द्रीय वित्त मन्त्री का। उनकी अनुमति से 130 करोड़ का ओवर ड्राफ्ट कर सकते थे। हमने ओवर ड्राफ्ट किया, वह सही मानी में ओवर ड्राफ्ट नहीं था। सेन्ट्रल असिस्टेंट्स का वादा मिल गया था। 115 करोड़ रुपए का ओवरड्राफ्ट हुआ यानी 15 करोड़ रुपया फिर भी बचा। इसलिए ओवर ड्राफ्ट के भूत से इतना भयभीत होने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ जहाँ इसकी आवश्यकता है कि हम ओवर ड्राफ्ट न करे यह आखिर इतना बड़ा बजट है, संसाधन कहाँ से आने वाले हैं। जो वित्त मन्त्री ने वोट आन एकाउन्ट पर जो भाषण दिया और जो आज भाषण दिया उससे यह पता नहीं चलता कि आखिर इस बोझ के लिए रिसोर्सेज कहाँ से आने वाले हैं। मैंने अखबारो में पढ़ा कि शासन ने एक कमेटी बनाई है, वह 31 तक रिपोर्ट देगी, डाक्टर चेल्लिहा जिसके एक्सपर्ट हैं, उनकी कमेटी बनाई गयी है। बाहर अखबारों में पढ़ लिया लेकिन सदन में माननीय मुख्य मन्त्री या वित्त मन्त्री ने अवगत नहीं कराया। तो यह स्पष्ट होना चाहिए था कि संसाधनों के लिए क्या चेष्टा की गयी है। लेकिन माननीय वित्त मन्त्री जी ने यह चीज नहीं बताई। अब वह समय आ गया है। यह दल का प्रश्न नहीं है। योजनाएं आप बनायें लेकिन इस सदन को मालूम होना चाहिए। योजना पर विचार होना चाहिये और संसाधनों पर विचार होना चाहिए। जब तक यह नहीं होता है तब तक कोई विचार रैशनल नहीं हो सकता है। आज सेल्स टैक्स के बारे में वादा कर दिया गया कि हम माफ कर देंगे, लेकिन उसको हटाने में व्यावहारिक कठिनाई है। इस सदन के सामने कभी भी टैक्सेशन पालिसी के बारे में कोई भी विचार नहीं हुआ है। हमारे प्रदेश में टैक्स का भार खेती पर कितना है, व्यापारियों पर कितना है और कितना मध्यम वर्ग पर है। इस पर भी विचार होना चाहिये। अनुपूरक अनुदान मन्जूर होने जा रहा है, मैं चाहूंगा कि माननीय वित्त मन्त्री जी आज नहीं तो यह ह्वाइट पेपर है श्वेत-पत्र है वह अधूरा रह जायगा माननीय मुख्य मन्त्री जी ने कहा था कि योजना पर विचार करने का पूरा अवसर दिया जायगा तो विचार होना चाहिए।

खाद्य मन्त्री (श्री मलिखान सिंह))---
जो आप इस समय कह रहे हैं, वह तो आप पहले भी कह चुके हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी---
मुझे नहीं मालूम था कि खाद्य मन्त्री जी को भूख लगी है। तो इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर माननीय वित्त मन्त्री जी को सोचना ही होगा।

*श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)---
मान्यवर, मैं एक बात कहना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष---
आप जो स्पष्टीकरण करना चाहते हैं, वह कर लें।

श्री गोविन्द सिंह नेगी---
माननीय उपाध्यक्ष, जो यह स्पष्टीकरण नहीं, यह तो मेरा अधिकार है। आज की तारीख जो है वह ऐतिहासिक है इस देश में यह पहला दिन होगा जबकि शासन के खिलाफ शासन के लोगों ने ही मत किया। अभी तक यह रहा है कि या तो उन्होंने दल छोड़ दिया या फिर खिलाफ मत किया, लेकिन पहली बार सरकार पक्ष में ही बैठकर सरकार के खिलाफ मत दिया। आपका बहुमत साबित हुआ। आप कम से कम इस चीज की तो व्यवस्था कर दीजिए कि जो अनुदान माँगा जा रहा है वह इस वर्ष समाप्त हो जाय। आपको उसे 31 मार्च के बाद सरेन्डर न करना पड़े। प्राक्कलन समिति की लगातार यही शिकायत रही है कि अनुपूरक अनुदान माँगें तो जाते हैं लेकिन उनको सरेन्डर कर दिया जाता है। आप इसको देख लें। आपने 3 महीने का वोट-आन-एकाउन्ट लिया है। तीन महीने बजट के लिए हैं। जब आपका बजट बनेगा और उसमें आपकी सारी नीति स्पष्ट होगी। केन्द्रीय बजट ने हाहाकार मचा दिया है। अब आपका बिल्कुल शुद्धिकरण हो गया है। लेकिन उसकी तस्वीर हम आने वाले बजट में देखना चाहते हैं तब मालूम होगा कि आपकी कितनी प्रगतिशील नीतियाँ हैं और आप कितना जनसंघ और आर0एस0एस0 के खिलाफ लड़ना चाहते हैं।

*मुख्य मन्त्री (श्री बनारसी दास)---
माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्री नेगी जी ने आज के दिन को ऐतिहासिक दिन बताया है और उन्होंने यह कहा कि सत्ता रूढ़ दल के लोगों ने आज इन अनुदानों पर विरोध में मत दिया। विरोध पक्ष का मतभेद हो सकता है लेकिन लोकतन्त्र की स्वयं परम्परा और नैतिकता का समर्थन करना सब का फर्ज है। उन लोगों को कहना चाहता हूं जिन लोगों ने सत्ता रूढ़ दल में रहकर अनुदानों को गिराया है वे पहले इस दल को छोड़कर उधर बैठते।

(बहुत जोरों से शासन पक्ष की ओर से मेजें थपथपाई गयीं।)

मैं यह कहना चाहता हूं कि इस दल के जिन लोगों ने विरोध में मतदान किया है वह नैतिकता के खिलाफ और लोकतन्त्र के विरुद्ध हैं और मैं उनको यह भी चुनौती देना चाहता हूं कि यदि वे चाहें, नैतिकता के आधार पर, तो वे एसेम्बली से त्यागपत्र दें।

(बहुत जोरों से शासन पक्ष की ओर से पुनः मेजें थपथपाई गयीं।)

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि मैं इसके लिए भी तैयार हूं कि जनमत क्या कहता है। मैं श्री नारायण दत्त तिवारी से और विरोध पक्ष से यह भी कहना चाहता हूं कि वे प्रस्ताव लायें और नये सिरे से चुनाव हों (व्यवधान) लेकिन संसदीय प्रणाली में इस तरह का कार्य करना केवल एक अनैतिकता है (व्यवधान) इसकी प्रत्येक भर्त्सना करता है। (व्यवधान)

(इस्तीफा देकर आइए---नारे लगाए गए)

श्री मधुकर दिघे---
मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि आप कृपया शान्त हो जाइये। इस विनियोग विधेयक के सम्बन्ध में माननीय नेता विरोधी दल ने जो आपत्तियाँ उठाई हैं, उन पर

आज विस्तार से चर्चा करना आवश्यक नहीं समझता हूं। जब मूल बजट आयेगा तब उन्होंने जो आय-व्यय एवं पंच वर्षीय योजना के बारे में प्रश्न उठाए हैं, उन पर भी विस्तार से चर्चा करूंगा, जब समय आयेगा आयोजनेत्तर एवं आयोजनागत व्यय के सम्बन्ध में अनुपूरक अनुदानों के बारे में क्या कहना है उसकी इस समय आवश्यकता नहीं है।

(शोर गुल के बीच)

मैं विरोधी दल के उन सभी माननीय सदस्यों को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने हमारे अन्दर की कीचड़ को निकालने में हमारी मदद की है। अब आपका काम पूरा हो गया, जो लोग जनता पार्टी में रह कर जनता पार्टी को कमजोर करना चाहते थे उनका पर्दाफाश हो गया।

(मेजों की थपथपाहट—सरकारी पक्ष से)

अब मैं निवेदन करूंगा कि सदन इस विनियोग विधेयक को सर्व सम्मति से पारित करे।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1978–79 का तृतीय अनुपूरक) विधेयक, 1979 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 2, 3, अनुसूची, खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश विनियोग (1978–79 का तृतीय अनुपूरक) विधेयक, 1979

31 मार्च, 1979 ई0 को समाप्त होने वाले वर्ष के व्यय के लिए राज्य के संचित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का प्राधिकार देने की व्यवस्था के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त शीर्षनाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग (1978–79 का तृतीय अनुपूरक) अधिनियम, 1979 कहलाएगा।

उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से वर्ष 1978-79 के लिए 3,18,69,57,500 रुपयों का दिया जाना

2—ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के लिए जो 31 मार्च, 1979 ई0 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ 2 में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों के सम्बन्ध में देने पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से इतना रुपया निकाला और काम में लाया जा सकता है जो अनुसूची के स्तम्भ 3 में दी हुई धनराशियों से, जिनका कुल योग 3,18,69,57,500 रु0 (केवल तीन अरब अठारह करोड़ उनहत्तर लाख सत्तावन हजार पाँच सौ रुपया) होता है, अधिक न हो।

विनियोग

3—इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से जिन धनराशियों को निकालने और काम में लाने का अधिकार दिया जाता है, उनका विनियोग 31 मार्च, 1979 ई0 को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन सेवाओं और प्रयोजनों के लिए किया जायगा जो अनुसूची में दिए हुए हैं:

अनुसूची

(धारायें 2 और 3 देखिये)

1	2	3		
		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
अनुदान/क्रम संख्या	सेवायें और प्रयोजन	विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
		रु0	रु0	रु0
*2	राज्यपाल तथा उनका सचिवालय ..	..	74,800	74,800
3	मंत्रि परिषद ..	9,50,000	..	9,50,000
4	न्याय प्रशासन ..	61,08,000	25,86,000	86,94,000
8	स्टाम्प एवं पंजीकरण	..	1,300	1,300
10	राज्य आबकारी ..	3,54,000	..	3,54,000
*16	ब्याज का भुगतान ..	..	3,14,300	3,14,300
*17	लोक सेवा आयोग ..	..	7,20,000	7,20,000
18	सचिवालय ..	19,16,100	..	19,16,100
19	जिला प्रशासन ..	8,40,700	11,700	8,52,400
21	पुलिस ..	1,68,68,200	1,000	1,68,69,200
22	कारागार ..	60,93,100	..	60,93,100
23	लेखन-सामग्री और मुद्रण	42,04,100	..	42,04,100
24	सार्वजनिक निर्माण-कार्य	1,51,200	..	1,51,200
25	अन्य प्रशासनिक सेवायें	81,35,800	..	81,35,800
26	अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें	1,78,45,800	13,59,000	1,92,04,800
28	शिक्षा ..	600	4,700	5,300
29	कला एवं संस्कृति ..	1,63,900	..	1,63,900
30	वैज्ञानिक सेवायें एवं शोध	8,400	..	8,400
31	चिकित्सा ..	500	33,100	33,600
32	परिवार कल्याण ..	1,52,28,200	..	1,52,28,200
33	सार्वजनिक स्वास्थ्य ..	4,80,58,600	..	4,80,58,600
34	मल निकासी व्यवस्था तथा जल सम्पूर्ति ..	7,00,20,000	..	7,00,20,000
35	आवास भवन ..	54,100	..	54,100
37	सूचना तथा प्रचार ..	35,09,000	..	35,09,000
40	अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण संबंधी योजनायें ..	12,98,100	..	12,98,100
41	दैवी आपदाओं के कारण सहायता ..	11,10,00,000	..	11,10,00,000

*भारित विनियोग से सम्बन्धित क्रम संख्या ।

1	2	3		
अनुदान/ क्रम संख्या	सेवायें और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
		रु0	रु0	रु0
42	अन्य सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं ..	2,42,000	..	2,42,000
43	सहाकारिता ..	400	..	400
44	विशेष एवं पिछड़े हुए क्षेत्र	1,46,47,700	..	1,46,47,700
46	कृषि ..	1,50,00,800	..	1,50,00,800
47	औद्यानिक विकास ..	69,200	3,800	73,000
49	सामुदायिक विकास ..	71,78,900	..	71,78,900
53	पशुपालन ..	100	..	100
55	मत्स्य उद्योग ..	3,00,000	..	3,00,000
56	वन ..	84,70,600	..	84,70,600
57	उद्योग ..	100	..	100
58	ग्राम एवं लघु उद्योग ..	2,68,81,300	..	2,68,81,300
64	संचार साधन ..	6,200	..	6,200
65	कार्यात्मक भवन ..	55,400	..	55,400
69	पर्यटन ..	3,19,700	..	3,19,700
70	स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा अभ्यर्पण	100	..	100
71	सार्वजनिक निर्माण-कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय ..	34,77,900	..	34,77,900
72	कार्यात्मक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय ..	200	..	200
73	चिकित्सा, परिवार कल्याण तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय ..	200	..	200
74	आवास भवनों पर पूंजीगत परिव्यय ..	45,00,000	..	45,00,000
76	सहकारिता तथा डेरी विकास सम्बन्धी योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय ..	29,95,300	..	29,95,300
77	विशेष एवं पिछड़े हुये क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय ..	13,03,200	..	13,03,200
79	जमींदारी उन्मूलन के सम्बन्ध में प्रतिकर ..	30,00,000	..	30,00,000
80	कृषि योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय ..	2,50,00,000	..	2,50,00,0 0

अनुसूची—(समाप्त)

1	2	3		
		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
अनुदान/क्रम संख्या	सेवायें और प्रयोजन	विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
		रु0	रु0	रु0
82	खाद्य पर पूंजीगत परिव्यय	18,50,00,000	..	18,50,00,000
83	पशुपालन तथा मत्स्य उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय ..	1,80,000	..	1,80,000
85	सिंचाई निर्माण-कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय ..	1,37,85,100	64,900	1,38,50,000
87	संचार साधनों पर पूंजीगत परिव्यय ..	5,00,00,600	..	5,00,00,600
*90	राज्य सरकार के ऋण	..	2,32,57,09,400	232,57,09,400
92	ऋण और अग्रिम—स्वायत्त शासन ..	1,50,00,000	..	1,50,00,000
94	ऋण और अग्रिम—उद्योग	6,77,97,000	..	6,77,97,000
95	ऋण और अग्रिम—सहकारिता	53,100	..	53,100
96	ऋण और अग्रिम—कृषि	9,05,00,000	..	9,05,00,000
98	ऋण और अग्रिम—वित्त	75,00,000	..	75,00,000
	योग ..	85,60,73,500	2,33,08,84,400	3,18,69,57,5000

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 2, 3, अनुसूची, खंड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री मधुकर दिघे—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं . . .

श्री नारायण दत्त तिवारी—

माननीय राज्यपाल की सिफारिश से नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष—

इसमें माननीय राज्यपाल की सिफारिश की जरूरत नहीं है ।

श्री मधुकर दिघे—

मैं, श्रीमन् आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1978–79 का तृतीय अनुपूरक) विधेयक, 1979 पारित किया जाय ।

*भारित विनियोग से संबंधित क्रम-संख्या ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि . . . . . .

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

मैं एक मिनट चाहता हूं

श्री उपाध्यक्ष—

अब नहीं । आपको पहले उठना चाहिये था ।

(शोर-व्यवधान)

श्री रियासत हुसैन—

थर्ड रीडिंग पर मुझे एक मिनट का समय दे दें, थर्ड रीडिंग पर मुझे बोलने का अधिकार है ।

श्री उपाध्यक्ष—

अब नहीं । मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं । आप कृपया बैठें । जब माननीय तिवारी जी ने कहा था और माननीय नेगी जी ने कहा था, आप भी उसी समय उठते । उस समय मैं समय दे देता । अब आप कृपया बैठें ।

श्री रियासत हुसैन—

आपके प्रश्न रखने से पहले मैं खड़ा हुआ हूं थर्ड रीडिंग पर बोलने का मेरा अधिकार है, मैं कोई भाषण नहीं देना चाहता, केवल इतना कहना चाहता हूं . . .

श्री उपाध्यक्ष—

इस वक्त नहीं । मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं । जब विचार चल रहा था तब आप खड़े होते । उस समय आपने समय नहीं मांगा ।

(व्यवधान)

(शोरगुल के मध्य)

आप इस पर अब नहीं बोल सकते, क्योंकि आपका कोई संशोधन भी इसके ऊपर नहीं था । इसलिए आप नहीं बोल सकते ।

श्री रियासत हुसैन—

नहीं, संशोधन नहीं श्रीमन् । जब पारित करने के लिए माननीय वित्त मंत्री जी खड़े हुए हैं, उस पर मैं बोल सकता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप कृपया बैठ जाइये ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1978–79 का तृतीय अनुपूरक) विधेयक, 1979 पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुपूरक अनुदानों पर मतदान में हुए विभाजन की संख्या के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

स्वास्थ्य मंत्री (श्री रमा शंकर कौशिक)—

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

221 मत मान्यवर, पक्ष में आये थे और विपक्ष में कितने मत आये ?

श्री उपाध्यक्ष—

विपक्ष में 149 मत आये ।

श्री मुकीमुर्रहमान (जिला मुरादाबाद)—

माननीय राज मंगल पांडेय ने अपोजीशन में वोट किया, तो क्या बहुमत के आधार पर उनको नेता विरोधी दल बनायेंगे, मान्यवर?

श्री मान सिंह आजाद (जिला लखनऊ)—

राजमंगल पांडेय ने जनता पार्टी में रहते हुए जनता पार्टी के विरुद्ध वोट दिया।

(शोरगुल)

(कई सदस्य बोलते रहे)

श्री उपाध्यक्ष—

यह कार्यवाही का भाग नहीं बनेगा।

श्री राज मंगल पांडेय (जिला देवरिया)—

[* * *]

श्री उपाध्यक्ष—

यह नहीं लिखा जायगा।

श्री राज मंगल पाण्डेय—

364 वोट की हाजिरी है और बताया गया 370 पड़े। यह बताया जाय कि क्या स्थिति है ?

श्री उपाध्यक्ष—

जब मैंने हाथ उठवाया था, उसी समय आपको यह आपत्ति करनी चाहिए थी। मंत्री लोग रजिस्टर पर दस्तखत नहीं करते हैं ?

(कई सदस्य खड़े होकर एक साथ बोलते रहे)

माननीय मुख्य मंत्री जी, कृपया इन लोगों को शान्त करें।

(व्यवधान के मध्य श्री राज मंगल पाँडेय तथा अन्य कई सदस्य बोलते रहे।)

यह लिखा नहीं जायगा। यह कार्यवाही का भाग नहीं बनेगा।

श्री राज मंगल पाण्डेय—

(शोर-गुल के बीच) 24 मिनिस्टरों ने वोटिंग किया और कम से कम 25–30 आदमियों ने हाथ नहीं उठाया दोनों ओर के लोगों ने वोटिंग में। रिकार्ड बताता है 370 का। तो मान्यवर, ...

श्री उपाध्यक्ष—

तो तुरन्त ही आपत्ति करनी चाहिए थी आप इस समय आपत्ति कर रहे हैं, जो उचित नहीं है। आप उस समय कहते तो मैं सदस्यगणों को लाबी में भेजकर दस्तखत करवा कर अपना निर्णय देता।

श्री राज मंगल पाण्डेय—

मान्यवर, मेरी बात तो सुनें . . . .

श्री रमा शंकर कौशिक—

मान्यवर, इनको बता दीजिये कि मिनिस्टर लोग दस्तखत नहीं करते।

(शोर)

नोट—[* * *] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री उपाध्यक्ष—

कृपया आप बैठें ।

(शोर)

(श्री पद्माकर लाल श्रीवास्तव कुछ बोलते रहे लेकिन शोर के कारण कुछ भी सुनायी नहीं पड़ रहा था।)

बड़ा शोर हो रहा है। अगर आप लोग शोर करते रहे और सदन नहीं चलने देना चाहते तो मैं सदन स्थगित कर दूंगा। आप लोग बैठें।

(शोर)

माननीय पाण्डेय जी, आप उस समय जैसा मैंने पहले भी कहा, जिस समय मैंने निर्णय दिया था . . . .

श्री राजमंगल पाण्डेय—

(शोर) मान्यवर, आप का रिकार्ड बताता है 364 सदस्य हैं और वोट गिरे 370। तो मैं आप की व्यवस्था चाहता हूं कि 364 की हाजिरी के बाद यह वोटिंग 370 की कैसे हो गयी ?

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने उसका जवाब दे दिया। अब आप बैठें।

एक सदस्य—

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है

(शोर)

(श्यामधर मिश्र बोलते रहे लेकिन शोर में सुनायी नहीं पड़ा।)

श्री उपाध्यक्ष—

जब मैंने हाथ उठाकर के गिनती करायी थी और मैंने कहा था कि 'हाँ' के पक्ष में 221 और 'नहीं' के पक्ष में 149, तब अगर किसी माननीय सदस्य ने इसे उठाया होता और यह कहता कि लाबी में जाकर के दस्तख्त करके निर्णय दिया जाय.....

(शोर)

श्री राज मंगल पाण्डेय—

अगर 181 न बताया गया होता तो मैं....

(शोर)

श्री मुकीमुर्रहमान—

श्रीमन्, आप खड़े हैं और माननीय ....

(शोर)

श्री राज मंगल पाण्डेय—

नेता सदन का चैलेंज मैं स्वीकार करता हूं, मान्यवर। नेता सदन जब भी मौका दें अगर उनको इस बात का घमण्ड हो कि विरोधी पक्ष को तोड़कर रहेंगे तो मेरा चैलेंज है कि वह नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे।

एक सदस्य—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैं आपका ध्यान . . . .

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष—

आज दिनांक 22 मार्च, 1978 को नियम 51 के अन्तर्गत कुल 12 सूचनायें प्राप्त हुई।

[श्री उपाध्यक्ष]

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री रवीन्द्र सिंह, श्री राम गोविनद चौधरी, श्री गौरी शंकर भैया और श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी द्वारा दी गई सूचना, जो प्रदेश में कोयले की कमी के कारण ईट निर्माण, बिजली आपूर्ति, उत्पादन एवं घरों में ईधन के अभाव से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, को मैंने स्वीकृत किया है ।

दूसरी सूचना श्री अजीत सिंह सेठी द्वारा दी गई है, जो 13 मार्च को घाटमपुर, जिला बिजनौर में कुछ लड़कों द्वारा होली का चन्दा जबरन वसूल करने तथा श्री हीरा लाल दरोगा के बीच बचाव करने पर उसे पकड़कर मारने के संबंध में प्राप्त हुई है, को केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार किया है । श्री कृष्णवीर सिंह कौशल, श्री मंजूर अहमद, श्री मित्रसेन यादव का नाम इसमें जुड़ा हुआ है ।

श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी, श्री हरिकेवल प्रसाद की और जितनी अन्य सूचनायें थीं वह अस्वीकृत हैं ।

निजी नलकूपों/पम्पिंग सेटों की विद्युत् दरें 15 रुपया प्रति अश्व शक्ति प्रतिमाह से घटाकर 12 रु0 प्रति अश्व शक्ति प्रति माह करने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)---

मान्यवर, कापी नहीं मिली है

श्री उपाध्यक्ष---

यह बंटवा दी गयी है ।

विद्युत् मंत्री (श्री रेवती रमण सिंह)---

मान्यवर, दिनाँक 30 दिसम्बर, 1978 को विधान सभा में माननीय सदस्य श्री कल्पनाथ सिंह आदि के गैर सरकारी प्रस्ताव जो प्रदेश में विद्युत् चालित निजी नलकूपों का न्यूनतम शुल्क 12 रु0 प्रति अश्व प्रति माह किये जाने से संबंधित था, पर विधान सभा में बहस हुई थी । निजी नलकूपों/पम्पिंग सेटों की विद्युत् दरें 12 रु0 प्रतिमाह प्रति अश्व शक्ति किये जाने के सम्बन्ध में माननीय तत्कालीन विद्युत मंत्री जी/मुख्य मंत्री जी द्वारा दिये गये आश्वासन के संबंध में, मैं सदन के माननीय सदस्यों को यह सूचित करना चाहूंगा कि निजी नलकूपों/पम्पिंग सेटों की विद्युत दरें 12 रु0 प्रति अश्व शक्ति प्रतिमाह दिनाँक 1 अप्रैल, 1979 से किये जाने के संबंध में अध्यक्ष, राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा सचिव, राज्य विद्युत् परिषद् को निर्देश दिये जा चुके हैं । अब 1 अप्रैल, 79 से निजी नलकूपों पम्पिंग सेटों के उपभोक्ताओं से 15 रु0 प्रति अश्व शक्ति प्रतिमाह के स्थान पर 12 रु0 प्रति अश्व शक्ति प्रतिमाह लिया जायेगा ।

श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)---

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय विद्युत् मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आदेश किस तारीख को जारी किया गया है ?

श्री रवती रमण सिंह---

आदेश पारित हो गया है, कल । लेकिन हैड क्वार्टर्स पर पहली तारीख के पहले पहुंच जायगा ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष---

सदन में शांति रखें ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---

मान्यवर, आज मेरा इस संबंध में क्वेश्चन था उसका उत्तर आया है कि विचाराधीन है । तो कौन सी बात हो गयी थी कि ऐसा उत्तर आया कि विचाराधीन है ?

श्री रेवती रमण सिंह—

मान्यवर, यह ऊदल जी का सवाल है पहले का सवाल है। इसका जवाब पहले बन चुका था। यह अभी हमने इसके बाद निर्णय लिया है। इसलिये यह सूचना समय से नहीं मिल सकी।

श्री उपाध्यक्ष—

अब हम उठते हैं और कल 11 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 29 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ:
22 मार्च, 1979।

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या 4 का उत्तर पीछे पृष्ठ 623 पर)

अनन्तराम जायसवाल
संसद सदस्य
550, रसूलपुर, बाराबंकी ।

गुरुद्वारा, रकाबगंज रोड,
नई दिल्ली
दिनांक 6, जनवरी, 1979

माननीय स्वास्थ्य मंत्री,
उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ ।

महोदय,

रुदौली प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के इतिहास में शायद यह पहला इत्तिफाक है कि डा0 श्री ए0 एस0 यादव के रूप में इस प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को ऐसा चिकित्सा अधिकारी मिला है, जो सचमुच जनता की सेवा की तबियत रखता है और जिसके काम की वाह वाही सर्वत्र है ।

डा0 श्री ए0 एस0 यादव विगत मई में प्रा0 स्वा0 केन्द्र, रुदौली में नियुक्त हुए थे । अपनी तरह उन्होंने अस्पताल के अन्य कर्मचारियों से भी अपेक्षा की कि वे अनुशासित ढंग से अपने कर्त्तव्य का पालन करें । स्माल पाक्स सुपरवाइजर श्री तालिब हुसैन और लैब असिस्टेंट श्री शाहिद हुसैन, दो ऐसे कर्मचारी हैं, जो लखनऊ रह कर पिछले पाँच साल के प्रा0 स्वा0 केन्द्र रुदौली में सेवा कर रहे हैं । वे देहरा रेलगाड़ी से दिन में 12 बजे के आस पास लखनऊ से रुदौली पहुंचते हैं और फिर शाम को देहरा से ही लौटने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को 4 बजे शाम के आस पास छोड़ देते हैं। उनका ऐसा आना जाना भी सप्ताह में दो एक दिन ही होता है । सप्ताह के शेष दिन वे अपने घर पर लखनऊ में ही बिताते हैं यह शिकायत पकड़ में न आये, इसके लिये उन्होंने स्वास्थ्य केन्द्र की उपस्थित पंजिका और भ्रमण पंजिका चोरी करवा दी । जब डा0 श्री यादव ने उनको कर्त्तव्यपालन हेतु कसना शुरू किया तो उन लोगों ने भी डा0 यादव को तंग करने की मुहिम छेड़ी । सर्व प्रथम उन्होंने डा0 यादव के विरुद्ध शासन को शिकायत पत्र भिजवाये । सी0 एम0 ओ0/डिप्टी सी0 एम0 ओ0 की जाँच में अंकित शिकायतें निराधार व झूठी पायी गई। पुन: उन्होंने एक झूठा तार दीपावली के आस पास दिलवाया कि डा0 यादव के पिता एक एक्सीडेंट का शिकार हो गये हैं और उनकी हालत गम्भीर है । तार की प्राप्ति पर श्री यादव को अवकाश लेकर पिता के पास जाना पड़ा । अन्त में उन लोगों ने डा0 यादव के नाम से उनका त्याग पत्र ही भिजवा दिया, जिसकी सूचना श्री यादव के मुख्य चिकित्सा-धिकारी, बाराबंकी द्वारा नवम्बर, 78 के मध्य के आस पास मिली ।

जब इन सारे उपायों से उनको श्री यादव से छुट्टी नहीं मिली तो उन्होंने सीधे माननीय स्वास्थ्य मंत्री को डा0 यादव के नाम से एक प्रार्थना पत्र भिजवाया जिसमें दर्शाया गया था कि वे रुदौली में काम करने में अपने को असमर्थ पा रहे हैं। इसलिए उनका वहां से स्थानान्तरण कर दिया जाय ।उसकी भी सूचना उनको उप मुख्यचिकित्साअधिकारी (द्वितीय), बाराबंकी के पत्र दिनांक 27-11-78 से मिली, जिसमें उनसे कहा गया कि वे कारण दर्शाये कि उचित माध्यम को छोड़कर सीधे शासन से स्थानान्तरण की प्रार्थना क्यों की ?

आश्चर्य की बात यह है कि उस फर्जी दरख्वास्त के आधार पर श्री र0द0 शर्मा, संयुक्त निदेशक, कार्मिक, के आदेश संख्या 2 एफ0/स्था0 दिनांक 16-12-78 द्वारा उनका स्थानान्तरण पी0 एच0 सी0, रुदौली से पी0 एच0 सी0 सोहावल, जिला फैजाबाद को कर दिया गया ।

इस केस के उपर्युक्त तथ्य एवं परिस्थितियों के संदर्भ में न्यायोचित होगा कि जाल गढ़ने वालों को बाद जाँच सजायाव किया जाय और डा० यादव का स्थानान्तरण तुरन्त निरस्त किया जाय।

कृपया अविलम्ब आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,
ह०/
(अनन्त राम जायसवाल)
संसद सदस्य।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या 6 का उत्तर पीछे पृष्ठ 623 पर)

आष्टांग आयुर्वेद विद्यालय, लखनऊ में कार्यरत कल्पक पाठ्यक्रम से संबंधित शिक्षकों की शैक्षिक एवं व्यावसायिक योग्यताओं का विवरण

क्रम0सं0	शिक्षक का नाम	शैक्षिक योग्यता	रजिस्ट्रेशन नं0	संबंधित अध्यापकों की व्यवसायिक योग्यतायें जो परिषद द्वारा मान्य है	व्यवसायिक योग्यतायें जिसके आधार पर परिषद में रजिस्टर्ड हैं
1	2	3	4	5	6
1	श्री दयाराम अवस्थी	एम0ए0, शास्त्री, साहित्याचार्य	5374	आयुर्वेदाचार्य (बी0आई0एम0एस0)	आयुर्वेदाचार्य (बी0आई0एम0एस0)
2	श्री रोहिणी कान्त शास्त्री	साहित्याचार्य, व्याकरणतीर्थ काव्य	5533	आयुर्वेदाचार्य, एल0ए0एम0एस0	एल0ए0एम0एस0
3	श्री बागेश्वर प्रसाद अवस्थी	——	964	आयुर्वेदाचार्य	पैरा–4 (अनुभव के आधार पर)
4	श्री सुरेन्द्र नाथ दीक्षित	साहित्यरत्न	428	आयुर्वेदाचार्य	पैरा–4 (अनुभव के आधार पर)
5	श्रीमती श्री देवी दीक्षित	——	3803	अनुभव के आधार पर	पैरा–4
6	श्री नामेन्द्र नाथ दीक्षित		16698	आयुर्वेदाचार्य	आयुर्वेद भिषक, आयुर्वेदाचार्य आयुर्वेदरत्न।
7	श्री चन्द्रभाल मौर्य	इन्टरमीडिएट, साहित्यरत्न	20645	आयुर्वेद शास्त्री, आयुर्वेदाचार्य	आयुर्वेद भिषग, आयुर्वेदाचार्य आयुर्वेदरत्न।
8	श्री तेज नारायण त्रिपाठी	साहित्यरत्न	22244	आयुर्वेद शास्त्री, आयुर्वेदाचार्य	आयुर्वेद भिषग, आयुर्वेदाचार्य आयुर्वेदरत्न।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5	6
9	श्री अवधेश कुमार श्रीवास्तव	एम0 ए0 प्रथम वर्ष, साहित्यरत्न	—	आयुर्वेद शास्त्री, आयुर्वेदाचार्य	रजिस्ट्रेशन नं0 ज्ञात न होने के कारण सूचना भेजना संभव नहीं।
10	श्री देवी दीन वर्मा	साहित्यरत्न	21847	आयुर्वेदरत्न, आयुर्वेदाचार्य	आयुर्वेद भिषग, आयुर्वेदाचार्य
11	श्री श्याम नारायण तिवारी	—	24421	आयुर्वेद शास्त्री, आयुर्वेदाचार्य	आयुर्वेद शास्त्री, आयुर्वेदाचार्य
12	श्री जगत नारायण तिवारी	इन्टर साइंस एवं संस्कृत	28026	आयुर्वेदाचार्य (बी0 ए0 एम0 एम0 एस0)	आयुर्वेदाचार्य (बी0 ए0 एम0 एम0 एस0)।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या 26 का उत्तर पीछे पृष्ठ 629 पर)

प्रमुख माँगें	निर्णय का विवरण
1——वरिष्ठता निर्धारण	इस माँग पर सहानुभूति पूर्वक एवं भली-भांति विचार कर निदेशालय को दिनाँक 24-1-78 को आदेश भेजे जा चुके हैं कि स्वास्थ्य निरीक्षक तथा मलेरिया उन्मूलन प्रावस्था के वरिष्ठ मलेरिया निरीक्षक, तथा सर्वेलेन्स निरीक्षक की ज्येष्ठता सूची अलग-अलग बनाई जाय और तदनुसार ही स्थायीकरण का प्रश्न तय हो।
2——मलेरिया कर्मचारियों के उत्पीड़न सम्बन्धी स्थानान्तरण आदेश निरस्त किए जायं।	ऐसे स्थानान्तरण शासन की नीति के अनुसार तथा शिकायतों के प्रसंग में किए गए हैं, उत्पीड़न के फलस्वरूप नहीं।
3——गृह दर्शक वर्ग की निरीक्षक वर्ग में 50 प्रतिशत प्रोन्नति की जाय।	गृह दर्शक प्राथमिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता को सर्वेलेन्स इंस्पेक्टर के पद पर 10 प्रतिशत के रिक्त पदों पर प्रोन्नति के कोटे के बजाय 50 प्रतिशत का कोटा निर्धारित किए जाने के आदेश दिनाँक 22 नवम्बर, 1978 को जारी किए जा चुके हैं।
4——गत वर्षों में समस्त वर्गों के अधीन प्रोन्नति में हुई अनियमितताओं में सुधार किया जाय तथा पात्र व्यक्तियों की प्रोन्नति की जाय और अनियमित प्रोन्नति के लिए सम्बंधित अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही की जाय।	इस मामले को गहराई से जाँचने हेतु निदेशालय स्तर पर निम्न सदस्यों की समिति गठित कर दी गयी :—— (1) अतिरिक्त निदेशक (स्वास्थ्य) अध्यक्ष (2) संयुक्त निदेशक (कार्मिक) सदस्य (3) संयुक्त निदेशक (संचारी रोग) ,, (4) संयुक्त निदेशक (मलेरिया) ,, (5) सहायक निदेशक (मलेरिया) कोआप्टेड
5——मलेरिया उन्मूलन का अनुरक्षण प्रावस्था के दोनों क्षेत्रों के समान कार्य के संवर्गीय कर्मचारियों का विलयीकरण करके एक दूसरे के स्थान पर स्थानान्तरण किया जाय।	ऐसा करने में व्यावहारिक कठिनाइयाँ हैं जिनके कारण माँग स्वीकार करने की सम्भावना नहीं रह जाती। इनकी शैक्षिक योग्यता में विभिन्नता है। स्वास्थ निरीक्षक संवर्ग के लिये एक वर्षीय (सेनेटरी इंस्पेक्टर कोर्स) प्रशिक्षण अनिवार्य है, जिसकी शैक्षिक योग्यता इन्टर साइन्स है। मलेरिया निरीक्षक तथा सर्वेलेन्स निरीक्षक केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना के अन्तर्गत है और उनका व्यय भार भारत सरकार वहन

करती है। स्वास्थ्य निरीक्षकों का व्यय-भार राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है।

6—15-20 वर्षों से एक ही पद पर कार्यरत कर्मचारियों के प्रोन्नति के द्वार अविलम्ब खोले जायं।

मलेरिया कर्मचारियों की प्रोन्नति के लिए विभागीय चयन निर्धारित कर दिया गया है जैसे गृह दर्शक को सर्वेलेन्स निरीक्षक, सर्वेलेन्स निरीक्षक को मलेरिया निरीक्षक, मलेरिया निरीक्षक को वरिष्ठ मलेरिया निरीक्षक तथा वरिष्ठ मलेरिया निरीक्षक को सहायक मलेरिया अधिकारी के पद पर प्रोन्नति के मार्ग प्रशस्त हैं।

7—3 वर्षों से अधिक कार्यरत समस्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियो को अविलम्ब स्थायी घोषित किया जाय।

मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत ऐसे पद अस्थायी है अतः उनके समक्ष ऐसे कर्मचारियों के स्थायीकरण का प्रश्न फिलहाल नहीं उठता।

8—शासन द्वारा सर्वेलेन्स निरीक्षकों के निश्चित मासिक यात्रा भत्ते में अविलम्ब सुधार कर उसे स्वास्थ्य निरीक्षकों को दिए गए यात्रा भत्ते के अनुरूप बनाया जाय। क्योंकि सर्वेलेन्स निरीक्षक एवं स्वास्थ्य निरीक्षक के कार्य और क्षेत्र में समानता है।

सर्वेलेन्स निरीक्षकों को 25 रु0 मासिक के बजाय 30 रु0 मासिक की दर से यात्रा भत्ता दिए जाने के आदेश वित्त विभाग द्वारा दिनांक 5 जुलाई, 1978 को जारी किए जा चुके हैं। इस भत्ते को स्वास्थ्य निरीक्षकों को अनुमन्य भत्ते के समान अर्थात 35 रु0 प्रति मास करने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है।

9—भविष्य में मलेरिया कार्यक्रम में कार्यरत समस्त निरीक्षकों को मल्टी परपज स्कीम में लिए जाने पर उन्हें सुपरवाईजरी कैडर में रखा जाय।

बहुधन्धी कार्यकर्ता योजना के अन्तर्गत इन कर्मचारियों को खपाने की रूपरेखा अभी स्पष्ट नहीं है अतएव इन्हें सुपरवाइजरी कैडर में रखने का प्रस्ताव अपरिपक्व है।

नत्थी 'घ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 2 का उत्तर पीछे पृष्ठ 633 पर)

शिकायतें एवं उन पर की गयी कार्यवाही का विवरण

क्रम सं0	शिकायतकर्ता का नाम	शिकायतें	कृत कार्यवाही का विवरण
1	2	3	4
1	श्री सुरेन्द्र प्रसाद, जन पद देवरिया का दिनाँक रहित पत्र	(1) परमानेंट डिस्कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं का अन्तिम बिल खास व्यक्तियों के कहने पर बनवाने और दिखावटीरूप से रिपोर्ट मंगवाना। (2) किसी साइट पर न जाना (3) 50 बोरी सीमेंट एवं अन्य सामान अपने निजी बंगले में लगाना। (4) केवल बंगले पर बैठे रहने और किसी उच्चाधिकारी के आने पर कार्यालय जाना। (5) दिनभर में कई लिखित एवं मौखिक आदेश आदि।	मुख्य क्षेत्रीय अभियन्ता द्वारा अधीक्षण अभियन्ता से जांच कराई गयी, परन्तु आरोप निराधार पाये गए।
2	श्री रामपति, मन्त्री स्वयंसेवक संघ, देवरिया का दिनांक रहित पत्र।	(1) उपभोक्ताओं से मिलने से इंकार करना एवं विभागीय कर्मचारियों से घर का काम करवाना (2) डिवीजन में जातिवाद को बढावा एवं कमीशन लेकर फर्जी मस्टर रोल पास करना। (3) प्रधान लिपिक के माध्यम से रुपया लेकर अवर अभियन्ताओं का स्थानान्तरण करना। (4) विभागीय कारपेंटर से घर का काम करवाना।	मुख्य क्षेत्रीय अभियन्ता द्वारा अधीक्षण अभियन्ता से जांच कराई गई परन्तु आरोप निराधार पाये गए।

1	2	3	4
3	बिजली कर्मचारी संघ, देवरिया का दिनांक रहितपत्र ।	(1) प्रधान लिपिक श्री बजरंगी सिंह द्वारा घूस लेकर स्थानान्तरण करना । (2) कर्मचारियों की नियुक्ति में धपलेबाजी एवं घूस लेना । (3) श्री बजरंगी सिंह एवं श्री डी0 पी0 सिंह द्वारा मिर्जापुर में पेट्रोल पम्प लगवाना । (4) श्री आर0 के0 सिंह, जी0एम0डी0 द्वारा नैना टाकीज का मीटर बैक करते पकड़ा जाना परन्तु प्रधान लिपिक द्वारा 1000 रु0 लेकर मामला खत्म कर दिया जाना तथा घूस लेकर अन्य दो इन्जीनियरों को स्थायी करना ।	मुख्य क्षेत्रीय अभियन्ता द्वारा अधीक्षण अभियन्ता से जांच कराई गई परन्तु आरोप निराधार पाये गए ।
4	श्री अब्दुल समद अन्सारी, देवरिया का पत्र दिनांक 11-5-78 ।	(1) अधिशासी अभियन्ता द्वारा अभद्र व्यवहार (2) बिजली के बिलों में की गयी गड़बड़ी का सुधार न किया जाना तथा शिकायतों को दूर न किया जाना ।	मुख्य क्षेत्रीय अभियन्ता द्वार अभी जांच कराई जा रही है ।
5	हस्ताक्षर रहित श्री राम प्यारे पाण्डे, देवरिया का दिनांक 25-7-78 का पत्र ।	(1) श्री डी0पी0 सिंह ने जाते समय हजार रुपये का फ़र्जी मस्टर रोल एवं 70 हजार रुपए की हैन्ड रसीद बनवाई ।	नियमानुसार ऐसे अहस्ताक्षरित पत्रों पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है । कोई विशिष्ट आरोप भी नहीं लगाए गए हैं जिन पर जांच हो ।
6	श्री हरिकेवल प्रसाद, विधायक के पत्र के साप्ताहिक समाचार पत्र "मन्त्री" दिनांक 12-6-1978 की प्रतिलिपि ।	अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध कोई विशिष्ट आरोप नहीं ।	

अमर प्रकाशन

परिशिष्ट 'क'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 4 का उत्तर पीछे पृष्ठ 634 पर)

दिनांक 1 अगस्त, 1978 को वाराणसी, मेरठ और आगरा मण्डलों में जिलावार वित्तीय वर्ष 1975–76, 1976–77, 1977–78 की लाइसेन्स फीस का देशी व अंग्रेजी शराब व भांग के ठेकेदारों पर अलग-अलग जो रुपया बकाया है, वह निम्न प्रकार है—

जिला		1975–76	1976–77	1977–78
1—वाराणसी	..	शून्य	1,45,539	20,95,132
2—बलिया	..	शून्य	49,100	31,920
3—गाजीपुर	..	शून्य	शून्य	68,454
4—आजमगढ़	..	शून्य	30,945	87,940
5—जौनपुर	..	शून्य	शून्य	शून्य
6—मेरठ	..	46,466	22,98,692	59,90,030
7—गाजियाबाद	..	शून्य	6,22,176	5,55,513
8—बुलन्दशहर	..	शून्य	4,80,171	5,83,978
9—मुजफ्फरनगर	..	शून्य	8,10,885	21,97,486
10—सहारनपुर	..	4,500	14,44,002	27,95,234
11—आगरा	..	1,00,687.50	89,926	3,93,599.54
12—इटावा	..	शून्य	शून्य	23,900
13—मैनपुरी	..	34,526	47,279	2,84,742
14—एटा	..	1,40,824	99,133	43,926.55
15—फर्रुखाबाद	..	शून्य	1,62,332.92	2,01,053
16—मथुरा	..	शून्य	शून्य	16,491.86
17—अलीगढ़	..	शून्य	शून्य	32,818

संसद्यात्रा प्रदर्शन

नथी 'च'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 16 का उत्तर पीछे पृष्ठ 638 पर)

लखनऊ जनपद में कार्यरत स्वास्थ्य निरीक्षिकाओं की सूची

क्रम-सं0	नाम	लखनऊ जनपद में नियुक्ति का वर्ष
1	2	3
1	श्रीमती के0 के0 शर्मा	1956
2	„ सी0 के0 त्रिपाठी	1962
3	„ जी0 तिमोठी	1964
4	„ एस0 डी0 निगम	1966
5	„ बी0 डी0 तिवारी	1969
6	„ लज्जा शर्मा	1970
7	„ विन्धवासिनी	1971
8	„ आर0 के0 जायसवाल	1971
9	कु0 कुसुम देवी यादव	1973
10	कु0 एम0 बनर्जी	1973
11	श्रीमती बी0 फाजली	1973
12	श्रीमती अंजना सक्सेना	1974
13	„ लाल मणि देवी	1974
14	„ पुष्पा गुप्ता	1974
15	„ सत्य भामा	1974
16	„ अनारवली	1974
17	„ कन्तला अग्रवाल	1974
18	„ शान्ति श्रीवास्तव	1974
19	„ कु0 सावित्री सिंह	1975
20	श्रीमती मैथली शरण	1975
21	„ रामावती	1975
22	„ सी0 के0 नायक	1976
23	„ जी0 डी0 सक्सेना	1976
24	„ आर0 आर0 चन्देल	1976
25	„ जी0 डी0 सैनी	1976
26	„ एस0 डी0 बिष्ट	1976
27	„ टी0 यादव	1976
28	„ के0 के0 सक्सेना	1976
29	कु0 राजेन्द्र कौर	1977
30	श्रीमती कुसुम माला तिवारी	1977
31	„ रेहाना बानों	1977
32	„ सत्यवती राय	1978
33	„ सरोज चतुर्वेदी	1978
34	कु0 माधुरी श्रीवास्तव	1979
35	श्रीमती सन्तप्यारी अस्थाना	1979
36	„ विमला कौर	1979

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'छ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 48 का उत्तर पीछे पृष्ठ 646 पर)

भवन सं0 बी–20—मूल रूप से कुंवर जीतेन्द्र प्रसाद को आवंटित है। श्री प्रसाद स्वयं लखनऊ में नहीं रहते हैं। भवन अधिकतर बन्द रहता है। श्री प्रसाद अधिकतर शाहजहांपुर में रहते हैं और कभी-कभी जब लखनऊ आते हैं तो उक्त भवन में ही रुकते हैं। बाद दायर हुआ था जिसका निर्णय प्रतिवादी के पक्ष में हो चुका है

भवन सं0 सी–10—श्री एल0 पी0 श्रीवास्तव के नाम आवंटित है। श्री श्रीवास्तव स्वयं भी इस भवन में कभी-कभी आकर रुकते हैं वैसे अधिकतर गोरखपुर में रहते हैं। भवन में अधिकतर ताला बन्द रहता है। भवन खाली कराने की कार्यवाही न्यायालय में विचाराधीन है।

भवन सं0 ए–9, लारेन्स टैरेस—मूल रूप से मिस एस0 एन0 कार्टर के नाम से आवंटित है। इस भवन का नाम परिवर्तन इनकी मां श्रीमती ज0 डब्लू0 कार्टर के नाम किए जाने के आदेश हो चुके हैं। भवन में श्रीमती जे0 डब्लू0 कार्टर का कब्जा है।

भवन सं0 ई–1—श्री सी0 जे0 बपटिस्टा को आवंटित है। श्री बपटिस्टा भवन को खाली करके गोवा चले गए हैं और भवन का कब्जा श्री वामिक अली को अनधिकृत रूप से दे दिया है। भवन खाली कराने की कार्यवाही की जा रही है।

भवन सं0–13 नरही—मेजर एम0 वी0 सिंह को आवंटित है लेकिन भवन में श्री देवेन्द्र कुमार सिंह रह रहे हैं। मेजर एम0वी0 सिंह अधिकतर हरदोई में रहते हैं और कभी-कभी लखनऊ आते हैं तो वे भी इसी भवन में रुकते हैं। भवन खाली कराने की कार्यवाही की जा रही है।

भवन संख्या एफ–26, पेपर मिल कालोनी—श्री एच0 एल0 सफाया के नाम आवंटित है और इन्हीं का परिवार भवन में काबिज है।